खण्ड-373, अंक-4
गुरूवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(5 सितम्बर, 1985 ई0)

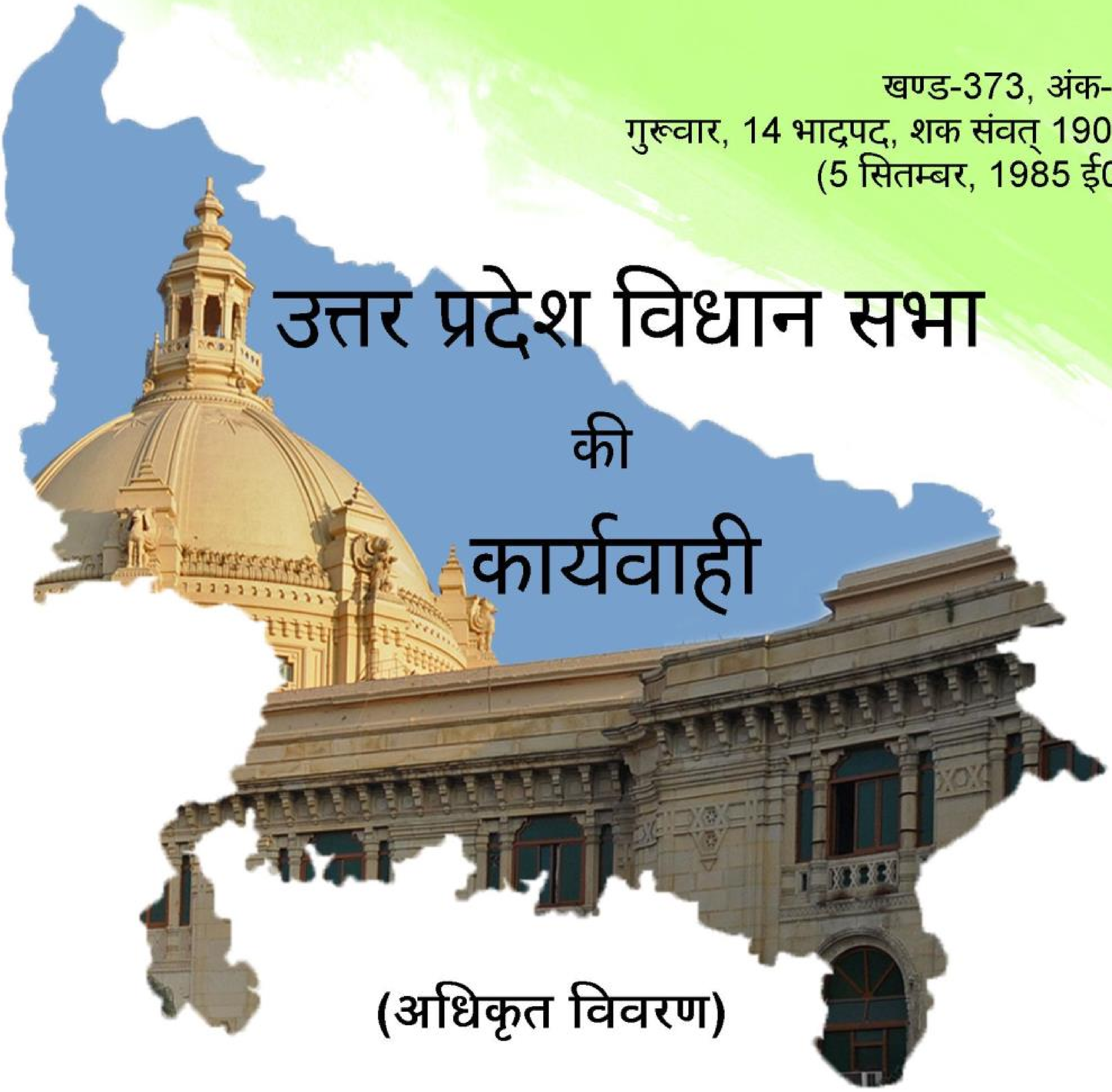

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 373 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ—
उपस्थित सदस्य	(i)
प्रश्नोत्तर	1
उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन	50
नव निर्वाचित उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द को बधाई	53
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण कार्य, नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	62
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	62
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1981–82 (सदन के पटल पर रखे गये)	63
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	63
कानपुर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र में ईद की नमाज में व्यवधान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
बांदा जनपद के नरैनी क्षेत्र में भूमि संरक्षण विभाग की अतर्रा इकाई की स्थापना तथा चेक डैम व बन्धियां बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
प्रदेश के विभिन्न राज्यों में स्थापित इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रदेश के लिये निर्धारित कोटे के चयन में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग रेलवे ओवर ब्रिज के निकट जीप दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
श्री रतन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर, बल्देव, जिला मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद इटावा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित्त टूटे सम्पर्क मार्गों को शीघ्र बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	65

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मेरठ की हिन्डन नदी व कृषनी नदी के कटान से कतिपय गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
गोला गोकर्णनाथ, जनपद खीरी के पवित्र कुण्ड का नवीनीकरण कराने तथा नगर को प्रदूषण से बचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66
प्रशासन की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा आन्दोलन की तैयारी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
वृन्दावन, मथुरा में बंगाल प्रदेश से आनेवाली बाल एवं युवा विधवाओं पर आश्रमों में अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	67
देवरिया जनपद के कसया थानान्तर्गत ग्राम अनहया टोला अतवा में हरिजनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ-गांठ से अत्याचार किये जाने के के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
अलीगढ़ नगर में खेर बस अड्डे के निकट हुई दुर्घटना के सन्दर्भ में पुलिस की उपस्थिति में अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा उपद्रव एवं अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद इटावा में लखना के बीहड़ क्षेत्रों में पक्की पुलियों के निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
श्री यशपाल सिंह, पुत्र श्री मामराज सिंह, निवासी ग्राम कलाखरी, थाना खुरजा देहात, जनपद बुलन्दशहर को राजनैतिक विरोधियों द्वारा पुलिस से मिल कर परेशान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ के समक्ष पड़ी नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
लखनऊ के अमीनाबाद थानान्तर्गत मोहल्ला नया गांव (पूरब) स्थित मकान नं0 60 में तेजाब के कारखाने को अन्यत्र हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
श्री अकबर अली, पुत्र श्री सुभान अली, निवासी ग्राम महुआरी, लालगंज, आजमगढ़ की भूमि पर फर्जी बेनामा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्ति/प्रतिनियुक्तियां करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	71
आर0 एस0 के0 इण्टर कालेज, सिम्भावली, गाजियाबाद के प्रबन्धतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
पूर्वांचल में बुनकरों की भुखमरी तथा हैण्डलूम-पावरलूम उद्योग के बन्द होने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
चमड़े का उद्योग हमदर्द हाइड कम्पनी, पुरानी बस्ती, जिला बस्ती में अधिकारियों के लापरवाही से हरिजन मजदूरों में क्षोभ एवं भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72

विषय	पृष्ठ संख्या
होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में निदेशक डाक्टर अविनाश चन्द्र सक्सेना द्वारा धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	72
उन्नाव जिले के कस्बा पुरवा व कस्बा मौरावां में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराने तथा नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद हरदोई के मल्लावां स्थिति स्वराज्य आश्रम खादी भण्डार द्वारा बुनकरों को उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73
माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा परीक्षाफलों में धांधली करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
इटावा जनपद में मलेरिया के भयंकर प्रकोप होने तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
भूतपूर्व सदस्य श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सुरक्षा किये जाने तथा निष्क्रिय पुलिस अधिकारियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	74
राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टूड़ियागंज, लखनऊ के अध्यापकों को नियमित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
टाउन एरिया अमेठी, जिला लखनऊ के विद्युतीकरण में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र मुहल्ला मुन्शीगंज को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	75
आगरा स्थित देवजिन्सी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज के गृह स्वामी के अवैध धन्धे से आलू उत्पादकों को भारी क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
इटावा जनपद के क्षेत्र भरथना एवं विधूना में सड़कों के अभाव तथा बहादुरपुरा से नैविलगंज रोड को पक्का कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
आई0 सी0 डी0 एस0 के तहत लखनऊ के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
आगरा जनपद की तहसील खास और विकास खण्ड बरौली अहीर के गांवों में पशुओं की बीमारी फैलने तथा उपचार व्यवस्था शीघ्र कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
राज्य विद्युत परिषद के भ्रष्ट अभियन्ता श्री एस0 के0 गुप्ता को देहरादून या आन-पारा प्रोजेक्ट में तैनात करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
शाहजहांपुर के नगरपालिका तिलहर में अवैधानिक कर वसूली से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
हिन्डालको रेनूकोट, मिर्जापुर के प्रबन्धकों द्वारा असामाजिक तत्वों एवं पुलिस की मदद से श्रमिकों को लूटने तथा बर्बरतापूर्वक अत्याचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78

विषय	पृष्ठ संख्या
भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में विभागीय वरिष्ठ यांत्रिकी अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ द्वारा विषाक्त एवं क्षतिग्रस्त लेवी चीनी के टेण्डर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
डुमरियागंज, बस्ती में चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
आगरा जनपद के थाना खेरागढ़ के ग्राम महुआखेड़ा में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	79
तेली पाड़ा फार्म, बिजनौर द्वारा दीवार बनाकर खोह नदी की मुख्य धारा को मोड़ देने तथा बाढ़ व वर्षा के भयंकर प्रकोप से कोटद्वार-भावर, गढ़वाल के कतिपय गांवों को क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा की आत्महत्या से आन्दोलित क्षुब्ध छात्रों की मांगों पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80
जनपद बदायूं में जरीफनगर थाने की पुलिस व दरोगा श्री भार्गव द्वारा जनता को त्रस्त किये जाने तथा उनके स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र सेवापुरी के कतिपय गांवों में नालों व पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
बस्ती के जिलापूर्ति अधिकारी के रिश्तेदारों को कोल एजेन्ट बनाने तथा जनपद के बाहर ही कोयला बेच देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81
नौगढ़, बस्ती में राप्ती नदी तथा कूड़ा नदी के कटान से कतिपय गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
श्री धीरेन्द्रपाल सिंह, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, बदायूं, जिला बदायूं के साथ थानाध्यक्ष सिविल लाइन श्री राधा कृष्ण शर्मा द्वारा अमानवीय व्यवहार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
लखनऊ-कानपुर रोड, आलमबाग में बाग बिरवा (शराब खाने) से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण तथा सीवर लाइन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
थाना पिलखुआ, जनपद गाजियाबाद के पुलिस कर्मियों द्वारा श्री आजाद सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह, निवासी ग्राम बिरोही आदि व्यक्तियों पर अचानक हमला करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
इलाहाबाद राजस्व परिषद् के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
गोरखपुर में मा० अंधियारी बाग, रामलीला मैदान के निकट हिन्दू साधु सन्तों की समाधि भूमि पर पुलिस एवं माल विभाग द्वारा अवैध कब्जा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84

विषय	पृष्ठ संख्या
शाहजहांपुर के पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी के कटान को रोकने हेतु निर्मित सिमरा बांध के टूट जाने से धन-जन की अपार क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
शारदा नदी की बाढ़ व कटान से जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा लाखों रुपये कृषकों से अवैध रूप से वसूल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0 मालवीय, नगर, लखनऊ द्वारा कानपुर रोड बरगवां, लखनऊ के अन्तर्गत खरीदे गये भूखंडों पर मकान निर्माण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद मेरठ की सरधना नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक चुंगी कर लगाये जाने के जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
औरैया, जनपद इटावा में अधूरी सीवर लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
पुलिस अधीक्षक श्री एस0 के0 त्रिपाठी, देवरिया द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा उन्हें हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम गजाधरपुर में गुण्डों द्वारा आतंक मचाने तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
सादाबाद इण्टर कालेज, मथुरा के प्रबन्ध तंत्र में व्याप्त भष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
पाल नौकाचालन में ख्याति प्राप्त प्रदेश के सैनिक मेजर ए0 पी0 सिंह और कैप्टन अशोक कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किये जाने मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा लिपिक पदों के चयन में धांधली करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
टाऊन एरिया सिद्धौर, बाराबंकी के शीघ्र समुचित विकास किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
बाराबंकी जनपद में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
श्री अब्दुल अजीज, अब्दल गफ़ूर अन्सारी, निवासी पोस्ट घुसवा मनकापुर, जिला गोण्डा पर पुलिस की सांठ-गांठ से अवांछनीय तत्वों द्वारा अत्याचार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
पर्याप्त वर्षा न होने से जनपद फ़ैजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में अकाल की स्थिति .. के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद फ़ैजाबाद में कालीन उद्योग की ईकाइयों के बन्द हो जाने तथा 5 हजार श्रमिक मजदूरों के बेकार हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद जौनपुर में अतिवृष्टि के कारण जनजीवन अस्तव्यस्त होने तथा लगान व विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क माफ किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड हलधर मऊ के विकास अधिकारी के साथ ब्लाक प्रमुख द्वारा दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
मथुरा जिले के ब्लाक छाता एवं नन्दगांव में मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने से जनता में क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	91
जनपद मुज़फ्फ़रनगर के विकास कार्यों में प्रशासन की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद मुज़फ्फ़रनगर में खतौली आदि क्षेत्रों को टाउन एरिया न बनाये जाने तथा चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
घोसी, आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड 52 मुख्य नहर के ग्राम सियरही के निकट कट जाने से धन जन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
क्रय केन्द्र सांथा, जनपद बस्ती में धोतियों की खरीद कार्य प्रारम्भ करने तथा बुनकरों के बकाये का शीघ्र भुगतान शासन द्वारा कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
आजमगढ़ जनपद में सड़कों व नालियों की मरम्मत तथा सफ़ाई का समुचित प्रबन्ध करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
जनपद मुजफ्फ़रनगर की दि गंगा सहकारी चीनी मिल में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
देवरिया जनपद में आंधी और तूफ़ान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को शीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की रिक्तियों के चयन में धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जनपद आजमगढ़ के जायसवाल जू0 हा0 स्कूल, कलन्दरपुर के प्रबन्ध तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
बस्ती जिले में राप्ती नदी के कटान को रोकने के लिये नये ठोकरों को लगवाने तथा पुराने ठोकरों की मरम्मत शीघ्र कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
लखनऊ नगर में आर0 एफ0 सी0 द्वारा राशन की दुकानों पर वितरण हेतु सड़ा चावल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद इलाहाबाद में नगरमहापालिका के नजूल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सांठ-गांठ से नजूल एवं गैर नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
सचिव ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–32 आजमगढ़ के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
अलीगढ़ जनपद की तहसील कोल के ब्लाक धनीपुर के मार्गों को पक्का कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
जिला परिषद्, मिर्जापुर में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त होने तथा अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
प्रदूषण को रोकने हेतु बरेली जनपद में कैम्पर फ़ैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लान्ट शीघ्र लगाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
ग्राम धोरबरिया, तहसील फ़तेहपुर, जिला बाराबंकी में स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार करने तथा उनके स्थानान्तरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की मोदी कपड़ा मिल की तीन यूनिटों को श्रमिकों की मांगों पर शीघ्र खुलवाने की सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद मथुरा की अदालतों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अभाव से जनाक्रोश तथा शीघ्र नियुक्तियां कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
फ़ैजाबाद जनपद में सूखा पड़ने राजकीय नलकूप विभागों द्वारा भारी लापरवाही बरतने एवं विद्युत लाइनों के खराब होने तथा राहत कार्यों की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
उन्नाव जनपद में व्याप्त बेरोजगारी गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
बागपत मेरठ में हिन्डन नदी पर पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद फ़तेहपुर में महरहा रोड (महात्मा गांधी मार्ग) शीघ्र पक्का कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद आजमगढ़ के सभी टाउन एरियाओं तथा नगरपालिकाओं में गन्दगी एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को कड़े आदेश देकर बुनकरों का शोषण शीघ्र समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
रामनगर, बाराबंकी के अधिकारियों द्वाराभ्रष्टाचार करने तथा श्री सर्वजीत पुत्र श्री विशेश्वर निवासी गुलरिया मजरे मगहे पर अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101

विषय	पृष्ठ संख्या
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 का सही उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	102
हिन्डालकों के मजदूरों पर लाठी चार्ज होने से संबंधित दिनांक 4-9-85 की मद संख्या 25 को न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न	102
नियम 301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	103
मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश का गृह सचिव द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	104
नियम 301 के सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	105
तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण सम्बन्धी अध्यादेश का प्रबन्ध समिति द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106
मद संख्या 28 की मद संख्या 29 में पुनरावृत्ति हो जाने के सम्बन्ध में सूचना ..	107
नियम 300 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करने के उपरान्त भी उनकी ग्राह्यता पर सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	107
किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा की आत्महत्या से सम्बन्धित छात्रसंघ में आन्दोलन की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	108
सहारनपुर जिले की तहसील नकुड़ के कतिपय गांवों की पैमाइश कराकर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	108
लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	108
कोल असला क्षेत्र, वाराणसी के विधायक के साथ शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	110
भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किये गये जंगली बाबा शिक्षण संस्थान, गड़वार, बलिया के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा तथा ग्राम भरौली, सोहांव, बलिया में पम्प नहर लगाये जाने संबंधी सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	113
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पायरिला प्रकोप से फसलों की क्षति के प्रश्न को सदन के संज्ञान में बार-बार लाये जाने के बावजूद भी शासन द्वारा समुचित व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114
दिनांक 4-9-85 की कार्यसूची की मद संख्या 21--हिन्डालको के मजदूरों पर लाठी चार्ज को न लिये जाने तथा उस पर कृत कार्यवाही से अवगत न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	116
जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी स्थित रतोय ताल के पानी के निकासी हेतु हाहा नाले की खुदाई तथा दो नये फाटक लगाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	117

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गाजियाबाद के कस्बा सिंभावली में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में याचिका--(उपस्थित की गयी) ..	117
जनपद गाजियाबाद में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, चिरौड़ी को उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट कालेज किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	118
जनपद गाजियाबाद के बागपत-मुरादनगर मार्ग पर हिन्डन नदी में सुराना गांव के पास पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका--(उपस्थित की गयी) ..	118
जनपद गाजियाबाद के चिरौड़ी में एक राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध याचिका (उपस्थित की गयी)	118
गाजियाबाद के विकास खण्ड लोनी में एक राजकीय पालिटेक्निक खोलने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	118
जनपद गाजियाबाद के न्याय पंचायत चिरौड़ी में मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	118
जनपद आगरा में ग्राम गदपुरा से धौरा होकर फिरोजाबाद मार्ग के कुबेरपुर मार्ग तक बनी सड़क का विकास कर बाई पास बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	118
जनपद आगरा में यमुना नदी के पूर्व दिशा में ग्राम समोगर पर एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका --(उपस्थित की गयी) ..	118
जनपद आगरा में यमुना नदी पर पूर्व दिशा में ग्राम समोगर पर पैन्टून ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में याचिका--(उपस्थित की गयी)	118
जनपद बस्ती को दो भागों में विभाजित कर दूसरे नवनिर्मित जिले का मुख्यालय बांसी में स्थापित करने के सम्बन्ध में याचिका--(उपस्थित की गयी) ..	119
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव--(स्वीकृत) ..	119
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	119
विधान सभा क्षेत्र भिनगा, बहराइच के निर्दलीय सदस्य द्वारा पूरे सत्र सत्ता पक्ष में बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	139
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव--(स्वीकृत)	139
विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिये संयुक्त समिति के गठन का संकल्प--(स्वीकृत) ..	139
शासन द्वारा गेहूं का प्रति क्विन्टल घोषित मूल्य किसानों को न मिलने के संबंध में चर्चा	141
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को न लेने तथा आगे की मदों को लिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	150

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय में ही चर्चा कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	151
किंग जार्ज मेडिकल कालेज की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा द्वारा आत्महत्या की चर्चा को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच आयोग बैठाने पर स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना (जारी)	152
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 (पुरःस्थापित किया गया)	155
किंग जार्ज मेडिकल कालेज की छात्रा डा० चन्द्र प्रभा द्वारा आत्महत्या की चर्चा को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच आयोग बैठाने पर स्थगित किये जाने के संबंध में सूचना	156
हरदोई तथा बाराबंकी में गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया तथा बाराबंकी चीनी मिलों पर श्रमिकों के बकाये के संबंध में चर्चा ..	158
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	169
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	169
आज की कार्य सूची की शेष मदों पर चर्चा समाप्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	
सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव–(स्वीकृत) ..	169
नत्थियां	169

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 5 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पदमा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पूरनसिंह, श्री	अल्मोड़ा
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
मूल चन्द्र, श्री	वाराणसी
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद रिजवानुलहक, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विलायती राम कात्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

नोट—1—श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री।

2—श्री अजीत प्रताप सिंह, आबकारी मंत्री।

विधान सभा

मध्य प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नैनीताल रज्जुमार्ग के टिकट का मुद्रण एवं व्यय की गई धनराशि

**1--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल रज्जू मार्ग के उद्घाटन के विज्ञापन हेतु एक लाख रुपये की धनराशि विभिन्न समाचार-पत्रो में विज्ञापन में खर्च की गयी है ? रज्जू मार्ग के लिये प्रयुक्त होने वाले टिकट का मुद्रण किस संस्था से कितनी धनराशि से कराया गया है? इस प्रकार प्रति टिकट कुल कितना खर्चा औसतन बैठा है और टिकट की कीमत क्या रखी गई है ? इस अनावश्यक खर्च का क्या औचित्य है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

जी नहीं। टिकट मुद्रण कार्य मैसर्स इम्पैक्ट एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0, नई दिल्ली से रु0 41,956.20 में 99 हजार टिकट छपवाये गये। प्रति टिकट 40 पैसा खर्चा बैठा है। टिकट की (कीमत आने जाने का)

(क) सीजन में :

वयस्क	16 रुपये
अवयस्क	10 रुपये

(ख) आफ सीजन में :

वयस्क	8 रुपये
अवयस्क	5 रुपये

कोई अनावश्यक खर्च नहीं हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन टिकटों की छपवाने के लिये जैसा कि सामान्यतः नियम है क्या टेण्डर आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो वह किन-किन फर्मों के थे और उनमें से अधिकतम और न्यूनतम रेट क्या-क्या थे ? यदि नहीं, तो केवल एक ही फर्म को आदेश कैसे दे दिया गया ? मुद्रण का काम किस आधार पर किया गया ?

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, यह दिल्ली की फर्म है, कोटेशन्स मंगाये गये थे, इस फर्म का छपाई का काम अच्छा था, तो इसको स्वीकार कर लिया गया और ये टिकट छपवाये गये।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, यह रज्जू मार्ग जो पर्यटकों के लिये बना है, फ्लैट से लेकर स्नो व्यु तक था, इस वर्ष 7 अप्रैल को मैं नैनीताल गया था तो मैंने देखा कि बिजली फेल हो जाने की वजह से ढाई घंटे तक ट्राली बीच में ही रुकी रही उस दिन बड़ी गर्मी थी, सारे लोग ढाई घंटे तक उसमें फसे रहे, पानी की भी व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि इसमें जनरेटर भी नहीं लगा हुआ था। ऐसे मौकों पर जब बिजली फेल हो जाय, तो क्या अलग से जनरेटर की व्यवस्था कर दी गयी या नहीं?

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, जनरेटर की व्यवस्था कर दी

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसको देखने के समय जब माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे तो उन्होंने 20 रु0 का नोट देकर टिकट खरीदा था और टिकट 16 रु0 का था 20 रु0

और 16 रु0 का फर्क 4 रु0 पड़ता था वह 4 रु0 वापस करने के लिये क्या कोई अधिकारी वहां से मुख्य मंत्री जी के पास आया या नहीं आया और अगर आया, तो इसके आने पर टी0ए0 कितना खर्च हुआ है?

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी तो नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर इसका उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

उनको जानकारी नहीं है तो कैसे उत्तर दिलवा दूं ?

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैंने अपने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल रज्जू मार्ग के उद्घाटन के विज्ञापन हेतु एक लाख रुपये की धनराशि विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन में खर्च की गयी है ? जिसका उत्तर माननीय मंत्री ने दिया है कि जी नहीं। मान्यवर, यह तो मेरी जानकारी है कि विज्ञापन दिया गया और काफी उदार दिल होकर इसका विज्ञापन कराया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कुल कितना रुपया विज्ञापन में खर्च किया गया ?

श्री गुलाब सिंह--

माननीय सदस्य ने एक लाख रुपये की बात कही थी इसलिये "जी नहीं" कहा गया। वैसे इसमें विज्ञापन में आवश्यक खर्च किया गया था जो विभिन्न अखबार हैं विज्ञापन दिये गये। इसमें 48 हजार .6 रु0 23 पैसे खर्च हुए हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रज्जू मार्ग ऐसी जगह है कि अगर एक बोर्ड भी वहां लगा दिया जाय कि रज्जू मार्ग शुरु हो गया है तो वहां इतने पर्यटक जाते हैं कि बोर्ड पढ़कर ही जान जायेंगे, तो फिर इतना रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी ?

मान्यवर, सीजन में 16 रुपये बड़ों के लिये 10 रु0 बच्चों के लिये और आफसीजन में 8 रुपया बड़ों के लिये और 5 रुपया बच्चों के लिये कहा गया है, तो मंत्री जी कृपया यह बता दें कि यह सीजन कब से मानते हैं ?

श्री गुलाब सिंह--

अप्रैल से जुलाई तक, और बरसात के बाद जो दिन आते हैं उनको सीजन मानते हैं ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया कि 48 हजार रुपया क्यों खर्च किया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

सचिवालय के उर्दू अनुभाग के कुल स्वीकृत पद, तथा अनुवादकों की ज्येष्ठता सूची

**2--श्री फजलुल बारी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सचिवालय के उर्दू अनुभाग में 21 अनुवादक कार्यरत हैं जिनके कार्य को देखने के लिये केवल दो पुनरीक्षक और एक भाषा अधिकारी उपलब्ध है परन्तु न तो उनकी ज्येष्ठता सूची बनी है और न ही भाषा विभाग के अन्य अनुभागों की व्यवस्थानुसार अनुभाग अधिकारी/पुनरीक्षक है और न ही उर्दू अनुवादकों को ज्येष्ठता क्रम में पदोन्नत किया गया है यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा सरकार उर्दू अनुभाग की ज्येष्ठता सूची और अधिकारियों/पुनरीक्षकों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ?

संसदीय कार्यराज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) --

सचिवालय के भाषा (उर्दू) अनुभाग में 21 अनुवादक, 5 पुनरीक्षक और 2 भाषा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं जिन पर 20 अनुवादक, 2 पुनरीक्षक और एक भाषा अधिकारी कार्यरत हैं। उक्त अनुभाग में कार्यरत अनुवादकों में से 2 अनुवादकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मामला लोक सेवा आयोग में विचाराधीन होने के कारण ज्येष्ठता सूची अभी अन्तिम रूप से नहीं

बनाई जा सकी है, किन्तु उक्त अनुभाग में भाषा विभाग के अन्य अनुभागों की भांति ही व्यवस्था लागू है। उर्दू अनुवादकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची न बन सकने के कारण उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर अन्तिम रूप से ज्येष्ठ मानते हुए कार्यहित में पदोन्नति कर दिया गया है। चूंकि उर्दू अनुभाग के अधिकारियों/पुनरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची अन्तिम रुप से बनाई जा सकी है। अतः ज्येष्ठता सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह प्रश्न का जवाब देते हैं तो शायद पिछले जवाब को भूल गया हैं। मान्यवर, विधान परिषद् के पहले सत्र 1984 के तीसरे गुरुवार को यह सवाल पूछा गया था कि 1980 में क्या किसी उर्दू ट्रांसलेटर की प्रेसक्राइब्ड क्वालिफिकेशन न रखने की वजह से, जिसके जवाब में तात्कालिक मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि रेगुलर करने की कार्यवाही आयोग द्वारा नहीं की जा सकती है। मेरे सवाल का उत्तर यह दिया गया कि दो ट्रांसलेटर का मामला आयोग में जेरे-गौर है, तो माननीय मंत्री जी बतायें कि दो अनुवादकों का असल मामला क्या है और परिषद में दिये गये उत्तर के खिलाफ यह मामला लोक सेवा आयोग को कब और किस नियम के तहत भेजा गया तथा आयोग से किस बिन्दु पर राय ली गई है।

श्री हुकुम सिंह--

दो अनुवादक शफीक अहमद और बशरुद्दीन अहमद, इनका मामला लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया, जो अर्हता इनमें होनी चाहिये उर्दू, अरबी और फारसी में ग्रेजुएट होनी चाहिये, वह डिग्री इनके पास नहीं थी उसके समकक्ष अदी बे-कामिल की उपाधि थी। अब प्रश्न यह आया कि अदीबे कामिल को इसके बराबर माना जाय या न माना जाए? जब शासन से बाद में इस पर मांग की गई कि इसको समकक्ष मान लिया जाए तो इसमें शासन द्वारा निर्णय ले लिया गया और बाद में क्योंकि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया, इसलिये उसके अनुसार दोनों का मामला इस बात को तय करने के लिये लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। जहां तक दोनों बातों में भेद बताया गया, यह केवल समझ की बात है, भेद कुछ नहीं है। तय वहां से होना है और नियमितीकरण यहां से होना है। नियुक्ति यहां पर ही होती है, लोक सेवा आयोग चयन करता है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, लोक सेवा आयोग से किस बिन्दु पर राय मांगी गयी है? यह क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, तो इस सिलसिले में मेरा कहना है कि 1982 में क्वालीफिकेशन के सिलसिले में कैबिनेट डिसीजन हुआ कि अदीबे कामिल या माहिर जो लोग है उन्हें बी0ए0 आदि डिग्री के समान ही माना, जायगा तो यह या तो 1984 का जवाब सही नहीं है और या फिर यह सही नहीं है। अब आप यह बतावें कि लोक सेवा आयोग से किस बिन्दु पर राय मांगी गयी है?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो दोनों सवालों का उत्तर आया है, उसका केवल निष्कर्ष निकालने की बात है। उसमें मूल रुप से कोई भेद नहीं है। किस बिन्दु पर राय मांगी गयी है, इस संबंध में मैंने निवेदन किया कि जिस समय उनके जो दूसरे साथी हैं, उनका नियमितीकरण किया गया, चूंकि यह प्रोमोशन पोस्ट है। पुनरीक्षक की पोस्ट प्रोमोशन की पोस्ट है। इसके पहले अनुवादक होता है। उसकी नियुक्ति भी लोकसेवा आयोग से होती है। ये अनुवादक तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे पुनरीक्षक के पद पर उनके और साथियों की योग्यता देखते हुये नियुक्ति कर दिया गया। इनके साथ दिक्कत यह थी कि इनकी जो क्वालीफिकेशन होनी चाहिये, नहीं थी। उनके पास जो डिग्री थी, उसको अब मान्यता मिलने के बाद लोक सेवा आयोग को इस आशय से भेजा गया है कि उनकी डिग्री को मान्यता दे दी गयी है, वे अब इलिजिबिल हैं। वहां से तय हो जाय तो यहां उनकी सीनियारिटी तय हो जायगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

अध्यक्ष महोदय, उर्दू के साथ यह मालूम है कि नाइंसाफी की जा रही है। दूसरी सरकारी जबान बनाने का मसला अलहदा है। लेकिन उर्दू की तरक्की के सिलसिले में भी ये सहयोग देने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उर्दू अनुभाग में जो स्थान लगभग 5 साल से रिक्त पड़ा हुआ था और यह सवाल करने के बाद आपने जल्दी में बहरहाल प्रोन्नति करके कुछ रिवाइजर के पदों पर गलती का एहसास करते हुये ट्रान्सलेटरों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर प्रोन्नति कर दी। क्या यह सब रेगुलर और स्थायी थे? क्या उनके पास, प्रोन्नति पाने की योग्यता थी? इसे आप स्पष्ट रूप से बतावें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं प्रश्न को समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

वर्क साहब अपने सवाल को स्पष्ट कर दीजिये।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

श्रीमन्, उर्दू अनुभाग के अन्दर 5 साल से कुछ स्थान रिक्त पड़े हैं। उसमें प्रोन्नति होने का मसला था। लेकिन जब सवाल हुआ तो उसके बाद प्रोन्नति हुई और इन्होंने गलती का एहसास किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सब रेगुलर और स्थायी थे। क्या उनके पास पदोन्नति प्राप्त करने की योग्यता थी? यदि नहीं थी, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, योग्य मानकर ही तो पदोन्नति की गयी। अगर योग्य न होते तो पदोन्नत न करते। लगता है कि वर्क साहब को हमसे कुछ शिकायत है। उनकी योग्यता के आधार पर ही उन्हें पदोन्नत किया गया।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो अनुवादक, पुनरीक्षक और कोषाधिकारी के पद हैं, वह अभी सभी पूरी नहीं हुयी है। माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो हमारे गजटों का अनुवाद का कार्य है वह दो-तीन साल से नहीं हो पा रहा है। अनुवादक और बढ़ने चाहिये, लेकिन जो पद हैं, वह नहीं पूरे हुए हैं। अनुवादकों की आवश्यकता है, इसको मंत्री जी भी महसूस करते होंगे। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जो पद रिक्त है, उन्हें भरने एवं काम में प्रगति लाने के लिये अनुवादकों के पदों में वृद्धि करेंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मूल उत्तर में दिया है भाषा (उर्दू) अनुभाग में 21 अनुवादक के पद हैं, 21 के अगेन्स्ट 20 कार्यरत हैं। इसमें थोड़ा संशोधन और कर दूं ताकि जो बर्क साहब की बात थी, वह पूरी हो जाय। पुनरीक्षक के 5 में से 3 पद खाली थे, 20 में से हाल में 3 की प्रोन्नति कर दी गयी, वह 5 पद तो पूरे हो गये। इधर 20 में से 3 कम हो गये, 17 रह गये हैं। यह सारे के सारे अनुवादक से प्रोन्नति के पद हैं, प्रमोशन से भर सकते हैं, उन पर सीधे भर्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे इलेजिबिल होते जा रहे हैं, प्रमोशन होता जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इलेजिबिल हों ताकि प्रमोशन हों।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मंत्री जी ने बताया कि 21 अनुवादक उर्दू के हैं, यह सही जबाब है। लेकिन उर्दू के अलावा अन्य भाषकों के कितने अनुवादक हैं? कितने डिप्टी सेक्रेटरीज है। अन्य भाषाओं के और कितने डिप्टी सेक्रेटरीज उर्दू के है? प्रोन्नति करके किस तरह से उनको किया गया है? दूसरे, जो जगह वेकेंट हैं, उनको भरने का क्या तरीका होगा?

श्री हुकुम सिंह--

पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि भरने का क्या तरीका होगा। अनुवादक के भरने का तरीका पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन करके है। वहां रिक्वीजीशन भेजा जाता है अगर वहां से चयन में विलम्ब होता है तो तदर्थ नियुक्ति कर देते हैं। एक सवाल

किया गया कि कितने डिप्टी सेक्रेटरीज दूसरी भाषा में है, उर्दू पढ़े हुये कितने डिप्टी सेक्रेटरीज हैं। मान्यवर, जो भाषा अधिकारी है, वह अनुभाग अधिकारी के समकक्ष हैं। हर अनुभाग की अलग अलग संख्या है।

यह उर्दू का जो अनुभाग है, कितने भाषाधिकारी हैं जो अनुभाग अधिकारी के समकक्ष हैं, कितने उसमें अनुवादक है, वह मूल उत्तर में दिया हुआ है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि वे संस्कृत पढ़े हों, उर्दू पढ़े हों, हिन्दी, अरबी पढ़े हुए हो। 21 अनुवादक है कितने डिप्टी सेक्रेटरीज हैं जो इस विभाग को देख रहे हैं? यह कतई मकसद नहीं था कि उर्दू की ही जानकारी हो या न हो। उस विभाग के लिये कितने हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुये कहना चाहूंगा कि प्रश्न केवल एक ही अनुभाग से संबंधित था, बाकी और अनुभागों के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। जो प्रश्न था उसके बारे में मूल उत्तर में पूरी सूचना उपलब्ध कर दी गयी।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि भाषा विभाग की भांति अन्य विभागों में व्यवस्था है। अन्य अनुभागों में यह जो अनुभाग-2, 3-4 व 5 हैं यह भी अनुवाद के अनुभाग हैं, इसमें जो पद्धति लागू है वह है तीन अनुवादक एक रिवाइजर, एक भाषा अधिकारी एक प्यून-इस तरह से 3 प्लस एक-प्लस-1 क्या यही सिस्टम उर्दू अनुभाग में भी है? मान्यवर, उर्दू गजट 1983 तक छपा है। पहला सवाल यह था जैसा कि उन्होंने कहा है कि अन्य विभागों की तरह से यहां पर भी है। दूसरे अनुभाग में तो 3 प्लस एक प्लस एक की पद्धति है। क्या यही पद्धति उर्दू विभाग में भी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसका तात्पर्य कि यह है नियुक्ति करने का जो तरीका है और प्रमोशन करने का जो तरीका है, वही पद्धति यहां भी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे अनुभागों में कोई अलग प्रोसीजर है और उर्दू अनुभाग में कोई और प्रोसीजर है। रूल्स एक जैसे हैं।

श्रीमुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने हिन्दी और उर्दू के टकराव की कोई बात नहीं कही है। मैं तो यह जानना चाहता था कि दोनों में कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिये। आखिर कोई न कोई तो मापदण्ड होना चाहिये कि एक अनुभाग में इतने लोग हैं और दूसरे अनुभाग में इतने लोग हैं। यह कह देना कि क्वेश्चन काबिले जवाब नहीं है, उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न भी आप ही करें और जवाब भी आप ही दे दें तो वही जवाब सरकार की ओर से भी आ जायेगा।

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, जिस शासनादेश के तहत अदीबे कामिल डिग्री को मान्यता दी गई है, वह किस तिथि को दी गई और किस तिथि से प्रभावी हुई थी?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, किस तिथि से प्रभावी हुई और शासनादेश किस तिथि का है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। इस डिग्री को मान्यता दी गई और इसके बाद इन दोनों के अधिकारियों की सीनियारिटी का मामला लोक सेवा आयोग में भेजा गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट, प्रैक्टिस प्रतिबन्धित करने की मांग

*1—श्री शारदा प्रसाद, श्री रामपाल वर्मा तथा श्री विक्रमादित्य पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के डा0 जे0 एस0 कक्कड़ ने नर्सिंग होम, अलीगंज डा0 एम0 आर0 एस0 कुशवाहा ने पैथालाजी लैब चौक, डा0 (श्रीमती) बागची ने पैथालाजी लैब, डा0 चन्द्रावती ने नर्सिंग होम, महाराना प्रताप मार्ग तथा डा0 बी0 के0 टंडन ने एक्सरे क्लीनिक अपनी पत्नियों अथवा अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के फर्जी नाम से खोले हैं जो स्वयं इनको चलाने के लिये तकनीकी तौर पर अर्ह नहीं हैं? क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर लोग इन दवाखानों में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और कालेज को पूरा समय नहीं देते जिससे कालेज का स्तर नीचा होता जा रहा है और आये दिन कुछ न कुछ झगड़े होते रहते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेज के प्रोफेसरों की सीधी अथवा परोक्ष प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

प्रश्नगत डाक्टर जे0 एन0 कक्कड़, डा0 एम0 आर0 एस0 कुशवाहा, डा0 (श्रीमती) बागची, डा0 चन्द्रावती तथा डा0 बी0 के0 टंडन द्वारा नर्सिंग होम, पैथालाजी लैब, आदि चलाये जाने की सूचना उपलब्ध है। मेडिकल कालेजों के अध्यापकों द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने से मेडिकल कालेजों में अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सामान्यतया उ0 प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 द्वारा सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस प्रतिबन्धित है। किन्तु प्रश्नगत डाक्टर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह प्रकरण उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। भावी कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलम्बित होगी।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब सरकार को पता है कि छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और प्राइवेट प्रैक्टिस करना भी प्रतिबन्धित है तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, तो उन डाक्टरों ने किन-किन तिथियों में स्थगन आदेश लिए और उसको वैकेट कराने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जब 83 में निर्बन्धन नियमावली लागू हुई उसके तत्काल बाद स्थगन आदेश ले लिया और जो पेटिशनर्स हैं इन लोगों की तरफ से हाई कोर्ट में बहस हो चुकी है, सरकार की ओर से बहस बाकी है, तारीख तय नहीं हुई है, जैसे ही निश्चित होगी, बहस के उपरान्त ही फैसला होगा।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

वैसे तो प्राइवेट प्रैक्टिस हर डाक्टर करता है, हर मेडिकल कालेज का, या डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का हो, उसका नाम होता है, और अगर कोई आदमी घर पर आ जाय, मरीज, तो यह नहीं हो सकता कि मना किया जाय, डाक्टर जिसकी प्रेक्टिस बन्द है, या पी0 एम0 एस0 में हो, 83 में जो नियम बना था, नान-प्रेक्टिस एलाउन्स भी मिल रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रैक्टिस को फिर

से चालू कर देते, इससे राजस्व की भी हानि नहीं होगी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसीलिये तो प्रतिबन्ध लगाया गया था कि मेडिकल कालेज में पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मरीजों की भी देख भाल ठीक से नहीं कर सकते । इसीलिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि प्राइवेट प्रेक्टिस न करें ।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ के कतिपय अध्यापकों का विनियमितीकरण एवं सेलेक्शन ग्रेड

*2--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय/आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में वर्ष 1977 से पूर्व सीधी भर्ती वाले अध्यापकों का विनियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है जबकि उसके बाद मार्च, 1984 के पूर्व के सभी सीधी भर्ती वाले अध्यापकों का विनियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश भी जारी हो चुका है ? क्या यह भी सही है कि अभी तक सेलेक्शन ग्रेड अथवा समयबद्ध वेतनमान जैसी कोई सुविधा भी नहीं प्रदान की गयी है जबकि इन महाविद्यालयों में कार्यरत एलोपैथिक तथा गैर मेडिकल अर्हता प्राप्त शिक्षकों के प्रोन्नति के अवसर नगण्य हैं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विनियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है। आदेश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे ।

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो प्रश्न 2 का पहला हिस्सा है, 84 से पूर्व की सीधी भर्ती वालों का विनियमितीकरण हो गया, 77 से पूर्व वालों का किया गया, तो इस का कारण क्या है और जो कार्यवाही की बात है, वह किस स्तर पर है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

1984 के पूर्व के कर्मचारियों के विनियमितीकरण के आदेश हो गये हैं, यह सही नहीं है बल्कि 1977 के पूर्व के जो भी कर्मचारी कार्यरत थे, उनके विनियमितीकरण के लिए चयन समिति का गठन हो गया था, रिपोर्ट भी आ गयी थी लेकिन शासन स्तर पर कुछ सूचनायें मांगी गई है कैरेक्टर रोल आदि के बारे में, वह भी प्राप्त हो गई हैं, और शीघ्र ही विनियमितीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं कि 77 के पूर्व के सीधी भर्ती वाले लोग थे उनके बारे में सूचना मांगी गई थी तो 95 व्यक्तियों की सूची आयी है, मेरी सूचना को सही मानते हुए, उसमें से एक का कर भी दिया है तो सब के बारे में रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो एक व्यक्ति का किस आधार पर हो गया और दूसरे हिस्से में यह था कि सेलेक्शन ग्रेड और समयबद्ध वेतन-मान देने का मामला विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब विभिन्न सर्विसेज में, सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था कर दी गई है, तो इनके मामले में विचाराधीन है, तो इस पर इस समय शासन की क्या स्थिति है और कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, जिस विनियमितीकरण के लिये माननीय गुप्त जी ने कहा, उस सम्बन्ध में मैंने पहले भी बताया कि शासन स्तर पर विचार हो चुका है और उसमें कुछ फारमेलिटीज बाकी हैं, निस्तारण करके विनियमितीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे, समयबद्ध वेतनमान के सम्बन्ध में वित्त विभाग से पदामर्श किया गया, उनकी राय थी कि प्रदेश में जितने कालेजेज हैं सभी से सम्बन्धित जो वेतनमान का मामला है उन सभी का एक साथ प्रस्ताव तैयार किया जाय । विचार हो रहा है, उस पर कार्यवाही हो रही है ।

जनपद गाजियाबाद में जनपदीय स्तर का चिकित्सालय

*3--श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

क्या शासन इस वर्ष 85-86 में गाजियाबाद जो जनपद का मुख्यालय भी है वहीं पर जनपदीय स्तर का चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रहा है, जबकि वहां पर अभी तक एक छोटा सा चिकित्सालय जो गाजियाबाद को जनपद घोषित करने से पहले से ही था, कार्यरत है ? यदि हां, तो शासन वहां पर जनपद स्तरीय चिकित्सालय कब तक प्रारम्भ करवा देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, गाजियाबाद का भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को बीस लाख की धनराशि दिनांक 9-7-1985 को भुगतान कर दिया गया हैं। जनपद घोषित होने के बाद गाजियाबाद अस्पताल में 100 शैय्याओं की वृद्धि की गई है तथा उसमें जिला स्तरीय लगभग सभी विशिष्ट सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि यह जो जनपदीय अस्पताल है, इसके लिये भूमि क्रय करने के लिये तो पैसा दे दिया लेकिन इसका शिलान्यास कब करने जा रहे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जमीन का रुपया दे दिया गया है, लेकिन विकास प्राधिकरण ने अभी जमीन उपलब्ध नहीं करायी है जमीन उपलब्ध हो जाय, संसाधनों की व्यवस्था हो जाय, इसके बाद ही अस्पताल के निर्माण का कार्य शुरू होगा।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार बस्ती जिले की बांसी तहसील केन्द्र पर जो नया जिला प्रस्तावित है वहां भी कोई बड़ा चिकित्सालय बनाने की योजना विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो दूसरा सवाल हो गया, आप बैठें।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण की ओर से जमीन लेने में क्या अड़चन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

रुपया का भुगतान कर दिया गया है, विकास प्राधिकरण से बात हो रही है कि कब्जा दिला दें भूमि का।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद एवं पूर्ति की कार्यवाही

*1--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 31-5-85 तक प्रदेश में ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अलग-अलग कितने-कितने चिकित्सकों की कमी है और इस कमी को कब तक पूरा करा दिया जायगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में उपर्युक्त तीनों चिकित्सा पद्धतियों के कितने कितने राजकीय चिकित्सालय ऐसे हैं जहां पर एक भी चिकित्सक तैनात नहीं है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 378 पद तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 258 पद रिक्त हैं, एलोपैथी चिकित्साधिकारियों की रिक्ति के संबंध में सभी जनपदों से सूचना

प्राप्त नहीं हुई है। एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के 1504 पद रिक्त हैं। होम्योपैथी के 250 पद, आयुर्वेदिक के 378 पद एवं एलोपैथी के 1480 पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे जा चुके हैं। होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के पद तदर्थ आधार पर भरने की भी कार्यवाही की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर नियुक्तियां की जायेंगी। प्राप्त सूचना के आधार पर 566 एलोपैथिक चिकित्सालयों; 343 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों तथा 258 होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कोई चिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं है। पूर्ण स्थिति समस्त सूचना उपलब्ध हो पाने पर भी उपलब्ध हो सकेगी।

श्री कल्यान सिह--

मान्यवर, वैसे तो इस प्रश्न के संदर्भ में जितनी सूचना चाही थी,है नहीं माननीय मन्त्री जी के सम्मुख। जो भी सूचना सदन को दी जा रही है वह स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा का चित्रण कर रही है। इन आंकड़ों में तो मैं जाता नहीं। हजार से भी ज्यादा संख्या चिकित्सालयों की ऐसी है, जहां डाक्टर नहीं हैं। क्या मा0 मन्त्री जी ने इस बात की जानकारी की है कि जहां पर एक भी डाक्टर नहीं है,ऐसे ग्रामीण अंचल और पर्वतीय अंचल म कितने चिकित्सालय हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, हमारे पास जिन जिलों की सूचना है, कहिए तो बात दूं।

मेरे पास सूची है उसको मैं पढ़े दे रहा हूं कि खीरी में 24 डाक्टर नहीं हैं और--

श्री कल्यान सिह--

इसमें तो समय बहुत लग जायेगा और मुझे इसमें कोई रुचि भी नहीं है। मंत्री जी केवल यह बतला दें कि इनमें से ग्रामीण अंचलों में और पर्वतीय अंचलों में ऐसे कितने चिकित्सालय हैं जहां एक भी डाक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा दुर्दशा इन्हीं अंचलों की है, यदि कोई इसकी कंसालिडेटेड सूची आपके पास हो तो कृपया उसे बतला दें, मैं पूरे प्रदेश के चिकित्सालयों के बारे में विशेष रुचि नहीं रखता हूं।

श्री मित्रसेन--

नहीं मान्यवर, पूरे प्रदेश की स्थिति मालूम होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, फ़िर तो आप पूरे प्रदेश की ही स्थिति बतला दीजिये।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैं तो स्वयं ही पूरे प्रदेश की सूचना आपको देना चाहता हूं जो इस प्रकार से है कि:-- खीरी 24, प्रतापगढ़ 6, वाराणसी 3, बदायूं 18, ललितपुर 1, बिजनौर 7, फैजाबाद 16, रायबरेली 1, मिर्जापुर 15 बाराबंकी 5, बांदा 21, जौनपुर 17, इटावा 8, चमोली 39, पिथौरागढ़ 42, टिहरी गढ़वाल 37, उत्तरकाशी 12, कानपुर (देहात) 8, फ़र्रुखाबाद 7, अलीगढ़ 17, हमीरपुर 11, देहरादून 8, इलाहाबाद 15, बस्ती 25, उन्नाव 16, गोण्डा 10, झांसी 1, आजमगढ़ 27, नैनीताल 14, बुलन्दशहर 13, गाजीपुर 14, मथुरा 7, आगरा 1, देवरिया 13, अल्मोड़ा 47, सुल्तानपुर 14 तथा गोरखपुर में 27 अस्पतालों में डाक्टर्स इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री कल्यान सिह--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है, तो वह अधियाचना कब भेजी गयी है? इससे पूर्व जो अधियाचना भेजी गयी थी, वह कब भेजी गयी थी और दोनों अधियाचनाओं के भेजने के बीच में कितना अन्तराल रहा? क्या प्रति वर्ष अधियाचना भेज कर; प्रति वर्ष शासन क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा? मैं इसे इसलिये पूछ रहा हूं कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब मैंने यह नियम बनाया था, उसको इन्होंने क्यों तोड़ा इसे बतला दें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जब रिक्तियां होती हैं तो लोक सेवा आयोग को अधियाचना तो भेजी ही जाती है। अब

पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्ति हेत जहां डाक्टर्स की काफ़ी कमी है उसके लिये 843 डाक्टर्स की सूची भी शासन को उपलब्ध हो गयीहै ।लोक सेवा आयोग से प्राप्त 843 डाक्टर्स को नियुक्ति हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के बाद नियुक्ति पत्र भेजे जायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि बस्ती में 25 अस्पताल में डाक्टर्स नहीं हैं । वहां पर 9 महिला अस्पताल हैं जहां कोई डाक्टर नहीं हैं । मुख्य चिकित्साधिकारी ने पत्र भेज कर वहां के लिये डाक्टर्स की मांग भी की है, तो वहां पर आप कब तक डाक्टर्स को भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, डाक्टर जब उपलब्ध हो जायेंगे तो जो रिक्त स्थान हैं वहां डाक्टर भेजे जायेंगे।। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि महिला चिकित्सालयों में महिला डाक्टर्स की कमी है तो उसके संबंध मेंशासन ने एक शासनादेश किया है कि यदि सी0एम0ओ0 चाहें तो अपने जनपद में क्वालीफ़ाईड लेडी डाक्टर यदि उपलब्ध हो जायं तो आंशिक रूप से महिला डाक्टर को वे नियुक्त कर सकते हैं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, बलिया के बहुत से अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और मन्त्री जी ने रिपोर्ट दी है, उसमें बलिया का नाम नहीं है, इसलिये जो रिपोर्ट दी है वह भ्रामक है, इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब पूरी रिपोर्ट आ जाये तो सदन को अवगत करें ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा, लोक सेवा आयोग से सूची आयी है और नियुक्तियां की जायेंगी । बलिया जैसे जिला मुख्यालय के अस्पताल में फ़िज़ीशियन नहीं है, तो क्या नयी सूची से उसको भेजेंगे, वह तो सीनियर चिकित्सक होता है, तो वहां पर कब तक डाक्टर भेज देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

डाक्टर जब उपलब्ध हो जायेंगे तो वहां पर भी भेज दिया जायेगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़--

मान्यवर, बस्ती जनपद में 25 अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और मेरी निश्चितजानकारी है कि 15-15 सालों से वहां पर महिला डाक्टर नहीं है । मेरे यहां के अस्पताल में 12 वर्ष से डाक्टर नहीं है तो कब तक वहां पर डाक्टर भेज देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि उपलब्ध होने पर ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा, डाक्टर उपलब्ध हो जायेंगे तो वहां पर नियुक्ति की जायेगी । महिला अस्पताल में मेरी निश्चित जानकारी है,लम्बी सूची है, बहुत से प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और मंत्री जी की ओर से पार्क रोड पर डाक्टरों की नियुक्ति का कार्यालय खोला गया है, जिसमें निश्चित धन देने पर नियुक्ति होती है, इस कारण से लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही डाक्टर उपलब्ध हो जायेंगे, उनकी रिक्तियों की पूर्ति कर दी जायेगी । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टर जाब पाने के लिये मारे 2 घूम रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, तो यह तो सरकार की शिथिलता है । मैं मंत्री जी से निश्चित अवधि जानना चाहता हूं कि कब तक डाक्टरों की नियुक्ति कर दी जायेगी और लोक सेवा आयोग को कब-कब लिखा गया है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही बड़ा सम्वर्ग है, 8500 का सम्वर्ग है, जिसमें से 10 प्रतिशत कर्मचारी प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं तो इतने बड़े सम्वर्ग में कुछ न कुछ रिक्तियों का होना स्वाभाविक ही है। शासन की ओर से बराबर यह प्रयास होता है कि जो रिक्ति हो, उनको शीघ्र से शीघ्र भर दिया जाये इसलिये जब जब रिक्तियां होती हैं, उनको लोक सेवा आयोग से भरा जाने का प्रयास होता है। मान्यवर, मई 1984 में लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा गया और कहा गया कि जल्दी से डाक्टर उपलब्ध करायें जायें, मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जो रिक्तियां थीं उनके लिये लोक सेवा आयोग ने 843 डाक्टर उपलब्ध करा दिये हैं और उनकी नियुक्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब बहुत से सप्लीमेंटरी हो चुके हैं। अब मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूं

श्री राम औतार निवासी ग्राम बौरीखेड़ा जनपद उन्नाव द्वारा अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

*2-श्री राम आसरे वर्मा--

*क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीराम औतार पुत्र श्री रघुबर ग्राम बौरी खेड़ा तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा आबादी एवं पंचायत घर के लिये आरक्षित भूमि को अपने चक में मिला लिया है तथा उस पर व भूमि नं0 194 पर भी अनधिकृत कब्जा किये हुए है? क्या इस संबंध में श्री बंशीधरराज विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 14-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरीशंकर)--

जी हां।

श्री राम औतार ने पंचायत घर के लिए आरक्षित भूमि सं0 210, क्षेत्रफल 4 बिस्वा के 1 बिस्वा 15 बिस्वांसी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त भूमि सं0 211 (क्षेत्रफल 10 बिस्वा) के 5 बिस्वांसी पर भी उन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा था।

भूखण्ड संख्या 194 श्री राम औतार आदि के ही संयुक्त खाते का है।

जी हां।

प्राप्त शिकायती पत्र की जांच कराई गई और जांचोपरांत श्री राम औतार पुत्र श्री रघुवर को अनधिकृत रूप से काबिज क्षेत्रफल से बेदखल कर स्थल पर से अनाधिकृत कब्जा दिनांक 21.8.85 को क्षेत्रीय भू-लेख निरीक्षक द्वारा हटवा दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो अनाधिकृत कब्जा वहां पर बना रहा वह अधिकारियों की सांठ-गांठ से बना रहा या अधिकारियों की उसमें कोई सांठगांठ नहीं रही?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों की सांठगांठ नहीं प्रतीत होती हैं और इसलिये पूरे प्रकरण की रिपोर्ट 17-10-84 को और नोटिस 18-10-84 को दे दिया गया। जैसा कि मैंने मूल उत्तर में स्वयं कहा हैं, वहां बाकायदा 21-8-85 को कब्जा हटवा दिया गया है इसमें किसी कर्मचारी की कदाशयता प्रतीत नहीं होती।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल तो आपने कर दिया लेकिन सार्वजनिक भूमि पर जितने समय तक उन्होंने कब्जा किया नियमानुसार उनको दण्ड भी देना चाहिए आर्थिक दण्ड। तो जितने दिन वह अवैध कब्जा किये रहे उसका अर्थ दण्ड उनको दिया गया और क्या वह धनराशि वसूल हो गयी?

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय द्विवेदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, एडवोकेट होने के नाते एक बहुत ही विशेष बात वे शासन के संज्ञान में लाये हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तहसीलदार ने दिनांक 12.7.85 को अपने वाद के निर्णय में यह कब्जा हटाने का निर्देश और भूमि संख्या 210 पर कब्जे को बेदखल कर दिया और 72 रुपये क्षतिपूर्ति भी निर्धारित की गयी। भूमि संख्या 211 जिसका संदर्भ यहां दिया गया है उसको बेदखल और 10 रुपया 10 पैसे जुर्माना हुआ और 1391 फसली में यह अनाधिकृत कब्जा और 1391 में एक साल के अन्दर उनको बेदखल कर दिया गया है इसमें बाकायदा दण्ड की कार्यवाही की गयी है।

[गुरुवार, दिनांक 5 सितम्बर, 1985 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सरदार सिंह--

[लोक लेखा समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ में बलरामपुर चिकित्सालय के पैथालाजी प्रयोगशाला को अवकाश के दिनों में खोले जाने की मांग

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय की पैथालोजी प्रयोगशाला में रात्रि में आकस्मिक गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों का पिछले कुछ माह से परीक्षण होना बन्द हो गया है जबकि इलाज के पूर्व जांच आवश्यक होती है? यदि हां, तो क्यों? क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजपत्रित अवकाश के दिन प्रयोगशाला वाह्य रोगियों के नमूने के परीक्षण हेतु बन्द करा दिया गया है जबकि चिकित्सालय के अन्य विभाग में कार्य राजपत्रित अवकाश के दिन भी आम दिनों की भांति होता है? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों के हित में प्रयोगशाला पुनः पूर्व की भांति खुलवाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, फिर अनुपूरक प्रश्न उठाने का भी प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष--

फिर आप न उठाइये।

*3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[दि0 25-7-85 को अता0प्र0सं0 53 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में बंजर भूमि को उपयोगी बनाये जाने की मांग

*4--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 में लगभग दो लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है? उसको उपयोगी बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है? कितनी बंजर भूमि को उपयोगी बनाया जा सका है?

कृषि मन्त्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

बंजर भूमि के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुल ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि जिसमें बंजर भूमि भी शामिल है लगभग 11.40 लाख हेक्टेयर है।

बंजर भूमि के सुधार के लिये अलग से कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ऊसर भूमि के सुधार के लिये प्रदेश के 36 जिलों में एक योजना चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऊसर भूमि कुल कितनी है उसकी संख्या क्या है और अभी तक कुल कितनी

ऊसर भूमि का सुधार किया गया है ? साथ ही साथ जो यह बंजर भूमि है वह गांव समाज की जमीन है ? यदि हां, तो क्या यह हरिजनों को बन्दोबस्त की गई है और यह कितनी भूमि का बन्दोबस्त किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि बंजर भूमि के अलग से आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। दूसरा आपने ऊसर भूमि के बारे में कहा। मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि लगभग 11 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि है जिसमें ऊसर और बंजर दोनों शामिल हैं। लेकिन इधर कुछ नया ऊसर भी क्रियेट हो रहा है कई जगहों पर। तो हमने इसकी जानकारी के लिये कि इस समय दरअसल कितनी ऊसर जमीन है, एक सर्वे का आदेश किया हुआ है और वह जल्दी ही पूरा हो जायेगा। हम उम्मीद करते हैं इससे सही तस्वीर आपके सामने आ सकेगी।

तीसरी बात आपने यह पूछी कि क्या वह गांव समाज की जमीन है या अन्य व्यक्तियों की जमीन है। तो मान्यवर, इसमें गांव समाज की भी जमीन है और अन्य व्यक्तियों की भी जमीन है। मैं इस समय उसके बारे में अलग-अलग नहीं बता सकता हूं कि कितनी गांव समाज की है और कितनी व्यक्तियों की है। यह ऊसर की जमीन गांव समाज के साथ-साथ किसानों की भी है। अलग-अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। जो सर्वे के आदेश दिये गये हैं उसमें ऊसर और बंजर दोनों के अलग-अलग आंकड़े आ जायेंगे तब मैं आपको अवगत करा दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 11.40 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर है और दोनों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि उन्हें ज्ञात होगा कि ऊसर, बंजर, बीहड़ और अकृष्य, ये चार प्रकार की श्रेणियां हैं जो भूमि खराब पड़ी है जो कुल मिलाकर 40 लाख हेक्टेयर के करीब है। तो क्या इतने बड़े भू-भाग को कृषि योग्य बनाने अथवा वन लगाने की सरकार के पास कोई निश्चित योजना है जिससे इस भूमि का उपयोग हो सके और प्रदेश की बड़ी मात्रा में जो जनशक्ति खाली पड़ी है उसका भी उपयोग हो सके ? यदि कोई योजना अभी नहीं बनी हो तो क्या इसके लिये आप कोई समयबद्ध योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऊसर, बीहड़, बंजर और जो अन्य भूमि कृषि योग्य नहीं है उसके सुधार के लिये अलग-अलग कार्यक्रम हैं। बीहड़ के सुधार के लिये अलग कार्यक्रम है, ऊसर के सुधार के लिये अलग कार्यक्रम है और बंजर भूमि के लिये अलग कार्यक्रम अभी तक नहीं है। ऊसर बहुत बड़ी तादाद में हमारे प्रदेश में है और यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में है। इसको हल करने के लिये, उसके बहुत से पहलुओं पर विचार करने के लिये, क्योंकि ऊसर सुधार करना पर्याप्त नहीं है, उस भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाय। कहीं पर तो ऐसा है कि किसानों की भूमि अधिग्रहीत हो जाती है तो उसको री-प्लेस किया जाता है। इन तमाम चीजों पर विचार करने के लिये 15-16 सितम्बर को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें इस भूमि के तमाम पहलुओं पर विचार किया जायगा। जो बीहड़ सुधार योजना चल रही है, लेकिन जो 12 डाकूग्रस्त जिले हैं, जो बीहड़ हैं उसकी भूमि के सुधार के लिये एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने हेतु कृषि विभाग को कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ही योजना तैयार हो जायगी और बीहड़ सुधार का कार्यक्रम अभी चल रहा है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 11.40 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर है। मान्यवर, आज ही के अतारांकित

प्रश्नों की सूची में प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन है। तो दोनों उत्तरों में 60 हजार हेक्टेयर भूमि का अन्तर पाया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों में कौन से आंकड़े सही मान कर वह कार्यवाही कर रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि लगभग 12 लाख हेक्टेयर है तो मान्यवर, 11 लाख 49 हजार हेक्टेयर की बात है। तो इसमें मैंने निवेदन किया कि बहुत सी अच्छी जमीन भी नये ऊसर हो रहे हैं। इस सब की जानकारी के लिये सही आंकड़े सामने आ सकें सर्वे कराने का निर्देश दिया है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई विसगति नहीं है जो माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी को कष्ट दे रही हो।

श्री कल्यान सिंह ---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित आज से लगभग 14, 15 वर्ष पूर्व ऊसर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लोगों को ऊसर भूमि का वितरण किया गया उनके नाम से पट्टे भी किये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के नाम पट्टे हो चुके हैं उनको कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है तो उनको कब तक कब्जे दिला दिये जायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

ऐसी कोई खास जानकारी किसी विशेष गांव की माननीय सदस्य बतायेंगे तो कार्यवाही करेंगे।

श्री कल्यान सिंह- –

मैं बता रहा हूं अलीगढ़ में तहसील अतरौली।

चौधरी नरेन्द्र सिंह- -

गांव बता दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा- –

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो बंजर भूमि लाखों हेक्टेयर में पड़ी है जो खेती के करने के लिये बंजर रह गयी है उसके सुधार की कोई योजना है और उसे कब से शुरू करने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मैंने निवेदन किया कि बंजर भूमि कितनी है इसका अभी आज के दिन तक जानकारी नहीं है। हमने सर्वे के आदेश दे दिये हैं और जैसे ही जानकारी आ जायेगी क्योंकि एक एक इंच भूमि का उपयोग होना चाहिये यह हमारा प्रयास होगा। इसीलिये यह ऊसर सुधार के तमाम कार्यक्रम हम जोरदार तरीके से लागू करना चाहते हैं।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय जो ऊसर जमीन पर बना हुआ है और जो ऊसर जमीन का परीक्षण कर उसमें सुधार कर रहा है क्या उसके परीक्षण के आधार पर उसकी जानकारी करके किस तरीके से तमाम हजारों एकड़ जमीन फैजाबाद में कृषि योग्य बनी है, क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि फैजाबाद नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने कुमार गंज फैजाबाद की सैकड़ों एकड़ ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाया है उसी तरह से अन्य ऊसर जमीन को कृषि योग्य न बनाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, हमारे मित्र मित्रसेन जी ने सही कहा है। फैजाबाद विश्वविद्यालय ने ऊसर जमीन को ठीक करके उस पर अच्छी खेती प्रारम्भ की है। लेकिन फैजाबाद विश्वविद्यालय के पास सुधार के लिये पर्याप्त धन था। एक हेक्टेयर में लगभग 13 हजार 500 रुपये का खर्च आता है। अभी तक जो योजना है उसमें यह जो मृदा सुधारक इस्तेमाल होता है उसमें करीब एक हेक्टेयर में करीब 3 हजार रुपया खर्च आता है।

उसमें जिसके पास 3 हेक्टेयर जमीन है उसको 75 प्रतिशत अनुदान, उससे ज्यादा है 50 प्रतिशत अनुदान देते हैं, बाकी पर अनुदान का प्राविधान अभी नहीं है। तो पैसे की कमी के कारण कि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है और जो कारपोरेशन है उसके पास भी पैसा नहीं है तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिये एक और विचार किया जा रहा है कि इस कारपोरेशन को एथारिटी में बदल दिया जाय ताकि जो किसान हैं, ऊसर ठीक कराया गया है गांव समाज का, लेकिन उसके लिये किसान अभी बहुत से तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिये एथारिटी बनाकर इसकी ठीक कराने का इरादा है।

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ के विरुद्ध आरोपों की जांच

*5--श्री किरनपाल सिह--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 18-5-85 को क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ के विरुद्ध घोर अनियमितताओं व भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अधिकांश आरोप सत्य पाये गये ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिह एडवोकेट)--

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18-5-1985 के साथ एक अहस्ताक्षरित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जो मूल रूप में मण्डलायुक्त मेरठ को जांच हेतु भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

श्री किरन पाल सिह

मान्यवर, तमाम शिकायतें मेरे हस्ताक्षर से पेड लगाकर भेजा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मंडल आयुक्त, मेरठ की कोई अंतरिम रिपोर्ट जांच के बाद क्या प्राप्त हुई है ?

श्री मानपाल सिह एडवोकेट--

मान्यवर, अंतरिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री किरन पाल सिह--

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानते हुए, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मंडल आयुक्त, मेरठ ने उस जांच को करने से किन्हीं आधारों पर मना कर दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि आप इसकी जांच अब किससे कराने जा रहे हैं ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिह)--

अभी ऐसी सूचना नहीं है कि मंडलआयुक्त मेरठ जांच नहीं करेंगे। मा0 सदस्य की बात को सही मानते हुए आर0 एफ0 सी0 को हटा दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्य के पत्र के साथ अहस्ताक्षरित पत्र मिला था। किन्तु आर0 एफ0 सी0 के हट जाने के बाद कोई शिकायत नहीं आयी है, तो समझता हूं कि उसकी पूर्ति हो गयी होगी जो माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री किरन पाल सिह--

मान्यवर, मैंने हस्ताक्षर से शिकायती पत्र पेड के साथ भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब कमिश्नर ने जांच से मना कर दिया है तो गंभीर आरोपों को देखते हुए जहां करोड़ों रुपये का घोटाला है क्या इसकी विजीलेन्स से जांच करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिह--

मान्यवर, यदि जांच में कोई बाधा उत्पन्न होगी दूसरे से जांच करा दी जायेगी लेकिन जांच हो रही है।

श्री विजय सिह राणा--

मान्यवर, माननीय सदस्य की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और अंतरिम रिपोर्ट नहीं आयी, तो क्या शासन ने अन्य तरीकों से पता लगाया है ?

श्री वासुदेव सिह--

मान्यवर, शिकायतें जो की गयी हैं, जो आरोप हैं, वह मेरे पास हैं जिनको मैं पढ़े

देता हूं--जैसे संपत्ति नाजायज तरीके से सीमा से अधिक बढ़ा ली गयी है, यह अस्पष्ट है, आटा मिलों को लाइसेन्स देने में उनकी अनियमितताओं की चेकिंग में भ्रष्टाचार दुकानों की चेकिंग के दौरान अनियमिततायें की गयीं, अपनी लड़की की शादी में ज्यादा खर्च किया, निजी कार्य में मोटर का दुरुपयोग किया, विपणन निरीक्षकों के स्थानान्तरण में अनियमिततायें की, यह अस्पष्ट होते हुए उसकी जांच चल रही है

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में संयुक्त निदेशक/अपर निदेशकों के रिक्त पद तथा तदर्थ रुप से कार्यरत अधिकारी का स्थायीकरण

*6--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवंफल उपयोग निदेशालय में कितने अधिकारी संयुक्त निदेशक के पद पर कब से तदर्थ रूप पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने संयुक्त निदेशकों तथा अपर निदेशकों के पद कब से रिक्त हैं ? क्या मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि तदर्थ रूप से संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारियों को अब तक स्थायी न करने तथा अपर निदेशकके पद को रिक्त रखने के क्या कारण हैं तथा निदेशक पद पर चयनित किये जाने हेतु विभाग ने क्या नियम बनाये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर 3 अधिकारी दिनांक 9-2-81 एवं 29-6-85 से तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। वर्तमान में संयुक्त निदेशक का कोई पद रिक्त नहीं है। अपर निदेशक के दो पद दिनांक 3-2-84 एवं 1-4-84 से रिक्त हैं। संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर रखने के संबंध में मामला आयोग के विचाराधीन है। आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी। अपर निदेशक के पद पर तदर्थ चयन हेतु कार्यवाहीकी जा रही है। निदेशक के पद पर चयन हेतु पात्रता में स्थायी/स्थानापन्न अतिरिक्त निदेशकों में से जो कि इस पद पर नियमित रूप से नियुक्त हों और संयुक्त निदेशक के पद पर स्थायी हों रखने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का यह उत्तर तीन भागों में विभाजित हो जाता है, पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकालने के लिये इस मामले को आयोग को कब रेफर किया गया और कब से लोक सेवा आयोग इस पर विचारकर रहा है ? और क्या यह सही है कि 9-2-81 से दो संयुक्त निदेशक और 29-6-85 से एक संयुक्त निदेशक तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो 9-2-81 से जो दो संयुक्त निदेशक तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, उनको स्थायी करने के मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जो पहला प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है। लोक सेवा आयोग में प्रयास प्रारम्भ किया है 12-1-79 से और अन्तिम पत्र गया है 19-6-85 को, और इस बीच में लगातार लोक सेवा आयोगसे पत्राचार होता रहा है और बराबर प्रयास हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि यह जल्दी से जल्दी हो जाए-हम इसे लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर सकें। दूसरी बात, जो 9-2-81 से दो संयुक्त निदेशक तदर्थ से कार्यरत हैं, उनके लियेभी हमारा प्रयास जारी हैऔर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र यह तदर्थ नियुक्त वाले रेगुलर हो जायेंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

9-2-81 से जो तदर्थ रूप से कार्यरत, उनको स्थायी करने के लिये दो बार चयन समितियों का गठन किया गया और बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया, क्या यह सही है और इसको निरस्त करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह सही है कि चयन समितियों का गठन किया गया था, किया ही नहीं गया अब भी है और चयनित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सीनियारिटी को लेकर कुछ विवाद है, इस वजह से यह चयन नहीं हो सका और हमारा प्रयास है कि यह सीनियारिटी सम्बन्धी विवाद बहुत जल्दी समाप्त हो जाये और शीघ्रातिशीघ्र चयन कर लिया जाये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

सीनियारिटी को लेकर विवाद होने की जो बात है, जैसा मंत्री जी ने अभी बताया है, तो क्या चयन समिति सीनियारिटी डिसाइड करने के लिये बनाई गई थी या उनकी सेवा स्थायी करने के लिये बनाई गई थी ? सीनियारिटी की बात तो इससे अलग थी । जब दो पद रिक्त थे और दोनों पर लोग तदर्थ रूप से कार्य कर रहे थे तो इन पदों पर स्थायी करने में सीनियारिटी कहां बाधक हो रही थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

हमारे उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय में बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ थाऔर यह मसला बहुत दिनों से चल रहा है ।इसमें कभी सीनियारिटी बाधक हो जाती है, कभी उस पर प्रयास नहीं होता है ।

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाकर सारे प्रमोशन, नीचे से लेकर हर स्तर तक प्रमोशन किया जाय और जो लोग स्थायी नहीं हुए हैं उन्हें स्थायी किया जाय । मैं माननीय सदस्य की जो चिंता है उससे सहमत हूं कि इस कार्य में गति आनी चाहिये हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाय ।

जनपद हरदोई के किसानों से गेहूं की खरीद तथा भुगतान

*7--श्री अशोक बाजपेयी--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में गेहूं किसानों से न खरीदकर बिचौलियों से खरीदा जा रहा है और किसान को 140-145 रुपये प्रति कुन्टल का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को गेहूं खरीद का पूरा भुगतान करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

जी नहीं ।

जनपद हरदोई में गहूं किसानों से ही खरीदा जा रहा है और उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार गेहूं ग्रेड-I व गेहूं ग्रेड-II के लिये क्रमशः रु0 157 व रु0155 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि क्या जिलाधिकारी हरदोई से वहां के जन प्रतिनिधियों ने गेहूं बिचौलियों से खरीदे जाने के संबंध में लिखित एवं मौखिक रूप से शिकायत कीथी और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने स्वयं मौके की जांच की और कुछ अधिकारियों को दोषी पाया था । तो क्या उन संबंधित भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध माननीय मंत्री जी तत्काल कोई कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, जिलाधिकारी सक्षम है । वह कोई चीज देखता है तो स्वयं कार्यवाही करता है जो वह उचित समझता है । हमारे स्तर से भी छानबीन हुई है । मैंने स्वयं आकस्मिक चेकिंग की है । एफ0 सी0 आई0 का एक इंसपेक्टर, नाम मुझे नहीं मालूम है वह गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो एफ0सी0 आई0 ने उसे नौकरी से हटा दिया । बाजपेयी जी नाम जानते होंगे । तो जो माननीय सदस्य का भ्रम है वह निरर्थक है । एक बात है जिससे भ्रम फैलता है वह यह है कि शासन ने गांव के छोटे दुकानदार को बिचौलियों की

श्रेणी में नहीं रखा है। प्राय: देखा गया है कि जो गांव का छोटा धंधा करने वाला है वह गेहूं लेकर आया और उसे बिचौलिया समझा गया। तो जैसा मैंने बजट रखते हुए कहा था कि शासन इस पर विचार करेगा कि क्या हम किसी भी बिचौलिये को न रखें और इसी के तहत मिटटी के तेल के बारे में जो बिचौलिये थे उनको हमने हटा दिया है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां गेहूं की खरीद होती है वहां पर बिल्कुल नजदीक में दलाल बैठे रहते हैं जिसकी माननीय मंत्री जी को जानकारी है। क्या इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मंत्री जी कोई कानून बनायेंगे कि एक कि0 मी0 की दूरी के अन्दर कोई दूसरा खरीद न कर सके।

श्री वासुदेव सिह--

मान्यवर, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यापारी खरीद कर ही न सके, लेकिन उचित कार्यवाही जरूर की जायगी। जो बीच में दलाल हैं उनको हम बिल्कुल उन्मूलित करके व्यवस्था को सीधे किसान और सरकार के बीच में करेंगे ताकि व्यवधान न हो। आप जो कहते हैं मैं उसको मानता हूं कि कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है। जहां तक हरदोई का सवाल है वहां के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है और वहां का आर0 एफ 0सी0 भी सक्रिय था। वह बराबर रिपोर्ट देता था।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

सीतापुर के लिये बता दें।

श्री वासुदेव सिह--

जो मैंने हरदोई के लिये कहा है वही सीतापुर के लिये भी है। जहां-जहां गेहूं की खरीद हुई मोटे तौर पर 90-92 प्रतिशत सही खरीद हुई है, कहीं गड़बड़ी भी हुई है और उसको मैंने अपने भाषण में कहा था कि जो गड़बड़ी का मूल है, उस पर हम प्रहार करेंगे।

श्री कल्यान सिह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें मुझे कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। एक ओर तो आप यह कह रहे हैं कि गेहूं क्रय करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई और बिचौलियों के जरिये से खरीदारी नहीं की गयी और दूसरी ओर यह कह रहे हैं कि इन्सपेक्टर को बरखास्त कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इन्सपेक्टर को किन धांधलियों में बरखास्त किया गया था ?

श्री वासुदेव सिह--

वह भारतीय खाद्य निगम गोदाम का था, जहां से मूल खराबी पैदा होती है, तो मूल पर प्रहार किया।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, मुझे विश्वास था कि सफाई के साथ माननीय मंत्री जी उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिये कहेंगे। यह जनपद का बच्चा-बच्चा जानता है कि गेहूं बिचौलियों से खरीदा गया और किसानों को 140-135 रुपये का दाम मिला। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 30 मई को जिले की खाद्य सलाहकार समिति की बैठक में जनपदों के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से कहा कि गेहूं बिचौलियों के माध्यम से पूरे जिले में खरीदा जा रहा है। इतना ही नहीं, खाद्य निगम के गोदामों के अधिकारी, क्रय केन्द्रों के अधिकारियों से 300 रु0 प्रति ट्रक गोदामों में गेहूं भंडारण का लेते हैं, सभी लोगों की ओर से यह स्पष्ट आरोप लगाये गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे तथा गेहूं क्रय की धांधली में संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री वासुदेव सिह--

गलत काम करने वाले लोगों को दण्ड देने की प्रक्रिया जो है, वह अनवरत है। जहां पर

शिकायतें आई हैं, उनकी जांच की गयी और दण्ड दिया गया। इसके अतिरिक्त माननीय बाजपेयी जी जो शिकायतें करेंगे, उनकी जांच करा लेंगे। यहां-यहां-यहां वह स्पष्ट बता दें, उसकी जांच करा लेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और प्रदेश के किसानों से संबंधित है, इसलिये मैं और मेरा दल जनता पार्टी किसानों के हित में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

लखनऊ जिले के मलिहाबाद सहित आम बाहुल्य क्षेत्र को मैंगो बेल्ट घोषित किया जाना तथा प्रदत्त सुविधाएं

*8--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार लखनऊ जिले के मलिहाबाद सहित आम उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र को "मैंगो बेल्ट" घोषित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो मैंगोबेल्ट बनने से उस क्षेत्र में आम उत्पादन के क्षेत्र में क्या कार्यवाही की जायगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

लखनऊ जिला के मलिहाबाद, माल एव काकोरी विकास खण्ड के आम उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र को 'फल पट्टी' घोषित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अध्यादेश, 1984 के अन्तर्गत "फल पट्टी क्षेत्र में आने वाले हानिप्रद अधिष्ठानों एवं आवासीय योजनाओं को निर्बन्धित कर के आम के बागो को संरक्षण प्रदान किया जाता है।" "फल पट्टी" के क्षेत्र में फल उद्योग को अधिक विकसित करने के उद्यानपतियों को उत्पादन, विपणन एवं संरक्षण के लिये विभिन्न सुविधायें प्रस्तावित है, जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है, ये सुविधायें मुख्य रूप से निम्नवत् है:--

1--रसायनिक उर्वरक, कीट व्याधि, रसायन, तथा दवाई छिड़कने की मशीन आदि पर कम से कम 50 प्रतिशत राज्य सहायता प्रदान की जायेगी।

2--मलिहाबाद में एक मंडी की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

3--कुछ ग्रामीण उद्योग जैसे टोकरी बनाना, रस्सी बटना आदि स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

4--कैनिंग फैक्ट्री लगाने का विचार है।

5--पौधशालाओं में वृद्धि की जायेगी।

6--यातायात के साधनों की समुचित व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

7--सिंचाई हेतु विद्युत की समुचित व्यवस्था किये जाने का विचार है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने ऊपर जो पृष्ठभूमि दी है और एक से लेकर सात तक बताया है कि विचार किया जायगा या विचाराधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है, इनके कार्यान्वयन के बारे में जो सुनिश्चित योजनायें बनाई गयी हैं, तो यह योजनायें क्या हैं और यह कब तक पूरी हो जायेंगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा कि सभी माननीय सदस्य और सदन अवगत है कि अभी हाल में इस सदन ने उस बिल को पास कर दिया, जो विधेयक के रूप में आ गया है और उसके कार्यान्वयन का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैंने जो इसमें उपाय बताये हैं और जो मैंने बताया कि इस तरीके से प्रयास किया जायेगा तो उनके लिये भी संबद्ध कार्यक्रम बनाये जा रहे है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही हमारा प्रयास होगा कि इनको लागू किया जाय, जिससे फलपट्टी का विकास हो सके। विधेयक की मंशा है कि वह पूरा हो सके। जो पट्टे हैं 30 सितम्बर, तक उनका समय दिया गया है। 30 सितम्बर के बाद उनका नवीनीकरण नहीं किया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य है फल

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

पट्टी घोषित करने का उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जायगा ।

*9--श्री चन्द्रभान मौर्य--

[8वें शुक्रवार में ता0प्र0सं0 15 के अन्तर्गत अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

*10--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री एन0 डी0 पाठक, आर0 एफ0 सी0 मुरादाबाद के विरुद्ध कतिपय शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही

*11--श्री शारदा प्रताप--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एफ0 सी0 (श्री एन0 डी0 पाठक) मुरादाबाद के कार्यकलापों के बारे में मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह में श्री कनक सिंह, विधायक का शिकायती-पत्र ब्रजनारायण सिंह त्यागी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (आई) मुरादाबाद का 31-3-85 का पत्र, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी संसद सदस्य, मुरादाबाद का दि0 5-4-85 का पत्र, खाद्य मंत्री को तथा श्री भगवान दास, विधायक, मुरादाबाद का पत्र दि0 25-3-85 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां । सभी पत्रों को खाद्य विभाग में गठित पुलिस सेल को जांच हेतु मूल रूप में भेज दिया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

गोरखपुर मंडल में दुकानदारों को वितरण हेतु चीनी का आवंटन

*12--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर मण्डल में विगत तीन महीनों से दुकानदारों को वितरण हेतु चीनी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं । गोरखपुर मंडल में दुकानदारों को वितरण हेतु चीनी मिल रही है । विगत तीन महीनों (अप्रैल, 1985 से जून, 1985 तक) का लेवी चीनी का गोरखपुर मण्डल का जिलेवार आवंटन, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, द्वारा उसके विरुद्ध की गई उठान एवं जनपदों में वितरण हेतु पी0 सी0 एफ0 द्वारा बिक्री की गई मात्रा की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' का पृष्ठ 177 पर)

राम सागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) में चिकित्सालय

*13 श्री भगौती सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राम सागर नगर (इन्दिरानगर) में चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर क्या सरकार वहां चिकित्सालय की व्यवस्था करेगी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

रामसागर नगर (इन्दिरा नगर) में चिकित्सालय की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, जनपद गोण्डा की मोबाइल वान का उपयोग

*14--श्री राम जनम यादव--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की मोबाइल वान (बस) से जिला के अन्दर एवं बाहर बीज की ढुलाई का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो मोबाइल वान बनवाने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी सही है कि बीज ढुलाई का काम लेने के लिये सचल मृदा परीक्षण का कार्य पूर्णतय बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता

*15-श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर एक माह का चिकित्सा भत्ता दिए जाने हेतु मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ? उक्त चिकित्सा भत्ता किन-किन श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने हेतु प्रस्तावित है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*16-श्री मनोहर लाल--

[13वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

किशोर सदन, बरेली में श्री चुन्नी लाल जेलर का कार्यकाल तथा संस्था में व्याप्त कथित अव्यवस्था

*17-श्री सत्यपाल सिंह--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि किशोर सदन बरेली के जेलर श्री चुन्नी लाल शासन की नीति के विरुद्ध पिछले छः वर्षों से अधिक समय से एक ही जेल पर तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उक्त किशोर सदन में किशोर बन्दियों की संख्या 30 के लगभग है, फिर इस संस्था में अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 65 से भी अधिक होने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार किशोर बन्दियों से जेलर द्वारा ली जाने वाली बेगार भी समाप्त कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कारागार मंत्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)--

श्री चुन्नी लाल किशोर सदन, बरेली में 1-10-79 से तैनात है।

जी हां।

दिनांक 28-7-85 को किशोर सदन के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 58 थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य किशोर बंदियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर उन्हें उपयोगी नागरिक बनाना है। इस ध्येय की पूर्ति तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या उचित है।

बन्दियों से किसी प्रकार की बेगार नहीं ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आयातित चीनी का माहवार आवंटन

*18-श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, मई व जून, 85 में पूरे प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आयातित चीनी की कुल कितनी अलग-अलग मात्रा में माहवार आपूर्ति की गयी और क्या इन तीनों महीनों में प्रदेश में चीनी का अभाव रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

माह अप्रैल, मई व जून, 1985 में भारत सरकार से लेवी में प्रदेश को आयातित चीनी का कोई आवंटन नहीं हुआ था। फलस्वरूप उक्त महीनों में लेवी चीनी के रूप में आयातित चीनी का वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को नहीं किया गया था। माह जून, 85 में आयातित चीनी का नान लेवी में 10046 मी0 टन आवंटन प्राप्त हुआ था जिसका वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से उक्त माह में न करा कर राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थाओं के माध्यम से कराया गया। माह अप्रैल, मई व जून, 1985 में चीनी का प्रदेश में अभाव नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सहकारी-संघ द्वारा आवंटन के विरुद्ध प्रदेश के जनपदों में

बिक्री हेतु समुचित मात्रा में लेवी चीनी निम्नवत उपलब्ध कराई गई :---

(मात्रा मी0 टन में)

नाम माह	लेवी चीनी का आवंटन	पी0 सी0 एफ0 द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई गई मात्रा
अप्रैल, 1985	46,394.0	47,660.0
मई, 1985	48,809.1	48,600.0
जून, 1985	56,876.0	52,200.0
योग	152,079.1	148,460.0

शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

*19--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*20--श्री शारदानन्द अंचल--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]।

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती राजकुमारी फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता हरीनगर क्षेत्र, वजीरगंज, लखनऊ को आवंटित मिट्टी तेल की आपूर्ति

1--श्री सरदार सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राज कुमारी फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता, हरीनगर क्षेत्र, वजीरगंज, लखनऊ को अपर जिला मैजिस्ट्रेट (आपूर्ति) ने चैम्बर ज्वाइंट पत्र सं0 114/ /जि0 पू0 अ0/मिट्टी तेल-85, दिनांक 10-1-85 को स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो क्या आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वासुदेव सिंह---

जी हां। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं हुआ जिसका कारण यह है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राज कुमारी की दुकान निवास गृह में थी, जो एक तंग गली में स्थित है, जहां चैम्बर द्वारा तेल की आपूर्ति सुविधाजनक नहीं थी। अतः क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा उन्हें दूसरी उपयुक्त दुकान तलाशने को निर्देशित किया गया। तब उक्त विक्रेता ने सुभाष मार्ग में स्थित बिना दरवाजे की एक दुकान का प्रस्ताव किया। यह दुकान भी उपयुक्त नहीं पायी गयी।

उक्त विक्रेता ने इसके बाद अन्य कोई उपयुक्त व्यवसायिक स्थल का प्रबन्ध नहीं किया। अतएव चैम्बर, जिसमें 2500 अथवा 3000 लीटर तेल होता है, से सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसका दोष किसी अधिकारी/कर्मचारी पर नहीं है बल्कि दुकानदार स्वयं जिम्मेदार है।

उपनिदेशक (होम्योपैथी) की नियुक्ति एवं आवंटित कार्य

2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (होम्योपैथी) की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो विभागीय कार्यों के निस्तारण हेतु कौन-कौन से कार्य आवंटित किए गए हैं ? यदि आवंटित नहीं किए गये तो क्यों तथा आवंटन कब-तक कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

निदेशक (होम्योपैथी) द्वारा विभागीय कार्यों का निस्तारण उप-निदेशक (होम्योपैथी) की सहायता से किया जाता है अतः उन्हें अलग से कार्य आवंटित, किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी चिकित्सालय बदायूं में चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कत्ल का आरोप

3--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं में यूनानी चिकित्सालय में कितने चिकित्सा अधिकारी हैं ? जिन पर कत्ल या अन्य आरोपों के मामले न्यायालयों में चल रहे हैं ? ऐसे चिकित्सा अधिकारियों का जिन पर अपराधी मामले चल रहे है, राजकीय सेवा में बने रहने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सम्प्रति एक चिकित्साधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कत्ल का आरोप है। मामले में सक्षम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अधिकारी को सेवा में बनाये रखने अथवा न रखने के विषय में विचार किया जाना न्यायोचित होगा।

यूनानी चिकित्सालय, बदायूं की स्थापना पर हुआ व्यय तथा मेडिकल आफिसर के विरुद्ध गबन का आरोप

4--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यूनानी चिकित्सालय, बदायूं की स्थापना एक फ़रवरी, 1984 को बदायूं में की गयी? यदि हां, तो 1-2-84 से 14-2-84 तक उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि उपरोक्त यूनानी चिकित्सालय बदायूं 14-2-84 के बाद प्रारम्भ किया गया और उसके 14-2-84 से ही अस्पताल हेतु भवन उपलब्ध हो सका, परन्तु यूनानी मेडिकल अफ़सर बदायूं ने 2-2-84 से फ़र्ज़ी स्थापना दिखा कर सरकार से बहुत बड़ी रकम वसूल कर गबन किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं, किन्तु राजकीय यूनानी चिकित्सालालय बदायूं की स्थापना हेतु प्रस्तावित भवन का कब्जा लेने और अन्य व्यवस्था करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। 2-2-84 से दिनांक 14-2-84 तक उपरोक्त चिकित्सालय के साज सज्जा एवं उपकरण तथा विविध व्यय पर रु025,983.30 पैसे मात्र का व्यय हुआ।

चिकित्सालय के भवन पर दिनांक 14-2-84 को औपचारिक रूप से कब्जा मिला और इस चिकित्सालय का कार्य प्रारम्भ किया गया। भवन पति को भी उक्त दिनांक से ही भवन के किराये का भुगतान किया गया है। यूनानी चिकित्साधिकारी बदायूं द्वारा किसी प्रकार के गबन का मामला नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण की नीति

5--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या शासन ने अपने पत्र संख्या 2386 सेलेक्शन चिकित्सा अनुभाग-5 पांच-2-(55)-80, दिनांक 25 अप्रैल, 1985 के द्वारा पी0 एम0 एस0/पी0 एम0 एस0 (महिला)/पी0एच0 एस0/पी0 एम0एच0 एस0 सम्वर्ग के अधिकारियों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु कोई नीति निर्धारित की है। यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त शासनादेश की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, वर्ष 1985-86 के वार्षिक स्थानान्तरण के लिये शासनादेश संख्या-2386 सेक 3-/पांच-2 (55)-80 दिनांक 25 अप्रैल, 1985 द्वारा नीति निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश की एक प्रति संलग्न है।

जिला अस्पताल, सीतापुर में विद्युत् उत्पादन हेतु लगाया गया जनरेटर

6--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिला अस्पताल में जो जनरेटर बिजली के अभाव में विद्युत जनरेट करने हेतु

†छापी नहीं गयी।

लग रहा है वह अभी चालू हुआ कि नहीं? क्या उससे अस्पताल को बिजली मिलना प्रारम्भ हो गयी है। यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये चिकित्सा विभाग द्वारा धन की स्वीकृति कब दी गयी थी ' ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जिला अस्पताल, सीतापुर का जेनरेटर चालू हो गया है ।

जी हां ।

जेनरेटर स्थापनार्थ धन की स्वीकृति चिकित्सा विभाग द्वारा दिनांक 23-3-83 को दी गई थी ।

जनपद लखनऊ में निश्चित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत डाक्टरों का स्थानान्तरण न किया जाना

7--श्री सुरेन्द्रनाथ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि एक जिले में पांच वर्ष से अधिक समय तक तैनात सभी डाक्टरों का स्थानान्तरण कर दिया जायगा ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में कितने डाक्टर पांच वर्ष से अधिक अवधि के हैं तथा उनको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पांच वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के साधारण ग्रेड के पुरुष चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरित करने की नीति 1985-86 के लिये है ।

जनपद लखनऊ में पांच वर्ष से अधिक अवधि के डाक्टरों की संख्या निम्नवत है:--

स्पेशल ग्रेड	5
सीनियर स्केल (पुरुष)	8
सीनियर स्केल (महिला)	12
साधारण ग्रेड (पुरुष)	36
साधारण स्केल (महिला)	36
योग	97

उक्त चिकित्सकों को जनहित में परिवार कल्याण कार्यक्रम के हित में, निकट भविष्य में प्रोन्नति, विभिन्न अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु व अन्य कारण से स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

राजकीय तकमील-उ.तिब कालेज, लखनऊ एवं राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद में टेन्योर पोस्ट पर कार्यरत, आवासीय चिकित्साधिकारी

8--श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय तकमील-उ-तिब कालेज, लखनऊ एवं राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में आवासीय चिकित्साधिकारी की पोस्ट टेन्योर है ? यदि हां, तो इन कालेजों में कई वर्षों से कार्य कर रहे चिकित्साधिकारियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इन दोनों कालेजों में एक एक आवासीय चिकित्साधिकारी प्रान्तीयकरण के पूर्व से नियुक्त हैं । शेष सम्पूर्ण प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

आयुर्वेद एवं यूनानी छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता ऐलोपैथिक छात्रों के समान किये जाने की मांग

9--श्री सिकन्दर अली खां नवाब--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी छात्रों को इन्टर्नशिप भत्ता एलोपैथिक छात्रों के बराबर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितना ? क्या भविष्य में एलोपैथिक के बराबर इन्टनशिप भत्ता आयुर्वेद यूनानी छात्रों को भी दिया जायगा। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों का इन्टर्नशिप भत्ता रु0 400 प्रति माह से बढ़ाने का प्रस्ताव विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है ।

उ0प्र0 भूमि सुधार नि0 लि0, लखनऊ में कर्मचारियों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कमचारियों का कोटा

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भूमि सुधार नि0लि0, लखनऊ में कर्मचारियों का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा है। यदि नहीं, तो क्यों? क्या मा0 मन्त्री जी तत्काल उक्त कोटे को पूरा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 में इस समय निगम द्वारा नियुक्त कुल 62 कर्मचारी निगम में कार्यरत है, जिसमें से 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति के है। अनुसूचित के 14 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये जिसमें से केवल 6 कर्मचारियों ने ही योगदान दिया जिसमें से भी एक कर्मचारी ने फ़रवरी, 1984 में त्याग पत्र दे दिया। अनसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा योगदान न करने के फ़लस्वरूप उनका कोटा पूरा नहीं हुआ है।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण निगम के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14-5-1985 की बैठक में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिसके अनुसार तत्काल कोटे को पूरा किया जाना सम्भव नहीं है भविष्य में जब भी नियुक्तियां होगी पहले इन जातियों का कोटा पूरा किया जायेगा।

उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम की स्थापना, कार्य एवं व्यय

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में लगभग 15 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार हेतु उ0प्र0 भूमि सुधार नि0 की स्थापना दिनांक 30-3-1978 को भी गयी थी? यदि हां, तो भूमि सुधार नि0 ने आज तक क्या कार्य किया, कितना ऊसर अभी तक सुधारा तथा इस पर कितना व्यय हुआ? क्या मा0 मन्त्री जी इस सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रदेश में लगभग 12 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है। ऊसर भूमि सुधार आदि के उद्देश्य से भूमि सुधार निगम की स्थापना 30 मार्च, 1978 को की गयी थी।

भूमि सुधार निगम ने अब तक लखनऊ जनपद के शिवरी, अचरामऊ, रसूलपुर व पिपरसन्ड ग्रामों में कुल मिला कर 152.13 हेक्टेयर ग्राम समाज की ऊसर भूमि को सुधार कर चार कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये हैं।

इसके अतिरिक्त 9 चीनी मिल परिक्षेत्रों में काश्तकारों को मृदा सुधारकों का वितरण करके 6583.26 हेक्टेयर ऊसरीली भूमि का सुधार कराया है।

प्रक्षेत्रों में ऊसर सुधार पर लगभग 43.87 लाख रुपया निगम ने व्यय किया है। इस व्यय में मृदा सुधारक, रसायन, बीज खाद डीजल, कृषि यंत्र ट्रैक्टरों का क्रय उनकी मरम्मत, नलकूपों का निर्माण भवन आदि का निर्माण एवं प्रक्षेत्र तथा मुख्यालय का स्थापना व्यय आदि शामिल है। चीनी मिल परिक्षेत्रों में ऊसर सुधार कार्य पर निगम का कोई धन व्यय नहीं हुआ। निगम ने लगभग 140.67 लाख के मृदा सुधारक चीनी मिल परिक्षत्रों में वितरित किय। इस धन का भुगतान कृषि तथा गन्ना विभाग ने अनुदान के रूप में निगम को किया।

उ0प्र0 भूमि सुधार नि0 लि0, लखनऊ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

12—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भूमि सुधार नि0 लि0, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया दिनांक 21-1-85

तक पूर्ण कर ली गयी थी ? यदि हां, तो कर्मचारियों को अभी तक नियमितीकरण पत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

जी हां। दिनांक 14-3-1984 को निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का कार्य व व्यवहार संतोषप्रद हो उनके नियमितीकरण पर विचार किया जाय। तदनुसार दिनांक 21-1-85 तक इन कर्मचारियों की औपचारिकतायें पूर्ण की गयी। चूंकि निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 14-5-1985 में यह निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण स्थगित रखा जाय और कोई नई नियुक्ति भी न की जाय।

कुष्ठ नियंत्रण योजना में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति

13---श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत चल रहे कुष्ठ नियंत्रण योजना मे कार्यरत कर्मचारियों (1---एन0 एम0 एस0, पर्यवेक्षक, 2---ए0 एम0 ए0-3, एम0 एस0 डब्ल्यू0) के पदोन्नति के लिये हाल ही में अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ में मिट्टी के तेल का आवंटन एवं वितरण

14---श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य व रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में विगत पांच वर्षों में कुल कितनी मिट्टी के तेल की मात्रा आवंटित की गयी ? कितना मिट्टी का तेल उपरोक्त जनपदों में सरकारी दुकानों से विक्रय किया गया ? इस वित्तीय वर्ष हेतु कितनी मिट्टी तेल की मात्रा आवंटित की गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह---

जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा को विगत 5 वर्षों (वर्ष 1980-81 से वर्ष 1984-85) में क्रमशः 16,686 किलोलीटर एवं 28,245 किलोलीटर मिट्टी का तेल का आवंटन किया गया। उक्त अवधि में पिथौरागढ़ में 13,535 किलोलीटर तथा अल्मोड़ा में 22,414.410 किलोलीटर मिट्टी तेल सरकारी दुकानों के माध्यम से वितरित किया गया। इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल से जुलाई, 85 तक) में पिथौरागढ़ जनपद को 1320 किलोलीटर तथा अल्मोड़ा जनपद को 1690 किलोलीटर मिट्टी तेल का आवंटन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा आलू विकास एवं विपणन संघ गठित किये जाने के संबंध में जानकारी

15---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आलू विकास एवं विपणन संघ का निर्माण किन कारणों से किन उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु किया गया है ? सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में आलू उत्पादन व विपणन हेतु इस संघ ने अब तक क्या-क्या प्रयास योजनाएं तैयार की हैं, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

राज्य सरकार ने किसी राज्य आलू विकास एवं विपणन संघ का निर्माण नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

रामगढ़ क्षेत्र जनपद नैनीताल में सेब बगीचों का क्षेत्रफल, शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं वसूली

16---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में रामगढ़ क्षेत्र में किन-किन सेब बागीचों के मालिकों के पास क्रमशः कुल कितने क्षेत्रफल में सेब के बगीचे हैं ? इन बगीचों में विगत पांच वर्षों में शासन की ओर से क्रमशः किन-किन मदों में कितना धन दिया गया है ? किन-किन

बागवानियों को क्रमशः कितनी धनराशि अभी सरकार को देय है ? कब तक इनको वसूल कर लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

रामगढ़ विकास खंड में वर्तमान में 4,281 उद्यान पतियों के पास 6025 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब के उद्यान है।

विगत 5 वर्षों में दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के अन्तर्गत रुपया 4.75 लाख तथा फलों के भंडारण के लिये शीतगृह निर्माण के अन्तर्गत रु0 1.35 लाख दिया गए है।

दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण 142 उद्यानपतियों से रुपया 4,97,959.00 ब्याज सहित तथा शीतगृह निर्माण हेतु 9 उद्यान पतियों से 1,27,498 (ब्याज सहित) सरकार को अभी देय है। उद्यान ऋण की वसूली ऋण वितरण वर्ष के सातवें वर्ष से 10 बराबर किस्तों में तथा शीतगृह निर्माण ऋण की वसूली ऋण वितरण वर्ष के दूसरे वर्ष से 10 बराबर किस्तों में नियमानुसार वसूली की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशीमें खाद्य व आवश्यक सामग्री पहुंचाने की प्रमाणिकता, अधिकार ग्राम प्रधानों को देने की मांग

17---श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य तथा रसद मन्त्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ चमोली, उत्तरकाशी के सीमान्त दूर दराज गांवों तक खाद्य व आवश्यक सामग्री के पहुंचाने से पूर्व ही विभिन्न स्तरों पर काला बाजारी, अवैध कृतियों द्वारा उसे समाप्त कर गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाया ही नहीं जाता है ? यदि हां, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने हेतु सम्बन्धित दूर दराज के गामों के ग्राम प्रधानों से सामग्री (भार समेत) पहुंचाने की प्रमाणिकता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने तथा उसे ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिये शासन के ऐसे आदेश पहिले से ही है कि ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जब अपनी दुकान पर लायें तो वे इसे अपने रजिस्टर पर चढ़ा, कर ग्राम प्रधान अथवा सरपंच से उस वस्तु का दुकान पर पहुंचने का तथा उपभोक्ताओं में वितरित कराने का प्रमाण पत्र प्राप्त करें तभी उन्हें आगे सामग्री प्रदान की जाये।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

श्री ब्रह्मानन्द उप निदेशक कृषि के विरुद्ध जांच की मांग

18---श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (कृषि) (श्री ब्रह्मानन्द) ने अपने लखनऊ और मेरठ मण्डल कार्यकाल में कितने-कितने रुपये की त्रिपाल रिप्लेसमेन्ट में क्रय किये है ? क्या पुराने त्रिपालों की सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो यह त्रिपाल रिप्लेसमेन्ट के नाम से कैसे क्रय की गयी ? क्या इस अनियमित कार्य के लिये माननीय मंत्री जी उप निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

उप निदेशक कृषि (श्री ब्रह्मानन्द) ने अपने कार्यकाल लखनऊ तथा मेरठ में क्रमशः रु0 5,62,753.06 पैसे तथा रुपया 1,47,347.60 पैसे मूल्य के त्रिपाल रिप्लेसमेंट में क्रय किये।

लखनऊ मण्डल के पुराने त्रिपालों की सर्वे रिपोर्ट निम्न प्रकार स्वीकृत की जा चुकी है:---

1982-83	..	81 त्रिपाल
1983-84	..	25 त्रिपाल
1984-85	..	22 त्रिपाल

मेरठ मण्डल के 72 त्रिपालों में से केवल 2 त्रिपालों की सर्वे रिपोर्ट की स्वीकृति जुलाई 82 में हो चुकी है। अन्य की सर्वे रिपोर्ट पर संबंधित जिला कृषि अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की जानी है।

मेरठ मण्डल के विभिन्न गोदामों के वित्तीय वर्ष 1980-81 के वार्षिक सत्यापन के समय 107 त्रिपाल अनुपयोगी पाये गये थे उसी आधार पर 72 त्रिपालों का क्रय रिप्लेसमेंट में किया गया। श्री शर्मा के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें त्रिपालों की खरीद का भी मामला है। जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही कराई जावेगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के विरुद्ध जांच

19—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के विरुद्ध जनवरी, 84 से जून, 85 तक कुल कितनी शिकायतें जनप्रतिनिधि एवं जनता तथा जिला अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं शासन को किन-किन तारीखों में प्राप्त हुये है? अब तक उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती के विरुद्ध 6 शिकायती पत्र दिनांक 22-6-84, 9-7-84, 2-4-85, 12-5-85, 12-6-85 तथा एक दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुये जिनमें माननीय प्रश्नकर्त्ता विधायक तथा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) का पत्र भी सम्मिलित है।

शिकायती पत्र में इंगित आरोप की जांच अब मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल से करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच पूर्ण होने पर अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय हेतु टेबुल फैन का कथित क्रय

20—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में सितम्बर, 1980 से सितम्बर, 1985 तक कितने टेबुल फैन क्रय किये गये, कितने स्टाक रजिस्टर में दर्ज किये गये, कितने लगाये गये? क्या यह सच है कि कुछ शेष पंखों के सम्बन्ध में श्री एम0 पी0 शर्मा वैयक्तिक सहायक एवं केयर टेकर निदेशक द्वारा अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो इसकी जांच पुलिस द्वारा कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कोई टेबुल फैन नहीं क्रय किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, औषधि निर्माण शाला एवं तकमील उत्तिब कालेज में कराया गया निर्माण कार्य

21—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय तथा उसके अधीनस्थ स्थानीय कार्यालय औषधि निर्माण शाला तथा तकमीलउत्तिब कालेज में छोटे से लेकर बड़े तक के निर्माण कार्य एवं इससे सम्बन्धित अन्य छोटे-मोटे कार्य एक ही ठेकेदार गुलाटी से ही कराये जाने का कारण क्या है? शासकीय नियमानुसार ये कार्य पी0 डब्ल्यू0 डी0 अथवा हरिजन आवास निगम से क्यों नहीं कराये गये? क्या यह सत्य है कि निर्माणशाला में जो निर्माण कार्य कराया गया है, वह ध्वस्त होने के कगार पर है और इसके लिये (श्री मंगल प्रसाद शर्मा) वैयक्तिक सहायक, श्री वी0 एन0 पाण्डेय अधीक्षक, निर्माणशाला तथा केयर-टेकर उत्तरदायी है? यदि

हां, तो इसकी जांच कराने और उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं, निदेशालय किराये के भवन मे अवस्थित है अतएव उसमें निर्माण कार्य का प्रश्न नहीं उठता। औषधि निर्माणशाला एवं तकमिल उत्तिब कालेज में छोटे-छोटे विभिन्न ठेकेदारों से अल्पकालिक निविदा के आधार पर नियमानुसार न्यूनतम रेट वाली फर्म से सम्पन्न कराये गये।

तकमिल उत्तिब कालेज लखनऊ में अधिक धनराशि वाले निर्माण कार्य हरिजन एवं निर्बल आवास निगम लखनऊ से कराये गये हैं और तथा छोटे कार्य निविदा के आधार पर न्यूनतम रेट वाली फर्म से कराये गये हैं। औषधि निर्माणशाला में वर्ष 1984-85 में हरिजन एवं निर्बल आवास निगम द्वारा कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण निर्माण कार्य अल्पकालिक निविदा के आधार पर न्यूनतम रेट वाले फर्म से कराया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम स्वरूप सिंह वर्मा, (सेवा निवृत्ति चिकित्साधिकारी) के लम्बित देयों के भुगतान की मांग

22--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम स्वरुप सिंह वर्मा (सेवा निवृत्त चिकित्साधिकारी पीलीभीत आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग) का निधन मार्च, 1985 मे हो गया है ? यदि हां, तो क्या उनके अनेक देयों का भुगतान शासन निदेशालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो इन देयों का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? तथा उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

जी हां।

डा0 वर्मा के देयक बहुत पुराने हैं। उनका पता लगाया गया और उनके देयों के भुगतान के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही हेतु आयुर्वेदिक निदेशक ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को समुचित आदेश भेज दिये हैं।

जिला कारागार, हरदोई के निलम्बित सहायक जेलरों की संख्या

23- श्री शारदा प्रताप--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, हरदोई में कितने सहायक जेलर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध उनके सेवाकाल में अनुशासनात्मक कार्यवाही या निलम्बन की कार्यवाही की गयी है ? उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

जिला कारागार, हरदोई में सम्प्रति ऐसा कोई सहायक जेलर नहीं है जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही या निलम्बन की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय नगरपालिकाओं के स्वास्थ्य अधिकारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

24--श्री भगौती सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ नगरपालिकाओं में नियुक्त स्वास्थ्य अधिकारी उक्त जनपदों में कितने दिनों से कार्यरत हैं और इसी जनपद में रहने की अधिकतम अवधि कितनी है ? उनके स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, मेरठ नगरपालिकाओं में नियुक्ति स्वास्थ्य अधिकारी उक्त

जनपदों में क्रमशः दिनांक 20-4-85, 10-5-85, जुलाई 1978, 16-8-85, तथा 31-7-85 से कार्यरत है। सहारनपुर के नगर स्वास्थ्य अधिकारी को स्थानान्तरित करने के आदेश अपर निदेशक, मेरठ मण्डल को दिये गये हैं। एक जनपद में रहने की अधिकतम अवधि पांच वर्ष है।

लबलट अस्पताल रामनगर, वाराणसी का नाम परिवर्तन

25--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्न-कर्ता का एक पत्र दिनांक 10-6-85 लबलट अस्पताल रामगनर, वाराणसी का नाम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रखने के बारे में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

लवलक अस्पताल रामनगर, जिला वाराणसी का नाम "लालबहादुर शास्त्री चिकित्सालय" रखने के आदेश जारी कर दिये गये है।'

26--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डोभी, जनपद जौनपुर के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

27--कुंवर रेवतीरमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोभी, जिला जौनपुर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से सम्बन्धित एक शिकायती-पत्र उनको जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में मिला? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

28--श्री हाजी मोहम्मद हयात--

[9वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 146] के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

29--श्री मैनेजर सिंह तथा श्री शारदानन्द अंचल--

[दि0 3-9-85 को अता0 प्र0सं0 114 द्वारा उत्तरित।]

जिला कारागार बाराबंकी में कतिपय अनियमितताओं की जांच

30--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-3-83 को जिला कारागार बाराबंकी में रु0 1185 रुपया कर्मचारियों का ऐरियर वेतन दिखाकर निकाला गया है और जिसका लेखा जोखा कैशबुक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 67 तथा वेतन वितरण रजिस्टर नं0 के पृष्ठ संख्या 88 पर अंकित है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

जी हां, किन्तु तत्सम्बन्धित समस्त अभिलेख अपराध अनुसंधान विभाग (सी0 आई0 डी0) द्वारा अपने कब्जे में जांच हेतु ले लिए गये हैं।

अपराध अनुसन्धान विभाग की जांच आख्या व अभिलेख उपलब्ध होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

31--श्री राम चन्द बख्श सिंह--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारागार, बाराबंकी में कम्बल गोदाम में दो सौ चादर, तीन सौ काले ऊनी कम्बल तथा पचास दरियां गिनती में कम है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार, बाराबंकी में मंगाई गई सीमेन्ट का उपयोग

32--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा श्री अकबर हुसैन बावर--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, बाराबंकी में दिनांक 22-11-84 को तीन सौ बोरी सीमेंट निर्माण कार्य हेतु मंगाई गयी थी ? यदि हां, तो इसका उपयोग किस कार्य में किया गया ? क्या सीमेन्ट का उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

हां।

इसका उपयोग समय से कार्य समाप्त करने के लिये ठेकेदार द्वारा अपने साधनों से प्राप्त करके इस्तेमाल किए गये सीमेन्ट की प्रतिपूर्ति में किया गया। प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार, बाराबंकी में नये महिला वार्ड के निर्माण हेतु की गई स्वीकृत धनराशि एवं निर्माण कार्य

33--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री अकबर सिंह बाबर--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी कारागार में नये महिला वार्ड बनाने हेतु 2 लाख 27 हजार रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि नया निर्माण न करा करके बैरक नं0 14 तथा पुरानी महिला बैरक के बीच स्थित मुख्य दीवाल को लगभग 1 फुट और ऊंचा करके प्लास्टर कर दिया गया है और इसी प्रकार पुरानी दीवालों की मरम्मत व प्लास्टर करके निर्माण हो रहा है। यदि हां, तो क्या इसकी जानकारी कारागार महानिरीक्षक को है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

पहले से चले आ रहे महिला वार्ड के जीर्णोद्धार के लिये कारागार महानिरीक्षक, उ0 प्र0 द्वारा 2 लाख 27 हजार रुपया स्वीकृत किया गया है।

कारागार महानिरीक्षक की स्वीकृत के अनुसार ही कार्य हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भभुआ, जनपद गोंडा में रेडक्रास सोसाइटी उ0 प्र0 के कतिपय कर्मचारियों का लम्बित वेतन

34--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले के भभुआ गांव में रेडक्रास सोसाइटी उत्तर प्रदेश की देख-रेख में चिकित्सा चल रही है ? यदि हां, तो उस में कितने कर्मचारियों को कितने दिनों से वेतन नहीं मिला तथा इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

निम्नलिखित कर्मचारियों का वेतन उन के सम्मुख अंकित माह से भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, उ0 प्र0 शाखा, लखनऊ से धन प्राप्त न होने के कारण नहीं मिला।

(1) डा0 ए0 के0 सिंह--चिकित्साधिकारी दिनांक 15-2-85 से।

(2) उमाशंकर तिवारी, फार्मेसिस्ट। माह सितंम्बर 1984 से।

(3) राम शरण, ड्राइवर। माह अगस्त, 1984 से।

(4) कृपा शंकर पांण्डे वार्ड-ब्याय। माह सितम्बर, 1984 से।

(5) देवी प्रसाद चौकीदार/स्वीपर माह सितम्बर, 1984 से।

ग्राम भभुआ, जनपद गोण्डा के रेडक्रास अस्पताल के सरकारीकरण की मांग

35--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या यह सत्य है कि गोण्डा जिले के भभुआ गांव का रेडक्रास द्वारा प्रदत्त भवन-चिकित्सा

लब स्टोर रूम आदि आधुनिक ढंग से नहीं बने हैं और इस पिछड़े बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए इसे और सुविधा सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है और इसके सरकारीकरण करने की योजना पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह गैर सरकारी अस्पताल है। रेड-क्रास सोसाइटी, उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा संचालित इस अस्पताल के भवन, स्टोर रूम आदि को और सुविधा सम्पन्न बनाने के आवश्यकता बताई गई है और रेड क्रास सोसाइटी द्वारा ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। ऐसे अस्पतालों के सरकारीकरण की शासन की नीति नहीं है अतः इस अस्पताल के सरकारीकरण पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 गुलाब चन्द्र गुप्ता, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्डपुर बस्ती का स्थानान्तरण

36--श्री धनराज यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर्डपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी, डा0 गुलाब चन्द्र गुप्ता का स्थानान्तरण 1983 में देवरिया के लिये हुआ था ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण रुक गया ? क्या वर्तमान क्षेत्रीय विधायक ने 28-5-85 को संयुक्त निदेशक (कार्मिक) डा0 एस0 के0 सक्सेना को डा0 गुप्ता के स्थानान्तरण के लिये लिखा था ? यदि हां, तो अभी तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया, क्या सरकार तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

जी हां।

डा0 गुलाब चन्द्र गुप्ता का देवरिया के लिये स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19-7-85 को जारी कर दिये गये हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा दाई के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश का पालन

37--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर का पत्रांक स्था0 दाई0 84-85 दिनांक 28-5-84 जिसका सम्बन्ध श्रीमती कुन्ती देवी दाई की नियुक्ति के सम्बन्ध में था, का परिपालन प्रभारी चिकित्साधिकारी महिला चिकित्सालय, सिसवा बाजार, गोरखपुर ने किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश 28-5-84 के अनुरूप श्रीमती कुन्ती देवी को दाई के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने जून, 84 में अपने पूर्व आदेश को संशोधित कर श्रीमती बसन्ती देवी (जिन्हें अंशकालिक दाई के पद का अनुभव प्राप्त था) को दाई के पद पर नियुक्त कर दिया।

जिला अस्पताल, अलीगढ़ में पिश्पाट, पीकदान, गड्ढे आदि की व्यवस्था

38--श्री किशन लाल दिलेर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को पिश्पाट, पीकदान किसी भी पलंग के साथ नहीं दिए हैं तथा बिस्तरों के गद्दे फटे पड़े हैं यदि हां, तो इनकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अलीगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को पिश्पाट आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाते हैं। अस्पताल में पीकदानों की कुछ कमी है। 50 पीकदान और क्रय कर लिये गये हैं। शेष की व्यवस्था संसाधन उपलब्ध होने पर कदाचित संभव हो। फटे हुए गद्दों के स्थान पर उचित व्यवस्था कर दी गई है।

कु0 सुशीला मैसी, स्टाफ नर्स, जिला अस्पताल, मुरादाबाद को बकाया वेतन वृद्धि का भुगतान

39—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 सुशीला मैसी, स्टाफ नर्स, जिला अस्पताल, मुरादाबाद को वर्ष 1977 से कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

तत्काल भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

धान मण्डी दुधई, तहसील पडरौना, जनपद देवरिया के कृषकों से धन वसूली संबंधी कथित शिकायती पत्र

40—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थापक एवं महामन्त्रक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, शाखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र दिनांक 1—7—85 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें धान मंडी, दुधई, तहसील पडरौना, जिला देवरिया के दलालों द्वारा कृषकों से अनियमित धन वसूलन की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में इस कथित अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को रोकने सम्बन्धी कृत कार्यवाही से सदन को कृपया अवगत करायेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं, ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

जनपद गोरखपुर में कोल एजेन्टों की संख्या, नियुक्ति का आधार एवं कथित शिकायतों की जांच

41—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 83—84 में गोरखपुर जिले में कितने कोल एजेन्ट नियुक्त किये गए हैं और इनकी नियुक्ति के क्या आधार है ? क्या इन कोल एजेंटों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें मिली है कि जिला पूर्ति अधिकारी से मिलकर कोयले की चोर बाजारी करते हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध आज (दिनांक 8—7—85) तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

सन् 1983—84 में गोरखपुर जिले में कोयले के 35 थोक लाइसेंसी नये नियुक्त किये गये थे। ये नियुक्तियां जनपद में ईंट भट्टा मालिकों द्वारा कोयले की मांग को देखते हुए तथा जनपद में ईंटों की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने हेतु की गई थी। इन कोल एजेन्टों के विरुद्ध उक्त अवधि में कोयले की चोर बाजारी करने के सम्बन्ध में, जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि परामर्शदात्री समिति, जनपद फर्रुखाबाद की बैठकें

42—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला कृषि परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से नहीं हुई है ? इसके क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है

श्री आर0 सी0 सक्सेना, पी0 ए0 एडीशनल डाइरेक्टर मेडिकल केयर का स्थानान्तरण

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 सी0 सक्सेना, पी0 ए0 एडीशनल डायरेक्टर मेडिकल केयर के पास लगभग विगत 25 वर्षों से एक ही जगह पर तैनात हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है, क्या सरकार इन्हें तुरन्त किसी अन्य

अधिकारी के पास स्थानान्तरित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री आर0 सी0 सक्सेना के नाम का कोई आशुलिपिक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार) के साथ तैनात नहीं है किन्तु श्री आर0 के0 सक्सेना आशुलिपिक जो उक्त अधिकारी के साथ दिनांक 5 जून, 1979 से सम्बद्ध थे, का स्थानान्तरण दिनांक 2-9-85 को संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) के साथ कर दिया गया है।

ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के वाहन की मरम्मत एवं वापसी

44--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ की वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9719 जो जून, 1984 में सेन्ट्रल वर्कशाप, अमौसी, नादिरगंज, लखनऊ में मरम्मत हेतु गयी थी। उक्त वर्कशाप के अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्तर से प्राइवेट वर्कशाप रामा आटोकेयर में भेज दिया जिसकी मरम्मत का भुगतान फरवरी 1985 में रु0 28,960 (अट्ठाइस हजार नौ सौ साठ रु0) कर दिया गया ? यदि हां तो उक्त वाहन मरम्मत के उपरान्त आजतक उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में वापस न पहुंचने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त वाहन को उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में वापस भेजने हेतु आदेश देते हुए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ की वाहन संख्या यू0 टी0 सी0 9719 दिनांक 14 अगस्त, 1984 को मरम्मत के लिए केन्द्रीय कार्यशाला अमौसी, लखनऊ में प्राप्त हुई थी। उक्त वाहन 3-9-1984 को मरम्मत हेतु प्राइवेट वर्कशाप मेसर्स रामा आटो केयर को भेजी गई। मरम्मत पर कुल रु0 28958.35 व्यय हुआ। फर्म को दिनांक 22-12-1984 को भुगतान किया गया।

उक्त वाहन में कुछ प्राविधिक खराबी पुनः आ गई थी जिसे बिना अतिरिक्त व्यय किये उक्त वर्कशाप से ठीक कराने के उपरान्त दिनांक 12-8-85 को वाहन उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में भेज दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों के चिकित्साधिकारी को दिया जाने वाला वेतन क्रम

45--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 21-1-78 से वेतनक्रम 550-1200 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है। यदि हां, तो अभी तक शासनादेश निर्गत न किये जाने के क्या कारण है ? उक्त शासनादेश किस तिथि तक जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

इस संबंध में वित्त विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है और उनकी अन्तिम सहमति मिलने पर ही आदेश जारी किये जायेंगे।

डा0 ए0 डी0 शर्मा, तत्कालीन प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली के विरुद्ध कार्यवाही

46--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 ए0 डी0 शर्मा, तत्कालीन, प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच वर्ष 1983 से अब तक की अवधि में कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, प्रारम्भिक जांच करायी गयी थी। डा0 शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोप होने के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और विभागीय जांच कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं।

विद्युत सेल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में, टेक्नोलोजिस्ट के पदों का सृजन एवं नियुक्ति

47--श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत विद्युत् सेल में टेक्नोलोजिस्ट (मैकेनिकल) का एक पद शासन द्वारा वर्ष 1975 में सृजित किया गया था तथा उक्त एक ही पद का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्ति को भरने के लिये किया गया था ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि वर्ष 1980 में उक्त पद के लिये लोक सेवा आयोग में हुए साक्षात्कार के समय तत्कालीन उप-निदेशक (विद्युत) द्वारा दो पदों को भरने की सीधी सस्तुति की गई थी व आयोग द्वारा तद्नुसार दो पदों को भरने हेतु अभ्यर्थियों के नाम भेजे गये तथा दो पदों पर नियुक्तियां कर दी गयीं? यदि हां, तो इसका क्या आधार था ? क्या मन्त्री जी टेक्नोलोजिस्ट मैकेनिकल के अनियमित रूप से बनाये गये दूसरे पद को समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। वर्ष 1976 में 5 पद टेक्नोलोजिस्ट के सृजित किये गये थे।

जी नहीं। उक्त 5 पदों के लिये अधियाचना लोक सेवा आयोग को भेजा गया था जिसमें उन पदों के ट्रेड का भी उल्लेख किया गया था।

जी नहीं। टेक्नालाजिस्ट के 2 पदों के लिये नहीं। वरन् 6 पदों के लिये विभागीय अभ्यर्थियों के नाम व विवरण आदि अग्रसारित किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ऐसा कोई पद अनियमित रूप से सृजित नहीं किया गया था।

टेक्नोलोजिस्ट (मैकेनिकल) के पद पर श्री शोक निवारण सिंह की तदर्थ नियुक्ति का औचित्य

48--श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1977 में टेक्नोलोजिस्ट (मैकेनिकल) के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के दिन तक श्री शोक निवारण सिंह को 5 वर्ष का पर्याप्त अनुभव नहीं था, जोकि उक्त पद के लिये डिप्लोमा के साथ अलग से होना अनिवार्य था ? तथा इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव में छूट प्रदान नहीं की गयी थी ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम अनुभव रखने पर श्री अशोक निवारण सिंह को नियुक्त करने का क्या औचित्य था जबकि अन्य पूर्ण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था ? क्या इसकी जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त चयन समिति ने श्री शोक निवारण सिंह को प्रश्नगत पद पर तदर्थ नियुक्ति के उपयुक्त पाया था ? केवल एक अन्य अभ्यर्थी और था, जिसकी नियुक्ति दूसरे पद पर कर दी गई थी।

अतएव जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में कथित जिला जेल परामर्शदात्री समिति

49--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला जेल परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से नहीं हुई है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

जनपद फर्रुखाबाद की जेल में इस नाम की कोई समिति नहीं है।

श्री महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह, निवासी शाहपुर, सुल्तानपुर का आजीवन कारावास

50--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह, निवासी शाहपुर, थाना चांदा, सुल्तानपुर को जिला सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के न्यायालय से वाद संख्या 8/71, दिनांक 4-5-72 को धारा 395, 396 के अन्तर्गत आजीवन कारावास हुआ था ? यदि हां, तो क्या मुल्जिम जेल में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

(1) महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह, पुत्र रामदेव ठाकुर, निवासी शाहपुर, थाना लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर को वाद संख्या 8/71 में धारा 395, 396 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अस्थायी सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के न्यायालय से दिनांक 3-4-72 को आजीवन कारावास का दण्ड प्राप्त हुआ था।

(2) जी नहीं।

(3) क्योंकि वह जमानत पर छूट चुका है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदैया, जनपद सुल्तानपुर में नियुक्त स्थानीय कर्मचारियों की संख्या, अवधि तथा स्थानान्तरण

51--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदैया, सुल्तानपुर में कितने कर्मचारी स्थानीय नियुक्त हैं तथा कितने वर्ष से कार्यरत हैं ? क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों को जो 10-15 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उनको अन्यत्र स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदैया, सुल्तानपुर में वर्तमान समय में कुल 8 स्थानीय कर्मचारी नियुक्त हैं। कर्मचारियों के नाम तथा उक्त केन्द्र पर उनकी तैनाती की तिथि निम्नवत है :--

कर्मचारी का नाम	तैनाती की तिथि
सर्वश्री--	
1--राजदेव यादव बेसिक हेल्थ वर्कर।	21-1-67
2--वी0 पी0 मिश्रा परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक।	1-6-78
3--हसमत उल्ला फार्मेसिस्ट।	2-7-78
4--वी0 एम0 मिश्रा बेसिक हेल्थ वर्कर।	1-11-80
5--ओंकार नाथ उपाध्याय वरिष्ठ लिपिक।	7-2-80
6--कृपा शंकर श्रीवास्तव परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक।	2-6-81
7--बी0 बी0 सिंह परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक।	27-7-84
8--श्रीमती शिवपति देवी ए0 एन0 एम0।	1-7-82

ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है।

जिला खाद्य परामर्श दात्री समिति, फर्रुखाबाद की बैठकें

52--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या खाद्य मंत्री एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से नहीं हुई है ? इसके कारण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनपद फर्रुखाबाद में जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति की बैठक पिछली बार 9 जुलाई, 1985 को सम्पन्न हुई। ये बैठकें त्रैमासिक होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

53--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[8वें गुरुवार के लिये स्थगित]

संस्थापक एवं महासचेतक, आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा, उ0 प्र0, लखनऊ के कथित पत्र पर कार्यवाही

54--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थापक एवं महासचेतक, आजाद हिन्द क्रांतिकारी मोर्चा, उ0 प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 3-7-85 को शासन को प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण नीति का असमान रूप से पालन होने के प्रति आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जानकारी शासन को दी गयी है और स्थानान्तरण की नीति का अतिक्रमणकारी कर्मचारी को तत्काल स्थानान्तरित करने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी स्थानान्तरण नीति से प्रभावित डाक्टरों के स्थानान्तरण पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, कथित पत्र प्राप्त हुआ है ।

वार्षिक स्थानान्तरण विभागीय नीति के अनुसार हुए हैं । अतः अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री आर0 प्रसाद, उप निदेशक रामगंगा परियोजना, कानपुर की पदोन्नति

55--श्री राधेश्याम--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि सेवा में शासनादेशों के अन्तर्गत स्थायीकरण एवं पदोन्नतियों में आरक्षण नीति अपनाई जा रही है ? यदि हां, तो श्री आर0 प्रसाद, उप निदेशक राम गंगा परियोजना, कानपुर की पदोन्नति अब तक क्यों नहीं हुई है ? जबकि श्री प्रसाद कृषि सेवा में प्रदेश में वरिष्ठता में द्वितीय और श्रेष्ठता में प्रथम स्थान पर आते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

श्री आर0 प्रसाद नियमानुसार संयुक्त कृषि निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्रता-क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

श्री प्रसाद की श्रेणी-1 में अभी तक वरिष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा शासनादेश का पालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

56--श्री भगौती सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 1601/चिकित्सा-चार-1074-73, दिनांक 25 जून, 1976 के प्रश्न-6 के अनुसार परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जिला सुपरवाइजरी फील्ड स्टाफ को सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के नियन्त्रण में रखने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में मु0 चि0 अ0 बाराबंकी को दिनांक 11-2-82 को राज्य परिवार कल्याण अधिकारी ने उक्त शासनादेश को कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश का जनपद बाराबंकी में क्यों नहीं पालन हो रहा है ? क्या पालन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी ने अपने पत्र दिनांक 11-2-85 में निदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश से शासनादेश दिनांक 25-6-1976 तथा निदेशक, परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 11-2-1982 के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहे थे, जिन्हें स्पष्ट करते हुये शासनादेश दिनांक 25-6-76 का पालन करने के निर्देश निदेशक द्वारा दिनांक 2-9-1985 को पुनः जारी कर दिये गये है । तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी का स्थानान्तरण जुलाई, 1985 में अन्यत्र हो गया है अतः अब शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

57--श्री काशी सिंह ऐरी--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

कार्यवाहक कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि वि0 वि0 फैजाबाद के विरुद्ध दायर याचिकायें एवं मुकदमों पर कुल व्यय

58—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत नरेन्द्र देव कृषि वि0 वि0, फैजाबाद में कितने व्यक्तियों ने कार्यवाहक कुलपति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर किये हैं उन व्यक्तियों का पूर्ण विवरण क्या है? अब तक वि0 वि0 ने सभी मुकदमों पर कुल कितना धन खर्च किया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वांछित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर)

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कार्यवाहक कुलपति द्वारा प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों की नियुक्तियां

59—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 मई, 84 को जारी किये गये अध्यादेश जिसके तहत डीन को कुलपति के डियूटीज करने का चार्ज मिला है की अवधि समाप्त होने पर भी कार्यवाहक कुलपति को वेतनमान रु0 1500-2500 में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों की नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है जबकि कार्यवाहक कुलपति स्वयं के वेतनमान रु0 1500-2500 में कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कार्यवाहक कुलपति अनाधिकृत रूप से मास स्केल पर नियुक्तियां कैसे कर रहे हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) दिनांक 7 मई, 1984 को कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। वास्तव में उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में संशोधन के अभिप्राय से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1984 अधिसूचना संख्या: 632/17-वी 1-2(क)-2-1984 दिनांक 24 मार्च, 1984, द्वारा जारी किया गया था तथा उक्त अध्यादेश समय-समय पर पुन: प्रख्यापित किया जाता रहा है। उक्त अध्यादेश 22 अगस्त, 1985 को व्यपगत हो गया है।

(2) तत्कालीन कुलपति श्री गुलाम हुसैन दिनांक 6 मई, 1984 से अवकाश पर गये और अवकाश के ही क्रम में दिनांक 2 अगस्त, 1984 से उन्होंने पद त्याग किया।

(3) श्री गुलाम हुसैन के उपर्युक्त अवकाश/पद त्याग के कारण हुई रिक्ति में, महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति ने, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में पूर्वोक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 11 (7) के अधीन, डा0 कीर्ति सिंह, डीन, कालेज आफ एग्रीकल्चरल, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद को कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आदेश दिये।

(4) पूर्वोक्त संशोधित धारा 11 (7) में उसके अधीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति अवधि का कोई उल्लेख नहीं है। अब उक्त अध्यादेश दिनांक 22 अगस्त, 1985 को व्यपगत हो गया है और उसके परिणाम स्वरूप डा0 कीर्ति सिंह, की संशोधित धारा 11(7) के अधीन की गयी नियुक्ति समाप्त हो गई है। किन्तु कुलाधिपति महोदय ने डा0 कीर्ति सिंह को अब दिनांक 22 अगस्त, 1985 से ही मूल अधिनियम की धारा 11 (6) के अधीन 6 मास के लिये अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, कुलपति नियुक्त किया है।

(5) कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान कार्यवाहक कुलपति से उन सभी कार्यों के सम्पादन की अपेक्षा की जाती है जो नियमित रूप से नियुक्त कुलपति द्वारा किये जाते हैं।

(6) कुलपति के कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई नियुक्तियां अनधिकृत नहीं कही जा सकती।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कार्यवाहक कुलपति का कार्यकाल

60—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में कार्यवाहक कुलपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है ? क्या वह 5 वर्षों तक नियमित नियुक्त कुलपति की भांति कार्य कर सकता है ? क्या इसके लिये कोई नियम बना है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 (7) के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि जब कुलपति के पद की रिक्ति धारा 11 (6) के अन्तर्गत नहीं भर दी जाती, अथवा, जब तक कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति न कर दें, तब तक कुल सचिव कुलपति के पद का कार्य देखेंगे। धारा 11 (7) के अन्तर्गत समय का कोई बंधन नहीं है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) सपठित उपधारा (2) एवं (3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये होती है तथा कोई भी व्यक्ति तीन टर्म से अधिक कुलपति नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(3) पूर्वोक्त धारा 11(6) के अन्तर्गत कुलपति की नियुक्ति की अवधि एक बार में 6 माह तक के लिये और कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती।

(4) मूल अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 11 (7) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश द्वारा संशोधित हुई थी और यह प्राविधान किया गया था कि कुलाधिपति प्रोवाइस चांसलर को, या जहां प्रोवाइस चांसलर न हों वहां, ज्येष्ठतम डीन को कुलपति के पद के कार्य को देखने के लिये निदेशित कर सकते हैं। यह अध्यादेश दिनांक 22 अगस्त, 1985 को व्यपगत हो गया है।

मृदा परीक्षण के दरों में कथित बढ़ोत्तरी

61—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या कृषिमंत्री कृपया बतायेंगे कि मृदा परीक्षण की फीस 50 पैसे से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 84 से 1 रुपया कर दी गई है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसान पर भार बढ़ेगा तो सरकार पुनर्विचार करके दर पुनः 50 पैसे करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय आयु0 चिकित्सालय ग्राम नगला चूरा (चंदवार), जनपद आगरा के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन

62—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में ग्राम नगला चूरा (चन्दवार) में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय का भवन निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ ? क्या भवन निर्माण की धनराशि स्वीकृत है। यदि हां, तो उसके उपयोग न करने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान में इस प्रकार के चिकित्सालयों के भवन-निर्माण का विषय जिला सेक्टर के अधीन है। संबंधित जिले की जिलानियोजन एवं अनुश्रवण समिति ही उनके लिये धन की व्यवस्था करती है। रा0 आयु0 चिकित्सालय ग्राम नगला चूरा (चंदवार) जनपद आगरा के निर्माण के लिये वहां की उक्त समिति द्वारा जिला सेक्टर के अन्तर्गत अभी तक किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई जिसके फलस्वरूप उक्त चिकित्सालय के भवन का निर्माण नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के छात्रों को छात्रवृत्ति

63—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों का बी0 एस-सी0 कृषि का परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में वर्ष 84–85 में एम-एस0 सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश छात्रों ने लिया जिसके फलस्वरूप वर्ष 83–84 खाली चला गया ? यदि हां, तो क्या छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं स्थिति यह है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की वर्ष 1982–83 की बी0 एस-सी0 (कृषि) परीक्षा दिनांक 9–9–83 को समाप्त हुई, परीक्षाफल दिनांक 26–9–83 को घोषित हुआ और एम0 एस-सी0 (ए0जी0) में प्रवेश दिनांक 18–10–83 को हो गया। इस प्रकार यद्यपि वर्ष 1983–84 का एम0 एस-सी0 (ए0जी0) का सत्र कुछ देर से अवश्य प्रारम्भ हुआ परन्तु वह खाली नहीं गया। परवर्ती सत्र अर्थात 1984–85 में एम0 एस-सी0 (ए0जी0) में प्रवेश दिनांक 31–7–84 को हुआ। पात्र-छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

समय-समय पर देयता के अनुसार छात्र-वृत्ति दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा संगठन, लखनऊ द्वारा सेक्टर वार्डनों की ट्रेनिंग

64—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा संगठन, लखनऊ के माध्यम से बख्शी तालाब, लखनऊ में स्थित ट्रेनिंग सेन्टर में लखनऊ के सभी डिवीजनों के सेक्टर वार्डनों को ट्रेनिंग दी जाती है। यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 83–84 एवं 84–85 में प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी बार ट्रेनिंग दी गयी ? क्या 10 प्रखंड हजरतगंज, लखनऊ स्थित सेक्टर वार्डनों को भी वित्तीय वर्ष 83–84 तथा 84–85 में बुलाया गया ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी उक्त विषय से संबंधित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जी नहीं।

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रत्येक नागरिक सुरक्षा नगर में एक लाख की जन संख्या पर दो पूर्ण कालिक प्रशिक्षक नियुक्त है जिनके द्वारा सेक्टर वार्डनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पर्याप्त है। उन्हें नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बख्शी-का-तालाब में प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य नहीं है।

बख्शी का तालाब स्थित नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्वतंत्र रुप से कार्य करता है। यह प्रशिक्षण केन्द्र न तो किसी संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण देता है और न किसी नगर विशेष के ही वार्डनों को प्रशिक्षण देता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा संगठन दिवस मनाने पर हुआ व्यय तथा उपस्थित व्यक्ति

65—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा संगठन, लखनऊ के द्वारा वित्तीय वर्ष 83-84 एवं 84-85 में प्रति वर्ष किस माह में नागरिक सुरक्षा संगठन दिवस मनाया गया और उक्त दिवस मनाने पर प्रमुख कौन-कौन अधिकारी व माननीय मन्त्रीगण उपस्थित थे ? नागरिक सुरक्षा संगठन दिवस के दिन किस-किस प्रकार का अनुदान स्वीकृत हुआ है और उन मदों पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

यह दिवस माह दिसम्बर में मनाया गया।

वर्ष 1983–84 में नागरिक सुरक्षा दिवस पर तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री, मुख्य अतिथि थे, और गृह सचिव तथा वायु सेनाके विंग कमांडर उपस्थित व्यक्तियों में प्रमुख थे।

वर्ष 1984–85 में उक्त दिवस पर मुख्य अतिथि जिला मजिस्ट्रेट एवं नियन्त्रक नागरिक, सुरक्षा लखनऊ थे। अभ्यागतों की सूची न रक्खे जाने के कारण उपस्थित हुए प्रमुख नागरिकों के नाम बताया जाना सम्भव नहीं है।

नागरिक सुरक्षा दिवस के उपलक्ष में वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में प्रत्येक वर्ष रु0 500 का अनुदान होम गार्ड विभाग से प्राप्त हुआ था तथा शेष व्यय नागरिक सुरक्षा विभाग के बजट से किया गया।

वर्ष 1983–84 में रु0 2113.30 पैसे तथा वर्ष 1984–85 में रु0 3,467.05 पैसे का व्यय हुआ था। **खाद्य तथा रसद विभाग की आपूर्ति शाखा के अन्तर्गत आरक्षित राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का कोटा, तथा रिक्त पद**

66---श्री गया प्रसाद वर्मा---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति शाखा के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, प्रधान लिपिक ज्येष्ठ लेखा लिपिक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्पूर्ण पदों के विरुद्ध शासन की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये कितने पद हैं और कितने पदों पर इन जातियों के कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसके वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को अभी तक प्रोन्नतियों/नियुक्तियों द्वारा पूरा न भरने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह---

शासन की आरक्षण नीति के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के सम्पूर्ण संवर्ग में अनुसूचित जाति के लिये क्रमशः 11 तथा 15 पद तथा अनुसूचित जनजाति के लिये क्रमशः 1 व 2 पद हैं। इनके विरुद्ध अनुसूचित जाति के क्रमशः 12 तथा 11 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी उक्त दोनों संवर्गों में कार्यरत नहीं है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के संवर्ग में अनुसूचित जाति के 4 पदों को लोक सेवा आयोग में अधियाचन लम्बित होने के कारण नहीं भरा जा सका है। आयोग से संस्तुतियां प्राप्त होने पर नियुक्तियां की जावेगी।

वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक आदि अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

67---चौधरी महराज सिंह---

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)।

नागरिक चिकित्सालय रानी खेत में शैय्याओं को बढ़ाने, चिकित्सकों की व्यवस्था एवं डाक्टर कर्मचारियों के आवास भवन के निर्माण की मांग

68---श्री पूरन सिंह---

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत नागरिक चिकित्सालय जो लगभग 4 लाख लोगों की तहसील का मुख्य चिकित्सालय है, का स्तर बढ़ाकर 200 शैय्याओं का किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या उपरोक्त चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था भी की जावेगी तथा महिला चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

69---श्री पूरन सिंह---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों के लिये आवास भवन

निर्माण के लिये सरकार ने रुपया प्रदान किया है ? यदि हां, तो आवास भवन बनकर कब तक तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में महिला डाक्टर की नियुक्ति

70---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील डुमरियागंज में महिला चिकित्सालय पर लगभग 12 वर्षों से शासन से बार-बार लिखित एवं मौखिक निवेदन करने के पश्चात् भी किसी महिला डाक्टर की नियुक्ति न किये जाने का कारण क्या है तथा कब तक नियुक्ति की जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं । स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आदेश दिनांक 20--8--1985 द्वारा उक्त चिकित्सालय में एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दी गयी है ।

71---श्री किशन लाल दिलेर---

[65 शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

फर्म गोपाल दास कल्याण चन्द कोतवाली रोड, मथुरा द्वारा मिट्टी के तेल के लाईसेंस का सरेन्डर

72---श्री राम सागर---

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, 85 में फर्म गोपाल दास कल्याण चन्द कोतवाली रोड, मथुरा ने अपनी मिट्टी के तेल के लाइसेन्स को कुछ समय के लिए उस समय सरेंडर किया था जब जिला प्रशासन तेल फर्मों पर छापा मार रहा था ? यदि हां, तो उ0प्र0 मिट्टी का तेल नियन्त्रण आदेश के किस प्राविधान के तहत जिलाधिकारी, मथुरा ने उक्त सरेन्डर को कुछ समय के लिये स्वीकार कर लिया था ? क्या सरकार दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह---

जी नहीं । जिला प्रशासन द्वारा जनपद के कतिपय मिट्टी तेल थोक एजेन्टों के यहां दिनांक 26--3--1985 को छापे मारे गये थे और मेसर्स गोपाल दास कल्याण चन्द्र, मिट्टी तेल थोक विक्रेता द्वारा दिनांक 1-4-1985 को जिलाधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया गया कि वह कुछ परिस्थितियोंवश दिनांक 1--4--1985 से कुछ समय के लिये मिट्टी तेल का कार्य करने में असमर्थ हैं और साथ ही प्रार्थना-पत्र के साथ उन्होंने अपना लाइसेन्स भी समर्पित कर दिया । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1962 में कोई स्पष्ट प्राविधान न होने के कारण जिलाधिकारी, मथुरा ने अपने विवेकानुसार उक्त प्रार्थना-पत्र पर विचार करके कार्यवाही की । अतः दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जमुनाबाद कृषि फार्म के प्रबन्धक श्री नामवार सिंह के विरुद्ध कार्यवाही

73---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि जमुनाबाद कृषि फार्म पर तैनात करते हुए प्रबन्धक श्री नामवार सिंह के कार्यकाल में 10 लाख रुपये से भी अधिक की क्षति होते हुए उनका अदेय प्रमाण-पत्र क्यों जारी नहीं किया गया है और उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

अदेय प्रमाण-पत्र किन परिस्थितियों में जारी किया गया इसके लिये उत्तर दायित्व निर्धारित कराया जा रहा है । श्री सिंह के विरुद्ध रु020,66,544.80 पैसे की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ है ।

राजकीय कृषि फार्म रामकोट तथा कृषि बीज भण्डार, डालीगंज में अनियमितताओं के कारण श्री परशु राम सिंह का निलम्बन

74--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कृषि फार्म रामकोट तथा उससे पूर्व बीज भंडार डालीगंज पर रह कर जो कई लाख रुपये की वित्तीय क्षतियां एवं अनियमिततायें श्री परशुराम सिंह प्रभारी ने की है क्या उन्हें निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो बहाल करने का कारण क्या था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह --

श्री परशुराम सिंह के राजकीय प्रक्षेत्र रामकोट जनपद सीतापुर तथा कृषि बीज भंडार डालीगंज, जनपद लखनऊ के कार्यकाल की मु0 57958.68 रु0 की क्षतियां प्रकाश में आने के कारण उप कृषि निदेशक, लखनऊ के आदेश दिनांक 2-5-84 द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया था। प्रस्तावित आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु कृषि निदेशक द्वारा श्री सिंह का निलम्बन समाप्त किया गया था।

श्री तारासिंह, तत्कालीन कृषि अधिकारी एटा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

75--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अधिकारी, एटा में 10 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य के मूंग क्रय घोटाले में निलम्बित हुए ? यदि हां, तो मामले चलते रहने पर भी नियमों के विरुद्ध उन्हें प्रोविजनल बहाल करके, जब हरदोई में जिला कृषि अधिकारी बनाया गया तो वहां पर अनेकों लाख रुपये के गबन की चार्जशीट उनके विरुद्ध थी ? क्या यह सही है कि उसी अधिकारी ने जो अब जिला कृषि अधिकारी कानपुर के पद पर है, अनेकों गम्भीर अनियमिततायें की हैं। यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री तारा सिंह, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, एटा को एटा के कार्यकाल में मूंग की खरीददारी में हुई अनियमितताओं के लिये शासनादेश दिनांक 9-9-78 द्वारा निलम्बित किया गया था।

शासनादेश दिनांक 20-6-79 द्वारा उन्हें सेवा में पुनः स्थापित किया गया तथा निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनों के लिये कार्य पर व्यतीत माना गया। श्री सिंह को मूंग में हुई क्षति से रु0 1,74,300.98 के लिए आरोपित किया गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है। हरदोई जनपद में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति का मामला शासन के विचाराधीन है।

कुछ शिकायतें आई हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

76--श्री शारदानन्द अंचल--

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]।

जनपद अगरा में कीटनाशक दवाओं के अनुदान वितरण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

77--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 84-85 में राई, सरसों पर कीटनाशक दवाओं के अनुदान वितरण में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में गम्भीर शिकायतें आगरा जनपद के विधायकों ने की थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जांच हो रही।

कृषि उत्पादम मण्डी समिति स्याना द्वारा निर्मित सठला से ड्रकलैड़ी खड़ंजा निर्माण को पक्का कराने की मांग

78--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति स्याना (बुलन्दशहर) के द्वारा सठला से ड्रकलैड़ी खड़ंजा निर्माण हुआ है और उसकी देखरेख कौन

विभाग कर रहा है और उसको पक्का कराने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

स्याना मण्डी समिति के अन्तर्गत सठला वलीपुर से डकलैंडी मार्ग पर 4.50 कि0मी0 खड़ंजा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इस प्रकार निर्मित सड़कों में मण्डी समिति का वित्तीय योगदान केवल 20 प्रतिशत है, शेष धनराशि शासन द्वारा दी गयी है।

अभी तक इन सड़कों के रख-रखाव या पक्का करने के बारे में कोई नीति निर्धारित नहीं। जैसी नीति निर्धारित होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

जनपद बुलन्दशहर के भवन बहादुर नगर में उप मण्डी स्थल का निर्माण एवं व्यय

79--श्री त्रिलोक चन्द--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति स्याना, जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत भवन बहादुर नगर में उप यार्ड स्थल का निर्माण हुआ है, उस पर कितना धन व्यय हुआ है ? वह मण्डी स्थल चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां। भवन बहादुर नगर उपमण्डी स्थल का निर्माण हो चुका है और निर्माण कार्य पर रु0 3.53 लाख व्यय हुआ है। निर्मित स्थल में नीलामी चबूतरे पर शेड न होने के कारण मण्डी स्थल अभी चालू नहीं है। मण्डी समिति की मांग पर अब शेड बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

भूमि संरक्षण विभाग, जनपद सीतापुर द्वारा पक्के तालाब के निर्माण की योजना

80--श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पक्के तालाब बनवाने की योजना है? यदि हां, तो यह कहां-कहां बन रहे हैं ? यदि नहीं, तो विकास क्षेत्र पिसावां के छहेलिया ग्राम में तालाब किस योजना के अन्तर्गत बनाया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जनपद सीतापुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पक्के तालाब बनाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र पिसावां में छहेलिया ग्राम मे कोई पक्का तालाब विभागीय योजना के अन्तर्गत नहीं बनाया जा रहा है।

जनपद मिर्जापुर के चील्ह थानान्तर्गत कथित स्वास्थ्य विभाग के वाहन से हुई नवयुवक की मृत्यु की जांच

81--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की जीप संख्या यू0एस0 एस0 8423 से दिनांक 23-6-85 को मिर्जापुर जनपद के चील्ह थानान्तर्गत बारात से आते समय मुख्य सड़क से दूर बायीं ओर की पटरी पर एक नवयुवक को कुचलते हुए भाग निकली, जिससे उस युवक की मृत्यु हो गयी यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उसके परिवार को क्षतिपूर्ति देने पर विचार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

थाना चील्ह, जिला मिर्जापुर में लिखाई गई एफ0 आई0 आर0 के अनुसार दिनांक 23 जून, 1985 को एक वाहन से दुर्घटनावश एक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। एफ0आई0 आर0 में वाहन की पंजीकरण संख्या यू0 एस0एस0 8423 लिखाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर के कथनानुसार वाहन संख्या यू0 एस0 एस0 8423 दिनांक 7-4-85 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोवायां, जिला शाहजहांपुर में खराब पड़ी हुई थी तथा दिनांक 23-6-85 को भी गाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुवायां, जनपद शाहजहांपुर

में खड़ी थी। यह गाड़ी 31-12-84 को निष्प्रयोज्य भी घोषित की जा चुकी है।

पुलिस द्वारा उक्त दुर्घटना की जांच जारी है।

उक्त गाड़ी का दुर्घटना से संबंध स्थापित होने पर ही नियमानुसार क्षतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

82--श्री राजकिशोर सिंह--

(8वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 103 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित)।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हेतु चिकित्सा अनुभाग 15 के गठन का उद्देश्य

83--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हेतु शासन स्तर पर स्वतन्त्र चिकित्सा अनुभाग-15 के गठन का क्या उद्देश्य था ? क्या यह सच है कि अनुभाग अधिकारी की अकर्मण्यता अयोग्यता आदि के कारण अनुभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतया विफल है ? यदि हां, तो ऐसे अनुभाग अधिकारी को तत्काल स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहले आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित कार्य सचिवालय के चिकित्सा अनुभाग-9 में निष्पादित होता था। दोनों पद्धतियों का कार्य अत्यधिक बढ़ जाने के कारण प्रशासनिक सुधार विभाग से कार्य अध्ययन के उपरान्त चिकित्सा अनुभाग-9 का विभाजन करके दिनांक 6-2-85 को होम्योपैथिक चिकित्सा संबंधी कार्य के लिये चिकित्सा अनुभाग-15 का गठन किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

84--श्री सरदार सिंह-

(दिनांक 1-8-85 को अता0 प्र0 सं0 61 द्वारा उत्तरित)।

जिला कारागार, हरदोई के कतिपय वर्षों में आवंटित की गयी धनराशि, व्यय एवं आडिट का विवरण

85--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार हरदोई को वित्तीय वर्ष 1983-84 में सरकार द्वारा कितना धन किस-किस रूप में दिया गया एवं उसे किस मद में खर्च किया गया तथा इसका आडिट हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आपत्तियां लगाई गयीं ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

वर्ष 1983-84 में निम्नांकित धनराशि नीचे दी गयी मदों पर व्यय के लिये आवंटित की गई और उसके समक्ष दर्शायी गई राशि का व्यय हुआ :

मद	आवंटित राशि (हजार रु0)	व्यय की गई राशि (हजार रु0)
1-वेतन	665.85	665.84
2-महंगाई भत्ता	277.00	277.00
3-यात्रा व्यय	12.95	12.95
4-अन्य भत्ते	20.21	20.21
5-कार्यालय व्यय	6.00	6.00
6-टेलीफोन	4.00	4.00
7-निर्माण अनुरक्षण	43.89	43.89
8-मशीन/सज्जा/उपकरण	2.00	2.00
9-माल एवं सम्पूर्ति	32.00	32.00
10-अन्य व्यय	986.68	986.68

आडिट नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठत।

86--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार हरदोई को वित्तीय वर्ष 1980-81 में सरकार द्वारा कितना धन किस-किस रूप में दिया गया एवं उसे किस-किस मद में खर्च किया गया तथा इसका आडिट हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आपत्तियां लगाई गयीं ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

वर्ष 1980-81 में निम्नांकित धनराशि नीचे दी गयी मदों पर व्यय के लिये आवंटित की गई और उसके समक्ष दर्शायी गयी राशि का व्यय हुआ:

मद	आवंटित राशि (हजार रु0)	व्यय की गयी राशि (हजार रु0)
1--वेतन	207.69	207.69
2--महंगाई भत्ता	176.88	176.88
3--यात्रा भत्ता	11.52	11.52
4--अन्य भत्ते	27.43	27.43
5--कार्यालय व्यय	8.00	8.00
6--टेलीफोन	3.00	3.00
7--निर्माण अनुरक्षण	109.64	109.64
8--मशीन/सज्जा/उपकरण	3.00	3.00
9--माल एवं सम्पूर्ति	23.00	22.00
10--अन्य व्यय	992.50	992.50

हां, इसका आडिट हुआ है।

सरसों के तेल, चूने, कीट नाशक दवाओं, सीमेन्ट दाम मापक, उर्द के क्रय में अनियमित व्यय करने तथा खाली बोरी, लकड़ी व आलू की क्षति के सम्बन्ध में आपत्तियां की गयी हैं। भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के वास्तविक उपयोग के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गयी।

87--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार हरदोई को वित्तीय वर्ष 1978-79 में सरकार द्वारा कितना धन किस-किस रूप में दिया गया एवं उसे किस-किस मद में खर्च किया गया तथा इसका आडिट हुआ, यदि हां ? तो उसमें क्या-क्या आपत्तियां लगाई गयीं ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

वर्ष 78-79 में निम्नांकित धनराशि नीचे दी गयी मदों पर व्यय के लिये आवंटित की गई और उसके समक्ष दर्शायी गई राशि का व्यय हुआ:

मद	आवंटित राशि (हजार रु0)	व्यय की गयी राशि (हजार रु0)
1--वेतन	210.17	210.17
2--महंगाई भत्ता	124.04	124.04
3--यात्रा भत्ता	13.03	13.03
4--अन्य भत्ते	11.66	11.66
5--कार्यालय व्यय	9.50	9.50
6--टेलीफोन	2.80	2.80
7--निर्माण/अनुरक्षण	22.00	21.45
8--मशीन/सज्जा/उपकरण	3.00	3.00
9--माल एवं सम्पूर्ति	5.00	5.00
10--अन्य व्यय	701.00	701.00

हां आडिट हुआ।

इसमें रंगीन सूत की कमी, कीटनाशक दवाओं, फ्लश लाईट, उर्द तथा विविध सामानों के क्रय में अनियमित व्यय करने तथा बिना आगणन निर्माण कार्य कराये जाने व ए0 ए0 सी0 शीट के क्रय में हुई हानि के संबंध में आपत्तियां की गयी हैं।

88---कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, हरदोई को वित्तीय वर्ष 1979-80 में सरकार द्वारा कितना धन किस-किस रूप में दिया गया एवं उसे किस-किस मद में खर्च किया गया तथा इसका आडिट हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या आपत्तियां लगाई गयी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव---

वर्ष 1979--80 में निम्नांकित धनराशि नीचे दी गई मदों पर व्यय के लिये आवंटित की गयी और उसके समक्ष दर्शायी गई राशि का व्यय हुआ :

मद	आवंटित राशि (हजार रु0)	व्यय की गयी राशि (हजार रु0)
1----वेतन	201.76	201.76
2----महंगाई भत्ता	133.97	133.97
3--यात्रा भत्ता	7.22	7.22
4--अन्य भत्ते	3.82	3.82
5--कार्यालय व्यय	5.00	5.00
6---टेलीफोन	1.70	1.70
7--निर्माण/ अनुरक्षण	51.39	51.39
8---मशीन/ सज्जा/ उपकरण	1.00	1.00
9 --माल एवं सम्पूर्ति	9.50	9.50
10--अन्य व्यय	735.50	735.50

हां आडिट हुआ।

इसमें सरसों के तेल, चूने, कीट नाशक दवाओं व विविध सामान के क्रय में अनियमित व्यय करने, लकड़ी की क्षति तथा बिना स्वीकृति प्राप्त किये निर्माण कार्य कराने के संबंध में आपत्तियां की गयी हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा तथा अधीनस्थ कृषि सेवा में अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पद

89---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा----

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा एवं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के सभी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की 30-6-85 के कितने पद रिक्त पड़े हैं, उनको न भरने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

दिनांक 30-6-1985 को उत्तर प्रदेश कृषि सेवा तथा अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग में निम्न विवरण के अनुसार पद रिक्त हैं:--

श्रेणी---1	42
श्रेणी---2	140
वर्ग---1	103
वर्ग---2	161
वर्ग---3 (क)	150
(ख)	80

श्रेणी---1 तथा 2 की ज्येष्ठता सूची अंतिम न होने तथा न्यायालयों में याचिकाओं के लम्बित होने के कारण पदों को भरा नहीं जा सका है। शेष शीघ्र ही भरे जा रहे हैं।

कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2, उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के विरुद्ध की गयी जांच

90---कुंवर मानवेन्द्र सिंह----

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2

के विरुद्ध शासन द्वारा दो विभागीय अधिकारियों से अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामलों की कराई गयी जांच में क्या उन्हें दोषी पाया गया है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां। अभी प्रारम्भिक जांच की गई है। विस्तृत जांच होना शेष है।

चूंकि अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जनपद में लेप्रोसी अधिकारी डा0 बी0 पी0 सिंह के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

91--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला लेप्रोसी अधिकारी (नवसृजित पद) डा0 बी0 पी0 सिंह कितने वर्षों से किन-किन पदों, स्थानों पर उन्नाव जनपद में ही कार्यरत रहे हैं? यह प्रभारी चिकित्साधिकारी (सी0 एम0 एस0 डी0) स्टोर के पद पर भी विगत तीन वर्षों से अभी तक कार्यरत हैं। यदि हां, तो क्यों? फर्जी भुगतान सब स्टैण्डर्ड दवाओं की खरीद की इनके विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डाक्टर बी0 पी0 सिंह जिला लेप्रोसी अधिकारी, जनपद उन्नाव में वर्ष 1979 से दिनांक 17-8-85 तक निम्नलिखित पदों व स्थानों पर कार्यरत रहे--

पदनाम	स्थान
1-प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	दो बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औरास में तथा राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय, मेहरबान खेड़ा
2-चिकित्सा अधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंज मुरादाबाद
3-सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	मुख्यालय उन्नाव
4-जिला लेप्रोसी अधिकारी	मुख्यालय, उन्नाव
5-चिकित्सा अधिकारी (सी0 एम0 एस0 डी0) स्टोर	मुख्यालय दिनांक 19-4-83 से 17-8-85 तक

दिनांक 17-8-85 को ही इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, हरदोई का स्थानान्तरण तथा उनके विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

92--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

विधान सभा में दिनांक 1-8-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 11 व 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्नगत श्री अवस्थी के स्थानान्तरण आदेश को कार्यान्वित कर स्थानान्तरित करके हरदोई से कार्य मुक्त करेंगे? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

जी हां।

चार माह अर्थात् 31-10-1985 के बाद।

93--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या कारागार मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इनका स्थानान्तरण आदेश किस स्तर से किया गया और किसके आदेश पर स्थानान्तरण किया गया? क्या इनके स्थानान्तरण आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

श्री एस0 डी0 अवस्थी का स्थानान्तरण आदेश कारागार महानिरीक्षक स्तर से जारी किया गया और उन्हीं के स्तर से स्थगित किया गया। जी हां। स्थानान्तरण आदेश की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 179-184 पर)

94--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

विधान सभा में उत्तरित दिनांक 1-8-85 को अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के सन्दर्भ में क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किसके द्वारा की जा रही है तथा जांच रिपोर्ट/अन्तरिम जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मन्त्री जी प्रत्येक बिन्दु पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

जांच उप कारागार महानिरीक्षक, कानपुर क्षेत्र से करायी जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

जी हां, यथा समय।

95--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

विधान सभा में दिनांक 1-8-85 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से प्रशासनिक कारण थे कि श्री अवस्थी का स्थानान्तरण इतनी लम्बी अवधि तक (9 वर्ष) तक नहीं किया गया ? क्या मन्त्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबीर सिंह यादव--

अक्टूबर/नवम्बर, 1981 में हुई जेल हड़ताल से उत्पन्न स्थिति।

विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 185 पर)

मलेरिया विभाग बस्ती में लेबोरेटरी असिस्टेन्ट की ट्रेनिंग

96--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मलेरिया विभाग में लेबोरेटरी असिस्टेट की ट्रेनिंग माह मार्च, 1985 ई0 में कितने लड़कों को कराई गयी ? क्या बस्ती की भांति अन्य जिलों में लेबोरेटरी असिस्टेन्ट की ट्रेनिंग का आदेश स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ द्वारा भेजा गया है ? यदि नहीं, तो बस्ती में किस आधार पर ट्रेनिंग करवायी गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती ने प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 7 पदों पर चयन कर जिला स्तर पर ट्रेनिंग कराई। ये पद मलेरिया कार्यक्रम के नहीं हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा इस ट्रेनिंग के आदेश नहीं दिये गए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी उन नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।

जनपद पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति

97--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ (विशेषकर तह0 चम्पावत के तामली क्षेत्र मुनावारी धारचूला) चमोली तथा उत्तरकाशी के सीमान्त क्षेत्रों में नमक तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं अत्यन्त ही महंगी (नमक 5 रुपए से 8 रुपए प्रति किलो तक) है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां न्यूनतम आवश्यक उपभोक्ता सहकारी संघ दुकानों द्वारा उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

सीमान्त जनपदों के जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रत्येक जनपद में नमक के भाव निम्न प्रकार हैं :--

जनपद का नाम	नमक के भाव प्रति किलो ग्राम न्यूनतम	अधिकतम
	पैसे	पैसे
1-चमोली	0.60	1.20
2-उत्तरकाशी	0.69	0.85
3-पिथौरागढ़	0.50	1.35

सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में पैदल वाहन पर नमक का ढुलान होने पर नमक की दरें कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने यह भी सूचित किया है कि उनके जनपद में उपभोक्ता वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा निर्धारित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुनस्यारी एवं धारचूला में नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुएं विक्रय करने हेतु जिला सहकारी उपभोक्ता एवं क्रय-विक्रय संघ, पिथौरागढ़ की दो शाखायें स्थान थल व धारचूला में स्थापित करना प्रस्तावित है।

98—श्री सुखपाल पाण्डे—

(8वें गुरुवार के लिये स्थगित)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष——

[समय 12 बजकर 21 मिनट]

मद संख्या 3, 4, 5 सब एक साथ ले रहा हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज का दिन, उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए तय किया गया है। नियमानुसार नाम-निर्देशन पत्र 4 सितम्बर, 1985 को मध्यान्ह के पूर्व आ जाने चाहिये, किन्तु 4 सितम्बर, 1985 को पारित प्रस्ताव के अनुसार नाम निर्देशन पत्र देने की अवधि को 4 सितम्बर, 1985 को, चार बजे तक बढ़ा दिया गया था उसमें जो वैध नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है ——

माननीय कौशिक रमाशंकर जी का नाम निर्देशित किया गया है। इनके प्रस्तावक कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री काजी कलीमुर रहमान, श्री शारदा प्रताप हैं अब मैं जो नाम निर्देशित अभ्यर्थी हैं केवल उनके नाम पढ़ देता हूं। श्री त्रिलोक चन्द्र जी, श्री देव-कुमार यादव, श्री राजेन्द्र गुप्त, डा0 शिवा-नन्द नौटियाल, श्री शेर बहादुर सिंह, श्री सरस्वती प्रताप सिंह।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम—9 के उप नियम (4) में यह उप-बन्धित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम—निर्देशित हुआ है, पीठासीन अधि-कारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना-अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा।"

*श्री मुलायम सिंह यादव——

मान्यवर, इस सदन के लिये और संसदीय मर्यादाओं के लिये निष्पक्षता और निर्भीकता के लिये और अन्य के लिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों पदों का निर्विरोध होना भी इस सदन की गरिमा के लिये है।

श्री रजनी कान्त——

यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष——

आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव——

मैं यह कहना चाहता था कि उपाध्यक्ष पद के लिये सत्तापक्ष के नेता सदन ने निर्णय दिया कि यह पद विपक्ष को देना चाहिये यह परम्परा थी, उस परम्परा को निभाया इसके लिये मैं नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा मान्यवर, इस सदन को चलाने के लिये नेतासदन और हम सब जितने विरोधी दल के नेता हैं सब मिलकर सदन को चलाते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो। इससे सदन की गरिमा बढ़ती है। इस महत्वपूर्ण पद को देखते हुये मेरी प्रार्थना है, माननीय सदस्यों से जिन्होंने नामांकन-पत्र भरा है, श्री कौशिक रमा शंकर श्री देव कुमार यादव, श्री राजेन्द्र गुप्त, डा0 शिवानन्द नौटियाल श्री शेर बहादुर सिंह, श्री सरस्वती प्रताप सिंह, सभी माननीय सदस्यो से मेरी प्रार्थना है कि वह अपने नाम वापस लें और इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गरिमा को बढ़ायें और इस लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण पद उपाध्यक्ष का है वह किसी दल का नहीं होता है पूरे सदन का होता है इसलिये अपना नाम वापस लें।

श्री मैनेजर सिंह--

डा0 शिवानन्द नौटियाल ने वापस ले लिया है।

श्री अध्यक्ष--

नौटियाल ने वापस लिया है।

श्री मैनेजर सिंह--

आपने घोषणा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद, आप बैठें।

श्री मैनेजर सिंह--

आपको पहले करना चाहिये था।

श्री राम आसरे वर्मा--

नेता विरोधी दल बोल रहे थे उन्होंने सत्ता पक्ष के बारे में नेता सदन के बारे में विचार व्यक्त किये तथा सराहना की, मैं भी अपने को उससे सहमत करता हूं। लेकिन वहीं पर मुझे यह भी जानकारी रखने का हक है। नेता विरोधी दल के रूप में जब वह खड़े होते हैं और जो भावना रखते हैं, उससे हम सब की भावना जुड़ी रहती है। नेता विरोधी दल ने सम्पूर्ण विपक्ष को एक साथ करने की परम्परा निभाई या नहीं, अगर निभाई होती तो अच्छा होता। जो बात वह सदन में कह रहे हैं यह बात यहां करने की नौबत न आती यदि प्रयास बाहर कर लिये होते तो। चूंकि सम्पूर्ण विपक्ष की भावना एक साथ नहीं की गई, कुछ लोगों के साथ नेता विरोधी दल की बात हुई होगी, सम्पूर्ण विपक्ष के साथ बात नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि यह चुनाव सर्वसम्मति से सम्पन्न होगा।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इस सदन की परिपाटी रही है, उसकी गरिमा के अनुरूप मैं सभी माननीय सदस्यों से जिन्होंने नामांकन-पत्र भरे है, सर्वसम्मति से त्रिलोक चन्द्र के नाम का समर्थन हमारा दल और हम लोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गरिमा को बनाये रखने के लिये जिन्होंने नामांकन पत्र भरे है, वह वापस ले लें और त्रिलोक-चन्द्र जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर आसीन करने में अपनी मदद करें।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, लोकतंत्र में मर्यादाओं का बड़ा महत्व और मूल्य होता है। इस प्रश्न के साथ दो मर्यादायें जुड़ी है। एक तो यह कि शासन पक्ष की ओर से अपनी सहमति स्वीकृति दियेजाने का कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाय। मैं समझता हूं सत्ता पक्ष ने इस मर्यादा का पालन किया और उन्होंने विपक्ष के उपाध्यक्ष को स्वीकार किया है। इसके लिये मैं भी नेता सदन और सम्पूर्ण सत्ता पक्ष को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

दूसरी मर्यादा का प्रश्न आकर जुड़ता है विपक्ष के साथ। विपक्ष का अपना यह प्रयास होना चाहिये कि इस महत्वपूर्ण पद के लिये विपक्ष की ओर से विवाद न खड़ा किया जाय। इस गरिमामय पद के लिये एक माननीय सदस्य को हम सब को स्वीकृत प्रदान करनी चाहिये। सत्ता पक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, विपक्ष को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिये श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो भावना व्यक्त की है इस सम्बन्ध में अगर किसी बात से उनकी भावना को ठेस लगी है, तो हम सब अलग से बैठकर बात कर लेंगे। जहां सत्ता पक्ष ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, विपक्ष को भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिये। विपक्ष को एक मत होकर त्रिलोक चन्द्र जी को इस गरिमामय पद के लिये स्वीकृत करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से जितने माननीय सदस्यों ने नामांकन पत्र भरे हैं, इस मुद्दे पर एक होकर, विपक्ष का दायित्व निभाने के लिये, मेरा अनुरोध है कि अपने नाम वापस लेकर श्री त्रिलोक चन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को एक मत से सहमति दे मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

श्री मित्रसेन--

इस पद के लिये जो गरिमा है, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो परम्परा का निर्वहन किया है, उसका स्वागत किया ही जाना चाहिये। हम सब लोगों के लिये यह एक आदर्श है। हमारे सदन की परम्परा रही है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलता रहा है। हम लोगों की कोशिश यह थी कि विपक्ष का जो पद है वह हमारे विपक्ष के त्रिलोक चन्द्र जी को मिले लेकिन जो कुछ विपक्ष में मतभेद रहा है, हम लोगों की कोशिश थी कि वह खत्म हो जाए जो वर्मा जी ने भावना व्यक्त किया है, मैं अनुरोध करूंगा कि नेता विरोधी दल की जो भावना है, उसका स्वागत करते हुये, आदर करते हुये, अपने उम्मीदवार का नाम वापस करके, श्री त्रिलोक चन्द्र जी का निर्विरोध चुनाव होने दें।

श्री राम नरेश--

उपाध्यक्ष का पद बहुत ही गरिमामय है और इस पद के लिये नेता सदन और सत्ता पक्ष ने अपने दायित्व और कर्त्तव्य का निर्वाहन बहुत अच्छी तरीके से किया है। इसके लिये नेता सदन बधाई के पात्र है। साथ ही विपक्ष का यह दायित्व हो जाता है कि ऐसे समय में एक होकर नेता सदन की जो भावना आयी है नेता विरोधी दल ने जो बात कही है मैं चाहता हूं कि विपक्ष को एक होकर, जो बात हमारे साथी वर्मा जी ने की है, आपस में बैठकर मामला तय हो जायेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। इस समय विपक्ष का एक होकर यह प्रयास होना चाहिये कि श्री त्रिलोक चन्द्र जी सर्वम्मति से निर्वाचित हों।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं एक-एक का नाम पुकारूंगा।

श्री रमाशंकर कौशिक--

नेता विरोधी दल, जनता पार्टी के नेता कुंवर रेवती रमण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्यान सिंह जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मित्र सेन जी, राम नरेश जी समता पार्टी के नेता और श्री राम आसरे वर्मा जो हम सबलोग एक ही परिवार, विपक्ष के सदस्य हैं और यह सब हमारे मित्र और भाई हैं। मैं इन सब लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए, इनकी बात को स्वीकार करते हुए अपना नाम उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन से वापस लेता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, हमारे निर्दलीय पक्ष से जिन साथियों ने पर्चे दाखिल किये हैं मैं जो विपक्ष के नेताओं ने उद्गार व्यक्त किये हैं और नेता सदन ने उद्गार व्यक्त किये हैं, उनके परिपेक्ष्य में अपील करूंगा कि वे भी अपने नाम वापस ले लें।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माननीय नेता, विरोधी दल और माननीय नेता सदन के बीच जो एक गरिमामयी परम्पराओं के सम्बन्ध में सहमति हुई है, उसके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और मान्यवर, इस पद के लिये हम लोग सब सहमत हैं कि एक राय से इस पद के लिये निर्वाचन होना चाहिये। लेकिन जैसा मान्यवर, अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि सदन के अन्दर कोई दल छोटा है या बड़ा है, इसका महत्व है लेकिन ऐसे दल जो बहुत छोटी तादाद में आए हैं, उनकी भी अपनी नीतियां हैं, सदन के बाहर और भीतर भी। लेकिन इस सदन मे इस विधान सभा में आने के बाद मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो अपना रुख अपनाया है छोटे दलों के प्रति, उनका जो रवैया उपेक्षित रहा है, हम लोग उसके प्रति बहुत दुखी हैं। लेकिन चूंकि एक सहमति मान्यवर, है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम और हमारा दल पूरे सदन की भावनाओं से सहमत होते हुए, मैं अपना नाम सहर्ष वापस लेता हूं और यह चाहता हूं कि इस गरिमामय पद के लिये एक राय से निर्वाचन हो सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैं स्वयं और मेरा दल इस आदरणीय सदन की गरिमा को बढ़ाने और स्वस्थ परम्पराओं के विकास के लिये हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। हमारा दल अन्य विषयों में अनेक मत होते हुए भी प्रतिपक्षकी एकता को अक्षुण रखना अपना कर्त्तव्य समझता है। जहां तक इस पद के संचालन का सवाल है,इस पद पर जो बैठता है उसका सम्मान बढ़े और उसमें स्थायित्व आए, हमारा विश्वास रहा है कि यह हमारी संसदीय परम्पराओं की गरिमा के अनुरूप है। इन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये किये श्रेष्ठ परम्पराएं इस साल फिर स्थपित हों इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री त्रिलोक चन्द्र हमारे प्रतिपक्ष के वरिष्ठ साथी हैं और अनुभवी हैं मैं स्वयं उनके समर्थन में अपना नाम वापस लेता हूं।

*श्री शेर बहादुर सिंह--

मान्यवर, नामांकन पत्र 7 लोगों के दाखिल हुए और मेरी समझ से सातों व्यक्ति विपक्ष के थे। मैं फिर नेता, विरोधी दल से कहूंगा कि वे सबको एकत्र करके एक राय करते, जिससे एकता पैदा होती। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। माननीय नेता सदन ने हम लोगों को बुलाकर हमारी अहमियत को समझा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनके आदेश से मैं अपना नाम सहर्ष वापस लेता हूं तथा माननीय नेता, विरोधी दल चाहे अपने को हम लोगों का नेता मानें या न मानें, लेकिन हम उनको अपना नेता मानते हैं और उनके आदेशानुसार अपना नाम वापस लेते हैं।

श्री सरस्वती प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने अपना नाम उपाध्यक्ष पद के लिये नामांकित किया था, परन्तु मुझे बड़ा खेद हुआ कि नेता विरोधी दल ने हमें अपने विश्वास में नहीं लिया और न ही हम लोगों से कोई बात की। माननीय नेता सदन ने अपने कर्तव्यों को समझा, जिन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि आप अपना नाम वापस ले लें। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

7 नामों में से 6 नाम वापस ल लिये गये हैं। अब माननीय त्रिलोक चन्द्र जी का नाम शेष रह गया है।

मैं बड़ी खुशी के साथ यह घोषणा कर रहा हूं कि माननीय त्रिलोक चन्द्र जी सर्वसम्मति से इस सदन के उपाध्यक्ष पद के लिये चुन लिये गये।

नव निर्वाचित उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र को बधाई

श्री अध्यक्ष--

इसलिये भी मुझे खुशी है कि मुझे उनका सहयोग मिलेगा। वे एक योग्य व्यक्ति हैं, जो यहां के भी सदस्य रहे हैं और पार्लियामेन्ट के भी मेम्बर रहे हैं। तथा यहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मेरा हाथ बटाने के लिये आप लोगों ने बड़ा ही उचित और मुनासिब आदमी चुना है उसकी मुझे खुशी है। मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे उनको सदन से ढूंढ़ कर इस आसन तक लायें।

(मेजों की थपथपाहट)

(नेता सदन और नेता विरोधी दल द्वारा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र को अध्यक्ष पीठ तक पहुंचाये जाने पर पुनः मेजों की थपथपाहट)

(इस समय 12 बजकर 43 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, इस सदन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप यह हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है।

श्रीमन्, इस विधान सभा के महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष पद पर आप जैसे वरिष्ठ व अनुभवी पार्लियामेन्टेरियन का हम स्वागत कर सकें, यह आज हम सब के लिये प्रसन्नता का विषय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैं, आपको उपाध्यक्ष पद के रूप में और आपके सर्वसम्मति से चुनाव के प्रति हार्दिक बधाई देता हूं और इस सदन की ओर से भी देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन की मर्यादा के अनुरूप और इस सर्वसम्मति से चुनाव के अनुरूप आप इस पद की शोभा बढ़ाते हुए संसदीय परिपाटियों को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्रीमन्, आपसे परिचय होने का सुअवसर बहुत वर्ष पहले 1969 में मिला था। जब आप प्रथम बार इस आदरणीय सदन में चुन कर आये थे, तब से आपकी गम्भीरता और आपकी सौम्यता तथा संसदीय परिपाटियों के प्रति प्रतिबद्धता ने हमको प्रभावित किया है। चाहे आप विधान सभा के सदस्य रहे हों, चाहे लोक सभा के सम्मानित सदस्य रहे हों और चाहे आप राज्य सरकार के मंत्री रहे हों, आपने समभाव से और संतुलित ढंग से संसदीय मर्यादाओं का निर्वहन करने की पूरी कोशिश की है। यही कारण है कि आज आपको सर्वसम्मति से विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है।

श्रीमन्, अनेकानेक संसदीय समितियों और विधान मण्डल की समितियों के आप सदस्य रहे हैं और उनके पदाधिकारी भी रह चुके हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां है, उन सबका आपको अनुभव है और अब उपाध्यक्ष के नाते विधान मण्डल की समितियों की आप अध्यक्षता करेंगे, मुझे विश्वास है कि उनसे इस सदन की मर्यादा और गरिमा और बढ़ेगी। साथ ही साथ इस प्रदेश के विकास का जो महान दायित्व इस आदरणीय सदन के ऊपर है, वह भी तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की अनेकानेक और बहुसंख्यक समस्याओं का समाधान करने में यह सदन सफल होगा। आपकी उपाध्यक्षता में इस सदन को पूरा सहयोग मिलेगा, मुझे इसकी पूर्ण आशा है।

श्रीमन्, एक बार पुनः अपने मुक्त कण्ठ से आपका अभिनन्दन करते हुए और आपके सर्वसम्मति से चयनित होने के लिये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पद के दायित्वों को निभाने के लिये हमारे बहुमत दल और सदन का प्रत्येक सदस्य आपको पूरा सहयोग देगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैं फिर आपको इस पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के लिये बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपके इस पद भार सम्भालने से हमारे इस सदन में संसदीय परम्पराओं को निभाने के लिये एक और नया प्रेरणादायक अध्याय शुरू होगा!

श्रीमन्, जो भी व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठा, उसके व्यक्तित्व की छाप इस आदरणीय सदन की कार्यवाही पर अवश्य पड़ी है। आपके यहां आने से इस सदन की कार्यवाही की गरिमा और बढ़ेगी, मर्यादा और बढ़ेगी और सदन का संचालन सुमर्यादित ढंग से और नियमानुसार अच्छी तरह से चलेगा।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, आज आप जैसा सौम्य और गम्भीर व्यक्तित्व को इस पद पर पाकर पूरा सदन गौरवान्वित है। मान्यवर, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जब वह कुर्सी पर बैठते हैं तब उनका व्यक्तित्व निखरता है और कुछ ऐसे होते हैं जब वह कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी का गौरव बढ़ता है। आप मान्यवर, जहां पर रहे, जिन कार्यों को आपने किया, चाहे सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में, और राजनैतिक नेता के रूप में, हमेशा से आपके व्यक्तित्व से कुर्सी का गौरव बढ़ा है।

मान्यवर, आप जिस गौरवमय पद पर बैठे हैं और आसीन हुए हैं, यह सच है माननीय नेता, सदन की बात कि आप अपनी विशेष काबलियत से, योग्यता से और निष्पक्षता के कारण ही आज पूरे सदन ने आपको विश्वास दिया है। वैसे आप महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, आप मन्त्रिमण्डल में दो बार मन्त्री भी रहे, आप लोकसभा में लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आपने अपनी विद्वता की छाप छोड़ी है। आज मैं भी अपने को बहुत गौरवान्वित मानता हूं कि सारे विपक्ष के नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने माननीय नेता, सदन ने हमको इस काम के करने में अपना सहयोग दिया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह बधाई के पात्र हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं । आपकी निष्पक्षता से, न्यायप्रियता से इस सदन की जो कार्यवाही चलेगी, उससे सदन का और गौरव बढ़ेगा और नई संसदीय परम्परायें पड़ेंगी, इसका मुझे विश्वास है । अन्त में मैं आपका अभिनन्दन करते हुए इस विश्वास के साथ कि आप सदन की नई मर्यादाओं को इस महत्वपूर्ण पद पर रहकर इस सदन को गौरवान्वित करेंगे, इस विश्वास के साथ आपका अभिनन्दन करता हूं ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

आज सदन में सर्वसम्मति से आप इस गौरवमयी कुर्सी पर चुने गये हैं, यह पूरे सदन के लिये गौरव की बात है और उसके साथ ही साथ मुझे आपसे पूरा विश्वास है कि इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में, इसके गौरव को और आगे प्रखर करने में आप अपने निर्णयों के द्वारा इस सदन को हमेशा सुरक्षा देंगे और एक बार यह साबित कर देंगे कि उस कुर्सी पर बैठकर जैसे आपके पूर्व में भी, मुझे जैसा अनुभव है कि जब आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री थे, तो जिस निडरता से, निर्भीकता से उस विभाग का आपने संचालन किया था और समय-समय पर विभिन्न समितियों में और विधायक के रूप में जो अपने कार्यों का निष्पादन किया था उसी तरह से भविष्य में भी आपको हमारे दल का और विरोध पक्ष का तथा सत्ता पक्ष का, उनके सदस्यों का आपको हमेशा सहयोग मिलता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा हमेशा हर सदस्य को उनके हितों की रक्षा के लिये आपका संरक्षण बराबर मिलता रहेगा और खासतौर से आप एक ऐसे वर्ग से भी आते हैं, जो अनुसूचित जाति के उन तमाम लाखों करोड़ों की संख्या में बसने वाले लोगों का, उनकी समस्याओं के समाधान में भी समय-समय पर जो विधान सभा में मसले आते रहते हैं, उनके लिये भी आपका संरक्षण मिलता रहेगा । मुझे उम्मीद है कि आज आपके उस पद पर आसीन होने से हम सभी लोग गौरवान्वित हैं और आशा करते हैं कि भगवान आपको ताकत देगा कि आप अपने पद का सही ढंग से उपयोग कर सकें । हम आपका अभिनन्दन करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकेंगे ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, आज इस सदन के उपाध्यक्ष जैसे सम्मानित पद पर आपका सर्वसम्मति से निर्वाचित होना, यह हम सभी के लिये सदन के लिये गौरव की बात है । इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपका अभिनन्दन करता हूं और आपको बधाई देता हूं ।

जितने माननीय सदस्यों ने अपने नाम वापस लेकर उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन को सर्वसम्मति से कराने के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसलिये वे भी बधाई के पात्र हैं । यदि इस पद के लिये निर्वाचन हुआ होता तो कोई जीतता और कोई हारता, लेकिन सबने अपने नाम वापस लेकर अपने दिल की चौड़ाई को प्रदर्शित किया है, इसमें हारा कोई नहीं है बल्कि सबके सब जीते हैं ।

मान्यवर, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता और आपकी निष्पक्षता, आपकी शालीनता की छाप पूरे सदन में है । विभिन पदों पर रह कर आपने अपनी कुशलता का परिचय दिया है । आप अपने व्यवहार से जितने मधुर हैं, उतने ही निर्णय लेने में संकल्पशील व्यक्ति भी हैं । इस उपाध्यक्ष पद के आसन पर आप बैठे हैं, इस सदन की गरिमा इससे बढ़ी है । संसदीय परम्पराओं का अब और भी अधिक सफलतापूर्वक और सुचारुरूप से संचालन होगा, ऐसा मुझे विश्वास है माननीय विधायकों के अधिकारों का भी संरक्षण आपकी ओर से होगा यह भी मुझे विश्वास है ।

मैं अपने दल की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन की कार्यवाही के संचालन में आपको सब प्रकार से हर समय सहयोग रहेगा । मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवसर तक आप इतने लम्बे काल से विपक्ष में चलते आये हैं, लेकिन अब उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद जो आपने अभी तक सत्ता पक्ष का निर्वहन न करके विपक्ष का ही निर्वहन किया है, मैं आपके प्रति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह विश्वास लेकर चलता हूं कि दुर्भाग्य से यह सदन की एक गलत परम्परा यह भी रही है कि उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद लोग उधर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस गलत परम्परा को छोड़ेंगे। इसके बाद मैं फिर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं।

*श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप उपाध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं यह देख कर गर्व होता है और मैं आपका अभिनन्दन करता हूं, आपको राजनीति का अनुभव है इससे हम लोगों को सदन में संरक्षण मिलता रहेगा ऐसा मुझे विश्वास है कि सदन के कार्य संचालन में आपका पूरा सहयोग होगा। अभी माननीय कल्यान सिंह जी ने जो आशंका व्यक्त की है यह बात हम सब लोगों के दिल में है और हम लोग चाहते हैं कि वह गलत परम्परा जरूर टूटे, ऐसा न हो कि आप उधर चले जायें और हम लोग इधर ही रह जायं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन देखकर गौरव होता है और मैं समझता हूं कि सदन के संचालन में हम लोगों को आप सहयोग देते रहेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, उपाध्यक्ष पद के सम्मानित आसन पर आपको विराजमान होता देखकर सबको बहुत प्रसन्नता है, उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। मान्यवर, आपकी विश्वसनीयता, क्षमता और साहस का हम सभी को एहसास है। आपके साथ कई मोर्चों पर मुझे साथ-साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, मंत्रिपरिषद् में भी मुझे आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझे विश्वास है कि आपके उपाध्यक्ष आसन पर बैठने से यह सदन जन आकांक्षाओं का दर्पण बन यसकेगा और सक्षमता के साथ इसका संचालन होगा। इसके साथ ही साथ 12 करोड़ जनता की जो समस्यायें हैं उनका समाधान और उनके अधिकारों की पूर्ति करने के लिये एक सक्षम माध्यम यह सदन सिद्ध होगा। मान्यवर, मैं आपको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली और उसकी मर्यादाओं की रक्षा करने में बराबर आपको सहयोग मिलता रहेगा और जनआकांक्षाओं का दर्पण बनाने के प्रयास के लिये मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से आपको बराबर सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर बधाई देता हूं।

*श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, यह हार जीत का जो दृश्य उपस्थित होना था, वह टल गया, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो सर्वसम्मति से और निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, सचमुच उससे सदन की गरिमा बढ़ी है और यह सदन की गरिमा के अनुरूप भी है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मान्यवर, मेरा तो आप से बहुत थोड़े समय का परिचय है, लेकिन पहली ही मुलाकात में मुझे अनुभव हुआ कि आप बहुत ही गम्भीर पुरुष हैं और आपके व्यक्तित्व की छाप मेरे ऊपर पड़ी है, आप का जो चुनाव इस पद के लिये हुआ है, सचमुच बड़ी खुशी की बात है, और सारा सदन उससे प्रफुल्लित हुआ है और आपके इस चुनाव पर मैं आपको बधाई देता हूं और आपका अभिनन्दन करता हूं और जिन माननीय सदस्यों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है और इस सदन की गरिमा को बनाया है, बढ़ाया है, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप का जो अनुभव है, आपका जो संसदीय परम्पराओं का अनुभव है, उसके अनुरूप इस कुर्सी की गरिमा को बढ़ायेंगे और सदन में अपने कार्यों से सुगम और निष्पक्ष बनायेंगे और न्यायपूर्ण तरीके से सदन का कार्यवाही का संचालन करेंगे इन शब्दों के साथ मैं फिर आपको बधाई देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपको उस कुर्सी पर बैठा देख कर मैं ही नहीं इस सदन का हर सदस्य गौरवान्वित है। मान्यवर, बहुत अर्से तक आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी क्षमता निष्पक्षता और कर्मठता जिस रूप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखी, उससे आभास होता है कि आप जिस कुर्सी पर आसीन हुये हैं, वह प्रफुल्लित होगी, उससे संसदीय परम्पराओं को बल मिलेगा और नई दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नेता सदन ने जिस प्रकार की मिसाल आज पेश की है उसके लिये जहां हम आप का अभिनन्दन करते हैं, वहीं उनको बधाई देते हैं। मान्यवर, हमें विश्वास है आपसे हमें संरक्षण मिलेगा और प्रदेश के विकास के लिये, नई दिशा देने के लिये जो भी सुझाव आयेंगे, उनको उठाने का आप पूरा अवसर देंगे। मान्यवर, नेता सदन और नेता विरोधी दल का हमें संरक्षण इस सदन में प्राप्त रहता है, और उस कुर्सी पर आपको पाकर हमें पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। हम आप को वहां पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और आप को पुनः बधाई देते हैं।

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, उस पूर्वकार कुर्सी पर आप जानकार और गम्भीर इंसान, जो दरअसल उसी कुर्सी के लायक था सही फर्द को सही मुकाम मिला है। नेता सदन ने इस वकार को बनाये रखने में, जम्हूरियत को मजबूत करने में जो भूमिका निभाई है उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं और उन तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने नाम वापस लेकर निर्विरोध चुनाव करा कर जम्हूरियत को वकार, इज्जत और मजबूती दी है, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। आपके चुनाव से प्रदेश के करोड़ों मजलूम इंसान जिनका जायज हक नाजायज तरीके से छीन लिया गया है, वह आज आपके इन्तखाब से खुश हैं और अब उनको खोया हुआ हकूक मिल जायेगा जब अलफाज दिल के जजबात के साथ नहीं जुड़ पाते हैं तो उन को शेर में कह दिया जाता है। मेरे भी अलफाज मेरे जजबात से नहीं जुड़ पा रहे हैं इसलिये शेर आपसे कहता हूं--

"जबाने शौक रही हम जबाने दिल लेकिन
किसी तरह न बना शरहे आरजू करते।"

श्री मैनेजर सिंह--

शेर मेरी समझ में नहीं आया।

श्री फजलुल बारी--

मैं फिर दोहराये देता हूं---

जबाने शौक रही हम जबाने दिल लेकिन,
किसी तरह न बना शरहे आरजू करते।"

मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि आप सदन की इज्जत और वकार को, जम्हूरी परम्पराओं को बढ़ायेंगे और प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे।

*राम नरेश--

मान्यवर, इस सदन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका भी उतना ही इतिहास रहा है और है, उसके अनुरूप ही सदन ने सर्वसम्मति से आपको चुनकर वहां पर बैठाया है।

मान्यवर, आपने जिस प्रकार से विभिन्न पदों पर रह कर राजनीति में भी और दूसरे सार्वजनिक जीवन में काम किया है उसके आधार पर ही पूरे सदन ने उसे पहचाना और पहचानने के बाद आपको उस कुर्सी पर बठाने का भी काम किया है इसलिये यहां पर जो जनतांत्रिक परम्परा है और मान्यताएं हैं और विशेष रूप से सदन से जो प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है उसको पूर्ण रूप से निर्वाह करने में आप सहयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और यह विश्वास भी करता हूं कि सचमुच में समय-समय पर आपकी व्यवस्था के आधार पर जो नियम और प्रणाली है उसके आधार पर चलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों के भाव उठे थे कि परम्परा एक रही है पिछले कुछ दिनों से। आप जहां पर संवैधानिक परम्पराओं का पालन करेंगे वहीं एक नयी दिशा पर चलने का काम करेंगे यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं। सारे विपक्ष या सत्ता पक्ष के सब लोग मिल कर एक नयी परम्परा डालेंगे। और इस तरह से जो इस सदन का एक गौरवमय इतिहास रहा है उसको आप बनाये रखेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, आपके निर्वाचन का यह दिन इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में एक अविस्मरणीय घटना रहेगी। 12 जुलाई से यह सदन प्रारम्भ हुआ था और इस सदन में जिस तरह से कश्मकश विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष में रही 4 सितम्बर तक मान्यवर, उसको देखते हुए यह लगता था कि कभी सत्तापक्ष और विरोधपक्ष के किन मुद्दों पर क्या नहीं हो सकता। लेकिन मान्यवर, एक अच्छा और सुखद अनुभव यह है कि आप के निर्वाचन के समय दोनों ही पक्ष एक होकर, अपने इस संसदीय एकता को जोड़ा है। मान्यवर, मैं आपके निर्वाचन को न केवल सत्ता और विपक्ष की एकता का प्रतीक समझता हूं बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों का एक बहुत बड़ा सम्मान समझता हूं।

मान्यवर, आपके साथ 1977 से 1980 तक मुझे भी इस सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं भी यहां पर सदस्य था एक मंत्री के रूप में जो सहृदयता, निष्पक्षता और ईमानदारी आपने प्रदर्शित की थी, मान्यवर, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों का परिणाम है कि आप इस सदन की गौरवमय कुर्सी पर एक मत से निर्वाचित हुये हैं। मान्यवर, मैंने आपके पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस लेने में गर्व महसूस किया। एक बात अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य और भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय बाबू राम नरेश जी ने कहा तथा कुछ और माननीय सदस्यों ने भी कहा कि यहां पर यह परम्परा रही कि जो उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया वह सत्ता पक्ष में चला गया। लेकिन मान्यवर, आप जैसे व्यक्ति के लिये इस तरह की बातें करना और इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना मैं कदापि उचित नहीं समझता हूं। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि आप उन आदर्शों का पालन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो आपके पूर्ववर्ती लोगों ने पालन किया है उसमें किसी प्रकार की आशंका और इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिये। मैं तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके निर्वाचन का अभिनन्दन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके इस गौरवमय पद से प्रदेश की शोषित, पीड़ित जनता की आवाज इस सदन में उठती रहेगी और उसको संरक्षण मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अभिनन्दन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

परम्परा तो यह रही है कि नेता ही बोलते रहे हैं लेकिन आप लोगों की भावना है तो आप बोल लें।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे दल के नेता जी ने आपका स्वागत किया, अभिनन्दन किया और अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस अवसर पर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि जो असंवैधानिक कार्यवाही आज तक सदन की चल रही थी वह समाप्त हो गयी। आज यह सदन विधिवत् गठित समझा जाना चाहिये। श्रीमन्, हमारे संविधान की धाराओं के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन साथ-साथ ही होना चाहिये। वह आज तक नहीं हुआ था। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आगे पीछे करने के बाद भी अन्त में पैर जमा दिया और चुनाव की तिथि घोषित कर दी। यह सही है कि यदि चुनाव की तिथि घोषित न होती तो जैसा मैंने यहां घोषणा की थी मुझे कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ता या मुझे यहां से वापस जाना पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें आपका भी श्रेय है।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, हमारे सम्मानित सदस्य यहां हैं उनमें से अधिकांश लोग इस विधान सभा में पुनः आयेंगे। मेरे आने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब चुनाव लड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह परम्परा, दृढ़तापूर्वक डालिये, जिसका आपने आज निर्वहन किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिल कर सर्व सम्मति से चुनाव हो। साथ ही यह परम्परा भी डालिये कि जिस दिन जिस अवसर पर माननीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो, उसी दिन उपाध्यक्ष का भी साथ साथ निर्वाचन हो जाय। तभी इस सदन की गरिमा बनी रहेगी। आप इस सदन में आवे तो यह परम्परा अवश्य डालकर ही माने। यही हमारी सदन से अपेक्षा है। मुझे विश्वास है कि आपकी अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही नियमित रूप से चलेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अशोक बाजपेयी---

मान्यवर, आज इस महान गरिमामय पद पर आपके जैसे महान संसदीय परम्पराओं के जानकार व्यक्ति को बैठे हुए देख कर हर्ष और विषाद दोनों का अनुभव हो रहा है। हर्ष इस बात का है कि आप जैसे कर्त्तव्य-निष्ठ, न्याय निष्ठ, संसदीय परम्पराओं के जानकार सामाजिक कुरीतियों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति को आज उपाध्यक्ष जैसे गरिमामय पद पर आसीन करते हुए सारे सदन को हर्ष का अनुभव हो रहा है। मान्यवर, विषाद इस बात का है ऐसे योग्य, संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता, समय समय पर हम लोग का मार्गदर्शक को कहीं हम खो न दें। मान्यवर, सामने वाली कुर्सियों का आकर्षण कहीं आपको विचलित न करें। मान्यवर, जहां पूरे सदन ने आपसे अपेक्षा की है कि महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन माननीय ए0 जी0 खेर श्रद्धेय बाबू बनारसीदास ने इस पीठ पर बैठ कर जो व्यवस्थायें दी हैं, जो परम्परायें डाली हैं उनको आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे। वही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो परम्परायें माननीय प्रोफेसर साहब ने, माननीय कुशवाहा साहब ने और सामने बैठे हुए माननीय हुकुम सिंह जी ने डाली हैं उनसे परिलक्षित नहीं होंगे। आपको इस पूरे सदन का विश्वास मिलता रहेगा और हम सब आपके निर्णयों से, आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों से लाभान्वित होंगे और उनका पालन करने का आश्वासन देते हैं। मैं पुनः आप जैसे अनुभवी व्यक्ति को, संसदीय परम्पराओं के जानकार व्यक्ति को इस गरिमामय पद पर निर्वाचित किये जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री वासुदेव सिंह के खड़े होने पर)

मैंने ऐरी साहब को बुला लिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी---

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, उनसे पहले आपने मुझे बुला लिया है यहीं से शुरूआत होती है निष्पक्षता की। सदन में नया सदस्य होने के नाते हम उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिये बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे और कुछ कौतूहल भी था कि उपाध्यक्ष के पद का चुनाव आखिर इतने लम्बे समय से क्यों नहीं हो रहा है। जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने भी कहा कि एक संवैधानिक कमी हमें लग रही थी कि जब तक माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता सदन की कार्यवाही पूरी तरह संवैधानिक नहीं थी। तो इन उत्सुकताओं के बीच आज यह गौरवपूर्ण दिन आया और माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने उन परम्पराओं को निभाया और सदन के प्रत्येक सदस्य की भावना का आदर करते हुये आप जैसे महान मनीषी को इस पद पर आसीन किया। मैं तो एक नया सदस्य हूं और उत्तराखण्ड क्रांति दल, जो स्थानीय दल है का एक मात्र सदस्य हूं, मैं पूरे सदन की भावनाओं को साथ मिलाते हुए आपको कोटिशः बधाई देता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि हम सब लोगों का बराबर का हक है और हमारा कर्त्तव्य भी बराबर है, यह बात दीगर है कि यहां पर दलों की संख्या के हिसाब से दलों को कुछ अन्यथा शक्तियां प्राप्त हैं, उनके अलग अधिकार हैं किन्तु मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन में प्रत्येक सदस्य को आपके रहते हुए बराबर संरक्षण मिलेगा। ताकि हम अपने क्षेत्र की जनता का, और पूरे प्रदेश की जनता का हित साध्य यहां बैठ कर

कर सकेंगे और पुन: मैं आपको कोटिश: हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह) – मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं हृदय से कि आप इस गरिमामय पद पर सर्वसम्मति से आज चुने गये । यह एक ऐसा अवसर है जब हमें गंभीरता से बात करनी चाहिये, आशंका व्यक्त करने का यह अवसर नहीं होना चाहिये जैसा कि अभी आशंका व्यक्त की गयी यह निर्मूल है क्योंकि मैं कह सकता हूं कि किसको परम गौरव का अनुभव है । वह परम गौरव का अनुभव शासक दल को है राजीव गांधी को है कि एन्टी डिफेक्शन बिल के आने से कोई इधर से उधर या उधर से इधर नहीं हो सकता है । तो ऐसे अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि अब जब कांग्रेस शासन ने इतना बड़ा क्रांतिकारी कानून बनाया जितना कि आज तक दुनिया में नहीं हुआ होगा कि कोई इधर से उधर नहीं हो सकता है तो गंभीरता से बात करनी चाहिये । मैं जब उपाध्यक्ष था तो राजनीति से 5 साल तक असम्बद्ध रहा और फिर जब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आया तो स्पीकर बना । इसी तरह कभी कभी शोक प्रस्ताव के मौके पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है और इसमें भी आशंका की बातें उठायी गयी हैं तो यह नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं पूरी भावना से आपका स्वागत आपका अभिनन्दन करता हूं और आपको समर्थन देने का वचन देता हूं, हमको कोई आशंका और डर नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य गण, नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता जनता पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता कांग्रेस (जे), नेता सी0पी0आई0 (एम) माननीय रामनरेश, माननीय देव कुमार यादव माननीय राम आसरे वर्मा जी, मैं इस सदन का और जनता का एक अदना सिपाही हूं और पूरे जीवन भर एक अदना सिपाही रहना चाहता हूं । मेरी कभी इच्छा न बड़े आदमी बनने की रही और न मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं । मैं सदा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं इस जनता का और माननीय सदन का एक सेवक रहूं यह मेरे जीवन का उद्देश्य है । आज मैं अपने ऊपर ऐसा महसूस करता हूं सारे सदन ने जो वजन जो जिम्मेदारी मुझको सौंपी है वह मेरे लिये बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे इतना यकीन और विश्वास पूरे सदन पर है कि मैं उसका निर्वहन करने में आपके आशीर्वाद से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन भली प्रकार कर सकूं । मान्यवर, जिस आसन पर मैं बैठा हूं आज पूरे सदन ने जो कृपा की है, उस आसन की, उस कुर्सी की मर्यादा मैंने देखी भी है और किताबों में पढ़ी भी है । जो महान पुरुष इस कुर्सी पर बैठे हैं आज भी उनका नाम इस विधान सभा में ही नहीं पूरे देश में गौरव के साथ लिया जाता है माननीय टंडन जी इस कुर्सी पर विराज मान हुये थे । आपने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसका मैं अपने मन, वचन और कर्म से जितनी मेरी शक्ति है, पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अंजाम दूंगा । उसमें अगर कहीं कमी महसूस हो किसी भी साथी को तो उनको पूरा हक है कि मुझे वह अपना आशीर्वाद दें इस बात के लिये सदन के बाहर और सदन के भीतर । मैं पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि कहीं ऐसी त्रुटि मुझ से नहीं होगी सदन के अन्दर और बाहर जिससे इस माननीय सदन की गरिमा को कोई ठेस पहुंचे । आपने हमें इस आसन पर सर्वसम्मति से बिठाया है, मैं इस माननीय सदन का सर हमेशा ऊंचा करूंगा कोई ऐसी परम्परा या कोई ऐसा काम यहां नहीं होगा जो इस माननीय सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो । जो कोई काम ऐसा मैं महसूस करूं या कोई एक भी सदस्य महसूस करेगा, तो मैं इस कुर्सी से अपने मन से एक मिनट में हट जाऊंगा । यों मैं इंसान हूं कुछ कमी रह जाए, तो उसके लिये आप सब सक्षम हैं ।

माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जो अनुकम्पा की और जो विचार व्यक्त

किये हैं और जो मुझे गौरव और सम्मान दिया है, उसके लिये मैं आप का आभारी हूं माननीय नेता सदन ने एक कही कि विकास के कार्यों को गति देने में सहयोग होना चाहिये। विकास के कार्यों में मदद देना उसमें सहायता करना मेरा परम कर्त्तव्य तो है ही, इस पूरे सदन का भी कर्त्तव्य है कि आप सबका उसमें सहयोग हो मेरा पूरा यह काम रहेगा, सोचना रहेगा कि जिन कुछ आशंकाओं को व्यक्त किया गया और कहा गया कि कोई परम्परा जो पड़ी है- --उनको प्रोफेसर साहब ने कहा और यह बात कुछ सच भी है उनमें कोई भी दम नहीं है। जो बिल केन्द्र सरकार ने पास किया है, एंटी डिफेक्शन बिल उसके बाद कोई आदमी कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा सकता मेरे जैसे आदमी के लिये तो यह एक बहुत अच्छा काम हो गया है।

श्री राम आसरे वर्मा ---

अब तो आप निर्दल हो गये हैं।

श्री शारदा प्रताप---

आप तो कहीं भी जा सकते हैं चाहे इधर या उधर।

श्री उपाध्यक्ष---

जो हमारे माननीय सदस्यों ने शंका की तो उसकी शंका करना उचित नहीं है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस पद पर रहते हुए पूरे सदन की गरिमा और विरोधी पक्ष की गरिमा को कोई आंच आने वाली नहीं है।

एक सदस्य---

सत्ता पक्ष की गरिमा को।

श्री उपाध्यक्ष---

सत्ता पक्ष तो कह ही रहा हूं। मान्यवर, आज जिस कुर्सी पर मैं हूं तो मैं पूरे यकीन के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों आज से मैं अपने आपको, जब तक मैं वहां बैठता रहा तो सरकार के बारे में कुछ न कुछ कहता रहा लेकिन आज से यह दोनों पक्ष जो एक गाड़ी के दो पहिये है जिनसे प्रदेश चलता है और जिनसे देश चलता है, मैं आज से इन दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र के रूप में रहूंगा और मेरे लिये दोनों पक्ष समान रहेंगे और किसी पक्ष को कोई शिकायत नहीं रहेगी।

(मेजों की थपथपाहट।)

जो शिकायत अगर कोई पेश करेगा तो मैं फिर इस सदन पर रहने का अधिकारी नहीं हूंगा। मैं आप लोगों को फिर बधाई देना चाहता हूं।

एक सदस्य---

बधाई नहीं डिनर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और जो बोझ, जो कर्त्तव्य निर्वहन का अधिकार मुझको दिया है उसको मैं अपनी निष्ठा, ईमानदारी और कर्त्तव्य परायणता से पूरी तरह से अंजाम दूंगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी ---

मान्यवर, आज छुट्टी कर दीजिये और डिनर की घोषणा कर दीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी---

श्रीमन्, अभी सदन को संबोधित करते हुये आपने मान्यवर, शब्द का प्रयोग कई जगह किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री फजलुल बारी - ·

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 38 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ---

जब मैं उस पर आऊंगा तब आपकी बात सुनूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर एक मद आप आगे बढ़ गये हैं। उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो क्या यह उचित होगा ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी, बैठे आप। अब हम एक मद आगे बढ़ गये। इसलिये अब आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, नियम 301 ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जो औपचारिक मदें हैं, उन्हें पहले ले लूं। उसके बाद नियम 301 लेंगे।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राजमन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1843 बी/33-2-243 जी/82-यू0पी0 ए-33-1961-नियम-1979 (संशोधन) (1)-1985, दिनांक 18 जून, 1985, द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1985 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण-कार्य नियमावली, 1984†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री-(श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 612-बी/33-2-10-आर0/63-यू0पी0ए0-33 1961- नियम-1984, दिनांक 1 मार्च, 1985 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण-कार्य नियमावली, 1984 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 मई, 1985 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एम0टी0-2-3-557/दस-6 (1)-85 उ0प्र0अधि0-15-18-आदेश-85, दिनांक 31 मई, 1985 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (छठा संशोधन) नियमावली, 1976†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 4261-टी/तीस-4-9-बी-76, दिनांक 8 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) (छठा संशोधन) नियमावली, 1976 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1981-82†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफ़ीउर्रहमान अंसारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1981-82 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983‡

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रज़ी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 1793/15-10-83-35(41)81 यू0पी0ए0 10-1973 रुल 1975-ए0एम0 (4)-1982, दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 17 सितम्बर, 1984 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि अष्टम विधान सभा का दिनांक 10 मार्च, 1985 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

कानपुर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र में ईद की नमाज में व्यवधान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 1 बजकर 40 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम-301 के अन्तर्गत मुझे 106 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें सात सूचनाएं ऐसी हैं जो नियमानुसार नहीं आती हैं, तो इन सात सूचनाओं को छोड़कर बाकी सब स्वीकार की जाती है। जिन सूचनाओं को अस्वीकार किया है उनके नाम हैं श्री अहिबरन लाल वर्मा, श्री सुन्दरलाल, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री नंगा राम, श्री राम सजीवन, श्री विष्णु देव, श्री पारस नाथ यादव बाकी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

[मान्यवर, कानपुर नगर के थाना ग्वालटोली में दिनांक 27-8-85 को ईद की नमाज के समय सुअर द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। ईद के पूर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा हैंड बिल निकाला गया जिसमें हिन्दू धर्म के खिलाफ़ लिखा गया था, उस पर्चे के संबंध में दो मुस्लिम युवकों को थाना ग्वाल टोली के चौकी इंचार्ज द्वारा बन्द किया गया। लेकिन प्रभारी निरीक्षण श्री रणवीर सिंह के हस्तक्षेप पर बन्दी युवकों की जमानत थाना से हो गयी। इस घटना में पूर्व साजिश प्रभारी निरीक्षक श्री रणवीर सिंह की है।

अतः लोकमहत्व को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि कानपुर में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अविलम्ब की जाय:--

1--कानपुर जनपद में थाना ग्वालटोली के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल निलम्बित किया जाय। क्योंकि प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया गया है। प्रशासन के आदेश थे कि ईद के दिन सुअरों को बाहर न निकाला जाय।

2--इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जाय।

3--उक्त घटना में निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस बन्द न करें, जिसको रोका जाय।]

बांदा जनपद के नरैनी क्षत्र में भूमि संरक्षण विभाग की अतर्रा इकाई की स्थापना तथा चेक डैम व बन्धिया बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र जो अत्यन्त पिछड़ा एवं इंटीरियर क्षेत्र

†छापा नहीं गया।
‡छापा नहीं गया।

है, यह क्षेत्र अत्यन्त बीहड़ एवं पिछड़ा, असिंचित क्षेत्रफल में इतना कार्य है कि वांगे एवरज नदियों के किनारे भूमि संरक्षण इकाई को कार्य करने के लिये 50 वर्ष तक का कार्य है।

इस क्षेत्र में भूमि संरक्षण विभाग की अतर्रा इकाई कार्य कर रही थी जो कि डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत थी लेकिन कुछ वर्ष पहले असरदार राजनैतिक दबाव से इस इकाई का स्थानान्तरण अन्यत्र क्षेत्र में कर दिया गया है।

जिससे यह बीहड़ क्षेत्र निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है और इस क्षेत्र की जनता के साथ कुठाराघात किया गया है जिससे इस क्षेत्र में भीषण असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः मांग करता हूं कि डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत पुनः नरैनी क्षेत्र में भूमि संरक्षण विभाग की उपरोक्त इकाई स्थापित की जाय और चेक डम, बन्धिया बनवाई जाय एवं बीहड़ जमीन का समतलीकरण करा कर कृषि योग्य भूमि की जाय ताकि इस क्षेत्र की गरीबी पर काबू पाया जा सके।]

प्रदेश के विभिन्न राज्यों में स्थापित इंजीनियरिंग कालेजों में प्रदेश के लिये निर्धारित कोटे के चयन में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सरन --

[मान्यवर, देश के विभिन्न इन्जीनियरिंग कालेजों, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद (बिहार), गवर्नमेन्ट कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्नालाजी, रायपुर (म0प्र0), बम्बई विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, कालेज आफ इन्जीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम (केरल में प्रदेश का कोटा निश्चित है। उसमें शासन द्वारा जिन अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है, वह गंभीर धांधली एवं भाई-भतीजे वाद का प्रतीक है। योग्यता, अर्हता का मापदंड न रखकर संबंधित अधिकारियों ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर, प्रथम श्रेणी के सुपात्र अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी करके द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को नामित किया गया है, जिनका अधिकारियों एवं विशिष्ट लोगों से संबंध है— उदाहरण के लिये क्रमांक (1) व (2) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग (1) के आदेश के अन्तर्गत, दोनों अभ्यर्थी माननीय श्री हरिशंकर तिवारी के भतीजे हैं, क्रमांक (3) व (4) के अभ्यर्थी माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव ; श्री माथुर के रिश्तेदार हैं, क्रमांक (5) पर अंकित अभ्यर्थी एक विशिष्ट व्यक्ति का रिश्तेदार है, और क्रमांक (6) पर अंकित अभ्यर्थी प्राविधिक सचिव के वैयक्तिक के सहायक का पुत्र है। इस अवैधानिक चयन से मेधावी छात्रों में कुण्ठा व्याप्त है। अतएव आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उपरोक्त अनियमित चयन को निरस्त करा कर सुयोग्य विद्यार्थियों को अर्हता और योग्यता के आधार पर चयनित कराकर न्याय दिलाने की कृपा करें।]

जनपद शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग रेलवे ओवर ब्रिज के निकट जीप दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार दीक्षित--

(मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 17-7-1985 को रात्रि के 9.30 बजे राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग रेलवे ओवरब्रिज के निकट एक जीप ने जो कि पुलिस लाइन की ओर से आ रही थी, रिक्शे से टक्कर मार दी, जिसमें कि जो हनीफ, उनकी पत्नी व उनका बच्चा बैठा हुआ था, यह तीन व्यक्ति तथा साथ ही में रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें मो0 हनीफ का बच्चा घटना स्थल पर ही मर गया, तथा मो0 हनीफ व रिक्शा चालक ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। मो0 हनीफ की

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पत्नी अभी भी जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। मृतक मो0 हनीफ अपने पीछे दो मासूम लड़के व एक लड़की छोड़ गये हैं। जिनके जीवन यापन का कोई सहारा नहीं है तथा रिक्शा चालक मृतक कृष्ण अवतार अपने पीछे अपनी पत्नी तथा 3 बेसहारा मासूम बच्चों को छोड़ गये हैं। पुलिस आज तक दुर्घटना के बारे में कोई भी छानबीन करने में असफल रही है और साथ ही जिस जीप से दुर्घटना हुई है उस जीप का भी पता नहीं लगा सकी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान अपने माध्यम से आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं कि पीड़ित परिवारों को शासन की ओर से तत्काल अधिक से अधिक आर्थिक सहायता तथा दोषी व्यक्तियों का पता लगा कर उन्हें दंडित कराने की कृपा करें।

श्री रतन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर, बल्देव, जिला मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश चन्द्र---

[मान्यवर, श्री रतन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर ब्लाक बल देव, जिला मथुरा आज भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, भाई-भतीजा वाद और परिवार वाद का अड्डा बनाया हुआ है। अध्यापकों, लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा वेतन व अन्य अवशेष नहीं दिये जा रहे हैं। श्री रतन सिंह ने अपने प्रबंधक-काल में अपने बेटे को ही प्राचार्य नियुक्त कर दिया था जो कि शिक्षा विभाग के नियमों के प्रतिकूल था। श्री भुल्ला सिंह रावत जो कि प्राचार्य पद के पात्र थे उनको प्राचार्य नहीं बनाया और नाना प्रकार से उन्हें प्रबन्ध-तंत्र व सरकारी तंत्र उत्पीड़ित कर रहा है। उन्हें गत नौ साल के अवशेष नहीं दिये हैं, और मई, 1982 से 1200 रुपयें के स्थान पर मात्र 570 रु0 दिये जा रहे हैं। और वह भी गत छः माह से नहीं दिये हैं। प्राचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिल कर परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति अवैध धन दे कर ली और केन्द्र पर छात्रों के अभिभावकों से रिश्वत लेकर छात्रों को खुले रूप में नकल कराई। यही नहीं प्राचार्य महोदय ने स्वयं ही कुछ माहपूर्व विद्यालय के महत्वपूर्ण अनियमितता भरे रिकार्ड को जला दिया और फर्जी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन बल्देव में लिखाई जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विद्यालय कार्य समिति के चुनाव भी विधिवत् रूप से गत कई वर्षों से नहीं कराये हैं। प्राचार्य प्रबंध-तंत्र व सरकारी तंत्र की घिनौनी साजिश से विद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक व क्षेत्रीय जनता व जन-प्रतिनिधियों में रोष, क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है।

आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित टूटे सम्पर्क मार्गों को शीघ्र बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर---

[मान्यवर, जनपद इटावा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों (1) गींजा सम्पर्क मार्ग (2) नगला सलहदी सम्पर्क मार्ग व (3) नगला राम सुन्दर सम्पर्क मार्ग आदि की दयनीय स्थिति के बारे में मैंने मा0 नेता विरोधी दल ने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पत्र सं0 2237/ने0 वि0 दल/85 दिनांक 8 अगस्त, 1985 के द्वारा दिलाया था, और उन्हें जांच के बाद ठीक करवाने की प्रार्थना की थी। अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है। इन मार्गों पर पड़ने

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाले गांवों के निवासियों को आवागमन से संबंधित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस संबंध में अति शीघ्र ही उक्त सम्पर्क मार्गों को ठीक करवाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।]

जनपद मेरठ की हिन्डन नदी व कृष्णी नदी के कटाव से कतिपय गांवों को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोपाल सिंह--

[मान्यवर, इन दिनों जनपद मेरठ के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में बहने वाली हिण्डन नदी व कृष्णी नदी में भयंकर रूप से कटान जारी है। तहसील सरधना से संबंधित हिण्डन नदी के किनारे आबाद गांव पिटलोकर आदि अनेकों गांवों के लोगों की नींद हराम हो रही है। स्थिति के अनुसार किसी भी समय कटान से सैकड़ों घर पानी में विलीन हो जायेंगे और अनगिनत लोग व उनके पशु अकाल मौत के शिकार बन जायेंगे। इसी प्रकार कृष्णी नदी के किनारे आबाद गांव कण्डेरा आदि में भी निरंतर कटान जारी रहने से ग्रामीणों के सामने अकाल मौत का खतरा मण्डरा रहा है। प्रतिक्षण भय व आशंका से गुजर रहा है। यह दुर्भाग्य स्थिति है कि प्रशासन ने इस ओर से आंख मूंद कर लोगों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ रखा है। इसलिये समय रहते हजारों लोगों की जान बचाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करके तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोला गोकर्ण नाथ, जनपद खीरी के पवित्र कुण्ड का नवीनीकरण कराने तथा नगर को प्रदूषण से बचाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक वाजपेयी--

[मान्यवर, गोला गोकर्णनाथ जनपद खीरी हिन्दू धर्मावलम्बियों की एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगरी है। बाबा शंकर नाथ के दर्शन करने के लिये देश-विदेश से लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहां दर्शन करने के लिये आते हैं। यहां की ऐतिहासिक धर्म स्थली तथा पवित्र कुण्ड जिसमें कि लोग स्नान करके अपने पुण्य का भागीदार समझते हैं। आज इतना दूषित और जर्जर होगया है जिससे कि किसी भी क्षण भीषण रोग फैल सकते हैं। यात्रियों के लिये किसी भी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। पर्यटकों की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नगर के नगरीय सुविधायें शोचनीय हैं। रास्ते दुर्गम हो गये हैं पानी के निकास के लिये समुचित नालियों की व्यवस्था नहीं है। हिन्दुस्तान शुगर मिल लिमिटेड गोला का दूषित जल सारे नगर के जल को एवं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। जल संस्थान द्वारा पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इससे यात्रियों में तथा प्रदेशवासियों में घोर चिंता एवं असंतोष व्याप्त है। किसी भी क्षण गंभीर बीमारी का प्रकोप हो सकता है। अभी नागरिकों ने रोष स्वरूप गोला नगर में एक विशाल जुलूस निकाल कर इन समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा परन्तु अभी तक कोई भी कदम सुधार की ओर नहीं उठाया गया।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र गोला के इस पवित्र कुण्ड का अविलम्ब नवीनीकरण कराये तथा नगर को प्रदूषण से बचाने हेतु कारगर कदम उठाये एवं नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में तत्काल प्रभावी कदम उठाये।]

प्रशासन की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा आन्दोलन की तैयारी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चाहता हूं कि प्रशासन की अपेक्षा एवं उदासीनता से विवश होकर प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों में सेवारत 8 हजार अभियन्ताओं द्वारा 16 सितम्बर, 1985 से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो रहा है तथा शासन द्वारा समय रहते सही निर्णय न लेने पर पर आन्दोलन किसी भी सीमा तक बढ़ सकता है। जिससे प्रदेश के सारे विकास कार्य ठप्प हो जायेंगे। एवं बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी, शान्ति व्यवस्था भंग होने की भी पूरी संभावना है।

अतएव इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन से मांग है कि सिंचाई विभाग में निदेशक कार्मिक के पद पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति समाप्त की जायें, कार्मिक प्रबन्ध में सुधार हेतु सचिवालय व प्रबन्ध मण्डलों में यह उत्तरदायित्वपूर्ण रुप से अभियन्ताओं को सौंपा जाये। जनपद एवं मण्डल स्तर पर समन्वय के लिये जिला विकास अधिकारी नियुक्त किये जायें तथा शासन द्वारा समय-समय पर उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ से हुए समझौतों को क्रियान्वित किया जाये ताकि अभियन्ता आन्दोलन के रास्ते पर न जायें और प्रदेश के विकास कार्य तीव्र गति से चलें।]

वृन्दावन मथुरा में बंगाल प्रदेश से आने वाली बाल एवं युवा विधवाओं पर आश्रमों में अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह---

[मान्यवर, बंगाल प्रान्त से अनेक बाल एवं युवा विधवायें मोक्ष प्राप्ति के लालच में प्रति वर्ष वृन्दावन (मथुरा) आती हैं और विभिन्न भजनाश्रमों में ठहर जाती है। आज कल वृन्दावन में इन विधवाओं का शारीरिक और आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस पवित्र नगरी में इन महिलाओं को अपने घर के नरक से कहीं ज्यादा वीभत्स और यातना पूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इन बंगाली विधवाओं को धार्मिक वातावरण देने के नाम पर वृन्दावन तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जो भजनाश्रम बने हैं। वे इस नरक के सबसे बड़े केन्द्र बन गये हैं। भजनाश्रमों में दो पालियों में भजन करने का कार्य होता है। एक दिन का भजन करने वाली महिला को एक रुपया और सात 200 ग्राम चावल दिया जाता है। धर्म का डंका पीटने वाले यह भजनाश्रम इतनी कम राशि में न सिर्फ इन बाल्यों से दिन भर भजन करवाते हैं बल्कि खाली समय में उनसे भजनाश्रम की आयुर्वेदिक प्रयोगशाला में जड़ी-बूटियों को कूटने का काम भी कराते हैं। एक ओर जहां इन बाल्यों को बन्धुवा मजदूर बनाकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है वहीं उनके नाम पर बड़ी तादाद में भजनाश्रम के संचालक चन्दा उगाही करते हैं इस समय बंगाली विधवाओं के देह का व्यापार बड़ी संख्या में चल रहा है। इन विधवाओं को दमघोंटू कोठरियों में रखा जाता है जिनके कारण वह आज टी० बी० दमा और यौन रोग की शिकार हो गयी है यह हमारी सभ्यता पर एक बड़ा कलंक है मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

देवरिया जनपद के कसया थाना अन्तर्गत ग्राम, अनहया टोला अतवा में हरिजनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की सांठ गांठ से अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेशधर त्रिपाठी---

[मान्यवर, देवरिया जनपद के कसया थाना अन्तर्गत ग्राम अनहया टोला अतवा में 19-8-85 को दिन में नौ बजे एक कुलीन वर्ग के परिवार के साजिश से असामाजिक तत्वों द्वारा कट्टे बम से लैस होकर उसी गांव के यमुना तथा शिवराज डोम (हरिजन) की पलानियां, खोभार सूअर, अनाज जला दिये गये। इस अग्निकाण्ड से बेसहारा हरिजनों की पलानियां, सूअर, अनाज आदि जल कर स्वाहा हो गये गांव के लोगों को मना करने पर

ट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असमाजिक तत्वों द्वारा गांव के लोगों को डराया धमकाया गया।

यमुना डोम उसी दिन थाने पर प्रथम सूचना देने गया किन्तु दोपहर से नौ बजे रात्रि तक उसे थाने पर रोक रखा गया किन्तु उसकी सूचना अंकित नहीं की गयी। उल्टे पुलिस अभियुक्तों के पैसे के प्रभाव में आकर यमुना तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अपने घर में आग लगाने की सूचना दर्ज कर ली तथा अभियुक्तों को संरक्षण देकर हरिजनों के आबादी के भूमि को जोतवा दिया। इसके पूर्व पुलिस के प्रभाव में आकर अभियुक्तों ने हरिजनों का खलिहान भी जोत लिया था।

इस घटना से ग्राम अनहवा तथा आसपास के क्षेत्रों में आतंक व्याप्त है। हरिजन गांव छोड़कर भागने को मजबूर हैं। पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित हरिजनों को आतंकित कर रही है, उनकी प्रथम सूचना अंकित नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि घटना की प्रथम सूचना अंकित करके अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। जिससे आतंकित हरिजनों को न्याय मिल सके।

अलीगढ़ नगर में खेर बस अड्डे के निकट हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस की उपस्थिति में अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा उपद्रव एवं अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह--

[मान्यवर, अलीगढ़ नगर में 29 अगस्त, 1985 को खेर बस अड्डे के पास एक महिला के बस से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद वहां उपस्थित दो स्थानीय व्यक्तियों ने एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों में उत्तेजना फैला कर भीड़ एकत्र कर ली तथा कुछ अपराधिक अवांछनीय व्यक्तियों को बुला कर खड़ी हुई बस में आग लगवायी इतने में पुलिस आ गयी। पुलिस की उपस्थिति में जेवर व गोड़ा खेर बस अड्डों में घुस कर उपद्रवियों ने पथराव किया तथा बुकिंग आफ़िस व उपस्थित यात्रियों की लूट की गयी फ़ायर ब्रिगेड को भी खदेड़ कर भगा दिया गया। महिला यात्रियों को बसों से खींचकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया उनके ब्लाउज फ़ाड़ डाले गये और उन्हें नंगाकर अनैतिक आचरण किया गया पुलिस की उपस्थिति में यह लूटमार पीट व आगजनी का क्रम 4 बजे तक रहा। जब पास के मुहल्ले से सिक्ख समुदाय के लोगों ने आ कर बल पूर्वक उपद्रवियों को खदेड़ कर निरीह लोगों को बचाया तभी शांति स्थापित हो पायी। नामजद अपराधी लोगों में से एक को भी आज तक नहीं पकड़ा गया। जनता में और असन्तोष, भय एवं आक्रोश से उत्पन्न परिस्थिति पर आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

जनपद इटावा में लखना के बीहड़ क्षेत्रों में पक्की पुलियों के निर्माण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा प्रसाद वर्मा--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लखना, जनपद इटावा की ओर आकृष्ट करते हुये बताना चाहूंगा कि लखना का अधिकांश हिस्सा बीहड़ों में बसा है जहां न आने जाने के साधन हैं और न ही क्वारी, चम्बल, जमुना नदियों के पुल बनने से बरसात के दिनों में जनता इधर-उधर जा सकती है। सहसों जो चम्बल नदी के किनारे बसा है वहां पर घाट के किनारे एक नाला है उसकी पुलिया के निर्माण के लिये जिलाधिकारी के चाहने के बाद भी सा0 नि0 विभाग के इंजीनियर पुलिया नहीं बनने देना चाहते हैं और काफ़ी रुपया हड़प लेना चाहते हैं और इससे उनको काफ़ी हर साल फ़ायदा होता है और इसलिये अस्थायी पुलिया का निर्माण

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कराकर लाखों रुपया हर साल हड़प कर जाते हैं। यदि इस पुलिया को पक्का निर्माण स्थायी तौर पर हो जाये तो मध्य प्रदेश और उ0 प्र0 के आने-जाने वालों को काफ़ी सुख सुविधा प्राप्त होगी क्योंकि दस्यु प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी लोग इस पुलिया के न बनने से परेशानी और खतरा उठा रहे हैं। जिलाधिकारी ने 10 लाख रुपया स्वीकृत कर दिया है। इस पुलिया के निर्माण हेतु।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन व सरकार का ध्यान दिलाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की व्यवस्था करायेंगे।]

श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री मामराज सिंह, निवासी ग्राम कलाखरी, थाना खुरजा देहात, जनपद बुलन्दशहर को राजनैतिक विरोधियों द्वारा पुलिस से मिलकर परेशान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज वर्मा----

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन एवं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहती हूं।

श्री मामराज सिंह जो 10 साल से ब्लाक प्रमुख रहे हैं उनके पुत्र श्री यशपाल सिंह ग्राम कलाखुरी, थाना खुरजा, देहात जनपद बुलन्दशहर को राजनैतिक विरोधियों ने पुलिस से मिलकर परेशान करवाने तथा फ़र्जी मुकदमों में फ़ंसाने का षड़यन्त्र किया गया है। राजनैतिक विरोधियों से थानाध्यक्ष खुरजा देहात मिल गये हैं और यशपाल सिंह के विरुद्ध षड़यन्त्र रच दिया है। उक्त ग्राम के निवासी वीरेन्द्र सिंह, यशपाल सिंह का इनकाउन्टर कराने के लिये भारी रकम उक्त थाने की पुलिस को दे दिया है। अब थानाध्यक्ष यशपाल सिंह को हिस्ट्रीशीटर बनाने का षड़यन्त्र जुट गया है। अभी तक यशपाल सिंह के विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं है। अतः यशपाल सिंह एक राजनैतिक एवं सामाजिक परिवार के सदस्य हैं और उनकी जान खतरे में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया शासन को निर्देश दिया जाय कि उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच कराकर श्री यशपाल सिंह के जान व माल की सुरक्षा करायी जाय।]

कुर्मी टोला, मकबूलगंज, लखनऊ के समक्ष पड़ी नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री परमाई लाल----

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोकमहत्व की अविलम्बनीय सूचना सदन के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करता हूं जिसमें भवन संख्या 86/93 कुर्मी-टोला, मकबूलगंज लखनऊ के समक्ष 24×21·10 वर्ग फीट पड़ी नजूल-भूमि जो बन्दोबस्त 1862 के अभिलेखों में नजूल सम्पत्ति रास्ता सरकार दर्ज है, पर सर्वश्री लोकनाथ सिंह और ओम प्रकाश चौधरी ने अवैध कब्जा कर जनजीवन को विशेष असुविधा पैदा कर दी है। उक्त जमीन का वाद संख्या 489/79 श्री लोकनाथ सिंह सिविल कोर्ट से 14 जनवरी, 1982 को हार चुके हैं। विकास प्राधिकरण के समक्ष इन लोगों ने अवैध कब्जे को स्वीकार भी किया है। शासनादेश के विरुद्ध अपील को आयुक्त लखनऊ मण्डल ने 1 जून, 1982 को खारिज कर दिया है। सरकार ने पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र को 22 अक्टूबर, 1984 को खारिज कर दिया तथा याचिका संख्या 5514/84 को लखनऊ खण्डपीठ के विद्वान न्यायाधीश ने 21 नवम्बर, 1984 को खारिज कर दिया।

अब श्रीमती सहोदरा देवी जिन्होंने 21 जून, 1969 को उक्त भवन श्री लोक नाथ सिंह से खरीदा था, ने भी श्री देवी दयाल चौधरी के नाम इस नजूल भूमि का एक फर्जी बनामा 19 फरवरी, 1983 को कर दिया

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। निकास प्राधिकरण व नगरमहापालिका मिली हुई है।

अतः मैं अध्यक्ष जी से उक्त नजूल भूमि रास्ता सरकार को शीघ्र मुक्त कराने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के अमीनाबाद थानान्तर्गत मोहल्ला नया गांव (पूरब) स्थित मकान नं0 60 में तेजाब के कारखाने को अन्यत्र हटाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरदेव ---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना शासन एवं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। थाना अमीनाबाद, लखनऊ के अन्तर्गत एक मोहल्ला नया गांव (पूरब) है जहां पर मकान नं0 60, नया गांव (पूरब) में तेजाब का कारखाना स्थापित है। उस कारखाने के अन्दर एवं बाहर नाले में तेजाब के बड़े-बड़े गार्ड पड़े होते हैं जिससे पूरी सड़क एवं गली में तेजाब फैल जाता है और अक्सर गन्दा बन जाता है। अनगिनत में कभी-कभी बच्चे और जानवर [illegible] जाते हैं, जो कि घायल हो जाते हैं। चूंकि यह कारखाना आबादी के अन्दर है जो कि नियमतः आबादी के अन्दर तेजाब का कारखाना नहीं होना चाहिये इस बारे में शासन को कई बार शिकायतें की गयीं, परन्तु उनकी जांच थाना अमीनाबाद में भेजी गयी। चूंकि थाना अमीनाबाद के थानाध्यक्ष से उस कारखाने के मालिक की अच्छी सांठ-गांठ है, इसी से आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी और उक्त शिकायत को थाना अमीनाबाद में ही दबा दिया गया। मैं चाहूंगा कि इस तेजाब के कारखाने को आबादी से अन्यत्र ले जाने के लिये आदेश दिये जायं। इस सम्बन्ध में शासन से मैं सदन के माध्यम से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अकबर अली पुत्र श्री सुभान अली, निवासी ग्राम महुआरी, लालगंज, आजमगढ़ की भूमि पर फर्जी बैनामा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण ---

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रख रहा हूं।

श्री अकबर अली पुत्र श्री सुभान अली, ग्राम महुआरी पोस्ट ठेकमा, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ हाल मुकाम दयालपुर थाना गम्भीरपुर तहसील सदर जिला आजमगढ़ का निवासी है। प्रार्थी की अराजी नं0 2225, 2411, रकबा 80 ग्राम रानीपुर रजमो तहसील सदर आजमगढ़ में स्थित है जिसपर मालिक की हैसियत से प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी दिनांक 10-1-82 से 15-5-85 तक गिनापुर रहा है इसी बीच 22-5-85 को शंकर पुत्र [illegible] ग्राम मेढ़ी थाना तहबर-पुर ने श्री नारायण अस्थाना [illegible], सुरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट, निवासी [illegible], आजमगढ़ एवं अनमद्ध पुत्र नकछेद ग्राम रानी-पुर रजमो ने आपस में राय कर यह जानते हुए कि जमीन का मालिक गिनापुर रहा है। बैनामा [illegible] है यह कार्य सब रजिस्ट्रार सदर के पैसे के बल पर कराया गया है। फर्जी हस्ताक्षर अकबर अली का बनाया गया है जिसकी पहचान अनमद्ध एवं सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट ने किया है और श्री नारायण अस्थाना व शीकानवीस ने दस्तावेज लिखा है। लोगों का कहना है कि इस प्रकार के फर्जी बैनामे जनपद आजमगढ़ में अनेकों कराये जा चुके हैं, जिससे जनता में काफी असंतोष व्याप्त है सभी लोग अपनी-अपनी भूमि की सुरक्षा से घबराये हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की सी0 बी0 आई0, सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों पर ठोस कार्यवाही की जाय ताकि भविष्य में ऐसा गलत कार्य न हो सके। तथा अकबर अली को अपनी भूमि का स्वामित्व पूर्ववत रहे।]

नोट. . [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्ति प्रतिनियुक्तियां करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती शारदा देवी--

[महोदय, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग में अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जात-पांत के आधार पर मनमाने ढंग से नियुक्ति/प्रतिनियुक्तियां की जा रही हैं। कुछ समय पूर्व दो प्रवर वर्ग सहायकों को नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। श्री ठाकुर प्रसाद पाण्डे, जिनको कृषि रक्षाअधिकारी कार्यालय से बुलाकर नियुक्त किया गया है। श्री पाण्डे के नियुक्ति आदेश दिनांक 28 दिसम्बर, 1984 को जारी हुआ है। परन्तु श्री पाण्डे को नियुक्तिआदेश जारी होने के 11 दिन पूर्व यानी 17 दिसम्बर, 1984 को ही विभाग ने कार्यभार ग्रहण करवा लिया है। तथा पैतृक विभाग ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1984 को ही कार्यमुक्त भी कर दिया। श्री जफर अहमद, लिपिक निदेशक प्रशिक्षण एवं प्रयोग प्रभाग से एक वर्ष पूर्व आलेखक-प्रालेखक के पद पर मात्र एक वर्ष के लिये बुलाया गया था। नियमानुसार एक वर्ष बाद उनको पैतृक विभाग को वापस कर देना चाहिये था लेकिन विभाग ने न तो उनको पैतृक विभाग वापस ही किया तथा न तो उन्हें रोकने हेतु पैतृक विभाग की सहमति ही ली गयी। बल्कि उन्हें एक वर्ष में ही प्रवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति भी कर दिया गया। जो न तो किसी पद पर स्थायी हैं और शैक्षिक योग्यता मात्र इण्टरमीडिएट है। जबकि टंकक की शैक्षिक योग्यता विभाग ने स्नातक निर्धारित की है। इतना ही नहीं 8 प्रवर वर्ग सहायक के पदों में पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व शून्य है और सभी पद सामान्य जाति के अभ्यर्थी द्वारा भर लिये गये हैं। जहां तक श्री जफर अहमद को अगर कार्य को ध्यान म रखते हुए फिलहाल प्रोन्नति नियुक्त किया गया है तो क्या विभाग में कार्यरत पिछड़ी जाति का अभ्यर्थी जो शैक्षिक योग्यतायें तथा अनुभव रखने वाला स्थायी कर्मचारी है तथा श्री जफर अहमद से वरिष्ठ भी है क्या उस समय विभाग में उपलब्ध नहीं थे। विभाग में कार्यरत अन्य अवर वर्ग सहायक जो एक पद पर स्थायी भी हैं। उनको क्यों नहीं प्रोन्नत किया गया इस तरह जात-पांत के आधार पर नियुक्ति करने वाले अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये। अतः सुनिश्चित अविलम्बनीय नियम 301 के माध्यम से माननीय मंत्री जी के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

आर0एस0के0 इन्टर कालेज सिम्भावली, गाजियाबाद के प्रबन्ध तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कनक सिंह---

[मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आर0एस0के0 इण्टर कालिज, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद एक सहायता प्राप्त इन्टर कालेज है जिसकी प्रबन्ध समिति का चुनाव वर्ष 1968 से उक्त कालेज के सचिव तथा प्रधानाचार्य की मिलीभगत के कारण नहीं कराया गया। वर्ष 1984 में वहां प्रशासक नियुक्त हो गया है। प्रशासक के नियुक्त हो जाने के पश्चात् उक्त कालेज के प्रधानाचार्य श्री श्योराज सिंह जो वर्ष 1984 में सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा जिनके विरुद्ध कालिज के 11 लाख रुपये के गबन का मामला चल रहा है जिसकी जांच रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद श्री जोशी द्वारा दिनांक 6-11-84 व 13-12-84 को शासन को भेजी गयी तथा भंग प्रबन्ध समिति के सचिव ने मिलकर एक फर्जी 60 सदस्यी-सिम्भावली एजूकेशन सोसायटी नाम की कमेटी बनायी है। ये 60 सदस्यों की समिति बिल्कुल फर्जी है तथा सदस्यों से जो सदस्यता

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शुल्क प्राप्त हुआ है जो करीब 18,000 रु0 के लगभग होता है उसको भी कालिज के किसी एकाउन्ट में जमा नहीं किया है और फर्जी सदस्यों के आधार पर उक्त कालिज की प्रबन्ध समिति का चुनाव कराना चाहते हैं। उक्त कालिज के सेवा निवृत्ति प्रधानाचार्य भी उक्त फर्जी समिति के मेम्बर हैं। अतः शासन से मांग करता हूं कि उक्त कालिज की प्रबन्ध समिति के निकट भविष्य में होने वाले चुनाव को स्थगित कर वहां नये सदस्य बनाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर नये सदस्यों को बनाया जाय।]

पूर्वांचल में बुनकरों की भुखमरी तथा हैण्डलूम पावरलूम उद्योग के बन्द होने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव--

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन और शासन का ध्यान पूर्वांचल के बुनकरों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीन महीने से जनपद आजमगढ़ के कस्बा मऊनाथ भंजन, कोपागंज, खैराबाद, मुबारकपुर, नरियांव, जोगीपुर बहिगवां, नबामामपुर तथा अतरौलिया और जनपद फैजाबाद के कस्बे टाण्डा, जलालपुर-नैवारी के बुनकरों की आर्थिक स्थिति भयावह हो गयी है क्योंकि हैण्डलूम पावरलूम द्वारा बनाये गये कपड़ों को कोई को पूछने वाला नहीं है। करोड़ों रुपये का तैयार माल मण्डी में पड़ा है, कोई खरीददार नहीं है। यार्न और स्टेपुल के दाम भी बेतहासा बढ़ गये हैं। जीवन यापन का कोई अन्य साधन न होने के कारण बुनकर परिवार बड़ी महानगरियों की ओर भाग रहे हैं। सम्पूर्ण हैण्डलूम-पावरलूम उद्योग बन्द होने की स्थिति में हो गया है। उपरोक्त उद्योग में लगे लोग भुखमरी के शिकार हो गये हैं। स्थिति भयावह एवं दयनीय हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

चमड़े का उद्योग हमदर्द हाइट कम्पनी, पुरानी बस्ती, जिला बस्ती में अधिकारियों के लापरवाही से हरिजन मजदरों में क्षोभ एवं भुखमरी के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री अफसर यू अहमद--

[महोदय, प्रदश की लोक प्रिय सरकार के संज्ञान में मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दैनिक जागरण समाचार पत्र (गोरखपुर) में प्रकाशित समाचार दिनांक 30 अगस्त, 1985 की तरफ दिलाना चाहता हूं। अर्ज करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चमड़े का उद्योग हमदर्द हाइड कम्पनी, पुरानी बस्ती, जिला बस्ती में स्टेट बैंक बस्ती के सहयोग से स्थापित हुआ था। इस उद्योग का लाखों रुपया चमड़ा स्टेट बैंक के पक्ष में बंधक था जो कि अधिकारियों द्वारा उचित समय पर न छोड़े जाने के कारण सड़ गया जिससे उद्योग बन्द हो गया तथा इसमें कार्यरत सैंकड़ों हरिजन मजदूर बेकारी व भुखमरी की स्थिति में आ गए। उद्योग के बन्द हो जाने से स्थानीय जनता व कार्यरत सैंकड़ों हरिजन मजदूरों में आक्रोश व्याप्त है किसी भी समय कानून व व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से इस बन्द उद्योग को तुरन्त चालू कराने की मांग करता हूं। जिससे इसमें कार्यरत सैकड़ों हरिजन मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके।]

होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में निदेशक डाक्टर अविनाशचन्द्र सक्सेना द्वारा धांधली के करने संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार--

मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार द्वारा होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति हेतु

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अगस्त, 1982 में डाक्टर अविनाश चन्द्र सक्सेना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में गंभीर अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कई अभ्यर्थी 58.2., 57 व 53 (डिग्रीधारी) अंक अर्जित करने के बावजूद भी नहीं चयनित किये गये थे, जबकि 40 व 42 अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी उक्त चयन समिति द्वारा चुन लिये गये थे। उ0 प्र0 होम्यो0 चिकित्सक समिति के एक शिकायती पत्र द्वारा यह सारे तथ्य शासन व सरकार के संज्ञान में लाये जा चुके हैं। इसके बावजूद निदेशक होम्योपैथिक डाक्टर अविनाश चन्द्र सक्सेना द्वारा घोषित पूरी लिस्ट और इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच न कराकर शासन ने उन्हें ही 26 अगस्त, 85 से हो रहे होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों के चयन में चयन समिति का संयोजक बनाकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे उन अभ्यर्थियों के सामने गहरा संकट पैदा हो गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में डा0 सक्सेना के भ्रष्टाचार का खुलकर विरोध किया था। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उन्नाव जिले के कस्बा पुरवा व कस्बा मौरावां में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत कराने तथा नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित---

[उन्नाव जिले के 18 हजार की आबादी वाले कस्बा पुरवा व 15 हजार की आबादी वाले कस्बा मौरावां की स्थिति बड़ी दयनीय है सड़कों नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है। दोनों कस्बों में एक सड़क तक पक्की नहीं है। अस्वास्थ्य प्रद वातावरण व्याप्त है। विद्युत आपूर्ति इतनी अव्यवस्थित है कि कस्बा पुरवा में गत 4-5 माह से आटा चक्की, प्रिंटिंग प्रेस और अस्पतालों तक में सामान्य दैनिक काम बन्द हैं। लोकमहत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं

जनपद हरदोई के मल्लावां स्थित स्वराज्य आश्रम खादी भण्डार द्वारा बुनकरों को उत्पीड़ित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा---

[मान्यवर, जनपद हरदोई के मल्लावां स्थित स्वराज्य आश्रम खादी भण्डार के बुनकर जिनकी संख्या सैकड़ों में है, विगत 12 सितम्बर, 1985 से वहीं क्रमिक अनशन चला रहे हैं। स्वराज्य आश्रम, खादी बोर्ड के उत्पीड़न से त्रस्त इन बुनकरों की स्थिति पर सरकार को भी रहम नहीं आ रहा है। मंहगाई के अनुसार मजदूरी बढ़ाने मंहगाई भत्ता देने सूत के अभाव में बैठकी का भत्ता देने, नियमानुसार काम देने, सहायता उन तक पहुंचाने तथा स्वराज्य आश्रम के प्रबन्ध में उनको प्रतिनिधित्व दिये जाने की मांगों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को ही उक्त उद्योग में काम दिये जाने की व्यवस्था की बुनकर आवाज उठा रहे हैं। उनके बुनकर संघ को मान्यता देने की मांग भी शामिल है। बुनकरों के उक्त लम्बे संघर्ष के सिलसिले में प्रतिनिधि मण्डल सबसे मिल चुके हैं किन्तु अब तक कोई हल नहीं निकला है। सदन को अवगत कराते हुए शासन से मांग करता हूं कि तत्काल हस्तक्षेप कर बुनकरों की समस्यायें हल करें।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा परीक्षाफलों में धांधली करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री अरविन्द तिवारी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में "माध्यमिक शिक्षा परिषद्" इलाहाबाद द्वारा परीक्षाफलों में की जा रही धांधली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी, जो राजकीय इण्टर कालेज, ग्वालदम, जनपद चमोली में कक्षा 12 के छात्र हैं, ने वर्ष 1984 में हाई-स्कूल की परीक्षा 59.6 प्रतिशत प्राप्तांकों सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी।

एक वर्ष बीत जाने के बाद जून, 1985 में सचिव, माध्यमिक शिक्षापरिषद्, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 5-6-85 द्वारा श्री देवेन्द्रसिंह भण्डारी के हाईस्कूल के परीक्षाफल अनुक्रमांक 0672244 को "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग" के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है जिससे श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी जैसे प्रतिभाशाली, योग्य, लगनशील छात्र का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। इससे उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा घोषित तमाम परीक्षाफलों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। कब किस परीक्षार्थी का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इससे समस्त छात्र वर्ग में असन्तोष एवं आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सिविल विषय पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इसकी जांच करायें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।]

इटावा जनपद में मलेरिया के भयंकर प्रकोप होने तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमप्रकाश सिंह—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इटावा जनपद में भयंकर मलेरियाका प्रकोप है जिससे कई मौतें हो गयी हैं। बिधूना क्षेत्रमें प्रा0 हे0 सेन्टर बिधूना, महिला चिकित्सालय बिधूना में कोई डाक्टर न होने से जनता कुत्ते की मौत मरने पर मजबूर हो रही है। हजारों गांवों में मलेरिया का भयंकर प्रकोप है। चिकित्साभाव के कारण लोग मर रहे हैं। डी0डी0टी0 का छिड़काव भी नहीं हो रहा है और मलेरिया विभाग द्वारा कोई जांच व रोकथाम का प्रबन्ध भी नहीं हो रहा है जिससे जनता में घोर असन्तोष, क्षोभ एवं निराशा का वातावरण है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न को सदन व शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि शासन इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर रोकथाम करने की व्यवस्था करें।]

भूतपूर्व सदस्य, श्री राम आसरे अग्निहोत्री को सुरक्षा किये जाने तथा निष्क्रिय पुलिस अधिकारियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबूसम आजमी—

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन एवं सदन के संज्ञान में अतिलोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं। श्री राम आसरे अग्निहोत्री भू0पू0 विधायक, बाटमपुर क्षेत्र, जनपद जौनपुर एक सामाजिक एवं राजनैतिक निष्ठावान लोकदल के नेता हैं। सत्ता पक्ष एवं जिला प्रशासन के गलत कार्यों का विरोध करके पीड़ितों एवं संघर्ष करते रहते हैं। इसके कारण उनके विरोधी सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री और उनके परिवार तथा समर्थक नाराज हो गये हैं। उन्होंने धमकी दी है कि श्री अग्निहोत्री विरोध करना बन्द कर दें नहीं तो जान से मार व मरवा दूंगा जिसके कारण उनके परिवार के सभी लोगों के जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में श्री अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन एवं प्रदेश के उच्चाधिकारियों को लिखित सूचना देकर मांग किया है कि मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा करायी जाय, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकी है। सत्ता पक्ष के असामाजिक तत्वों द्वारा बराबर धमकियां मिल रही हैं जिससे जनता में इनका घूमना-फिरना कठिन हो गया है।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दो माह पूर्व इनके ऊपर बर्तिलाना हमला भी हो चुका है। इससे जनता में भारी रोष एवं भय है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि श्री अग्निहोत्री के जान-माल की सुरक्षा करायी जाय और निष्क्रिय पुलिस अधिकारियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, ड्डियागंज, लखनऊ के अध्यापकों को नियमित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर बहादुर सिंह—

[मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के अध्यापकगण जून 1975 के पूर्व से तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। इन अध्यापकों को कालेज में कार्य करते हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं परन्तु चिकित्सा विभाग की नियमावली, 1979 के अन्तर्गत इनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। जबकि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा, उ0 प्र0 ने भी इनको नियमित किये जाने हेतु शासन को संस्तुति की है। परन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये अध्यापकगणों में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है जिसका प्रभाव छात्रों तथा मरीजों पर पड़ने की संभावना है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों को नियमित करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाय, ताकि अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष दूर हो सके।]

टाउन एरिया अमेठी, जिला लखनऊ के विद्युतीकरण में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र मुहल्ला मुन्शीगंज को छोड़ दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल पाण्डे—

[मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

टाउन एरिया अमेठी, जिला लखनऊ का विद्युतीकरण लगभग 8 वर्ष पूर्व शासन द्वारा कराया जा चुका है परन्तु विद्युतीकरण के समय हरिजन बाहुल्य आबादी वाले मोहल्ले मुन्शीगंज को छोड़ दिया गया है। जबकि शासन की यह स्पष्ट नीति है कि हरिजन बाहुल्य बस्तियों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय, परन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त मोहल्ले का विद्युतीकरण नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण वहां के निवासियों में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है क्योंकि वे लोग भी टाउन एरिया टैक्स अदा करते हैं।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि शासकीय नीति के अनुसार उक्त हरिजन बाहुल्य मोहल्ले में स्ट्रीट लाईट की यथाशीघ्र व्यवस्था करने हेतु आदेश जारी किया जाय, ताकि निवासियों में व्याप्त असंतोष दूर हो जाय।]

आगरा स्थित देवजिन्सी आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज के गृह स्वामी के अवैध धन्धे से आलू उत्पादकों को भारी क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा स्थित देवजिन्सी आइस एण्ड कोल्ड स्टोर स्वामी की बदनियत से मशीनों के उचित संचालन के अभाव में ऊष्णता से आलू उत्पादक किसानों का रखा हुआ आलू समय से पूर्व अंकुरित हो गया। बीज बोने के समय ऊंचे दाम मिलने की आशा छोड़ कुछ ने वह आलू बाहर भेज कर

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औने-पौने बेचा। सही मूल्य मिलना तो दूर रहा, 25 प्रतिशत मूल्य भी आलू का हाथ नहीं लग सका। इसके सिवाय दोहरा लाभ कमाने की दृष्टि से शीत गृह के उस खाली स्थान में शीतगृह स्वामी ने धनियां, हल्दी, मिर्च आदि का अपना भण्डारण कर लिया है। कुछ लघु व साधनहीन आलू उत्पादकों का आलू अब भी वहां सड़ रहा है। शीतगृह स्वामी के इस अवैध धन्धे से आलू उत्पादक किसान बरबाद होगया है। उसमें उसके प्रति भारी क्षोभ व रोष व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय विषय के माध्यम से आलू उत्पादक किसानों को होने वाली सम्पूर्ण क्षति पूर्ति कराने तथा उक्त शीतगृह स्वामी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ताकि भविष्य में फिर वह आलू उत्पादकों को धोखा न दे सके।]

इटावा जनपद के क्षेत्र भरथना एवं बिधूना में सड़कों के अभाव तथा बहादुरपुरा से नैविलगंज रोड को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महाराज सिंह---

[माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद इटावा विधान सभा क्षेत्र भरथना एवं बिधूना में आवागमन के साधनों की बहुत ही कमी है। मुख्य सड़क को जो जिला जोड़ती है, कच्ची एवं ईंटों का कार्य भी हो चुकी है, किन्तु अभी तक इस ओर से शासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि लाखों लोगों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः बहादुरपुरा से नैविलगंज रोड को पक्का करने से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जनहित में यह कार्य हमेशा के लिये हो जायेगा।

अतएव सदन व सरकार के माध्यम से उपरोक्त गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आज्ञा प्रदान करेंगे, इस संबंध में मेरी शासन से प्रार्थना है।]

आई0सी0डी0एस0 के तहत लखनऊ के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगौती सिंह---

[मान्यवर, आई0सी0डी0एस0 के तहत लखनऊ के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त कर्मचारियों को मार्च, 1985 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी भुखमरी तथा असन्तोष से व्याप्त हैं। आशंका है कि इनके वेतन के भुगतान के आदेश मार्च, 1985 में निर्गत किये जा चुके हैं, किन्तु अभी तक इन्हें वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार अपेक्षित है:---

1---इस स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में नियुक्त चिकित्साधिकारियों तथा स्वास्थ्य निरीक्षकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

2---मार्च, 1985 में भुगतान के आदेश के बाद भी अभी तक प्रा0स्वा केन्द्रों पर भुगतान संबंधी आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं।

3---कर्मचारियों के वेतन-बिल बना कर उन्हें अभी तक न तो पास कराया गया और न इस दिशा में कोई जागरूकता ही दिखायी पड़ रही है।

अतः कृपया उक्त बिन्दुओं की ओर ध्यान देकर कर्मचारियों की दशा देखते हुए उनके वेतन का भुगतान तुरन्त कराया जाय तथा नियमित रूप से वेतन मिलने संबंधी आदेश भी निर्गत कराने की व्यवस्था की जाय।]

आगरा जनपद की तहसील खास और विकास खण्ड बरौली अहीर के गांवों में पशुओं की बीमारी फैलने तथा उपचार व्यवस्था शीघ्र कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा---

[मान्यवर, आगरा जनपद की तहसील खास और विशेषकर विकास खण्ड बरौली अहीर

नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अन्तर्गत प्राय: सभी गांवों में पशुओं में गला घोट की मृत्यु हो रही है। लेकिन शासन पूर्णतया निष्क्रिय है और जानवरों के इलाज की कोई व्यवस्था सम्भव नहीं हो पा रही है। फलत: ग्रामीण जनता अपने पुराने रुढ़िवादी जादू टोने आदि का सहारा ले रही है जिससे शान्ति व्यवस्था के लिये गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। ग्राम गमर-ग्रा में जानवरो के इलाज के लिये देवी का यज्ञ रचवाया गया और एक मरे हुये जानवर को जली हुयी मशालों के साथ पड़ोसी गांव लोधई की सीमा में दफनाने जा रहे हैं। किंवदन्ती यह है कि इस क्रिया के करने से एक गांव की बीमारी दूसरे गांव में चली जाती है। लोधई गुतिला के लोगों को जब यह मालूम पड़ा तो वह लाठी गोलियों से लैस होकर गांव की सीमा में घुसते ही गंगरोआ गांव के लोगों को मारने के लिये तैयार हो गये। पर थाना तालगंज की पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गयी और शीघ्र प्रभावी कार्यवाही से दुर्घटना से रोक लिया अन्यथा दस बीस व्यक्ति मारे जाते। मैं पुलिस के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं और शासन से मांग करता हूं कि पशु विभाग को सक्रिय करे और जानवरों की इलाज की तुरन्त प्रभावी व्यवस्था करे।]

राज्य विद्युत परिषद् के चीफ अभियन्ता श्री एस0 के0 गुप्ता को देहरादून या आनपारा प्रोजेक्ट में तैनात करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में सदन के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत राज्य विद्युत परिषद् करोड़ के घोटाले के नायक श्री एस0 के0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता को 62 लाख रुपये के हेरा फेरी करने के अभियोग में निर्माण खण्ड लेसू लखनऊ से हटा कर 8 जून, 1983 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय में पी0ए0 के पद पर अटैच किया गया था मगर परिषद् के उच्चाधिकारी की मिली भगत से पब्लिक डीलिंग व फाईनेंसियल ट्रान्जेक्शन से 5 वर्ष तक प्रतिबन्धित उक्त अभियन्ता को दिनांक 29 जून, 7 जुलाई, 13 जुलाई 1984 एवं 8 अप्रैल, 20 जुलाई, तथा 28 अगस्त, 1985 को पुन: पब्लिक डीलिंग के पद पर मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता देहरादून में पी0ए0 बना दिया गया है जबकि श्री गुप्ता अधिशासी अभियन्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त है जिसके अनुसार 20 जुलाई, 1985 को माननीय उर्जा मंत्री जी ने देहरादून प्रोजेक्ट में तैनाती की थी परन्तु तिकड़मबाजी में निपुण अभियन्ता उक्त तैनाती को एक माह के अन्दर निरस्त कराकर मनचाही जगह आनपारा प्रोजेक्ट की पोस्ट के विद्युत देहरादून जोन में नियुक्ति करा ली।]

अत: मैं अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि उक्त अभियन्ता को परिषद् हित में देहरादून अथवा आनपारा प्रोजेक्टर में शिफ्ट में तैनात कराने का कष्ट करें।

शाहजहांपुर के नगरपालिका तिलहर में अवैधानिक कर वसूली से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह--

[मान्यवर, शाहजहांपुर अन्तर्गत नगर पालिका तिलहर में अवैधानिक हाऊस टैक्स एवं-वाटर टैक्स की जबरिया वसूली से भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त कर का निर्धारण गैर कानूनी ढंग से किया गया है। नियमानुसार हाऊस टैक्स एवं वाटर टैक्स के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण निर्धारण अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिये था परन्तु नगर पालिका अधिकारियों की बेईमानी के कारण यह टैक्स झोपड़ी वालों पर तथा उन छोटे-छोटे मकानों पर भी लगाया गया है, जिनके दूर-दूर तक पानी के पाइप नहीं है। भूख हड़ताल प्रदर्शनों के माध्यम से इस टैक्स की वसूलयाबी पिछले वर्ष से जनता ने रुकवाई अब पिछले सप्ताह से पुन: उक्त टैक्स की वसूलयाबी के नोटिस सख्ती से आवाम को दे दिये गये

नोट : [*] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनके परिणाम स्वरूप सिलहर की जनता ने प्रदर्शन निकाल कर विरोध व्यक्त किया जा रहा है तथा भूख हड़ताल का नोटिस भी दिया है। उक्त अवैधानिक कर वसूली से जनता में भीषण असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतएव लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर नियमानुसार अधिकृत अधिकारी से सर्वेक्षण कराने के उपरान्त ही कर वसूलयावी कराने की मांग करता हूं।

हिन्डालको रेनूकोट, मिर्जापुर के प्रबन्धकों द्वारा असामाजिक तत्वों एवं पुलिस की मदद से श्रमिकों को लूटने तथा बर्बरतापूर्वक अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन—

[मान्यवर, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 को हिन्डालको रेनूकोट, मिर्जापुर के औद्योगिक मजदूरों तथा नागरिकों पर दुबारा बर्बर लाठी चार्ज से दर्जनों लोग और कई नागरिक घायल हो गये हैं। जिनमें दो घायलों की हालत चिन्ताजनक है हिन्डालको के प्रबन्धकों द्वारा पोषित एवं पालतू असामाजिक तत्व पुलिस की मदद से इन दिनों श्रमिकों के क्वार्टरों को जबरिया खाली कराने और लूटपाट करने का अभियान चला रखा है। जिसमें स्थानीय पुलिस उनके इस दमनात्मक कार्यवाही में पूर्ण सहयोग देकर मजदूरों की सम्पत्ति लुटाने क्वार्टरों को खाली कराकर कब्जा कराने का आतंक पैदा कर रखा है जिसका विरोध करने पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज करके सम्पूर्ण दक्षिणांचल के औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों में घोर अशान्ति एवं गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। इसके पूर्व दिनांक 18 अगस्त, 1985 को कालोनी गेटपर प्रगतिशील मजदूर सभा की हो रही शान्ति पूर्ण मीटिंग पर पुलिस ने गुण्डों को साथ लेकर प्रबन्धकों के इशारे पर मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज किया था जिसके परिणामस्वरूप यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री लल्लन राय तथा महामंत्री का0 द्वारिका सिंह समेत 25 मजदूर घायल होगये थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी थी। यह पुलिस का बर्बर लाठी चार्जका उद्देश्य मजदूरों के कानूनी अधिकारों पर सीधा हमला ही नहीं बल्कि पुलिस की नंगी तानाशाही का नग्न प्रदर्शन है। जिसे प्रशासन मूक बन कर देख रहा है पुलिस के इस लगातार बर्बर लाठीचार्ज से औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति असामान्य होती जा रही है और उक्त घटना 9 हिन्डालकों के 10 हजार मजदूरों के अतिरिक्त ओबरा, डाला, कनोडिया, आनपारा, रेनूसागर, शक्तिनगर, बीना, सम्पूर्ण दक्षिणांचल के लाखों मजदूर आन्दोलित हो उठे हैं किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है जिसे रोका नहीं जा सकता। अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से तत्काल हस्तक्षेप एवं औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाये रखने की तत्काल जांच एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में विभागीय वरिष्ठ यांत्रिकी अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये सहायक अभियन्ता यांत्रिकी को अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति कर दी गयी है। जबकि विभाग में वरिष्ठ यांत्रिकी अभियंता लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं उनको प्रोन्नति न देकर बाहरी अभियन्ताओं को प्रोन्नति देने से संगठन में अत्यन्त असंतोष व्याप्त है और कामकाज ठप हो गया है तथा विभागीय यांत्रिकी अभियन्ताओं में कुण्ठा की भावना व्याप्त हो गयी है क्योंकि उनकी प्रोन्नति के अवसर समाप्त हो गये हैं और संगठन में नियमित यांत्रिकी अभियन्ताओं के कार्य की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे डी0पी0ए0पी0 के कार्य क्षेत्र बुन्देलखण्ड में

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य न कराकर प्रतिनियुक्ति के अभियन्ता ने सीतापुर जनपद में 4 लाख रुपये पायलट प्रोजेक्ट (वाटर लांगिंग एरिया प्रोग्राम) पर खर्च किये। अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से आये सहायक अभियन्ताओं को जो अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर कार्यरत हैं, को तुरन्त उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया जाय तथा विभागीय वरिष्ठ यांत्रिकी अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति किया जाय जिससे संगठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके।]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फडरेशन, लखनऊ द्वारा विषाक्त एवं क्षतिग्रस्त लेवी चीनी के टेण्डर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी मिश्र—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिनांक 24-8-85 को उ० प्र० कोआपरेटिव फ़ेडरेशन, लखनऊ द्वारा 88.333 मीटरी टन क्षतिग्रस्त लेवी चीनी के किये गये टेन्डर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त तिथि में जिस चीनी का टेन्डर फ़ेडरेशन द्वारा किया गया है, उसमें 442 कुन्तल चीनी 32, स्टेशन रोड, लखनऊ एवं 441 कुन्तल चीनी आलमबाग स्थित गोदामों में रखी हुयी है। 32 स्टेशन रोड, लखनऊ की गोदाम में रखी हुयी चीनी तेजाब खायी हुयी तथा विषैले कीड़ों सहित चीनी है जो कि पूर्णतयः विषाक्त हो चुकी है। उक्त चीनी का टेन्डर फ़ेडरेशन द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। उक्त चीनी का परीक्षण चीनी विशेषज्ञों द्वारा कराने के उपरान्त ही खुले बाजार में किसी के हाथों बेचा जाये अन्यथा लखनऊ में भी भोपाल काण्ड की पुनरावृत्ति हो सकती है। साथ ही साथ जिन अधिकारियों द्वारा ऐसी चीनी का टेन्डर 24-8-85 को लखनऊ में किया गया है उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। एवं उक्त तिथि में किये गये टेन्डर को रद्द करने के आदेश जारी करें।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री जी से अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

डुमरियागंज, बस्ती में चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व का यह प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद बस्ती में चीनी और मिट्टी के तेल के वितरण व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है मिट्टी का तेल खुले बाजार ब्लैक में 5 रु० से 6रु० प्रति लीटर बिक रहा है। डुमरियागंज तहसील के सैकड़ों ऐसे ग्राम हैं जहां के किसानों को 4,4,-5,5 महीनों से मिट्टी का तेल नहीं मिला है। और यदि इसकी फ़िजकल वेरीफिकेशन कराई जाय तो वस्तुस्थिति सामने आयेगी। मैं इस की सूची के साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। सबसे शर्मनाक और इस बेशर्मी सरकार के लिये कलंक की बात यह है कि ईद बकरीद नाग पंचमी आदि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में मैं अपनी सुनिश्चित जानकारी के बिना पर कहता हूं कि सहकारी समितियों में सैकड़ों ग्रामों को चीनी नहीं दी है और कुछ समितियां ऐसी भी है जिन्होंने साल साल भर से चीनी नहीं उठायी है। ऐसी स्थिति में इस बात की जानकारी अधिकारियों के होनेके बावजूद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। मैं मांग करता हूं एक समिति भेज कर तत्काल इसकी जांच कराई जाय और जो अधिकारी जांच करने जायें वे संबंधित क्षेत्र के विधायकों से भी सम्पर्क स्थापित कर लें।]

आगरा जनपद के थाना खैरागढ़ के ग्राम महुआ खेड़ा में सवर्णों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल—

[मान्यवर, आगरा जनपद के थाना खैरागढ़ के गांव महुआ खेड़ा में सितम्बर, 85 को गांव

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के सवर्णों द्वारा गिरोह बनाकर लाठी बल्लम फ़रसों तथा बन्दूकों से लैस होकर गांव के जाटवों पर सामूहिक रूप से हमला किया गया जिस में 4 पुरुष रेवती, रमेश्वर, राजाराम, कलौदा तथा दो महिलाएं सलेमा व गूदों गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भरती कराया गया। मानिक चंद, भूप सिंह, व राम सिंह के मकानों को जला दिया गया व इन्दरी नामक महिला को जलती आग में फ़ेंक दिया गया जो किसी तरह बचा ली गई। हजारों रुपये की संपत्ति लूटी गई या जलकर भस्म हो गई। भयभीत जाटव गांव छोड़कर आगरा भाग आये हैं। घटना की रिपोर्ट थाना खैरागढ़ में जब पुलिस ने नहीं लिखी तब आगरा थाना रकाबगंज में नामजद रिपोर्ट धारा 395/397/436 के अन्तर्गत क्षेत्रीय विधायक सहित 45 लोगों के खिलाफ़ दर्ज हुई है गांव के हरिजनों में भारी आतंक व असुरक्षा व्याप्त है। आगरा शहर में भी जाटवों में भारी क्षोभ और असन्तोष है तथा स्थिति काफ़ी तनाव पूर्ण और विस्फ़ोटक होती जा रही है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस घटना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि गांव के हरिजनों व जाटवों की सुरक्षा की अविलम्ब पूरी व्यवस्था की जाये। तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही किये जाने का आदेश देने की कृपा करें। तथा पूरी मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाय।]

तेली पाड़ा फार्म बिजनौर द्वारा दीवार बनाकर खोह नदी की मुख्य धारा को मोड़ देने तथा बाढ़ व वर्षा के भयंकर प्रकोप से कोटद्वार भावर, गढ़वाल के कतिपय गांवों को क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी (गढ़वाल)--

[कोट द्वार-भावर (गढ़वाल) में भारी वर्षा के कारण भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ है, जिसके कारण कई गांवों के मकानों व उपजाऊ खेती की जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है।

उपरोक्त बाढ़ से प्रभावित ग्राम सिम्बल चौड़, मानपुर विसनपुर व स्नेह मल्ली की जनता में भय व खतरा निरन्तर अब तक बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त गांवों की जनता अत्यधिक आतंकित है व अपने घरों को छोड़- छोड़ कर अन्यत्र जा रही है।

स्नेह मल्ली जो कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, का मुख्य कारण तेली पाड़ा फ़ार्म, बिजनौर के द्वारा अवैध व गलत ढंग से नदी में दीवार को खड़ा कर खोह नदी की मुख्य धारा को उक्त गांव की ओर मोड़ देने से उत्पन्न हुई।

अतः उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं व मांग करता हूं कि क्षेत्र की जनता को तत्काल राहत पहुंचाई जाए व अवैध व गलत ढंग से बनी दीवाल को अविलम्ब हटाया जाए।]

किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा की आत्महत्या से आन्दोलित क्षुब्ध छात्रों की मांगों पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव कुमार यादव---

[मान्यवर, किंगजार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ काफ़ी अर्से से भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद और छात्र उत्पीड़न का अड्डा बन गया है। ऐसे ही उत्पीड़न से ऊबकर संस्था की एम0 डी0 की छात्रा डा0 कुमारी चन्द्रप्रभा को आत्महत्या करनी पड़ी है। जिसके विरोध में जूनियर डाक्टर्स एण्ड स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन की अगुआई में उक्त काण्ड की जांच हेतु छात्र आंदोलन एवं संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन की अगुआई एसोसियेशन के संगठन मंत्री डा0 अशोक कुमार यादव कर रहे हैं। उनके इस न्यायोचित संघर्ष के कारण कालेज के प्राचार्य एवं अन्य अधिकारी डा0 यादव से व्यक्तिगत रंजिश मानने लगे हैं तथा छात्र आंदोलन को कुचलकर अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाले रहने के इरादे से उन्होंने डा0यादव के विरुद्ध मनगढ़न्त आरोप लगाकर

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 28-8-85 से डा0 यादव को निलम्बित कर दिया है। प्राचार्य की इस छात्र विरोधी कार्यवाही से कालेज के समस्त छात्रोंमें असंतोष की लहर दौड़ गयी ह। और वे न्याय पाने के लिए आन्दोलित हो रहे हैं। प्राचार्य ने कानून व्यवस्था का बहाना लेकर कालेज परिसर में भारी तादाद में पी0ए0सी0 बुलाली है, जिसके कारण कालेज पी0ए0सी0 के छावनी के रूप में बदल गया है। अपने भ्रष्टाचारों को दबाने की नियति से प्राचार्य की इस नियति से प्राचार्य की इस दमनात्मक कार्यवाई का कोई औचित्य नहीं है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर तत्काल कार्यवाई हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं में जरीफनगर थानेकी पुलिस व दरोगा श्री भार्गव द्वारा जनता को त्रस्त किये जाने तथा उनके स्थानान्तरण की मांग केसंबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश पाल सिंह यादव--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना सदन के माध्यम से शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करता हूं।

कि जनपद बदायूं जरीफ़नगर थाने के दरोगा श्री भार्गव ने अत्याचार भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है। 16/17 अगस्त में थाना जरीफ़ नगर, ग्राम वज़ीरपुर, निवासी श्री भगवान सिंह की बंदूक उनकी अनुपस्थिति में जबरन घर में घुसकर उठा ले गये और थाने में आकर फ़ायर करके वह बंदूक कत्ल में रख दी श्री भगवान सिंह गांव से बाहर थे इसलिए उन पर 120-बी का झूठा मुकदमा कायम करा दिया लगभग चार माह से पुलिस अधीक्षक से मैं बार बार कह चुका हूं और स्थानीय जनता की लिखित शिकायतें होने पर कुछ नहीं हुआ। कृपया आप एस0आई0 श्री भार्गव और थाना जरीफ़नगर में समस्त कार्यरत स्टाफ़ का स्थानान्तरण कराके सी0आई0डी0 जांच कराने की कृपा करें। वरना जनता में कभी भी विद्रोह उठ सकता है। इसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।]

वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र सेवापुरी के कतिपय गांवों में नालों व पुलहो के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री राजकिशोर सिंह--

[मान्यवर, वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र सेवापुरी ग्राम मंहगीपुर के पास एक बड़ा नाला है जहां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हो चुका है। किन्तु इस नाले पर पुल निर्माण न होने से ग्राम का विकास अवरुद्ध हो गया है, जिससे ग्रामीण जनता को महान कष्ट है। विकास क्षेत्र आराजीलाइन के ग्राम सिहोरवा नं0 2 के पास स्थित नाले पर पुल निर्माण न होने से यातायात के लिए कठिनाई है। विकास क्षेत्र पिन्डरा के ग्राम-दल्लीपुर के पास सम्पर्क मार्ग पर पुल निर्माण न होने से जनता को महान कष्ट है। इन स्थानों पर पुल निर्माण से ग्राम विकास के कार्यों में गति प्रदान होगी।

संदर्भित स्थानों पर पुल निर्माण के लिए क्षेत्रीय जनता लम्बे अर्से से मांग करती आ रही है किन्तु अब तक कोई कार्यवाही न होने से जनता में असंतोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त पुलों के निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।]

बस्ती के जिलापूर्ति अधिकारी के रिश्तेदारों को कोल एजेन्ट बनाने तथा जनपद के बाहर ही कोयला बेंच देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय:--

[मान्यवर, बस्ती जनपद में वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 में जिला पूर्ति कार्यालय की मिली भगत से कुछ असामाजिक व्यक्तियों को तथा जिला पूर्ति अधिकारी के रिश्तेदारों को कोल एजेन्ट नियुक्त किया गया था और इन्हें कोयला लाने के लिए डी0ओ0 जारी किया

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। माल कोल एजेन्ट ने कोयला बाहर ही बेच दिया और बस्ती जनपद में कोयला लाये ही नहीं। जब इसकी शिकायत की गयी तो जांच होने पर जिन भट्ठे वालों को एजेन्टों ने कोयला प्राप्त होना बताया उन्होंने इससे इंकार कर दिया। इस प्रकार से लगभग 50 लाख रुपये का कोयला बस्ती जनपद में आया ही नहीं। इन एजेण्टों को कुछ बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है।

अतएव आप के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाए।]

नौगढ़ बस्ती में राप्ती नदी तथा कूड़ा नदी के कटान से, कतिपय गांवों को खतरा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव--

[मान्यवर, बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में राप्ती नदी के बायें किनारे संगल दीप गांव बुरी तरह से कट रहा है लगभग 50 घरकटाव से नदी में विलीन हो गये इसी तरह कूड़ा नदी के कटान से परसपुर गांव बुरी तरह कटाव से बरबाद हो रहा है। अब तक लगभग 20 घर नदी के पेट में जा चुके हैं।

उपरोक्त दोनों गांवों के कटान से जिनके घर नदी में चले गये वह परिवार सहित इस बरसात में इधर-उधर कहीं पेड़ के नीचे किसी की शरण में दिन काट रहे हैं। इनकी हालत बड़ी हृदय विदारक है जिन लोगों का घर नहीं गिरा है वह भी भयभीत हैं। अभी तक उनके रहने, बसने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। इससे आपदग्रस्त एवं पास पड़ोस की जनता में भारी असंतोष है।

इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त दोनों गांवों की कटान की भयंकरता की जांच करके समुचित कार्यवाही करें।]

श्री धीरेन्द्रपाल सिंह, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख बदायूं, जिला बदायूं के साथ थानाध्यक्ष सिविल लाईन श्री राधा कृष्ण शर्मा द्वारा अमानवीय व्यवहार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

दिनांक 1.9.85 को रात्रि के 8.30 बजे जनपद बदायूं के संभ्रांत नागरिक श्री धीरेन्द्र पाल सिंह भू0पू0 ब्लाक प्रमुख बदायूं स्थित अपने निवास स्थान के पास इन्द्राचौक पान की दुकान पर पान लेने के लिये गये थे। तभी थानाध्यक्ष सिविल लाईन श्री राधा कृष्ण शर्मा वहां आये तो उन्होंने वहां खड़े लोगों को गालियां दीं। श्री धीरेन्द्र पाल सिंह द्वारा गालियां देने से मना करने पर वे उत्तेजित हो गये तथा श्री शर्मा ने श्री धीरेन्द्र पाल सिंह की निर्ममता-पूर्वक पिटाई की तथा झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें थाना सिविल लाईन में बन्द कर दिया। इस घटना की लिखित शिकायत रात्रि में पुलिस अधीक्षक, बदायूं को दी गयी।

इस घटना के विरोध में बदायूं के नागरिकों ने दिनांक 2.9.85 को जिला मुख्यालय, थानाध्यक्ष सिविल लाइन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया है। बदायूं की जनता में इस घटना से भारी रोष व उत्तेजना व्याप्त है। अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शीघ्र सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराई जाये तथा थानाध्यक्ष सिविल लाइन के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।]

लखनऊ-कानपुर रोड, आलमबाग में बारा बिरवा (शराब खाने से सुभाष नगर भोला खेड़ा) तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण तथा सीवर लाइन की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमवती तिवारी:--

[मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं।

नोट:---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ शहर में लखनऊ–कानपुर रोड, आलमबाग में बाराबिरवा (शराबखाने) से सुभाष नगर) (भोला खेड़ा) तक जाने वाली सड़क पर सीवर लाइन न होने से सड़क पर पूरे वर्ष स्थान-स्थान पर पानी भरा रहता है एवं सड़क जगह-जगह टूट-फूट गयी है। नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा सड़क निर्माण करते समय पानी के निकास का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप सड़क के अगल-बगल पानी इकट्ठा रहता है और इस कारण सड़क जर्जर हो गयी है। सड़क पर पानी के इकट्ठा होने के कारण बहुत गंदगी रहती है तथा तरह-तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं।

अतः मैं शासन से मांग करती हूं कि बाराबिरवा (शराबखाने के बगल से) से सुभाष नगर (भोला खेड़ा) जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण तथा पानी के निकास हेतु सीवर लाइन की व्यवस्था करायी जाए। जिससे इस समस्या का निदान हो सके।]

थाना पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद के पुलिस कर्मियों द्वारा श्री आजाद सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह, निवासी ग्राम सिरोही आदि व्यक्तियों पर अचानक हमला करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरन पाल सिंह––

[मैं आपके माध्यम से एक अविलंबनीय लोक महत्व 227 के विषय की ओर आपका तथा सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 17–8–85 को सुबह 7.30 बजे श्री आजाद सिंह सिरोही, पुत्र श्री रामपाल सिंह सिरोही, निवासी फतेहपुर, थाना अगौता तथा श्री कुशलपाल सिंह, निवासी सैदपुर, थाना बीबीनगर जब मोटर साइकिल पर जा रहे थे तो काली नदी के पुल (हल्का थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर) के पास थाना पिलखुआ, जनपद बाजियाबाद की पुलिस ने इन दोनों को रास्ते में आ घेरा। यह दोनों युवक मोटर साइकिल छोड़कर भागे तो इन पर पुलिस ने गोलियां चलायीं। सौभाग्य से इनको गोलियां नहीं लगीं। बाद में और लोगों के इकट्ठा होने पर तथा यह पता चलने पर कि आक्रमणकारी पुलिस वाले हैं तो इन दोनों युवकों ने अपने- अपने हाथ ऊपर उठा दिये। इसके बाद पुलिस इनको मोटरकार में बैठाकर पिलखुला थाने ले गयी वहां पर इनको पिलखुआ की पुलिस ने बुरी तरह मारा-पीटा तथा इनसे लगभग 1,500 रुपये छीन लिये। इस घटना का तत्काल पता चलने पर इनके इलाके के लोग भारी संख्या में पिलखुआ थाने पर पहुंचे तो वहां पर पता चला कि पिलखुआ थाने के एस0 आई0 श्री जगमोहन त्यागी अपने रिश्तेदारों के कहने पर इन लोगों को इन्काउन्टर करने की नियत से उठाकर लाये थे। बाद में जनता के दबाव के कारण इनको छोड़ दिया गया। घटना वाले रोज ही एस0 पी0 बुलन्दशहर को उक्त संबंध में तार दे दिया गया था तथा श्री आजाद सिंह की डाक्टरी जांच कराकर 30–31 जुलाई, 85 को समस्त विवरण एस0 पी0 बुलन्दशहर को मुकदमा कायम कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने के लिये प्रार्थना-पत्र भी दे दिया गया था लेकिन उक्त संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः मैं मांग करता हूं कि उक्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराकर न्यायोचित कार्यवाही कराई जाय।]

इलाहाबाद राजस्व परिषद् के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह––

[मान्यवर, इलाहाबाद राजस्व परिषद् में विगत 12 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल है जिससे विभिन्न राजस्व न्यायालयों का काम ठप्प पड़ गया है। शासन द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांग के प्रति उपेक्षात्मक रूप से लखनऊ कर्मचारी भी आन्दोलन में शामिल हो गये हैं और दोनों स्थानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों ने निर्णय लिया है कि यदि मांगें पूरी न की गयीं तो 10 सितम्बर से अनिश्चित

नोट :––[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालीन हड़ताल पर चले जायेंगे । पूरे प्रदेश के राजस्व संबंधी मुकदमें इन्हीं अदालतों में निर्णीत होते हैं। अत: प्रदेश के कोने-कोने से हजारों वादी प्रतिवादी प्रतिदिन आकर न्यायालयमें काम ठप्प होने के कारण निराश लौट रहे हैं जिससे धन, श्रम और समय की जबरदस्त क्षति हो रही है हजारों अधिवक्ता भी परेशान हैं कर्मचारीगण भी चिर प्रतीक्षित न्यायोचित मांग के प्रति आस लगाये जनतांत्रिक राह के संघर्ष पर हैं।

अत: इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तत्काल कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने तथा राज्य सरकार की आय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजस्व परिषद् का काम-काज पूर्ववत् चालू कराने की मांग करते हैं ।]

गोरखपुर में मो0 अंधियारी बाग रामलीला मैदान के निकट हिन्दू साधु सन्तों की समाधि भूमि पर पुलिस एवं माल विभाग द्वारा अवैध कब्जा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणजीत --

[महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत सुनिश्चित विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

गत 1, सितम्बर 85 की रात्रिमें अराजक तत्वों द्वारा मो0 अंधियारी बाग (रामलीला मैदान) के निकट भूमि संख्या 271 में हिन्दू साधु सन्तों की समाधि बनी हुयी है और हिन्दू साधु सन्तों के देहान्त होने पर उस भूमि पर समाधि बना दी जाती है, को पुलिस और माल विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सहयोग से झोपड़ी डाली गयी और कुछ समाधि को खुदवाकर ईटें की नींव डाली जा रही है ।

यह गोरखपुर जनपद में हिन्दू साधु सन्तों की बहुत पुरानी समाधि है । इसके पीछे मन्दिर है और मान सरोवर का पोखरा है जो ऐतिहासिक धर्मस्थल है । इस घटना से न केवल हिन्दू धर्म को ठेस पहुंची है बल्कि हर धर्म के लोगों में काफी रोष और क्रोध की भावना भड़क उठी है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि अविलम्ब अनाधिकृत कब्जे को हटाकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ताकि हिन्दू भावनाओं को ठेस न पहुंचे ।]

शाहजहांपुर के पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी के कटान को रोकने हेतु निर्मित सिमरा बांध के टूट जाने से धन जन की अपार क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम --

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

पूरनपुर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 13 गांव के 10 हजार लोगों को शारदा नदी के कटान से बचाने हेतु विगत वर्ष ही 13 लाख रुपये की लागत से सिमरा बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया था । इस वर्ष पहली बरसात में ही वह पूरा का पूरा बांध टूटकर बह गया । इस विषय में क्षेत्रीय विधायक पहले ही शिकायत करते रहे कि इसमें पूरा का पूरा कार्य फर्जी दर्शाया जा रहा है । एक-एक ट्रक पत्थर की जगह 10-10 ट्रक पत्थर तथा इसी भांति अन्य लागत सामग्रियों को फर्जी दर्शाया गया । सम्पूर्ण धनराशि को फर्जी कागजों पर दिखलाकर विभाग तथा जिले के अन्य अधिकारी खा गये हैं । यही नहीं इस 260 मीटर लम्बे बांध को समय से पूर्व ही निर्मित कराना दर्शाया गया है । इसके किनारे बसे हुए ग्रामों की समस्त जनता में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है तथा उनकी भूमि फसलों तथा जन व धन को गम्भीर खतरा बना हुआ है ।

अत: मैं आपके माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराके दोषी अधिकारियों के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खिलाफ कार्यवाही कर बांध के लागत की सम्पूर्ण धनराशि उन्हीं से वसूल करने तथा बांध के पुनर्निर्माण की शासन से मांग करता हूं ।]

शारदा नदी की बाढ़ व कटान से जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों को खतरा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार--

[महोदय, मैं, आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामबूंदीभूड़-सुन्दर नगर-नवजलिया नं 01 व 2 गभिया सराय-रमनगरा-गुनान-विजरौया खुर्द तथा खिर कियर बरगदिया-चंदिया हजारा आदि ग्रामों तथा महत्वपूर्ण शारदा सागर जलाशय को शारदा नदी की बाढ़ तथा कटान से गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है और लगभग 300 एकड़भूमि नदी के कटान में आ गयी है । इन गांवों की आबादी कृषि योग्य भूमि धान जूट व गन्ने की फसलों तथा शारदा सागर जलाशय को कटने से बचाने के लिये अतिशीघ्र नदी किनारे अधूरे द्वितीय बांध तथा इस पर ठोकरें बनाने की आवश्यकता है । अन्यथा इस क्षेत्र में बसे हुये 20 हजार व्यवस्थापितों का जीवन खतरे में है और यदि शीघ्रता न की गयी तो किसी भी क्षण शारदा सागर जलाशय भी कट सकता है जिससे कि भीषण रूप से जन व धन की हानि हो सकती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से तत्काल कटान रोकने, पीड़ित परिवारों को बसाने तथा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता दिलाने हेतु शासन से मांग करता हूं ।]

अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा लाखों रुपये कृषकों से अवैध रूप से वसूल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

[महोदय, अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सचिव लाखों रुपया कृषकों से अवैध रूप से वसूल कर रहे हैं । क्षे0 स0 स0 करनपुर के सचिव ने फर्जी रसीद बही संख्या 399 व 1158 द्वारा कई लाख रुपया अवैध रूप से कृषकों से वसूल किया है । एक कृषक सचेर सिंह, पुत्र घूरे सिंह, निवासी नगला सरुआ से पुस्तक संख्या 399 रसीद संख्या 75 द्वारा 6250 रुपया 80 पैसा सचिव ने वसूल कर लिये तथा विभागीय अभिलेखों में उसे बकायादार दिखा कर उक्त धनराशि की वसूली के लिये कृषक के विरुद्ध कुर्की वारंट की उत्पीड़क कार्यवाही भी कर दी । इसी प्रकार फर्जी रसीदों से अनेक व्यक्तियों से करीब 4 लाख रुपया वसूल करने की शिकायत क्षेत्र समिति चंडौस के प्रमुख द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों से किये जाने के बाद भी सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही अभी तक न होने के कारण सीधे-साधे कृषकों से निरन्तर फर्जी रसीद बहियों द्वारा धन वसूली की जा रही है । पूरा धन अदा करने के बाद भी कुर्की आदि की कार्यवाही होने से कृषकों में घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

आपके माध्यम से उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं जिससे निर्दोष कृषकों से की जा रही अवैध धन की वसूली रोकी जा सके ।]

जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0, मालवीय नगर, लखनऊ द्वारा कानपुर रोड, बरगवां, लखनऊ के अन्तर्गत खरीदे गये भूखण्डों पर मकान निर्माण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 बंगाली सिंह--

[मैं, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूं कि जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मालवीय नगर, लखनऊ में कानपुर रोड, बरगवां, लखनऊ के अन्तर्गत खसरा संख्या 459 का भूखण्ड 1982 में खरीदा है जिसमें कुछ सदस्यों ने पक्के मकान भी बनवा लिये हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखंड भवन निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जबकि शासनादेश संख्या 1634/37/2-80-79/आ0 स0, दिनांक 9-4-80 में यह स्पष्ट आदेश है कि किसी भी सहकारी आवास समिति द्वारा क्रय की गयी भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद् अधिगृहीत नहीं करेगा क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है और यह उक्त भूखण्ड अधिगृहीत करने के संबंध में अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। परन्तु फिर भी बिना किसी कारण उक्त सहकारी आवास समिति को क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण की आज्ञा न देना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः शासन से मांग करता हूं कि वह इसकी जांच करायें और संबंधित भूखण्डों पर भवन निर्माण की आज्ञा तुरन्त प्रदान करें तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें जिनकी वजह से यह भूखण्ड चार वर्ष से अनुपयुक्त पड़ा हुआ है।]

जनपद मेरठ की सरधना नगरपालिका के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक चुंगी कर लगाये जाने से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी--

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का एक गंभीर मामला प्रस्तुत कर रहा हूं। जनपद मेरठ की सरधना नगर पालिका के अधिकारियों ने जन भावनाओं की उपेक्षा करते हुए टोल टैक्स के स्थान पर अत्यधिक चुंगी कर लगा दिया है। यहां की जनता को एकाएक चुंगी चौकियों पर रोक कर मनमाने ढंग से से उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे दूध, डीजल, कृषि उत्पादों तथा पशुओं आदि पर भारी मात्रा में चुंगीकर वसूलना शुरु कर दिया है। किसी भी स्थानीय समाचार-पत्र में न ही इसकी सूचना प्रसारित की गयी और न प्रशासन द्वारा जनता को विश्वास में लिया गया। नगर के बाहर विक्रय हेतु जाने वाले समान में से बचे हुए समान की वापसी पर चुंगी वसूल की जा रही है। यहां की जनता जो अल्प व्यवसाय द्वारा अपनी जीविकोपार्जन करती है, सब अस्त-व्यस्त हो गया है। नगर की जनता को सभी सामान अत्यन्त महंगे मिलने लगे हैं। जनता में भारी असंतोष व्याप्त हैं और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अतः मैं मांग करता हूं कि नगरपालिका द्वारा लगाई गई चुंगी की दरों को कम करके जनता को राहत पहुंचायी जाय।]

औरेया, जनपद इटावा में अधूरी सीवरलाइन का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमलेश कुमार पाठक--

[महोदय, मैं, आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कस्बा औरेया, जनपद इटावा में वर्ष 1975-76 में सीवर लाइन बिछाई का कार्य हुआ था जिस पर उस समय लगभग 18 लाख रुपया व्यय हुआ था इस योजना में मुख्य लाइनों को बिछाकर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। सीवर की खुदाई के कारण नगर की मुख्य सड़कें भी टूट गयी जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई। इस समय भयंकर वर्षा हो रही है जिसके कारण औरेया नगर में पानी निकास के अभाव में भरा हुआ है जिससे जन मानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इसकी ओर कई बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः सरकार कस्बा औरेया से जल निकासी के लिए वर्ष 1975 से 18 लाख रुपये व्यय देने के बाद भी अधूरी पड़ी सीवर लाइन को शीघ्र पूरा करवाये।]

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस अधीक्षक श्री एस0 के0 त्रिपाठी, देवरिया द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा उन्हे हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीप्रकाश--

[मान्यवर, पुलिस अधीक्षक श्री एस0 के0 त्रिपाठी द्वारा थानों के बाजारों के सामान नीलामी, तस्करी में लीन होना, जातिवाद के आधार पर आचरण करना, इसका विरोध करने पर सदन के माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह के जान का खतरा है। यह किसी भी समय कोई अप्रिय घटना करवा सकते हैं। दिनांक 12/13 मई, 1985 को राम दास सिपाही को उनके बंगले पर रात में गोली मारकर हत्या कर दी गयी उसके दो दिन बाद उसके बड़े भाई राम औतार हरिजन को गोली मारकर हत्या, सूदामा यादव, संवरू निषाद, रमाशंकर राजभर व रामजी के सरा के हत्यारों को संरक्षण देना तथा उसमें स्वयं की साझेदारी है जिससे सम्पूर्ण जिले में भय व असुरक्षा व्याप्त हो गया है तथा इस समय जिले में जातीय संघर्ष तेज हो गया जिससे सम्पूर्ण जनपद में किसी भी समय कोई गम्भीर घटना हो सकती है।

अस्तु माननीय सदन में इस लोक महत्व के प्रश्न पर प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में तत्काल पुलिस अधीक्षक देवरिया को हटाये जाने तथा हत्याओं की जांच राज्य अनुसन्धान शाखा से कराने की मांग करता हूं।]

थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम गजाधरपुर में गुण्डों द्वारा आतंक मचाने तथा पुलिस निष्क्रियता के संबंध में नियम -301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

गजाधरपुर ग्राम में शोभा, पुत्र मैखू, लल्लन, पुत्र सरंगी, रामलाल, पुत्र बनवारी तथा शक्ली पुत्र ऊदल जो कि बगल के ग्राम अखरी के निवासी, यह बहुत शातिर बदमाश एवं गिरोहबन्द हैं। इनके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में डकैती, राहजनी, चोरी, अनधिकृत भूमि पर कब्जा आदि गम्भीर मामलें में रिपोर्टें दर्ज हैं।

दिनांक 17-8-85, 10-7-85 व 30-11-85 को रघुनाथ राम गुप्ता, निवासी उपरोक्त ने जमीन पर कब्जा करने तथा औरत बच्चों को मारने पीटकर गम्भीर चोट पहुंचाने की रिपोर्टें दर्ज कराया है। इसके अतिरिक्त इन अराजकतत्वों के विरुद्ध कई ग्राम के ग्राम प्रधानों ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा है, जिसमें यह भी उल्लेख किया है कि ग्राम के तथा आस-पास के लोग इन गुण्डों के विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर सकते। रघुनाथ राम गुप्त को तथा उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी इन गुण्डों द्वारा दी जा रही है इससे उनके तथा उनके परिवार को भारी असुरक्षा पैदा हो गयी है और उनमें भय व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब उक्त गुण्डों के विरुद्ध तथा निष्क्रिय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।]

सादाबाद इन्टर कालेज, मथुरा के प्रबन्ध-तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुस्तमन्द अली खां--

[आदरणीय महोदय, सादाबाद इण्टर कालेज, सादाबाद आज अनियमितताओं, धांधलियों एवं भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। कालेज मैनेजमेन्ट का कोई भी चुनाव टाउन एरिया के सुपरसीड होने के उपरान्त आज तक नहीं कराया गया है और न ही कार्य समिति की बैठक हुई है। वर्ष 1977 से आज तक आय-व्ययकों का न तो आडिट हुआ है और न ही प्रबन्ध मण्डल का नियमानुसार चुनाव हुआ है। प्रबन्धक

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ने प्रशासन के नियमों को बलाये ताक पर रख-कर एकाधिकार कर लिया है व फ़र्जी प्रबन्धक बने हुए हैं। दाखिले के समय पर बिल्डिंग के नाम पर अवैध फ़ीस छात्रों से ली जा रही है और उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है। जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन कारणों की वजह से वहां की जनता में व्यापक रोष उत्पन्न हो गया है और वहां के प्रधान भूख-हड़ताल पर आमादा हो रहे हैं। इसकी शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मा0 मंत्री जी से कर चुका हूं, परन्तु इस बारे में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। क्षेत्रीय जनता में भय आक्रोश एवं रोष व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरन्त उचित एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की मांग भी करता हूं। जिन्होंने शिकायत प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध करता हूं।]

पाल-नौका चालन में ख्याति प्राप्त प्रदेश के सैनिक मेजर ए0 पी0 सिंह और कैप्टन अशोक कुमार सिंह को उ0 प्र0 शासन द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कर्नल केशरी सिंह—

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सम्मानित सदन के एवं शासन के संज्ञान में एक लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। इस प्रदेश में दो सैनिक, मेजर ए0 पी0 सिंह और कैप्टेन अशोक कुमार सिंह ने देश में पाल-नौका चालन में विशेष ख्याति प्राप्त करके प्रदेश के लिए सम्मान हासिल किया है। दोनों सैनिक पिछड़े जिले क्रमशः गोंडा व बस्ती के निवासी है। गत 12 अक्तूबर को इंग्लैंड से एक सैनिक टीम के साथ पाल-नौका से चलकर फ़रवरी, 1985 में भारत पहुंचे हैं, जो एक बड़ा जोखिम भरा साहसिक कार्य है। इसमें कैप्टेन अशोक कुमार सिंह का एक पैर 1983 में ग्लाइडिंग दुर्घटना में जाता रहा है। अब यह सैनिक एक टीम में मासान्त में पाल-नौका से संसार भ्रमण को जा रहे हैं जिसमें लगभग दो वर्ष अपार समुद्रों में नाव चलाना होगा। दिनांक 23 सितम्बर को माननीय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी इस टीम को अपना आशीर्वाद देंगे। परन्तु इन सैनिकों के इस साहसिक कार्य को जो खेलकूद जगत में विशेष स्थान रखता है, प्रदेश में कोई महत्व नहीं मिल रहा है।

अतः आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन से अनुरोध है कि इन दोनों सैनिकों को सम्मानित किया जाय एवं इन्हें उचित ढंग से पुरस्कृत किया जाय।]

विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा लिपिक पदों के चयन में धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुधपाल सिंह खुर्जावाले—

[मान्यवर, मैं इस सूचना के माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कि विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा कुछ समय पूर्व सहायक लेखाकार एवं हिल जोन के लिए दैनिक श्रेणी लिपिक पद हेतु चयन परीक्षा आयोजित की गयी है। इस चयन में फार्मों को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा कोडिंग एवं कापियां आदि के जांचने में गम्भीर अनियमितता की जा रही है, जिसकी शिकायतें समय-समय पर विधायकों एवं अन्य लोगों द्वारा शासन को की गयी, परन्तु उन्हें नजरअन्दाज कर अनियमित ढंग से चयन सम्पन्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को प्राप्त होने वाली फीस के पोस्टल आर्डरों की भी अवैधानिक रूप से कैश कराकर गबन का मामला प्रकाश में आया है। इससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति देने की कृपा करें।]

नोट —[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टाउन एरिया सिद्धौर, बाराबंकी के शीघ्र समुचित विकास किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर--

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की टाउन एरिया, सिद्धौर, जिला बाराबंकी की स्थापना, जब से हुई है तब से यह टाऊन एरिया बिजली पानी एवं गन्दगी का शिकार है। इसकी मुख्य सड़क जिससे लोग तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय आते-जाते हैं वह उखड़ कर कस्बे के अन्दर काफी गहरी हो गयी है जिससे कि सारा बरसात का पानी सड़ता रहता है। इसी सड़क पर सिद्धौर-देवीगंज के बीच दो पुलिया टूटी 5-6 वर्ष से अधूरे निर्माण में पड़ी है जिससे कि परिवहन बसें सिद्धौर से तहसील व जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाती। यही नहीं टाउन एरिया से सम्बन्धित गांव नयां पुरवा, नेवहट, मुक्का का पुरवा, भीटिया कस्बे की आबादी से अलग बसे हैं जहां कि सम्पूर्ण आबादी हरिजनों की है वहां के हरिजन टाउन एरिया और ग्राम सभा दोनों के विकास से वंचित है। ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल शासन द्वारा टाउन एरिया के समुचित विकास करने की मांग करता हूं।]

बाराबंकी जनपद में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

0श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[महोदय, बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत बाराबंकी से मसौली, बाराबंकी से भयारा, बाराबंकी से नौनामऊ चलने वाली राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में कमी कर दी गयी है जिसके कारण जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी जनपद के अन्तर्गत कस्बा जैदपुर 20 हजार की आबादी का स्थान है परन्तु लखनऊ से जैदपुर चलने वाली बसों की बहुत कमी है जिसके कारण डग्गा मार बसे चल रही है। यह कस्बा हथकरघा उद्योग का प्रमुख कस्बा है।

मेरी सरकार से मांग है कि भयारा, मसौली, नौनामऊ से हटाई गई बसे पुनः लगाई जायं तथा कस्बा जैदपुर के लिए कम से कम दस बसें प्रति दिन लगाई जाय जिससे जनता की आवागमन समस्या दूर हो सके।]

श्री अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर अन्सारी, निवासी पोस्ट धुसवा मनकापुर, जिला गोण्डा, पर पुलिस की सांठ-गांठ से अवांछनीय तत्वों द्वारा अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

[महोदय, दिनांक 30 जून, 1985 को श्री अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर अन्सारी, पोस्ट धुसवा, मनकापुर, जिला गोंडा के घर में एक नौ-वर्षीय बालिका की योजनाबद्ध तरीके से नेत्रहीन के घर में घुसाया गया तथा पुलिस से साजबाज करके बस्ती के असरदार लोगों ने उक्त व्यक्ति के घर में से उसकी मां को निकालकर मारा-पीटा, नंगा किया और शर्मगाह में मिर्च ठूंसकर कई घंटों तक बस्ती में घुमाया गया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की तथा आतंकित होकर अल्पसंख्यक के सभी लोग बस्ती छोड़कर भाग रहे हैं के विषय का नियम 301 में लाने की अनुमति चाहता हूं ताकि चर्चा हो सके।]

पर्याप्त वर्षा न होने से जनपद, फैजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद--

[मान्यवर, विगत 15 दिनों से पानी न बरसने से जनपद फैजाबाद में घोर अकाल की समस्या पैदा हो गयी है। खासतौर से सदर व बीकापुर तहसील जहां पर अधिकांश सिचाई राजकीय नलकूपों और नहरों से होती है, नलकूप 80 फीसदी बन्द पड़े हैं। यही हाल नहरों का है। उनसे निकली हुई नालियां बन्द पड़ी होने के कारण जितनी एरिया में सिचाई होनी चाहिए, नहीं हो

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है। उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र सोहावल में विकास क्षेत्र गसौढ़ा है, वहां पर चांदपुर राजबहा 20 किलोमीटर लम्बा है 400 हेक्टर भूमि की सिंचाई होती थी पटी पड़ी हुई है। यही हाल सरयावां माइनर को है। पचासों गांव की सिंचाई होती थी। सफाई के नाम पर अधिकारियों ने बन्द कर दिया है। विकास क्षेत्र सोहावल में श्रगापुर, उड़वा माइनर है, जिससे पचासों गांव की सिंचाई हो सकती है, बन्द कर दी गयी है। इस प्रकार फैजाबाद और बीकापुर तहसील की 50 फीसदी फसलें सूख गयी हैं। किसानों में त्राहि-त्राहि मची है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल नलकूप जो बन्द पड़े हैं चालू कराया जाय। नहरों के द्वारा रजबहों और नालियों से तत्काल सिंचाई करायी जाय। समस्त वसूली रोक दी जाय। टैस्ट वर्क चालू कर दिया जाय।]

जनपद फैजाबाद में कालीन उद्योग की इकाइयों के बन्द हो जाने तथा 5 हजार श्रमिक मजदूरों के बेकार हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

[उद्योग विभाग के अधिकारियों के लुभावने प्रलोभनों और इस आश्वासन पर कि फैजाबाद के गोसाईगंज कस्बे में कालीन बनाने के लिये कच्चे माल का डिपो खोला जायेगा तथा निर्यात निगम की एक शाखा की स्थापना की जायगी, लोगों ने कर्ज लेकर लगभग 100 इकाइयों को स्थापित किया था जिसमें लगभग 5 हजार प्रशिक्षित श्रमिक सेवारत थे, लेकिन विभाग द्वारा अपने आश्वासनों को पूरा न करने के कारण उद्यमियों को पूरी तरह से भदोही पर निर्भर होना पड़ा और वे हर तरह के आर्थिक शोषण के शिकार हुए। फलस्वरूप सारे उद्योग बन्द हो गये और कर्जों की वसूली के लिये उद्यमियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इस तरह से यह सभी लोग विभागीय लापरवाही और विश्वास-घात के शिकार हुए हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं समुचित कार्यवाही और उद्यमियों को संरक्षण देने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर में अतिवृष्टि के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने तथा लगान व विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क माफ किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीपचन्द्र---

[महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करते हुये जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज में अति-वृष्टि के कारण खरीफ में मक्का व धान की फसल बिलकुल ही नष्ट हो चुकी है जिसके कारण यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं शोचनीय हो गयी है। कई एक ग्रामों में मकानों के गिर जाने से दर्जनों लोग मृत्यु के शिकार हो गयी हैं। साथ ही साथ सैंकड़ों पशु अतिवृष्टि के कारण बीमारी एवं चारे की कमी से मर गये हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आर्थिक स्थिति खराब होने से ग्रामीणों का जीवन यापन दूभर हो गया है। जबकि यह फसल ग्रामीणों के आर्थिक सुधार के लिय बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अति-वृष्टि के कारण पशुओं में तरह-तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं कहीं कहीं पानी के अभाव से कई ग्रामों में संक्रामक रोग फैल गये हैं, हैजा जैसी भयानक रोग ने भी सैकड़ों जाने ले ली हैं।

अतः इस लोकमहत्व के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुये जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज को बाढ़ ग्रस्त घोषित करते हुए किसानों का राजस्व एवं विद्यार्थियों का शिक्षा शुल्क माफ किया जावे।]

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खंड हल-धर मऊ के विकास अधिकारी के साथ ब्लाक प्रमुख द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फसीउर्रहमान---

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

नोट :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोंडा के अन्तर्गत विकास खण्ड हलधरमऊ के ब्लाक प्रमुख भाई भतीजों एवं दलबल के साथ अपने लाइसेंसी असलहों एवं अवैध बन्दूकों से लैस होकर दिनांक 2-9-85 को उक्त ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी को जो ग्राम नहवा परसोरा से आई0 आर0डी0 शिविर से भाग लेकर बस द्वारा आ रहे थे, उनको जबरदस्ती घसीटते हुये बस से उतार लिया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया एवं जान से मार देने की धमकी दी। यही नहीं चूंकि उक्त खण्ड विकास अधिकारी हरिजन हैं इसलिये उनकी जाति का नाम लेकर भद्दी-भद्दी गालियां दीं उक्त विकास खण्ड के अधिकारियों ने काम-काज बन्द कर दिया है जिससे हरिजनों एवं क्षेत्रीय जनता का कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। इसलिये जनता में भारी रोष व्याप्त है।

उक्त ब्लाक प्रमुख ने इन अपने लाइसेन्सी असलहों का प्रयोग कर्नेलगंज बस स्टेशन काण्ड तथा दीनारी ग्राम में किया था। लेकिन आज तक शासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जिससे जनता काफी क्षुब्ध है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब ब्लाक प्रमुख को जेल भेजा जाय, उनके लाइसेन्स निरस्त किये जायें तथा उक्त विकास खण्ड अधिकारी की जानमाल की सुरक्षा की जाय।]

मथुरा जिले के ब्लाक छाता एवं नन्दगांव में मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने से जनता में क्षोभ के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी नारायण--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मथुरा जिले के छाता क्षेत्र के ब्लाक छाता एवं नन्दगांव में पिछले माह अप्रैल से अब तक मिट्टी का तेल वहां की जनता को नहीं बांटा गया है क्योंकि उपरोक्त ब्लाक की वितरण एजेन्सी द्वारा तेल उठाया ही नहीं गया है, की ओर अग्रसारित करना चाहता हूं। वर्षा ऋतु में मिट्टी का तेल दीपक जलाने एवं खाना पकाने के लिये निहायत जरुरी है। मिट्टी के तेल का वितरण न होने से वहां की जनता में क्षोभ, रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास कार्यों में प्रशासन की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमीर आलम खां--

[मान्यवर, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में विकास कार्य प्रशासन की ढिलाई के कारण पूर्णतया अवरुद्ध हो गया है। अभी तक पी0डब्लू0डी0 की चयन समिति की बैठक भी नहीं हुई है और न ही डी0आर0एम0 के कार्य शुरू हो पाये हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कें मानक माप दण्ड से कम हैं।

मान्यवर, विकास के सभी कार्यों में भयंकर घपला है, आई 0आर0डी0पी0 ट्राइसेस में खुली रिश्वत ली जाती है। चारों ओर भ्रष्टाचार ही नजर आता है थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है अपराधियों का राज्य है।

अस्तु, मेरी आप तथा सरकार से मांग है कि जांच कराकर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली आदि क्षेत्रों को टाउन एरिया न बनाये जाने तथा चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र खतौली में खतौली

नोट :--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कस्बे को दो भागों में बांट कर रखा गया है। खतौली कस्बे का एक भाग ग्राम सभा भूड़ बना दिया गया है जिससे वह सभी सुविधाओं से वंचित है। ग्राम सभा भूड़ ने इस आशंका का प्रस्ताव भी पास कर शासन को प्रेषित किया है। मान्यवर, इस प्रकार ग्राम सभा सौरों, ब्लाक शाहपुर भी सभी अर्हताएं पूरी करने के बाद भी टाउन एरिया नहीं बनाया गया है। यही हाल ग्राम सभा बघेरा का है।

मान्यवर, खतौली की चीनी मिल के मालिक ग्राम सभा भूड़ को नगर पालिका में शामिल किये जाने से रोक रहे हैं जिससे वह नगर पालिका के टैक्स से बच जाते हैं तथा साथ ही तरह तरह के प्रदूषण गन्दे पानी एवं कई द्वारा बिना रोक टोक के करते रहते हैं। उन्हें डर है कि नगरपालिका में शामिल होने पर वे ऐसा नहीं कर पायेंगे।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय की महत्वपूर्णता को देखते हुये अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करें।]

घोसी आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 52 मुख्य नहर के ग्राम सियरही के निकट कट जाने से धन जन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फागू चौहान---

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन व सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ में तहसील घोसी में शारदा सहायक खण्ड 52 मुख्य नहर जा रही है जो दिनांक 18-8-85 से ग्राम सियरही के पास कट गयी है। इससे प्रभावित लामी हरथौली भगवानचक और अन्य पांच गांव भयंकर रूप से प्रभावित हुए हैं और पानी अब तक चला आ रहा है। अब तक न तो नहर को बांधा गया और न पानी को बन्द किया गया। जिससे हजारों एकड़ फसलों के ऊपर पानी का जमाव हो जाने के कारण फसलें बरबाद हो चुकी हैं और इसी वर्ष यह नहर इसी स्थान पर तीन बार कट चुकी है जिससे कि हजारों एकड़ फसलें बरबाद हो चुकी है। पानी बराबर आते रहने के कारण आबादी के अन्दर पानी फैल रहा है। दर्जनों कच्चे घर गिर चुके हैं सैकड़ों लोग अपने-अपने घरों को छोड़कर इधर-उधर भाग चुके हैं तथा यह क्रम प्रतिदिन चल रहा है तथा जगह-जगह नावों से लोग आ जा रहे हैं। यदि पानी को न रोका गया तो जन धन की काफी क्षति हो जायेगी, साथ ही साथ हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी डूब चुकी हैं और बरबाद हो गयी हैं।

अतः मैं उपरोक्त गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल राहत कार्य कराने तथा लोगों को समुचित स्थान पर बसाने की व्यवस्था कराये जाने तथा अपूर्ण नहर को पूर्ण कराने की मांग करता हूं जिससे कि दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो]

क्रय केन्द्र सांथा, जनपद बस्ती में धोतियों की खरीद कार्य प्रारम्भ करने तथा बुनकरों के बकाये का शीघ्र भुगतान शासन द्वारा कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सघन हथकरघा विकास निगम द्वारा सांथा कस्बे (जिला बस्ती) से चलाये जा रहे केन्द्र पर 1 जून, 1985 को बुनकरों से जो सस्ती धोतियां खरीदी उनके मूल्यों का भुगतान आज दिन तक बुनकरों को नहीं दिया गया। साथ ही तब से आज तक बुनकरों द्वारा बनायी गयी धोतियों का कोई क्रय भी उस केन्द्र पर नहीं किया गया जिसके कारण तीन महीने का माल बुनकरों के घर पर पड़ा हुआ है और आज बुनकर के घर की पूंजी समाप्त हो गयी है जिससे उपरोक्त क्रय केन्द्र से संबंधित ग्रामों के तमाम बुनकर परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। और अब तो स्थिति ऐसी आ गयी है कि बुनकर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहां से दूसरे क्रय केन्द्रों पर जाकर के चन्द दलालों के हाथ अपनी धोतियां बहुत सस्ते दामों पर बेचने को बाध्य हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उद्योग मंत्री से मांग करता हूं कि क्रय केन्द्र सांथा, जनपद बस्ती पर तुरन्त धोतियों की खरीद का कार्य प्रारभ किया जाय और बुनकरों से जो धोतियां 1 जून को खरीदी गयी हैं, उनका अविलम्ब भुगतान किया जाय। अन्यथा स्थिति बहुत विस्फोटक हो जायेगी। जिसके लिये सघन हथकरघा विकास निगम तथा सरकार जिम्मेदार होगी।]

आजमगढ़ जनपद में सड़कों व नालियों की मरम्मत तथा सफाई का समुचित प्रबन्ध करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव---

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व पर आकृष्ट करना चाहता हूं जनपद आजमगढ़ में शहर आजमगढ़ में और देहातों में सड़क की हालत बहुत ही खराब है जगह जगह टूटी है और नाली आदि भी बुरी तरह से टूटी हुई है। और कुछ बनी भी नहीं हैं। इसकी सफाई आदि नहीं होती है अधिकारियों से कहने पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक थोड़ी ही दूर जाने में कई घंटे लग जाते हैं। ट्राफिक कन्ट्रोल का सिस्टम ठीक नहीं है। देहातों में भी जो सड़कें बनी है उनकी मरम्मत न होने से अधिकांश सड़कें बह गयी हैं। और बहुत से गांव ऐसे हैं कि आवागमन का कोई जरिया नहीं जिसकी वजह से क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोश एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार शहर आजमगढ़ की सड़कों व गलियों व नालियों की मरम्मत कराये तथा बनावे और सफाई का माकूल इंतजाम कराये। और देहाती क्षेत्र में जो आवागमन संबंधी सुविधा नहीं है उसको पूरी करे।]

जनपद मुजफ्फरनगर की 'दि गंगा सहकारी चीनी मिल" में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाकर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं। मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में 'दि गंगा सहकारी चीनी मिल' की स्थापना हुई थी परन्तु दुर्भाग्य से यह चीनी मिल ऐसे सामान्य प्रबन्धक के अधीन आ गयी जो अत्यन्त संकीर्णता एवं भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाये हैं। इस मिल में क्षेत्रीय लोगों को न रखकर बाहर के अयोग्य लोगों को रखा गया है। सामान्य प्रबन्धक ने अवैध नियुक्तियां की हैं तथा वहां मजदूरों की गुण्डों के द्वारा पिटाई कराता रहता है। लोगों में अत्यधिक आक्रोश है अभी सामान्य प्रबन्धक महोदय ने अपनी उपस्थिति में मजदूरों की पिटाई कराई कुछ पर कातिलाना हमला कराया अभी भी 3 आदमी जिला अस्पताल में है। एक की हालत अत्यन्त गम्भीर है। मृत्यु शैय्या पर है।

आपके माध्यम से सरकार से तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

देवरिया जनपद में आंधी और तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को शीघ्र ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही---

[महोदय, लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवरिया जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत लाइनें विगत 2 मई तथा 20 मई को आयी आंधी और तूफान में गम्भीर रूप से क्षति-ग्रस्त हो गयी हैं और जिनकी मरम्मत तक विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण अब तक नहीं किया जा सका है। उक्त आंधी और तूफान से विकास खण्ड पथरदेवा, कसया रामपुर, कारखाना, देवरिया और देसही देवरिया के अधिकांश विद्युत खम्भे गिर गये और टूट गये। लगभग साढ़े 3 महीने व्यतीत होने के बाद भी उन क्षेत्रों में मरम्मत के अभाव में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ठप्प है निजी व राजकीय नलकूप ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कल कारखाने विद्युत आपूर्ति न होने के कारण बन्द हैं सैकड़ों गांव रात के अन्धेरे में डूबे रहते हैं।

विद्युत कर्मियों की लापरवाही और अकर्मण्यता से जनता में हाहाकार मचा है। विद्युत आपूर्ति के बिना बिजली बिल भेजने के कारण रोष व क्षोभ व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता आंदोलित हो रहीहै।

अतः इस महत्वपूर्ण जनहित के सुनिश्चित विषय की ओर आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुये देवरिया जनपद में मई माह में आये आंधी और तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को अविलम्ब ठीक कराये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग करता हूं।]

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की रिक्तियों के चयन में धांधली करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमल किशन पाण्डेय—

[मान्यवर, आपके संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय प्रस्तुत करते हुये अनुरोध करना है कि —

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 1983 के उपरांत स्पष्ट रिक्तियों में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) ने प्रधानाचार्यों को पूरे शैक्षिक सत्र में 40 से 120 दिन तक प्रवक्ताओं को समयबद्ध नियुक्तियां देने पुनः उनकी सेवा समाप्त करवाने व पुनः नियुक्त करने का जो क्रम आरंभ किया उससे प्रदेश के प्रवक्ता प्रभावित है। जो इस समय माननीय उच्च न्यायालय से 30-4-1985 को अंतरिम स्थगनादेश पर चल रहे हैं, योग्यताओं में ये प्रवक्ता पूर्णतः अर्ह हैं। शिक्षण सत्र सभी जगह प्रारम्भ हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रवक्ताओं की सेवा समाप्त होने शिक्षण संस्थाओं, छात्रों का अहित व अभिभावकों का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है।

दिनांक 24-8-1985 को लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 6/85/86 नार्दन इंडिया पत्रिका (इलाहाबाद) लखनऊ संस्करण) में उच्च शिक्षा के प्रवक्ता पदों से संबंधित 1981 के विज्ञापन के संशोधन की भाषा इस प्रकार अस्पष्ट रखी गयी है लगता है कि नये व्यक्ति इसके लिये आवेदन ही नहीं कर सकते, इसके अलावा यह 90 पदों का विज्ञापन किसी अन्य राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ, 1981 में विज्ञापित पदों का 1985 में संशोधन कर नये शिक्षित युवकों को उसमें आवेदन से वंचित रखा गया है जिससे कि प्रदेश के सभी शिक्षित एवं योग्य नवयुवकों में अत्यन्त क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

अतः माननीय सदन के समक्ष इस लोक महत्व के विषय को रखते हुये आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करे एवं वांछित कार्यवाही कर प्रदेश की उच्च शिक्षा में व्याप्त इस प्रकार की अव्यवस्था को अविलम्ब समाप्त करे।]

जनपद आजमगढ़ के जायसवाल जू0 हा0 स्कूल कलन्दरपुर के प्रबन्ध तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तगत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट—

[महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रख रहा हूं ।

जनपद आजमढ़ में जायसवाल जू0 हा0 स्कूल कलन्दरपुर की कमेटी का रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण हेतु शुल्क समय से जमा भी कर दिया गया है प्रबन्धक श्री मोतीलाल जायसवाल तथा श्री तिलकधारी मिश्र में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था । बाद में श्री तिलकधारी मिश्र ने श्री जायसवाल को प्रबन्धक मानते हुये हाईकोर्ट में अपना रिट उठा लिया और स्कूल के समस्त कागजात श्री जायसवाल को चार्ज में दे दिया तथा तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने श्री जायसवाल के हस्ताक्षर का नमूना भी प्रमाणित कर दिया है ।

पता नहीं कि कहां से आकर श्री सुरेन्द्र पाण्डेय ने अपने को प्रबन्धक बताकर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री बच्चा जी राव से सांठ-गांठ करके 48269.95 स्कूल का बकाया भुगतान करा दिया । यह कार्य श्री बच्चा जी राव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये बी0 एस0 ए0 द्वारा प्रबन्धक के खिलाफ़ उसको अपमानित करने की नियत से किया है । आज स्कूल की स्थिति काफ़ी सोचनीय हो गयी है ।

अतः सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस गलत कार्य की विशेष जांच सी0आई0डी0 द्वारा तथा सी0बी0आई0 द्वारा करायी जाय । और भुगतान किये हुए पैसे को वापस कराया जाय एवं दोषी व्यक्तियों के साथ कठोर कदम उठाते हुये सही प्रबन्धक के द्वारा उक्त संस्था का संचालन कराया जाय ।]

बस्ती जिले में राप्ती नदी के कटान को रोकने के लिये नये ठोकरों को लगवाने तथा पुराने ठोकरों की मरम्मत शीघ्र कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)--

[महोदय, बस्ती जिले में राप्ती नदी के दांये तट पर सुरक्षा की दृष्टि से बांसी पनघटिया बांध बना है । पिछले कई वर्षों से राप्ती नदी बनजरहा, डुमरिया और कुड़जा ग्रामों के पास कटाव करती आ रही है । इन ग्रामों तथा सरकारी बांध को बनाने के उद्देश्य से तीनों स्थलों पर ड्रेनेज खण्ड बस्ती (प्रथम) द्वारा ठोकर बनाये गये थे । जो कि संभावित कटान को रोकने में अक्षम थे । मैंने अप्रैल, मई 1985 में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भावी खतरे से अवगत कराते हुए कहा था कि तीनों स्थलों पर पर्याप्त ठोकर लगाये जांय और पुराने जर्जर ठोकरों की मरम्मत करा दी जाय अन्यथा नदी अपनी धारा बदल कर हजारों गांवों को बरबाद करती हुई गोरखपुर तक सीधे पहुंच जायेगी । परन्तु खेद है कि सिंचाई विभाग ने ध्यान नहीं दिया और आज कई ठोकर नदी की धारा में विलीन हो गये हैं । नदी का तीनों स्थलों पर कटान जारी है । ग्राम डुमरिया जो कि कटान की दृष्टि से अत्यन्त कमज़ोर स्थल है इस समय पूरी तरह खतरे में है ।

अतः मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल नये ठोकरों को लगवाये और पुराने ठोकरों की मरम्मत करवाये तथा सुरक्षा में बरती जाने वाली लापरवाही की जांच कराकर दोषी जनों को दंडित करे ।]

लखनऊ नगर में आर0 एफ0 सी0 द्वारा राशन की दुकानों पर वितरण हेतु सड़ा चावल उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । लखनऊ नगर में राशन की दुकानों को जो चावल आर0एफ0 सी0 के द्वारा चौलक्खी गोदाम से वितरण

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हेतु दिया गया है, वह सड़ा हुआ है, जो जानवरों के खाने योग्य भी नहीं है। यह घटिया किस्म का चावल नं0 3 एस0एम0 आई0 गोदाम चौलक्खी को जो दिया गया है, वह चावल मिलों से-सांठ गांठ करके कमीशन लेकर खरीद लिया गया है।

आपके माध्यम से निवेदन है कि उक्त गोदाम को शीघ्र सील करके इस चावल की सेल बिलकुल बन्द कर दी जाय और जिन जिन राशन की दुकानों को इस चावल को वितरण हेतु दिया गया है उसे तुरन्त वापस लेकर अनुपयोगी घोषित कर नष्ट कर दिया जाय। इस चावल को खाने से तरह-तरह की बीमारियां होने का भय है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी बिक्री तत्काल रोक दी जाय और इसके खरीद की जांच की जाय कि किन लोगों ने किन परिस्थितियों में इसे खरीदा गया है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। शीघ्र कार्यवाही की जाय, ताकि संबंधित व्यक्ति उक्त चावल को इधर उधर न कर सकें।]

जनपद इलाहाबाद में नगर महापालिका, के नजूल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सांठ-गांठ से नजूल एवं गैर नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[मान्यवर, मैं आपके माननीय सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जनपद इलाहाबाद में, नगरमहापालिका शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत नजूल एवं गैर नजूल की भूमि अवैध रूप से बड़ी तेजी से कब्जा किया जा रहा है और शासन अभी तक इसे रोकने में सक्षम नहीं है।

अभी हाल ही में भूमि हड़पने एवं कब्जा करने के एक शातिर सक्रिय गिरोह जिसमें तहसील चायल के लेखपाल अधिकारी तथा महापालिका नजूल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सांठ-गांठ से भारी मात्रा में जमीन कब्जा करके ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। उदाहरण स्वरुप 135 नम्बर नजूल की परती भूमि अन्य प्लाट जिसका नम्बर नहीं है, स्टेनली रोड़ तप्सी होटल के सामने है।

उक्त सक्रिय गिरोह ने बन्दूक के बल पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अतः सरकार से अपेक्षा करता हूं कि तत्काल उक्त सक्रिय गिरोह जिसमें तहसील एवं महापालिका के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, जांच करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा उक्त कीमती भूमि की सुरक्षा हेतु गार्ड का कैम्प लगा दिया जाय। अन्यथा उक्त करोड़ों रुपये की भूमि का अब भी कब्जा करने का भय बना हुआ है।]

सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड--32, आजमगढ़ के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मंगलदेव--

[मान्यवर, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड--32 आजमगढ़ के विरुद्ध आजमगढ़ के सभी एम0एल0ए0 व सांसद महोदयों द्वारा शिकायत शासन को भेजी गई किन्तु कोई जांच नहीं हुई। एक शिकायत पर शासन के उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जांच की गई और ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित लाखों रुपयों का गबन प्रकाश में आया। सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने तथा निलम्बन की कार्यवाही की संस्तुति की परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर, फूलपुर, आजमगढ़ के न्यायालय में संबंधित मस्टर रोल व कागजात 3--9--85 तक जमा करने के आदेश दिये गये परन्तु अधिशासी अभियन्ता रिकर्ड जमा नहीं कर हेरफेर कर रहे हैं।

नोट :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनका तत्काल स्थानातरण कर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार कार्यवाही कराई जाय ।]

अलीगढ़ जनपद की तहसील कोल के ब्लाक धनीपुर के मार्गों को पक्का कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल दिलेर--

[महोदय, अलीगढ़ जनपद की तहसील कोल के ब्लाक धनीपुर में अलीगढ़ छावनी से शहबाजपुर तक का 13 किलोमीटर का मार्ग, ब्लाक लोधा में खैर रोड लोधा से गोंडा रोड वाया बाढ़ौन 10 किलोमीटर का मार्ग तथा इगलास रोड अहमदपुर से मडराक आगरा रोड वाया न्हौटी, इस प्रकार इस तीनों मार्गों को पक्का कराया जाय ।

उपरोक्त तीनों मार्गों से हजार-हजार जनता का आवागमन प्रतिदिन होता है और कच्चा मार्ग होने से उन्हें अकथनीय कष्टों का सामना करना होता है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्गों को पक्का कराने के लिये तत्काल कार्यवाही के आदेश दें और यह कार्य जनहित में होंगे ।]

जिला परिषद्, मिर्जापुर में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त होने तथा अधिकारियों की उदासीनता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला परिषद्, मिर्जापुर में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार एवं अधिकारियों की उदासीनता के कारण वहां के कर्मचारी त्रस्त हैं ।

उदाहरणस्वरूप नवम्बर, 1976 में वहां से सेवानिवृत्त श्री बाल कृष्ण अग्रवाल अधिकारियों की लापरवाहीवश मरणासन्न हैं । श्री अग्रवाल की नियुक्ति, (वांछित योग्यता, एवं 1951 से 1955 तक जिला परिषद, बांदा में वेतनक्रम 75-150 में सब ओवरसियर के पद अनुभव के आधार पर) 1955 में जिला परिषद्, मिर्जापुर में वेतनक्रम 120-240 में ओवरसियर के पद पर हुई थी । 1957 तक दक्षतापूर्ण कार्यों को देखते हुये रु0 130 तक दो इंक्रिमेंन्ट देकर, मौजूदा वेतन में कमी न करने के शासनादेश के बावजूद, उनका वेतन अकारण अनियमित रूप से घटाकर 1957 से रुपये 75 पर (जो वे 1951 में बांदा में पा रहे थे) निर्धारित कर दिया गया । तदुपरान्त न इनका सही वेतन निर्धारण हुआ, न 1970 से कोई वेतन-वृद्धि दी गई, न 1976 में रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी दी गई । इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं ।

इस सम्बन्ध में दि0 13-8-85 को पंचायतीराज मंत्रीजी द्वारा क्रमांक वी0 आई0पी0 2126/एम0आर0डी0/85 पर अंकित पत्रानुसार सही वेतन निर्धारण कर अवशेष वेतन, पेंशन एवं ग्रेच्युटी का तत्काल भुगतान हो तथा उपरोक्त भ्रष्टाचार तथा अनियमित कृत्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के आदेश पारित करें ।]

प्रदूषण को रोकने हेतु बरेली जनपद में कैम्पर फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी--

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । बरेली जनपद में स्थित कैम्फर फैक्ट्री के कैम्फर प्लांट के कैटलिस्ट विभाग में कार्यरत मजदूरों की जीवन सुरक्षा उपकरणों के अभाव से प्रदूषण के कारण फेफड़ों की अनेक गम्भीर

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बीमारियां हो रही है और बहुत से श्रमिकों के इनसे ग्रस्त होने की आशंका है।

इस फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में मिले विभिन्न रसायन जैसे सोडियम, कास्टिक, ग्रीस, भारी तेल के कारण इस क्षेत्र का जल प्रदूषित हो रहा है। जिससे उसके आस-पास रहने वाली जनता में पीलिया एवं उदर रोगों के फैलने की संभावना है एवं दुधारू जानवर भी रोग ग्रस्त हैं जिससे श्रमिकों, ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों में भय व आतंक सा छा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार से फैक्ट्री को निर्देशित कराये कि फैक्ट्री में जल ट्रीटमेंट प्लांट तुरन्त लगाया जाय जिससे पानी के प्रदूषण की रोकथाम हो सके एवं जन-मानस व मवेशियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोका जा सके।

ग्राम घोखरिया, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार करने तथा उनके स्थानान्तरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

[मान्यवर, ग्राम घोखरिया, तहसील-फतेहपुर, जिला बाराबंकी के निवासियों में असुरक्षा भय तथा असंतोष की स्थिति व्याप्त है। वस्तुस्थिति यह है कि वहां के निवासी एक गरीब और निर्दोष व्यक्ति बद्री प्रसाद को गांव के एक गुट से पैसे लेकर मारा पीटा तथा दफा-25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया। इसके विरुद्ध शिकायत होने पर इसकी उच्च स्तरीय जांच की गयी और मुकदमा फर्जी पाया गया। शासन ने उसको वापस लेने का आदेश जून 1985 में जारी कर दिया है, जिसकी सूचना दिनांक 23-7-85 के अतारांकित प्रश्न-125 के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दी गयी परन्तु संबंधित पुलिसगण, जो रामनगर थाने से हटाकर बाराबंकी जनपद में ही तैनात किये गये हैं, प्रश्नगत मुकदमे को वापस नहीं होने दे रहे हैं। साथ ही गांव के उन लोगों को भी धमकियां दे रहे हैं, जिन्होंने उक्त मामले की शिकायत की थी। इसके कारण एक तरफ शासन के आदेश के बावजूद उक्त निर्दोश व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया है, दूसरी ओर गांव मे असुरक्षा तथा असंतोष व्याप्त है। संबंधित पुलिस कर्मियों के बाराबंकी में ही तैनात रहने की स्थिति में शासन के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। अतः उन लोगों को तत्काल बाराबंकी से बाहर स्थानान्तरित करके मुकदमा वापसी की कार्यवाही पूर्ण करायी जाय।

मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की मोदी कपड़ा मिल की तीन यूनिटों को श्रमिकों की मांगों पर शीघ्र खुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह—

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की मोदी कपड़ा मिलों की पांच यूनिटों में से 3 यूनिटों के वर्षों से बन्द हो जाने के फलस्वरूप मोदी कपड़ा मिल के लगभग 9,000 हजार श्रमिक बेरोजगार होने के साथ-साथ भुखमरी की चपेट में है। अब तक मोदी कपड़ा मिल की कथित श्रमिक अशांति के परिणामस्वरुप 3 दर्जन श्रमिक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। श्रमिक चाहते हैं कि कपड़ा मिल शीघ्र चालू करायी जाय और 9,000 लोगों को फिर से रोजगार दिया जाय, किन्तु मिल मालिक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मोदी कपड़ा मिल की दयनीय स्थिति का जायजा लेने के लिये स्थानीय राजनैतिक नेताओं एवं जिलाधिकारी की बैठकें भी हो चुकी हैं और वे अपने निष्कर्ष से सरकार को अवगत करा चुके हैं।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं सरकार द्वारा जांच कराकर मोदी कपड़ा मिल की बन्द तीन यूनिटों के खुलवाने तथा श्रमिकों की उचित मांगों को मनवाने की मांग करती हूं।]

जनपद मथुरा की अदालतों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अभाव से जनाक्रोश तथा शीघ्र नियुक्तियां कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मथुरा जनपद में सिविल, क्रिमिनल की 19 अदालतें मई, 1985 तक कार्य कर रही थी लेकिन जून में न्यायाधीशों व न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण के बाद वर्तमान में केवल 9 ही न्यायिक अदालतें कार्य कर रही हैं। वादकारी का हित सर्वोच्च होता है लेकिन मथुरा जनपद में वादकारियों का भारी शोषण किया जा रहा है। वर्तमान में मथुरा जनपद में 18 थानों में से सिर्फ 4 थानों का नियमित रूप से कार्य अदालतें कर रही हैं। बाकी 14 थानों से संबंधित कोई भी कार्य मजिस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। केवल 14 थानों के मुल्जिमों को रिमाण्ड ही दिया जा रहा है। अभी तक 10 अदालतें बगैर न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के खाली पड़ी हैं इससे वादी प्रतिवादी व अधिवक्ताओं को अपने कार्य में भारी बाधाय पैदा हो गई हैं। मुल्जिमानों को कई कई दिन तक थानों में ही रहना पड़ रहा है। मुकदमों के ढेर लगते जा रहे हैं। इस न्यायिक दुर्व्यवस्था से जनता में वादकारियों में भारी उत्तेजना व्याप्त है। वादकारी अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर अदालत आते हैं और शाम तक इन्तजार कर तारीख लेकर लौट जाते हैं।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए कि 10 अदालतों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कराने की कृपा करायें।]

फैजाबाद जनपद में सूखा पड़ने से राजकीय नलकूप विभागों द्वार भारी लापरवाही बरतने एवं विद्युत लाइनों के खराब होने तथा राहत कार्यों की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर--

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद में पिछले महीने से वर्षा न होने के कारण खरीफ की फसल को सूखे से भारी क्षति पहुंच रही है लाखों एकड़ धान की फसल तबाह हो रही है। राजकीय नलकूप विभागीय लापरवाही के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। जनपद के पूर्वांचल में 80 प्रतिशत से अधिक नलकूप चालक कभी नलकूप पर जाते ही नहीं हैं। भारी घूसखोरी के कारण ट्यूबवेल की नालियां बहुत गिर कर लगभग समाप्त हो गयी हैं।

जनपद के सिचाई विभाग के अधिकारियों ने भारी घूस लेकर काम न करने की छूट देकर नलकूप चालकों की नियुक्ति की है। अधिकांश बिजली की लाइनें खराब रहने के कारण निजी नलकूपों को भी बिजली नहीं मिल पा रही है। जिससे फसलों का बचाना लगभग असंभव हो चुका है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए फैजाबाद के नलकूप विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने सिंचाई की व्यवस्था सुधारने, समस्त वसूलियों को स्थगित करने और दो माह तक 18 घंटे बिजली देने, छात्रों की फीस माफ करने तथा राहत कार्य शुरू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

उन्नाव जनपद में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी व पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन द्वारा उचित कार्यवाही करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल--

[महोदय, उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

नोट:--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजादी मिलने के बाद से आज तक प्रदेश तो पीछे जा ही रहा है खास तौर से कानपुर और लखनऊ के बीच बसा उन्नाव जनपद हर तरह से पिछड़ता जा रहा है। उद्योगों की स्थापना न करने से तथा उद्योग लगाने में सिर्फ 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी ही देने से नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई जिसकी वजह से उन्नाव में बेकारी व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सही ढंग से आवागमन के साधन न होने तथा ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से गंदगी का साम्राज्य है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।

बागपत, मेरठ में हिन्डन नदी पर पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रिछपाल सिंह बंसल---

[महोदय, बागपत से मुरादनगर लगभग 25 कि0मी0 है व बागपत से हिन्डन नदी व हिन्डन नदी से मुरादनगर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क का पक्का निर्माण करा रखा है परन्तु हिन्डन नदी पर पुल न बनने के कारण इस क्षेत्र की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुरादनगर से बागपत जाने के लिये व बागपत से मुरादनगर जाने में लगभग 200 कि0 मी0 की यात्रा तय करनी पड़ती है जिससे समय की बर्बादी होती है व पैसा भी अधिक खर्च होता है।]

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त पुल का निर्माण कराया जाय।

जनपद फतहपुर में महरहा रोड (महात्मा गांधी मार्ग) शीघ्र पक्का कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह---

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान जनपद फतेहपुर की सबसे पुरानी सड़क महरहा रोड जो अब महात्मा गांधी के नाम से जानी जाती है की ओर ले जाना चाहता हूं उक्त सड़क गुनौर ग्राम से बिन्दकी कस्बा तक ग्राम महरहा होकर जाती है यह सड़क जिले की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सड़क है इस सड़क का उपयोग क्षेत्र की लगभग 20 हजार जनता करती है इस सड़क पर काफी पहले खड़ंजा कराया गया था जो अब जगह-जगह टूट गया है और सड़क पर बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं जिससे कोई वाहन चलना तो दूर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इस सड़क पर महात्मा गांधी जी ने पद यात्रा की थी इसी वजह से पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उक्त सड़क का उद्घाटन किया और उस सड़क का नाम महात्मा गांधी मार्ग रखा। उद्घाटन के समय केवल एक किलोमीटर ही सड़क पक्की की गई थी तब से उस सड़क को पक्की करने का कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है। जिससे क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का कराय जाय।]

जनपद आजमगढ़ के सभी टाउन एरियाओं तथा नगरपालिकाओं में गन्दगी एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम जनम ---

[नगरपालिका मऊनाथ भंजन एवं जनपद आजमगढ़ के सभी टाउन एरिया तथा नगरपालिकायें जैसे आजमगढ़, मुबारकपुर मोहम्मदा बाद, गोहना, घोसी, कोपागंज, अमिलाजोयपुर, अजमतगढ़, निजामाबाद, सरायमेंहदी, आदि, न केवल नगरों में गंदगी फैलाने में एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। साथ-साथ भ्रष्टाचार की अथाह सागर में डूबे हुए हैं। उदाहरण स्वरूप अक्तूबर, 1984 में

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय नारायणदत्त तिवारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मऊ नगर के उत्थान हेतु सत्रह लाख रुपया प्रदान किया था, यह सारा धन नगर पालिका के अधिकारी हड़प कर डकार गये। उपरोक्त नगरों में मलमूत्र कूड़ा-करकट एवं गन्दगी से बस्तियों में जगह-जगह कालरा की महामारी जड़ जमाये हुए है। इसके अतिरिक्त पिछले दिनों अतिविनष्टी के कारण उपरोक्त नगरों में नारकीय स्वरूप धारण कर लिया है इन नगरों की गरीब जनता बड़ी कठिनाई से इस जर्जर अवस्था को झेल रही है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि तुरन्त उपरोक्त गंदगी, महामारी एवं जल जमाव दूर कर जनता को छुटकारा दिलाया जाय तथा लुटेरेभ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाय।]

उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को कड़े आदेश दे कर बुनकरों का शोषण शीघ्र समाप्त करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा नन्द अंचल ··

[पिछले कई वर्षों से प्रदेश के लाखों बुनकर कर्जों की वसूली कुर्की एवं नीलामी के कारण दयनीय अवस्था में पड़े हुए थे। बुनकरों को राहत दिलाने के उद्देश्य से शासन ने उन पर लगी ब्याज स्वयं देना स्वीकार कर यह आदेश प्रदान किया था कि यदि बुनकर 31 मार्च 1985तक मूल धन जमा कर देगा तो सरकार उनकी ब्याज जमा कर देगी। प्रदेश के अधिकांश बुनकरों ने मूल धन जमा कर दिया। तथा कर्जे की वसूली से मुक्ति पा गये। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बैंकों के भ्रष्ट अधिकारी नाजायज धन पाने के उद्देश्य से उन बुनकरों को ब्याज की धनराशि जमा करने की नोटिस दिया है तथा अन्य उत्पीड़न की कार्यवाहियों का समाचार बिल्थरा रोड (बलिया) मऊनाथ भंजन, कोपागंज घोसी एवं अदरी एवं अन्य स्थानों से प्राप्त हुई है।

अतः लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उद्योग विभाग द्वारा बैंकों को कड़े आदेश प्रदान किये जायं एवं उत्पीड़न कार्यवाही तुरन्त रोकी जाय।]

रामनगर, बाराबंकी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा श्री सर्वजीत पुत्र श्री विशेश्वर निवासी गुलरिया मजरे मगहे पर अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई ··

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद बाराबंकीके अन्तर्गत रामनगर ब्लाक के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर्वजीत पुत्र विशेश्वर निवासी गुलरिया मजरे मगहे को एक पम्पसेट भूमि विकास बैंक फतेहपुर, जिला बाराबंकी ने खरीदने के लिये 8000 रुपये की धनराशि देना मंजूर किया। नियम के अनुसार बैंक जब कर्जा देता है जब संबंधित ब्लाक का जे0ई0 (एम0आई0) यह रिपोर्ट भेजता है कि उक्त आदमी की जमीन पर बोरिंग हो गयी है तथा जो इंजन खरीदा जाना है। वह उक्त बोरिंग पर छः घंटे चला है और सही काम कर रहा है। इस रिपोर्ट पर संबंधित बी0डी0ओ0 के काउण्टर हस्ताक्षर होते हैं।

इस तरह की रिपोर्ट रामनगर ब्लाक के जे0ई0 (एम0आई0) के फतेहपुर बैंक को 2·12·84 तथा 12·12·84 को भेज दी थी कि सर्वजीत की जमीन पर बोरिंग हो गयी है तथा पम्पसेट ने बोरिंग पर सही काम किया है। इन दोनों रिपोर्टों पर बी0डी0ओ0 रामनगर के काउण्टर हस्ताक्षर हैं। जबकि सर्वजीत पुत्र विशेश्वर की जमीन पर न तो बोरिंग हुई और नहीं उनको पम्पसेट मिला।

नोटः··[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस रिपोर्ट के मिलने पर बैंक मैनेजर ने इंजन डीलर को पैसा दे दिया। अब सर्वजीत बैंक का कर्जदार है। जबकि उसको न तो इंजन मिला है और न उसके चक में बोरिंग हुई है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से माग करता हूं कि कृपया इस अविलम्बनीय एवं गंभीर मामले की जांच करायी जाय। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायतथा उक्त सर्वजीत के नाम से कर्जा हटाया जाय।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 का सही उत्तर न दिये जाने क संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री फजलुल बारी--

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी करण में 219 देखें उसमें लिखा हुआ है कि "सदन में जो सूचनाएं शासन की ओर से दी जायेंगी उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा।" मान्यवर, मैंने सवाल किया था, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था। उसमें मान्यवर, इन्होंने जवाब दिया है "भाषा विभाग के अन्य अनुभागों की भांति ही व्यवस्था लागू है।" मेरा कहना है कि इस सिलसिले में आप व्यवस्था दे दें। मेरा सवाल बिल्कुल साफ-साफ था। इस जवाब में लिखा है, जो मैंने पढ़कर सुनाया और उसके बाद अनुपूरक सवाल पूछा, उसके जवाब में भी इन्होंने सफाई नहीं दी। अनुपूरक प्रश्न में मैंने साफ प्रश्न पूछा था कि अगर तीन अनुवादक हैं, तो एक पुनरीक्षक और एक भाषा अधिकारी होगा लेकिन उर्दू अनुभाग में 21 अनुवादक हैं पांच पुनरीक्षक हैं। दो भाषा अधिकारी हैं। माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल गलत है। इसकी जांच करा लें। उसके बाद जो सजा हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा है कि 21 अनुवादक हैं। पाच पुनरीक्षक और दो भाषा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। लेकिन इसमें सात पुनरीक्षक और सात भाषाधिकारी होने चाहिये और यह अपने जवाब में पांच पुनरीक्षक बता रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी बात समझ गया।

असत्य जवाब दिया है तो आप शासन को लिखकर भेज दें, वह जवाब दे देंगे। हमको लिखकर आप भेज दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मद संख्या पांच पर पहुंच गये थे दो पर व्यवस्था दे रहें हैं यह समुचित है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो मना कर रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

300 ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

15 सूचनायें नियम 300 में प्राप्त हुई हैं।

हिन्डालको के मजदूरों पर लाठी चार्ज होने से संबंधित दिन क 4-9-85 की मद सं0 25 को न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसन--

मान्यवर, कल क एजेन्डे में मद संख्या 25 नहीं ली गई। जो नियम 51 का प्रश्न है, नहीं लिया गया। अधिष्ठाता महोदय, मद संख्या 23 लेकर उठ गये। मैंने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी कि हिन्डालकों के मजदूरों पर तीन तारीख को लाठी चार्ज हुआ। दर्जनों लोग घायल हैं। वहां मजदूरों में अशांति पैदा है, उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ है। 18 तारीख को कालोनी के गेट पर वह लोग मीटिंग कर रहे थे। हिन्डालको के मजदूर जो कालोनी में रह रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और जिनका मामला अदालत में विचाराधीन है, उनको हिन्डालको के प्रबन्धक निकलवा रहे हैं गुण्डों और पुलिस के माध्यम से। मजदूरों का सामान पुलिस और गुन्डे लूट रहे हैं। मजदूर आन्दोलित है। दक्षिणांचल के जो भी उद्योग हैं हिन्डालको, डाला सीमेंट फैक्टरी, आन पारा के सब इस लाठी चार्ज से आन्दोलित हैं। तीन तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ उस पर शासन की तरफ से कोई ऐक्शन न होने के कारण वहां लोग आन्दोलित हैं। इस संबंध में मैंने नियम 51 में सूचना दी थी। चूंकि कल वह मद नहीं ली गई इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकाध्यान आकृष्ट करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिणांचल के अन्दर मजदूरों में अशांति पैदा है, इस गम्भीर विषय पर आप वक्तव्य दिलावें या तुरन्त जो लाठी चार्ज हुआ हैउसकी जांच के लिये शासन को निर्देश दें। वहां पर मजदूरों में अशांति है, मजदूर आन्दोलित हैं। कोई असामान्य स्थिति न पैदा हो जाय, इसलिये इस पर आप शासन को निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कल वक्तव्य था शासन की ओर से लेकिन कोरम के अभाव में हाउस उठ गया। आप लिखकर भेज दें शासन को कार्यवाही हो जायेगी।

नियम 301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

300 के अन्तर्गत जितनी सूचना मिली थी, सभी अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

ग्राह्यता पर आप सुन लें। जिन नियमों से सदन का संचालन होता है अगर उन नियमों की अवहेलना हो तो औचित्य के प्रश्न के अन्दर आ जाता है। जो मैंने सूचना दी है वह 301 के बारे में है। 301 के अन्तर्गत सूचना दी जाती है। आप उन्हें स्वीकार करते हैं। मान्यवर, वह कार्यवाही के लिये जाता। उसके बाद यह भी निर्देश है सदन की ओर से कि एक हफ्ते में उसका अंतरिम जबाब और एक माह में पूर्ण जबाब आना चाहिये। मान्यवर, इसी सदन के सामने इस तरह की कई सूचनायें आईहैं।चार साल से कटोरी देवी नाम की एक महिला विधान भवन के सामने धरना दिये है।उसके विरुद्ध दिन प्रति दिन उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है।उसके बारे में माननीय नेता सदन ने ऐलान किया कि वह दया की पात्र है और उसके बारे में जो कार्यवाही होगी माननीय बदन सिंह को उसका कागज भेज दिया जायेगा। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूरे प्रदेश में पटरी दुकानदारों के खिलाफ़ एक अभियान चलाया जा रहा है। उनकी दुकानों को उठाकर पता नहीं कहां डाला जा रहा है। उन गरीब लोगों की दुकानें सड़ रही हैं लेकिन आप के अधिकारी एक कार पर जुर्माना लगाते हैं 15 रुपये और उन पटरी दुकानदारों के खोमचे पर सैकड़ों रुपया जुर्माना किया जाता है। अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दे करके भेजा गया। दूसरे विभागों में उनको प्रशिक्षण दिया गया और अब वे बैठे हैं। उनके बारे में सूचना दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हरदोई का एक अधिकारी पूरे जिले के शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहा है। जैसा चाहता है चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करता है और पुराने अधिकारियों की दी गई प्रविष्टि को बदल रहा है। आपने उसे स्वीकृत किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ़ एक पटरी दुकानदारों के बारे में अंतरिम जवाब मिला लेकिन एक माह से ज्यादा हो गया, उसका भी पूर्ण जवाब नहीं मिला है। मान्यवर, यह स्पष्ट रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात समाप्त करें। जहां तक नियम 300 के अन्तर्गत आने का सवाल है, न तो इसमें कोई संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हुआ

है, न कोई नियमावली या प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासनिक मामला है। आप शासन को लिखें तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य होगी। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, इन सबके बारे में पीठ की ओर से निर्देश हैं। आपके निर्देश हैं तो फिर लिखने की क्या आवश्यकता है। जवाब एक माह के अन्दर सम्बन्धित सदस्य के पास पहुंच जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें न तो संविधान का ब्रीच हुआ है, न नियमावली का ब्रीच हुआ है। कटोरी देवी की समस्या.....

श्री राम आसरे वर्मा---

अकेले कटोरी देवी की समस्या नहीं है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो यहां पर स्वीकार की गयी हैं.....

मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश का गृह सचिव द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, औचित्य के सारे प्रश्नों को अस्वीकार कर गये। अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय हो गया वह शिरोधार्य है। लेकिन मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री जी आदेश दें और गृह सचिव उसकी अवहेलना करें, राज्य मंत्री, राजनीतिक पेंशन कोई आदेश दें और गृह सचिव अनुपालन न करें तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह से काम चलेगा नियम 300 में न लावें तो किस नियम में लावें। मैं आपके माध्यम से जो मामला लाना चाहता था सदन और शासन के संज्ञान में कि 21 मई, 1985 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने, उस मामले में मान्यवर, निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् का पद पिछल साल से रिक्त चला आ रहा है, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने नियुक्ति का एक आदेश दिया। करीब एक माह पूर्व माननीय राजनैतिक पेंशन मंत्री श्री रघुवीर सिंह ने एक रिमाइण्डर लिखा, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात मान्यवर, यह तो हमारा अधिकार है कि हमें सदन में सही सूचना मिले। लेकिन, कोई दूसरा मंत्री नहीं, अपितु मुख्यमंत्री ही जब सदन में असत्य सूचना दें तो आखिर हमारा संरक्षण कैसे होगा? 7 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक औचित्य के प्रश्न के जवाब में कहा था कि श्री आबाद अहमद वन रक्षक हमीरपुर का कोई मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई आदेश माननीय राज्य मंत्री वन ने पास किया है और उनके आदेश की अवहेलना हो रही है विभाग द्वारा।

लेकिन, मान्यवर, 12 जुलाई को ही माननीय श्रम मंत्री श्री सईदुल हसन ने इस बारे में एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था जो आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

यह पत्रांक संख्या 2355 / एल0 एम0/ 85 है। इसमें उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित करते हुए लिखा है—

कृपया श्री आबाद अहमद, वन रक्षक, हमीरपुर वन प्रभाग हमीरपुर की पत्रावली में राज्य मंत्री वन द्वारा यह आदेश संख्या 533 / एम0एम0एफ0 / 85, दिनांक 7-6-85 को अनुपालन हेतु प्रमुख वन संरक्षक को दिये गये थे जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। परन्तु उपरोक्त आदेश का अनुपालन न कर भिन्न-भिन्न बहाने वाली जैसे अपील आदि किया जाना, को लेकर लम्बित रखा जा रहा है जो नियमों के प्रतिकूल है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनके साथ घोर अन्याय हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश जो राज्य मंत्री वन का है। कृपया आप अपने स्तर से अनुपालन के लिये निर्देश देने का कष्ट करें।

12 जुलाई को यह पत्र माननीय श्रममंत्री ने माननीय मुख्य मंत्री को लिखा। जब

यहां पर 7 अगस्त को इस मामले को मैंने माननीय अध्यक्ष की अनुमति से औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में सत्यता को छिपाते हुए यह कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जो सही सूचना पाने का हमारा अधिकार है अगर उसको और कोई नहीं स्वयं मुख्य मंत्री ही उस अधिकार से हमें वंचित करने का प्रयास करेंगे और मान्यवर, आपकी पीठ का संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम किस तरहसे सही सूचना पायेंगे। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के आदेशों का पालन यदि अधिकारी नहीं करते हैं इससे प्रक्रिया नियमावली और संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। औचित्य का प्रश्न सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये होता है। इस पर यह लागू नहीं होता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्यता पर पर्दा डालने का काम किया है उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। 12 जुलाई को श्रम मंत्री श्री सईदुल हसन ने एक पत्र लिखा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ही सत्यता पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, मैं उनकी स्थिति को समझता हूं कि मंत्रिपरिषद् की हालत बहुत खराब हो रही है, उसको संरक्षण देने का उनका दायित्व है। लेकिन हमारा जो अधिकार है सही सूचना पाने का, अगर वही नहीं मिलेगी, तो कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। कैसे सदन की गरिमा रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर असत्य सूचना है और विलम्ब होता है तो आप दूसरे नियम में इसे उठा सकते हैं।

नियम 301 की सूचनाओं पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

* श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, वर्तमान मंत्रिमण्डल के बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जिनके आदेश सही तरह से लागू नहीं हो रहे हैं। आपने यह कहा कि सदन की प्रक्रिया से इसका कोई वास्ता नहीं है। मान्यवर, यही नहीं मैं कहना चाहता हूं कि 301 के अन्तर्गत जो हम लोग सूचनाएं देते हैं, सारी सूचनाएं सचिवों को भेज दी जाती हैं, सचिव लोग महीनों-महीनों उसे डाले रहते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में कहना है कि हमारे इस मंत्रिमण्डल के कुछ ऐसे विभाग हैं, जैसे कारागार विभाग, राजस्व विभाग और पी0 डब्लू0 डी0 विभाग, इनके केवल राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री इनका मुख्य मंत्री है। मुख्य मंत्री ने आदेश दे रखा है कि ये मंत्री केवल अपने सचिव को आदेश देंगे, डाइरेक्ट विभाग को आदेश नहीं देंगे। इन मंत्रियों द्वारा जो आदेश सचिव को दिये जा रहे हैं, वे महीनों तक सचिव के यहां पड़े रहते हैं। जनता का एक बहुत बड़ा हुजूम आज विधान सभा का चक्कर काट रहा है इस तलाश में कि माननीय विधायक के माध्यम से हमने माननीय मंत्रीजी से जो आदेश करवाया था, उसका पालन नहीं हो रहा है। सिंचाई विभाग की भी यही हालत है। सारा काम ठप्प हो रहा है। मंत्रीगणों के अधिकार छीन लिये गये हैं कि वे प्रत्यक्ष रूप से विभाग को आदेश नहीं दे सकते हैं। नियम 301 की प्रक्रिया में भी इस नपुंसक मंत्रिमण्डल के आदेश शामिल हैं। जिनकी निष्क्रियता की वजह से आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। नौकरशाही हावी हो रही है। इसलिए आदेश शासन को निर्देश करे कि, अगर वह आदेश करती है, पहले तो वह आदेश न करे, तो उसका पालन कराया जाना चाहिए। मैंने प्रोटोकाल पढ़ा था, इस समय वह मेरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास नहीं है। उसमें मुख्य सचिव ने लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से भी जो आवेदन-पत्र आ रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही नहीं हो रही है और उनमें भी विलम्ब हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा है। अब आप ही बतायें कि माननीय सदस्यगण किस तरह से उम्मीद करेंगे कि नियम 301 के अन्तर्गत जो आदेश दिये जाते हैं, उन पर सरकार पालन कर रही हो। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यादव जी, यह प्रशासनिक मामला है कि आदेशों का पालन नहीं होता है। जहां तक नियमावली और संविधान का सवाल है, उसका कहीं पर भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। 301 में तो सरकार जवाब देती है, उसमें समय लगता है और उसका एक निश्चित समय होता है और आपको सूचना दी जाती है।

तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण सम्बन्धी अध्यादेश का प्रबन्ध समिति द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया था, उसे अध्यक्ष जी ने रिजेक्ट कर दिया था। मेरा कहना यह है कि मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया था, उस पर ग्राह्यता के बारे में भी मुझे नहीं सुना गया और कहा गया कि जो विधान सभा की प्रक्रिया है, उसके सम्बन्ध में होना चाहिए। मान्यवर, मैंने जो प्रश्न दिया था, वह यह था कि यहां विधान सभा से अभी एक अध्यादेश जारी किया गया था कि तदर्थ अध्यापकों का नियमितीकरण कर दिया जाय। शुरू-शुरू में जब यह बात आई थी तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अम्मार रिजवी साहब ने एक आदेश जारी किया था और विश्वविद्यालयों में चला भी गया। उसके बाद कठिनाई निवारण अध्यादेश भी लागू हो गया कि तदर्थ अध्यापकों का नियमितीकरण हो जाना चाहिए। इसमें इसकी व्यवस्था कर दी गई। अब मान्यवर, प्रश्न यह है कि आगरा मेडिकल कालेज में 1983 से 6 अध्यापक हैं जो कार्य कर रहे हैं और जो आपका अध्यादेश है। उसके अन्तर्गत वह बात है कि 3 मई, 84 को जो नियुक्ति मे होनी चाहिए और वह सन् 83 से काम कर रहे हैं। आपने अध्यादेश भी जारी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया। 25 अगस्त को प्रबन्ध समिति की मीटिंग हुई और उसमें इन 6 अध्यापकों की नियुक्ति का प्रश्न आया तो पूरे आइटम को आगे के लिए स्थगित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय राणा जी, एजेण्डा बहुत लम्बा है। राणा जी, यह ध्यान रखें कि रात के 12 बज जायेंगे इसलिए आप संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा---

प्रबन्ध समिति को माननीय राज्यपाल के आदेश से नियुक्त किया जाता है। जो कमेटी जनता से नहीं चुनी गई है और जिसको महामहिम राज्यपाल ने अपने आदेश से मनोनीत किया है और जिसके सम्बन्ध में शासन का अध्यादेश है, सरकार ने जिसको खुद बनाया है जब उसका ही पालन नहीं करवा सकती सरकार तो मान्यवर, यह तो एक अहम मामला है कि अध्यादेश इस विषय में जारी किया गया है। मान्यवर, इस विषय में आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी कोई संवैधानिक प्रश्न नहीं है। नियमावली से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है। प्रशासनिक मामला है लेकिन कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

मद सं0 28 की मद संख्या 29 में पुनरावृत्ति हो जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस माननीय सदन में जो माननीय अध्यक्ष पीठ है उसके सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही जा सकती मगर सूचना दी जा सकती है अगर अध्यक्षीय पीठ के निर्देशानुसार कोई कार्य नहीं होता है तो उसकी सूचना दी जा सकती है। मान्यवर, मैं आज के एजेण्डा पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें एजेण्डा के आइटम नं0 28 और 29 को आप देखें। इसमें जो आइटम 28 है वही आइटम 29 है, निश्चित रूप से इसमें कुछ त्रुटि रह गई है, मुद्रण की त्रुटि है या 28 का 29 में रिपीटीशन हो गया है। इस त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करना मैंने अपना कर्तव्य समझा और आपको सूचित कर दिया। आप इसको देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जब सूची पर वहां पहुंचेंगे तो उसे ठीक कर लिया जायेगा।

श्री राम सरन--

मान्यवर, आप पहली बार विराजमान हुए उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं सुबह से आपकी वजह से भूखा भी हूं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपके पास सूचनाएं हैं, कुछ इसका सीरियल भी होगा या जो खड़े हो जाएं उन्हीं को आप बुला लेंगे, यह तो ठीक नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सीरियल वाइज हैं उन्हें ही आप बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप ही बोल लें।

श्री राम सरन--

मैं नियम कायदे को तोड़ने वाला आदमी नहीं हूं। चाहे मैं कितना ही भूखा क्यों न हूं।

नियम 300 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करने के उपरान्त भी उनकी ग्राह्यता पर सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जयदीप सिंह बरार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 314 को देखें। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपने नियम 300 के बारे में सूचना दी इस सदन को कि माननीय अध्यक्ष जी ने सब सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं। अगर आपकी जगह माननीय अध्यक्ष होते तो पुनर्विचार कर सकते थे और माननीय सदस्यों को समय दे सकते थे कि उनकी ग्राह्यता पर चर्चा कर लें। नियम 314 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी। अगर नियम 300 के अन्दर सूचनाओं को अस्वीकार कर चुके हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को आप उन्हीं सूचनाओं पर दुबारा सुन रहे हैं? इस पर व्यवस्था दें।

श्री राम सरन--

ये सब सूचनाएं अस्वीकार तो होती ही हैं, सुनने का मौका अध्यक्ष जी भी देते है और आपने भी दिया।

(श्री देव कुमार यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

मैं जैसे ही यहां आकर बैठा, मैंने फ़ाइल को देखा नहीं था। अस्वीकार नहीं किया था अध्यक्ष जी ने, मैंने कह दिया था कि अस्वीकार कर दिया। उसके लिये मैं खुद कहता हूं कि मुझे पता नहीं था।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की छात्रा डा० चन्द्र प्रभा की आत्म-हत्या से सम्बन्धित छात्रसंघ में आन्दोलन की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री देव कुमार यादव--

मैंने नियम 300 में एक औचित्य का प्रश्न उठाया था किंग जार्ज मेडिकल कालेज के बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह विषय आपने नियम 301 में भी दिया है और उसमें यह स्वीकर हो चुका है, फिर दुबारा कहां आता है।

श्री देव कुमार यादव--

उसमें तो 6 हफ्ते लगेंगे। वहां पर स्थिति विस्फोटक हो गयी है। 6 जुलाई को डाक्टर चन्द्रप्रभा ने आत्म-हत्या की छात्र उत्पीड़न से ऊब कर। जिन छात्रों ने आन्दोलन करके जांच की मांग की, छात्रसंघ के सचिव हैं डाक्टर अशोक कुमार यादव, प्राचार्य महोदय ने उनको सस्पेन्ड कर दिया। आन्दोलन हुआ, 7 डिवीजन पी० ए० सी० वहां चली गयी, पूरा मेडिकल कालेज छावनी बन गया है, उत्तरोत्तर तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिये आग्रह करूंगा कि सरकार को निदेश दें कि निलम्बन आदेश समाप्त करके छात्र आन्दोलन को शान्त करें।

सहारनपुर जिले की तहसील नकुड़ के कतिपय गांवों की पैमाइश करा कर वास्तविक कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया, भूखे आदमी को। सहारनपुर जिले की तहसील नकुड के 21-22 गांव ऐसे हैं जो 1947 में यमुना के किनारा बदलने से पंजाब प्राप्त में चले गये, कुछ उधर से इधर आ गये। आज तक उन गांवों की कोई पैमाइश नहीं हुई, जिसका भी कब्जा है, वहीं काबिज है। न लगान है, न रेवन्यू है, न चकबन्दी है, न बन्दोबस्त है। ऐसी स्थिति में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है। न वहां पर पटवारी जाता है न नायब तहसीलदार जाता है। ऐसा है जैसे कुछ लोगों का वहां पर अपना ही अधिकार हो। मान्यवर, रेवन्यू का नुकसान, वहां और तरीके भी चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि हमारा 50 बीघा जमीन पर कब्जा है उसके बाद हम दूसरे को बेच देते हैं तो उसकी कहीं रजिस्ट्री नहीं होती है। तो मान्यवर, इसे हम औचित्य के प्रश्न में उठा कर शासन से निवदन करना चाहते हैं कि वहां पर पैमाइश कराई जाय, वहां का सर्वे कराया जाय और जिसकी जमीन है वह जमीन अपने मालिक के पास रहे। रेवन्यू सरकार वसूल करे। वहां स्टाम्प की चोरी हो रही है। वहां पर कोई बन्दोबस्त या चकबन्दी नाम की कोई चीज नहीं है। नकुड़ क्षेत्र का किसान बहुत पीड़ित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात वहां पर है। वहां पर असली राज्य नरायन दत्त तिवारी का हो जाय। मैं चाहूंगा वहां पर शासन की ओर से पैमाइश कराई जाय, चकबन्दी कराई जाय और खसरा और खतौनी को मेन्टेन किया जाय। मैं आशा करता हूं कि आप औचित्य के प्रश्न पर उचित कार्यवाही करने के लिये शासन को निर्देशित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

यह है तो महत्वपूर्ण लेकिन इसे औचित्य के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री राम सरन--

मान्यवर, इस पर शासन का ध्यान तो आप आकर्षित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री भगौती सिंह--

मान्यवर, लखनऊ जनपद में तीन हजार शिक्षक माननीय मंत्री जी के घर पर धरना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से निरन्तर अपनी मांगों को लेकर वे शासन पर दबाव डाल रहे हैं लेकिन उनको शासन की ओर से कोरा आश्वासन ही मिल रहा है लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सन् 1979 के नवीन वेतनमान के निर्धारण के अवशेष धन के भुगतान का मामला है। आवासीय भत्ता के अवशेष धन का मामला है। महंगाई के किस्तों के अवशेष धन का मामला है। सहायक अध्यापकों, प्राइमरी विद्यालयों के वेतनमान का मामला है जो कि पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष वेतन से सम्बन्धित है, नई नियुक्तियों के वेतन का मामला है, सेवा मुक्त या मृतक शिक्षकों के बकाया देयों के भुगतान का मामला है। भविष्य निधि की लिखा-पढ़ी का मामला है। लगातार पिछले चार-पांच वर्षों से शासन उनको केवल कोरा आश्वासन देता चला आ रहा है लेकिन उनके पैसों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

अब स्थिति यह आ गयी है कि वे मजबूर हो गये हैं आन्दोलन के रास्ते पर जाने के लिये। माननीय शिक्षा मंत्री के घर पर आज धरना चल रहा है और यह इसी क्रम में आन्दोलन चलता रहेगा। पूरे जिले के प्राथमिक स्कूल बन्द हो गये हैं, बच्चों की शिक्षा बन्द है। ऐसी स्थिति में माननीय शिक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं, वह कोई निश्चित बात बतलावें कि उनकी समस्या का निदान, अवशेष धन का भुगतान कैसे होगा? आज हाऊस उठने जा रहा है, कल से उनका क्रमवार आन्दोलन चलता रहेगा। पूरे जिले के प्रशासन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब सदन उठने जा रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह बतलावें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। माननीय शिक्षा मंत्री यहां हैं, वे इसको देख लेंगे।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, जो मामला उठाया गया है, उसके बारे में आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह कोई आश्वासन दें, क्योंकि मेरे पास भी पत्र आया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आश्वासन का समय नहीं है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षक धरना दे रहे हैं, माननीय सदस्य के घर पर बैठे हैं, मेरे निवास स्थान पर मेरे क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षक बैठे हैं, तो जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसके लिये आपको शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन और प्राविडेन्ट फण्ड के मसले को सरकार बराबर टाल रही है अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो फिर क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष--

सदन तो नियमावली से ही चलेगा। मंत्री जी बैठे हैं, ठीक है, बात आपने कह दी, कार्यवाही करने का काम तो शासन का है। यह मामला 300 में नहीं आता है।

श्री शारदा प्रताप--

तो फिर किसमें आयेगा? 300 में नहीं आयेगा, 56 में नहीं आयेगा, तो किसमें आयेगा? आज पूरे जनपद के शिक्षक....

श्री राम सरन--

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं दो सदस्य लोकल यहीं के हैं, वह कह रहे हैं, इसलिये मैं उठा हूं। एक स्थिति आ गयी है, सरकार बैठी है, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वह खड़े होकर कह दें, कि इसका निराकरण करेंगे, तो क्या बात हो जायेगी। तो क्या मंत्रि-परिषद से हट जायेंगे?

श्री शारदा प्रताप--

शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी नियम के आधार पर होता तो कह देते।

श्री शारदा प्रताप--

हम लोगों की स्थिति खराब है, घरों पर शिक्षक धरना देरहे हैं, मेरी सूचना को सही मानते हुये शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं.....

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित कर दें, वह बैठे हैं, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्देशित तो कर सकते हैं।

श्री देव कुमार यादव--

मंत्री जी स्थिति को बता दें, बहुत गम्भीर मसला है, आप उनको निर्देशित कर दें।

श्री शारदा प्रताप--

आप इनको निर्देशित करें....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं निर्देशित करता हूं, मंत्री जी इसको देख लें।

श्री शारदा प्रताप--

वह कुछ कह दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनसे अभी कुछ नहीं कहला सकता हूं किस नियम के आधार पर उनसे कहला दूं? कोई वक्तव्य की बात नहीं है, आपने 300 में प्रश्न उठाया है तो मैं निर्देशित ही कर सकता हूं और मैंने निर्देशित कर दिया है।

श्री भगौती सिंह--

महत्व का सवाल है।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का सवाल है, इनका सुन लें। किस नियम में है?

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, दिन प्रतिदन किसी न किसी संदर्भ में संसदीय कार्यमंत्री, जितने मसले यहां पर उठते हैं, अध्यक्ष पीठ से निर्देश देकर वक्तव्य दिलाया जाता है और कोई नियम की अवहेलना नहीं होती है। माननीय मंत्री जी बैठे हुए है। इतना ज्वलंत लोक महत्व का मामला है। आज समस्या उठ रही है इसमें माननीय मंत्री जी को निर्देश दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का कोई प्रश्न बनता नहीं है, मैंने निर्देश दे दिया। मैंने व्यवस्था दे दी है, निर्देशित कर दिया है शिक्षा मंत्री जी को।

कोल असला क्षेत्र, वाराणसी के विधायक के साथ शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर मंत्रिमंडल के मंत्रियों को कभी कभी पत्र लिखते हैं और ये उसका जवाब देते हैं। जवाब न आने पर कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है कि हम लोग उनके कार्यालय पर जाते हैं और मंत्री लोग हमारी बात को सुनकर उन समस्याओं का निराकरण करते हैं लेकिन 3 सितम्बर को शिक्षा राज्य के मंत्री ने एक विधायक के साथ में जो वाराणसी के कोल असला क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये हैं। मंत्री जी ने उनके साथ गलत बयानी की है यह सांध्य समाचार में छपा है। उन्होंने 80 पत्र लिखे लेकिन माननीय शिक्षा राज्य मंत्री ने उन 80 पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की और जब कोई कार्यवाही नहीं की तो उनको एक ऐसा पत्र भी उनका प्राप्त हुआ। 3307 नम्बर था और अगस्त का लिखा हुआ है जिस पर मंत्री जी के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह नहीं ज्ञात होता कि माननीय मंत्रीजी ने लिखा है या और किसी ने। इन सब कार्यों से असंतुष्ट होकर वह माननीय विधायक उनके कार्यालय में मिलने गये और सेक्रेटरी से कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उनको मिलवा दिया जाय तो सेक्रेटरी ने कहा कि आप इंतजार कीजिए । जब काफी देर इंतजार करने के बाद वह नहीं आये तो विधायक जी माननीय मंत्री जी के पास चले गये तो माननीय राज्य शिक्षा मंत्री ने उनसे कहा कि यह शिक्षा मंत्री का कार्यालय है तुम जैसे विधायकों की क्या हस्ती है ? आप चले जाइयें नहीं तो हम धक्के देकर आपको निकलवा देंगे उस पर जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम कांग्रेस आई के विधायक हैं हम पार्टी के हाई कमान से इसकी शिकायत करेंगे तो उन्होंने कहा कि उनसे भी निपट लिया जायेगा । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, यह औचित्य का सवाल है कि जब हम ऐसी समस्याओं को लेकर माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं और मंत्री हमको जवाब नहीं देते बल्कि इतना अपमान करें कि धक्के देकर बाहर निकलवा देंगे तो हम जनता की समस्याओं को लेकर उनको निराकरण नहीं कर सकते हैं । यह सदस्यों का अवमान है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । आपने मंत्री को कोई सूचना नहीं भेजी । सूचना दी जाय तो वह जवाब दें । 300 में तो कोई नियमावली का उल्लंघन तो होता नहीं ।

श्री बदन सिंह--

मैंने मान्यवर, यह लिखकर भेजा है आप कृपा कर उसको देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमको भेजा है, माननीय मंत्री जी को नहीं भेजा । 289 के अनुसार मंत्री जी को सूचना देनी चाहिये ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, अब आप मंत्री जी को निर्देश दें ताकि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्रिमंडल तो बना ही इसलिये है निर्देशित क्यों करें ?

(श्री गौरी शंकर भइया का नाम पुकारे जाने पर तथा श्री भगौती सिंह के खड़े होकर बोलते रहने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित कर दिया है कि वे मामले को देखें ।

श्री शारदा प्रताप--

शिक्षा मंत्री जी बैठे हुये हैं । उन्हें आप स्पष्ट निर्देश दे दें । जनता की समस्याओं को सुनना और देखना . . .

श्री उपाध्यक्ष--

वे इस मामले को देखेंगें ।

श्री शारदा प्रताप--

शिक्षा मंत्री जनता की समस्याओं को सुनना और देखना नहीं चाहते । आपकी तरफ से हम लोगों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा तो मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को लेकर सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगौती सिंह--

इस तरह से कैसे काम चलेगा । न नियम 300 है न नियम 301 है। हम किस नियम के तहत समस्याओं को उठायें । हमारे क्षेत्र के लोग मेरे घर पर बैठे हुये हैं । मैं अपने घर पर कैसे रहूं ? कैसे खाना खाऊं कैसे निवास करूं ? सारे अध्यापक धूप में बैठे हुये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन किसी नियम के अनुसार ही चलेगा ।

श्री भगौती सिंह--

यहां पर कौन सा नियम रह गया है ? सारे नियम तो स्थगितकर दिये हैं । ऐसी स्थिति में मैं इस मामले पर जोर देता हूं । कि शिक्षा मंत्री हमें आश्वासन दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आश्वसान देने का समय नहीं है। मैंने निर्देशित कर दिया है। क्या समस्या है, जब इस पर जांच होगी तब आश्वासन की बात आती है। कृपया आप बैठें।

श्री भगौती सिंह---

मैं ऐसे नहीं बैठूंगा।

श्री मित्रसेन---

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री भगौती सिंह---

आपने कहा निर्देशित कर दिया। वे क्या देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? मैं आपके इस आदेश पर सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री भगौती सिंह सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, माननीय सदस्य भगौती सिंह ने जो समस्या सदन के सामने रखी है, दुर्भाग्य की बात है कि इस गम्भीर मसले पर माननीय शिक्षा मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मित्रसेन जी, कृपया बैठें।

श्री मित्रसेन---

उस गम्भीर समस्या पर वे स्थिति स्पष्ट न करें तो यह दुखद बात है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं जो हमारे सामने समस्यायें हैं उन्हें हम आपके सामने रखते हैं और शासन को चाहिये . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपकी भावनाओं को देखते हुये मैंने उन्हें निर्देशित कर दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह---

औचित्य का प्रश्न है दो मिनट दे दें

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने गौरी शंकर भइया को बुलाया है।

श्री यदुनाथ सिंह---

भगौती सिंह का यह मसला है 300 का औचित्य का प्रश्न है। मेरा और उनका विषय एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष---

उनको मैंने बुला लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह---

उनका दूसरा विषय है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

श्रीमन्, जिस विषय को आपने सुना उस पर यदुनाथ सिंह जी के भी दस्तखत हैं अन्यथा वह विषय टल जायेगा।

श्रीगौरी शंकर भइया---

मान्यवर मैं कब से खड़ा हूं। आपने मुझे बुला लिया है आखिर क्यों मुझे समय नहीं दिया जा रहा है। सदन व्यवस्थित नहीं है. .

(श्री यदुनाथ सिंह के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

यदुनाथ सिंह जी, मैं उनको बुला चुका हूं।

श्री यदुनाथ सिंह---

मेरी पहले की सूचना आपके पास है।

श्री गौरी शंकर भइया---

पहले उनको ही सुन लें हमको बाद में सुन लीजियेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी---

आप औचित्य के प्रश्न पर निर्णय दे चुके हैं और एक माननीय सदस्य श्री बदन सिंह जी को सुन लिया उसके बाद औचित्य का प्रश्न नहीं रह जाता है। यह औचित्य का प्रश्न नियम में नहीं आता है।

श्री यदुनाथ सिंह---

मैं गुफरान जाहिदी साहब के व्यवस्था के प्रश्न पर आपत्ति करता हूं वे इतने सीनियर मेम्बर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

वह नियम बता रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह--

वह ऐसी बात उठा रहे हैं जो सदन के अन्दर घटी नहीं है दि ला डज नाट कंफर बैनिफिट अपान वन हू नाट वांट इट ।

श्री यदुनाथ सिंह ---

अगर ऐसा करेंगे तो मैं सदन के बीच वैल में चला जाऊंगा । मान्यवर, 4 ता0 को शिक्षा राज्य मंत्री ने किसी एम0एल0ए0 के साथ दुर्व्यवहार किया ।

श्री चेतराम गंगवार ---

इसीलिये दुर्व्यवहार होता है । आपके उप नेता बैठे हैं और उनके सामने से खड़े होकर बोल रहे हैं (व्यवधान) तभी होता है ।

श्री यदुनाथ सिंह---

अपने नेता का मामला, मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष ---

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह--

शिक्षा राज्य मंत्री संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने बनारस के एक एम0एल0ए0 के साथ जो व्यवहार किया है सब के लिये शर्म की बात है । माननीय चेतराम गंगवार को इस तरह से ढकेल दिया जाय तो मालूम होगा । 80 पत्र लिखने के बाद एक का भी जवाब नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात हो चुकी है ।

श्री यदुनाथ सिंह --

दोनों में जातिगत लड़ाई हुई दोनों ने एक दूसरे को भला बुरा कहा, उन्होंने कहा मैं ऊदल साहब को हरा कर आया हूं मैं भी कांग्रेस का एम0एल0ए0 हूं तो दोनों कांग्रेस आई के एम0एल0ए0 जीत कर आये हैं जाति के आधार पर एक ने कहा तुम कुर्मी जाति के हो तो दूसरे ने कहा तुम चमार जाति के हो तो इस तरह से एक दूसरे को भद्दी-भद्दी गालियां दीं इसे ज्यादा खराब बात और नहीं हो सकती है इसको आप देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किये गये जंगली बाबा शिक्षण संस्थान, गड़वार, बलिया के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा तथा ग्राम भरौली, सोहांव, बलिया में पम्प नहर लगाये जाने सम्बन्धी सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया---

माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़ी जद्दो-जहद के बाद आपकी कृपा हुई उसके लिये धन्यवाद श्रीमन, नियम 300 के माध्यम से आपके संज्ञान में एक औचित्य का प्रश्न उठाया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि सदन के अन्दर जो मंत्री आश्वासन देते हैं उनका पालन किस सीमा तक हो रहा है और कितनी जल्दी हो रहा है वह आप देखें (व्यवधान) आपकी व्यवस्था पर मेरे को दूसरे नम्बर पर बुलाया गया । तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी जब अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उस दिन स्पष्टीकरण के प्रश्न पर मैंने एक सवाल किया था बलिया के सोहांव ब्लाक में दो पम्प नहर हैं जिनमें गंगा का पानी 3 कि0 मी0 दूर चला गया है । तो दोनों को एक में मिला कर उनका हेड ग्राम भरौली में लगाने की बात कही थी और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर हमने आदेश कर दिये हैं । मेरी पक्की जानकारी है कि इस तरह के कोई आदेश उनकी तरफ से नहीं हुये हैं । मान्यवर, इस बात की गंम्भीरता तब और बढ़ जाती है जब देश के प्रधान मंत्री किसी चीज का शिलान्यास करें और उत्तर प्रदेश के अधिकारी उसे मानने के लिये तैयार न हों ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफ़रान जाहिदी पीठासीन हुये)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मरहूम प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री दोनों साथ निर्वाचन क्षेत्र के गड़वार ब्लाक में गये थे शिलान्यास करने तो उन्होंने कहा कि यहां पर जंगलीबाबा शिक्षण संस्थान का शिलान्यास कर रही हूं और यह संस्थान विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को पूरा करेगा और जल्दही यहां विश्वविद्यालय खुल जायेगा और यहां शिलान्यास का पत्थर लग गया है जबकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि हमारे यहां पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनेगा, जिससे वहां के नागरिकों ने अपनी भूमि को दान कर दिया, किन्तु शिलान्यास के समय घोषणा किया कि जंगलीबाबा शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके बावजूद मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उस शिलान्यास के पत्थर पर आज गधे पेशाब कर रहे हैं और अधिकारियों की तरफ़ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, यह सदन का अंतिम दिन है, मैं जानता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है परन्तु आप सरकार को निर्देश दें, कि एक माह के अन्दर वहां जाकर इन दोनों जगहों को देखें, जो मैंने बतायी है, और तत्काल कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पयरिला प्रकोप से फसलों की क्षति के प्रश्न को सदन के संज्ञान में बारबार लाये जाने के बावजूद भी शासन द्वारा समुचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

(समय 2 बजकर 42 मिनट)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आज इस सदन का अंतिम दिन है, इसलिये व्यवस्था के प्रश्न के रूप में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि आज भी यहां मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है, तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं, श्री हुकुम सिंह, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, सहमत होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाइरिला के प्रकोप से सारी फसलें जैसे धान, मक्का और सबसे ज्यादा गन्ने की फसल नष्ट हो चुकी है और मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि पाइरिला से नहीं लड़ा गया तो प्रदेश की प्रगति अवरूद्ध हो जायेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अकाल पैदा हो जायेगा। मान्यवर, यह प्रश्न सदन में कई बार उठा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और शहरों तक में पाइरिला घुस गया। कृषि मंत्री ने कहा कि पाइरिला से युद्ध स्तर पर लड़ा जा रहा है और यह शीघ्र नष्ट हो जायेगा। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नकली दवाईयां किसानों को दी गयी हैं जिसका असर नहीं हुआ और इसको मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कि नकली दवाईयां किसानों को दी गयीं जिनका पैसा भी किसानो पर चढ़ गया और गन्ने, धान एवं मक्के की फ़सल भी चौपट हो गयी, इसलिये मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कृषि मंत्री को निर्देश दें कि वह आगामी दिनों में मेरठ मंडल में इन तमाम कामों को देखें जिससे पाइरिला से किसान बच सके और उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। सरकार इस विषय को गंभीरता से ले वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान चौपट हो जायेगा।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, अभी जिस औचित्य के प्रश्न के रूप में माननीय किरन पाल सिंह ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया, इसके पूर्व भी यह प्रश्न कई रूपों में यहां उठाया गया। मान्यवर, यह सही है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और विशेषकर मेरठ मंडल पाइरिलासे प्रभावित है लेकिन सरकार पाइरिला के प्रकोप को समाप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठा चुकी है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जबतक वह अपने क्षेत्र में जाएगें, उनको वहां पर हैलीकाप्टर और हवाई जहाज के द्वारा वहां पर पायरिला

ग्रसित फसलों पर दवाओं के छिड़कने का काम देखने को मिलेगा। इस मामले में पहले ही निर्देशित किया जा चुका है और इस बारे में सारे प्रभावशाली कदम उठाए जा चुके हैं। साथ ही केन्द्र सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख एकड़ भूमि में, जिसमें गन्ना या अन्य फसलें खड़ी हैं, कीटनाशक दवाएं छिड़कने का कार्य होगा और पंजाब में भी जो भूमि प्रभावित है, उसमें भी एरियल स्प्रे किया जा रहा है और किसानों के हित के सारे कार्य किये जा रहे हैं। तो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाकर देखेंगे कि जो प्रभावित फसलें थीं, उन पर प्रभावी कार्य हो रहा है या नहीं। जहां तक इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी की बात है उनका आगामी कार्यक्रम आपके क्षेत्र में रखा गया है, वह कल-परसों आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आप वहां पर उनको पाइरिला का प्रकोप दिखाएं और उनके सामने शिकायत भी लाएं। वह आपकी सेवा के लिए ही वहां जा रहे हैं। पाइरिला या किसी अन्य फसल-बीमरी पर कीटनाशक दवाएं छिड़कने की बात होगी तो मैं आपका आभारी हूंगा कि आप उसको हमारी जानकारी में लाएं।

श्री राममरन--

हुकुम सिंह जी ने एक बात रखी, रोजाना किरनपाल सिंह जी और अन्य पश्चिमी जिलों के लोग हमारे पास आते हैं, उनसे हमारा सबसे पहला सवाल यह रहता है कि पाइरिला की क्या स्थिति है? धान, ईख और ज्वार आदि के खेतों में यह पाइरिला है, उसका भारी प्रकोप है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिये कोई कार्य नहीं हो रहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस हाउस में क्या बोल दें उसकी तो कोई सीमा नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो कृषि मंत्री हैं, नरेन्द्र सिंह जी, यह तो आसमान तक उठते हैं। मान्यवर, इनसे भी आप कहवा दीजिए। प्रदेश के पश्चिमी जिलों का किसान तो पूरी तरह से मर गया है, उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर ही नहीं, पूरे भारत पर पड़ेगा। हम पश्चिम के लोग बहुत अच्छा बासमती चावल पैदा करते हैं, वह सब नाश हो गया है, अगर आप चावल खाना चाहते है और खिलाना चाहते है तो उसको रोकने का आप ज़ोरदार इंतजाम कीजिए। हाउस में आप आश्वासन दीजिए और गन्ने के साथ-साथ अन्य फसलों को बचाने का इंतजाम कीजिए।

(श्री हरेन्द्र सिंह के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इस पर माननीय किरन पाल सिंह बोले और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उस पर आश्वासन भी दे दिया, फिर भी उस पर राममरन ने भी कह दिया, अब इस पर नहीं... (व्यवधान) औचित्य के प्रश्न पर दो लोग बोल लिये, अब सबको बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। (व्यवधान) हमारी अनुमति के बगैर जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री हरेन्द्र सिंह--

(* * *)

(व्यवधान)।

अधिष्ठाता--

आप अपनी गरिमा को खुद अनुभव करें और आप कृपया बैठें राम मरन जी आप अपने सदस्यों को कृपया बिठाइये।

श्री हरेन्द्र सिंह--

चारा और गन्ना पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नियम 56 में तथा अन्य नियमों में हमने इसे यहां उठाया है, बार-बार आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन हम काम चाहते हैं। हम व्यवस्था यह चाहते हैं कि इस आश्वासन से क्या फ़ायदा है, जब कोई काम नहीं होता है। लेटेस्ट सूचना यह है कि हवाई जहाज को मना कर दी गई है। वहां पर अकाल पड़ रहा है। किसान मिट रहा है, मर रहा है, उसके गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। मिलों में हड़ताल हो रही है और आप हमको बोलने की इजाजत नहीं देते है।

नोट--(* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता---

कृषि मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते है ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)---

आश्वासन ही नहीं दिये जा रहे हैं कुछ किया जा रहा है ।

एक सदस्य---

2 साल से पायरिला से फसलें प्रभावित हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बात न करें । जो कुछ कहना हो वह मुझको संबोधित करके कहें । माननीय मंत्री जी आप भी मेरे माध्यम से उत्तर दें ।

चौधरी नरेन्द सिंह---

मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने अभी काफ़ी विस्तार से इस संबंध में बताया । जहां तक पायरिला की समस्या का सवाल है हम लोग पूरी तरह से इस बारे में चिंतित हैं और राम सरन दास जी ने और हमारे अन्य मित्रों से कम चिंता हमको नहीं है इसके लिये पूरे तरीके से प्रयास हो रहा है, केन्द्रीय स्तर पर भी और जो उच्चतम स्तर पर बात हो सकती है वह कर रहे हैं । जहां तक मुझे खबर है मेरठ के इलाके में तो एरियल स्प्रे के लिये व्यवस्था हो गयी है । जैसा हमारे हुकुम सिंह जी ने कहा जब आप अपने क्षेत्र में जायेंगे तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और लोग कहेंगे कि सरकार ने दर-असल प्रयास किया है । आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी । हमारे कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायत जायज है । एक सर्वे का मैंने आदेश किया हुआ है जिसमें 2 अफसर राज्य सरकार के होंगे । एक प्लान्ट प्रोटेक्शन का और एक केन डिपार्टमेंट का । इसी तरह से 2 अफसर केन्द्र सरकार के होंगे । एक आई0 सी0आर0 का और दूसरा प्लान्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का । तो यह लोग सर्वे करेंगे कि जो उपचार किया गया है तो वह किस हद तक प्रभावी हुआ है और प्रभावी नहीं हुआ है तो उसका क्या कारण है । इन सारी बातों की जानकारी की जायगी और इस पर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । मैं भी इधर 7-8 तारीख को मेरठ, मुजफ्फरनगर की तरफ़ जा रहा हूं । किसानों की जो दिक्कत है, उनके खेत पर जाकर मैं देखने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ कुछ वैज्ञानिक तथा अधिकारीगण भी होंगे और आमने सामने चर्चा होगी तो जो भी कठिनाइयां होंगी उनको दूर करने की कोशिश की जायगी । मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार पूरी तरह से चिंतित है और पूरे तरीके से प्रयत्नशील है ।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

कल जब आप उठ गये थे क्यों कि कोरम नहीं हुआ था तो जो नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं थीं वह नहीं ली जा सकी ।

श्री अधिष्ठाता---

औचित्य के प्रश्न पर माननीय किरन पाल सिंह, माननीय राम सरन और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और उस पर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया । उस पर कार्यवाही हो रही है । वह बात हो गयी ।

दिनांक 4-9-85 को कार्य सूची की मद संख्या 21 "हिन्डलको के मजदूरों पर लाठी चार्ज को न लिये जाने तथा उस पर कृत कार्यवाही से अवगत न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है । कल के एजेंडे में मद संख्या 21 पर नियम 51 की सूचना थी । चूंकि कोरम नहीं था इसलिये आप उठ गये थे और वह नहीं लिया जा सका था । उसी के अन्तर्गत मैंने सूचना दी थी और उसको आज मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है । माननीय उपाध्यक्ष

ने उस पर निर्णय नहीं दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना पर क्या कार्यवाही हुयी है क्या निर्णय हुआ ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उपाध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी है। मैं इस पर इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आप फिर से देख लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने देख लिया है, आप बैठिये।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आप देख लें।

श्री अधिष्ठाता --

ठीक है, मैं अपना निर्णय वापस लेता हूं। आप कहिये, आपको क्या कहना है ?

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, हिंडालको के मजदूरों पर 18 अगस्त को लाठी चार्ज हुआ था, जब वे कालोनी के गेट पर शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर रहे थे। उनकी मीटिंग का उद्देश्य था कि मजदूरों को उनके क्वार्टरों से हिंडालको के प्रबन्धकों के इशारे पर कुछ गुंडे और पुलिस मिल कर उनके कब्जे को खाली करा रही है, यह न किया जाय, यह अवैधानिक है और उनके सामानों को जबरदस्ती कमरों से निकाल कर फेंक दिया जा रहा है और सामान गायब कर दिये जा रहे हैं। जब हम मजदूरों को ले कर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, तो पुलिस ने बराबर लाठी चार्ज किया और 3 सितम्बर को प्रातः 9 बजे कोई कार्यवाही न होने के कारण दुबारा फिर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हैं और दो व्यक्तियों की हालत बहुत गम्भीर है। इससे मजदूरों में बहुत जबरदस्त असंतोष और आक्रोश है। पूरे दक्षिणांचल की औद्योगिक नगरी में, अशांति व्याप्त हो गयी है। डाला, चुर्क आनपारा, कोटा और ओबरा के लाखों मजदूर आंदोलित हो उठे हैं, किसी भी समय स्थिति असामान्य हो सकती है और औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर आंदोलित हो सकते हैं। इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मान्यवर, वक्तव्य दिला दें या निर्देशित कर दें कि स्थिति को स्पष्ट करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में शासन को 18 तारीख की लाठी चार्ज की भी सूचना प्राप्त हो गयी होगी और अब दुबारा लाठी चार्ज के बारे में भी कोई न कोई सूचना अवश्य प्राप्त हुई होगी।

श्री अधिष्ठाता--

शासन ने आपको सुन लिया है उस पर जो कार्यवाही शासन को करना होगा, वह करेगा।

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी स्थित रतीय ताल के पानी के निकासी हेतु हाहा नाले की खुदाई तथा दो नये फाटक लगाये जाने के संबंध में याचिका

श्री विष्णुदेव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में स्थित रतीय ताल के पानी की निकासी के लिये हाहा नाले की खुदाई कराने व रेगुलेटर के पास पटी हुई भूमि की खुदाई कराने व दो नये फाटक लगाने विषयक श्री पुरुषोत्तम मल्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के कस्बा सिभावली में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में याचिका*

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के कस्बा सिभावली में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने विषयक श्री धर्मपाल सिंह आदि निवासीगण गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

*छापी नहीं गयी।

जनपद गाजियाबाद में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल चिरौड़ी, को स्वीकृत करके इन्टरमीडिएट कालेज किये जाने के संबंध में याचिका

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, चिरौड़ी, जनपद गाजियाबाद को उच्चीकृत करके इन्टर-मीडिएड कालेज किये जाने के संबंध में श्री ज्ञान चन्द्र आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद, मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गाजियाबाद के बागपत, मुरादनगर मार्ग पर हिन्डन नदी में सुराना गांव के पास पुल बनाने के संबंध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बागपत-मुरादनगर मार्ग पर हिन्डन नदी में सुराना गांव के पास पुल बनाने विषयक श्री ज्ञानचन्द्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गाजियाबाद के चिरौड़ी में एक राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने के संबंध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद में न्याय पंचायत चिरौड़ी में एक राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने विषयक महाशय होराम सिंह तथा अन्य निवासीगण गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

गाजियाबाद के विकास खंड लोनी में एक राजकीय पालीटेकनिक खोलने के संबंध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विकास खण्ड लोनी में एक राजकीय पोलिटेकनिक खोलने विषयक श्री लक्ष्मी चन्द तथा श्री विक्रम सिंह निवासी, गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गाजियाबाद के न्याय पंचायत चिरौड़ी में मातृ एवं शिशु कल्याण, केन्द्र खुलवाने के संबंध में याचिका†

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गाजियाबाद के न्याय पंचायत चिरौड़ी में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खुलवाने विषयक याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आगरा ग्राम गदपुर से धौरा होकर फिरोजाबाद मार्ग के कुबेर पुर मार्ग तक बनी सड़क का विकास कर बाई पास बनवाने के संबंध में याचिका†

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा में ग्राम समोगर के दूसरी ओर यमुना नदी के किनारे स्थित ग्राम गदपुरा से धौरा होकर फिरोजाबाद मार्ग के कुबेरपुर मार्ग तक बनी सड़क का विकास कर बाई पास बनवाने विषयक डा० एस० के० राना तथा श्री भगवान सिंह निवासीगण आगरा, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आगरा में यमुना नदी के पूर्व दिशा में ग्राम समोगर पर एक पुल बनवाये जाने के संबंध में याचिका†

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा में यमुना नदी के पूर्व दिशा में ग्राम समोगर पर एक पुल बनवाये जाने विषयक डा० एस० के० राना तथा श्री भगवान सिंह निवासीगण आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर पूर्व दिशा में ग्राम समोगर पर पैन्टून ब्रिज बनवाने के संबंध में याचिका†

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा में यमुना नदी पर पूर्व दिशा में ग्राम

†छापी नहीं गयी ।

†छापी नहीं गयी ।

समोगर पर जब तक पक्का पुल नहीं बनता, पेन्टून ब्रिज बनवाने विषयक डा0 एम0 के0 राना तथा श्री भगवान सिंह निवासीगण आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बस्ती को दो भागों में विभाजित कर दूसरे नव निर्मित जिले का मुख्यालय बांसी में स्थापित करने के संबध में याचिका†

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बस्ती को दो भागों में विभाजित कर दूसरे नव निर्मित जिले का मुख्यालय बांसी में स्थापित करने विषयक श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी आदि निवासीगण जनपद बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जो आज दिनांक 5 सितम्बर, 1985 की कार्यसूची के अन्त में नत्थी "च" पर छपी है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जो आज की कार्य सूची के नत्थी 'च' पर छपी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 186 पर)

[समय 3 बजे से]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों) की उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पुरःस्थापित करता हूं।

(मद संख्या 24 पुकारे जाने पर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, मेरा संशोधन तो सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप रुक जायें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

संशोधन कब लायेंगे ? जब एक दिन पहले पुरःस्थापित होता है, तो मौका होता है।

श्री अधिष्ठाता--

तीन बजे का समय निर्धारित था। इस समय संशोधन नहीं लेंगे। जब विचार का प्रस्ताव होता है, तो संशोधन लिया जाता है। अभी विचार का प्रस्ताव नहीं हुआ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

पुरःस्थापित एक दिन पहले होता है। आज नियमों को निलम्बित करके आज ही पुरःस्थापित होना है और विचार होना है। मैं इस पर संशोधन देना चाहता हूं। विचार करने के पहले संशोधन आ जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--संशोधन लगा है, विचार के लिये होगा तो लिया जायेगा।

---

†छापी नहीं गयी।

††दिनांक 6 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दे दी गई तो संशोधन ले लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र गुप्त---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधेयक को माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने पुरःस्थापित कर दिया । इसके बाद तीन बजे प्रारम्भ होना है, विचार किया जाय ऐसा प्रस्ताव आ गया ।

श्री अधिष्ठाता---

अभी कहां आया ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

हमको सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं आपकी बात समझ चुका हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

जो संशोधन सरकार की तरफ से आया है मैं उस पर संशोधन देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

जब मौका आयेगा तो प्रस्तुत किया जायेगा

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

इस छोटे से विधेयक में यह प्राविधान किया गया है, 80 की जो विधान सभा थी वह तीन महीने पहले विघटित कर दी गयी । सभी भूतपूर्व माननीय सदस्य जो 1980 की विधान सभा के सदस्य थे, उनकी तीन महीने अवधि कम रह गई जिसके कारण वह पेंशन से वंचित रह गये । तीन महीने की अवधि कन्डोन करने के लिये यह प्राविधान किया गया है । जो विधान सभा 3 महीने पहले विघटित हो गई, वह लोग भी पात्र हों पेंशन के लिये । मुझे विश्वास है सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे ।

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, यह विधेयक उन सदस्यों के लिये लाया जा रहा है जिनको विधान सभा में किसी सत्र में रहते हुए 5 साल पूरा नहीं हुआ है । इस विधेयक में 3 माह का उल्लेख इस रूप में किया गया कि 1980 में 3 माह पहले ही विधान सभा भंग कर दी गई और वे माननीय सदस्य जिनको 5 साल पूरा होने में 3 माह रह गये थे, वे भी पेंशन के हकदार हो जाएं । मान्यवर, इसमें हमें आपत्ति नहीं है । उन्हें हकदार होना चाहिये । परन्तु मैं मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय । मान्यवर, उन विधायकों को जो विधायक नहीं रह जाते हैं, भूतपूर्व विधायक हो जाते हैं, उनको पेंशन और सुविधायें देने का क्या कारण है । मैं समझता हूं कि मुख्य कारण, माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ध्यान दें, उनसे मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा ।

मान्यवर, इन भूतपूर्व विधायकों को पेंशन और सुविधाएं देने का प्राविधान क्यों है ? एक ही कारण है कि उनका सार्वजनिक जीवन जनता से घिरा है । विधायक न रहने के बाद भी उनका समाज में स्थान रह जाता है, उसके कारण जनता उनको घेरती है और जनता और सत्ता के बीच में लोकतंत्र में विधायक ही मजबूत कड़ी है । मान्यवर, विधायक की जिम्मेदारी जनता के साथ बन्ध जाती है । मैं स्वयं कह सकता हूं कि मुझे पिछले पांच साल तक मैं विधायक नहीं था परन्तु अन्दर फुरसत नहीं रह पाई है । मेरे टेलीफोन का बिल 200--500--600 रुपये हर तिमाही भुगतान करना पड़ता रहा है । मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता और सत्ता के बीच की मजबूत कड़ी विधायक का भूतपूर्व

विधायक हो। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता और सत्ता के बीच की दूरी को कम करने के लिये मजबूत कड़ी बनें उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ही उनको यह सुविधायें दी गयी हैं। वह चुनकर आए, उसके बाद विधान सभा का सदस्य बने और अगर मान लीजिये कि पांच वर्ष के लिये जनता ने उसको चुना और किसी कारण से विधान सभा बीच में ही भंग हो गयी। तो इसमें सदस्य का दोष नहीं है कि पांच साल पूरे नहीं हुए। मान्यवर, इसीलिए यह प्रस्ताव लाया गया कि वह दोषी नहीं है कि तीन मास पहले ही विधान सभा भंग कर दी गई। इस नाते पेंशन और सुविधाएं पाने का वह हकदार है जिससे विधान सभा का सदस्य न रहने के बाद भी उसकी कार्य क्षमता बनी रहे। उसकी जनसेवा की सामर्थ्य बनी रहे। इसलिये यह विधेयक लाया गया कि तीन माह पहले ही भंग होने पर भी उन्हें पेंशन का अधिकार मिल जाय। इसी प्रकार जब भी, जिस समय भी, चुनाव होता है, पांच साल के लिये वह सदस्य बनता है तो कितने ही दिन पहले विधान सभा भंग कर दी जाय, उनको यह सुविधा प्राप्त करने का, हक होना चाहिये। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के बाद विधायक न रहने पर भी जनता उसे नहीं छोड़ती। मैं एक बार मंत्री बना। तो प्रशासनिक अधिकारी इसलिये बात को सुनते हैं कि ये पहले विधान सभा में खाद्य मंत्री रहे हैं और अब भी जनसेवा के कार्य के लिये उस स्थान तक पहुंचने में सक्षम हैं। इसलिये उन विधायकों की विधान सभा भंग होने के बाद भी जन सेवा की कार्य क्षमता बनी रहे, इसलिये उनको यह सुविधा मिलनी चाहिये। प्रथम श्रेणी में चलें या नहीं, इस पर भी चर्चा होती है। माननीय विधायकों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं उनके भोग के लिये नहीं हैं। जनता का काम करने के लिये है। किसी उन विधायक से पूछा जाय जिनको रात दिन लोग घेरे पड़े रहते हैं इस नाते मैं अपने अनुभव के रूप में कहता हूं कि बनारस में, बस्ती में, बांसी में जितने दिन रहते हैं, न सो पात हैं न पढ़ पाते हैं, न खा पाते हैं। मेरे पढ़न का स्थान स्नानागार होता है। मेरे सोने का स्थान वही प्रथम श्रेणी का डिब्बा रहता है जिसमें सो लेता है, पढ़ लेता हूं। यह जो सुविधाएं हैं विधायक की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिये है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विधायक चाहे वह विधान सभा में कितने दिन रहा हो, उनको भी यह सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिये, वो जब कभी भी चुनकर आया हो। मान्यवर, 1977 में गठित विधान सभा के बारे में कहना चाहता हूं। ढाई वर्ष पहले विधान सभा भंग हो गयी, सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो 1974 में चुने गये थे, वह भी इसी प्रकार चले गये थे। मान्यवर, स्वीकार इस रूप में किया जाय कि कोई भी माननीय सदस्य किसी भी सत्र में चुनकर आया हो जितने भी दिन माननीय सदन का सदस्य रहे, उसको यह सुविधाएं मिलनी चाहिये। सार्वजनिक जीवन में कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि उन्हें यह सुविधाएं मिलें। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो माननीय विधायकों को पेंशन और सुविधाएं मिली हैं, कुछ माननीय विधायकों को शायद कहने में शर्म आती है कहते हैं कहूंगा नहीं मिल जायेगी तो ले लूंगा। मैं कहता हूं शर्म नहीं करनी चाहिये यह सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी तो काम नहीं कर पायेंगे और कल धोखा खायेंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है यदि मैं बांसी में हूं, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, आग लग गयी कुड़जा में अब मैं साधन ढूंढ़ रहा हूं, किसी से याचना कर रहा हूं वहां जाने के लिये, और दूसरी तरफ वहां के बी0 डी0 ओ0, नायब तहसीलदार जीप ले कर पहुंच गये कुड़ना में। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायकों को यह सुविधाएं कम से कम की साधन मिलनी चाहिये, जिससे वे अपने क्षत्रमें कार्यों को देख सके। इसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक अवस्था जनता की देखी जाय, शासन की देखी जाय, इसको ध्यान में रखते हुए ही सुविधाएं दी जाएं। इसमें अन्तर करने की जरूरत नहीं है कि 5 साल पूरा करके गया है या 5 साल पूरा करने के पहले चला गया है जिस टर्म में 5 साल पूरा होने में क

था, उनके लिये आप विधेयक लाये 3 माह कम है, उनके लिये आप विधेयक लाये, और उसे 5 वर्ष मान लिया गया। मान्यवर, इसी तरह से जिस भी सत्र में माननीय विधायक चुनकर आये हों, जो भी समय कम हो, उसको 5 वर्ष मानकर यह सुविधाएं सभी माननीय भूतपूर्व विधायकों को दी जानी चाहिये। क्योंकि यह भोग के लिये नहीं ऐश के लिये नहीं है, लोकतंत्र में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये है। यह सुविधाएं माननीय सदस्यों को, भूतपूर्व सदस्यों को प्राप्त नहीं होंगी तो जनसेवा के कार्य में अधिकांश कार्यक्रम हो जायेंगे। यदि चाहते हैं कि राजनीति में अच्छा पढ़ा-लिखा, विद्वान आदमी आये तो राजनीति को सुधारना पड़ेगा अन्यथा भला आदमी राजनीति से दूर भाग रहा है। अच्छे स्तर के लोग, प्रथम श्रेणी के लोग, अच्छी योग्यता के लोग, राजनीति में प्रवेश करें इसके लिये राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले वर्तमान या भूतपूर्व माननीय विधायकों को यह सुविधाएं और इससे अच्छी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जिससे पढ़े-लिखे अच्छी योग्यता और प्रतिभा के युवक इस भ्रम में न रहें कि अगर राजनीति में कूद जायेंगे तो कल मेरे घर परिवार का क्या होगा। दूसरे लोकतांत्रिक देशों में अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि उनके यहां राजनैतिक व्यक्ति का एक स्तर माना गया है। लेकिन, यहां क्या ? जब एक दरोगा किसी माननीय सदस्य को हथकड़ी लगा सकता हो ? अगर शासन का एक दरोगा विधायक को हथकड़ी लगा सकता है तो आपने विधायक को कौन सा स्टेट्स दिया है। प्रथम श्रेणी में विश्व-विद्यालय पास करने वाला व्यक्ति राजनीति के कचड़े में क्यों पड़ना चाहेगा। संस्कृत में कहा गया है राजनीति वारांगना है। मैं संस्कृत तो ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन उस श्लोक का अर्थ है कि राजनीति एक वेश्या के समान है, जो कभी कठोर हो जाती तो कभी नम्र और कभी संकुचित हो जाती है तो कभी उदार। राजनीति का भी वही चरित्र है कभी प्रेम में और दया में दान देती है तो कभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है। इसी प्रकार राजनीति में भी प्रेम और कठोरता है, उदारता और संकुचितता है। राजनीति, जैसा पात्र व्यक्ति पायेगा, वैसी ही राजनीति बनेगी। राजनीति को राम मिले थे तो स्वर्ग बना था और रावण के हाथ लगी थी तो शोषण हुआ था। भले व्यक्ति के हाथ राजनीति आयेंगी तो लोगों का कल्याण होगा और यदि भले व्यक्ति हटते जायेंगे तो चोर, लफंगे और गुण्डे व्यक्ति राजनीति में आयेंगे और राजनीति दूषित हो जायेगी और वह शुद्ध नहीं हो पायेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले चाहे वर्तमान के हों या भूतपूर्व हों समान रूप से उन्हें इस उद्देश्य से सुविधा देना चाहिए कि उनका सार्वजनिक जीवन साफ-सुथरा रहे और उनकी कार्य क्षमता बढ़े तथा जनता और सत्ता के बीच की एक मजबूत कड़ी बने और वे जनता और सत्ता के बीच के अन्तर को कम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसलिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, जिससे यह संशोधन होकर वहां से आये कि जो एक बार भी यहां पर चुनकर आया है, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाय और उन्हें भी पेंशन और अन्य सुविधायें मिलें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सत्तादल से निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय करने से पहले लोकमत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और नैतिकता तथा नैतिक मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए वरना लोकतंत्र असफल हो जायेगा। लोकतंत्र की आत्मा कुंठित हो जायेगी। श्रीमन्, हरीश जी ने जो बातें कही हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी आज यह संशोधन लाये होते कि पेंशन पर हम पाबन्दी लगा रहे हैं। 60 साल से नीचे के उम्र के लोगों को हम पशन नहीं देंगे, तो मैं उसका स्वागत करता।

भूतपूर्व उन विधायकों को भूतपूर्व हो जाने के बाद भी इन्कम टैक्स पेयर रहते हैं उनको पेंशन देने पर पाबन्दी लगा दी गई होती तो मैं इस सरकार के बारे में कल्पना करता कि यह सरकार गांधी के आदर्शों पर चल रही है रास्ते से जो भटक गये थे, उस रेल को लाइन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन न तो उन्होंने लोकमत की परवाह की और नहीं नैतिक मूल्यों की परवाह की। दोहरे मापदण्ड अपनाकर कभी भी लोकतंत्र को सफलता की तरफ आप नहीं ले जा सकते हैं। 1974–77 तक विधायक थे और 1977 से 1980 तक भी विधायक थे और उनका कोई कसूर नहीं था। एक परिस्थिति उत्पन्न हुई। एक राजनैतिक निर्णय हुआ और उसके कारण विधान सभा भंग हो गई। अगर आप 1980 से 1985 तक वाले 8वी विधान सभा के भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिलाने के लिए संशोधन विधेयक लाये हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर था जो छठीं व सातवीं विधान सभा के सदस्य थे। आठवीं विधान सभा में आपका बहुमत था, आपकी सरकार थी और उपलब्धियों की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी थे, उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी ने एक संस्तुति की थी, वह संस्तुतियां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास हैं। अगर आपमें जरा भी नैतिकता होती जो दर्द आठवीं विधान सभा के लिये आपको हुआ था वही छठीं और सातवीं विधान सभा के लिये भी आपको होना चाहिये था। आपको सोचना चाहिये था इस तरह का दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिये। आपने अपने स्वर्गीय उपाध्यक्ष जी की बात को मानना भी उचित नहीं समझा, उनकी अध्यक्षता में एक निर्णय हुआ था उसका भी कोई सम्मान नहीं किया। यह कोई मेरी संस्तुति नहीं थी, जो उपलब्धियों संबंधी कमेटी थी, विधान सभा द्वारा चयनित कमेटी थी, उसका सम्मान तो आपको करना चाहिये था। अगर जरा भी नैतिकता का कुछ अंश और एहसास आपमें होता और ऐसा भी नहीं कि आपकी सरकार बिल्कुल विपरीत ही हो इस बात के। हरियाणा में भजनलाल जी की सरकार है, अगर नैतिक मूल्य को हटाना है तो पूरी तरह से भजनलाल बनिये और अगर नैतिकता को अपनाना है तो आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर संपूर्णानन्द और टंडनजी के परम्पराओं की ओर बढ़िये। जैसा कि कहा गया कि 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो विधायक हैं उनको ही आप पेंशन दें। माननीय उच्च न्यायालय में रिट लम्बित है और वह भूतपूर्व विधायकों के बारे में है। जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उस पर बहस हो रही, पत्रकारों की टिप्पणी आयेगी और उसमें बखिया उधेड़ी जायेगी उस समय हम विधायकों की क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए। एक तरफ़ कहा जाता है कि प्रदेश की 50 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है और दूसरी तरफ़ सारी शर्म का त्याग कर कि जनता क्या कहा कहेगी, लोकमत क्या कहेगा, इसका निरादर करते हुए अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और भी इसमें भी दोहरा मापदण्ड अपनाये हुये हैं चूंकि 77 से 80 के बीच में ज्यादा विधायक विरोध पक्ष के थे। इसलिये भूतपूर्व विधायकों में भी आप अपने और पराये के आधार पर संशोधन लाये हैं। आज जो उस पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं, अभी संसदीय कार्य मंत्री भी चले गये, नेता सदन, जिनका मैं आदर करता हूं क्योंकि कम से कम राजनैतिक स्कूल में हम सारे लोग समाजवादी स्कूल से आये हैं। आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश और डाक्टर लोहिया जिनके चरणों में बैठकर हम तमाम लोगों ने राजनीति की शिक्षा ली है और आज यदि हम लोग ही इस तरह की दोहरी नीतियों को, दोहरे मापदण्ड को अपनायें तो इसका कोई औचित्य नहीं है लेकिन जो रिट, याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, उसमें जो तस्वीर बनेगी इस प्रदेश के विधायकों की और जो 74 से 77 और 77 के बीच के भूतपूर्व विधायक जो दुबारा आज इस सदन में नहीं आ पाये हैं आपके इस संशोधन के पारित होने पर उनको कोई सुविधा न मिलने के कारण उनमें बड़ा असन्तोष व्याप्त होगा। तीसरा मान्यवर, आज एक तरफ़ जनता पर तमाम टैक्सों का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ़

अपनी सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी करने को तैयार नहीं हैं तो यह गांधी के सपनों का भारत बनाने का आपका जो प्रयास है, कहीं पर इसमें कोई समानता दिखती नहीं। इसलिये मान्यवर, मैं बड़े आग्रहपूर्वक आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से और उनके माध्यम से उधर के बैठे हुए सब माननीय सदस्यों से सादर आग्रह करना चाहूंगा कि इसका लोकमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी गरिमा क्या होगी, हमारी विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे भूतपूर्व साथी विधायक, जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों ने भूतपूर्व बना दिया, जिनका कोई कसूर नहीं लेकिन राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भूतपूर्व बना दिये गये और फिर चुन कर नहीं आये, उनका कोई कसूर नहीं है उनको दण्डित न करें और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें। अगर कुछ करना ही चाहें तो मेरा अनुरोध है कि जो उपलब्धियां हैं, सहूलियतें हैं आपकी उन पर, कुछ अंकुश लगाइए और उन लोगों को जो विशेष परिस्थिति में छूट गये हैं, इसकी परिधि में उनको लाने का प्रयास करें। हमारे प्रदेश के अलावा दूसरे तमाम प्रदेशों में जो टर्म डिफ़ाइन किया गया है, वह विधान सभा के गठन से भंग होने की तारीख को टर्म मान लिया गया है और जो भी विधायक रहे, उनको वे तमाम सुविधायें दीं जो भूतपूर्व विधायकों को दी जाती हैं। आपकी ही पार्टी की सरकारें वहां पर भी हैं, इसलिये जो अन्य प्रदेशों में चल रहा है, उसका परिपालन करें इस पर गम्भीरता से ठंडे मन से विचार करके आठवीं विधान सभा की जो संस्तुतियां थीं, उनको भी देखकर सारी पृष्ठभूमि में नया विधेयक संशोधित रूप में पेश करें। इसकी कोई जल्दी भी नहीं है, अभी 5 साल का कार्यकाल है, ऐसा नहीं है कि इस सत्र में नहीं पास करेंगे तो आगे मौका नहीं मिलेगा इसमें जल्दी न करें और इसे प्रवर समिति में भेज दें। सारी बातों का समावेश करते हुए विचार करते हुए नया बिल लायें ताकि तमाम भूतपूर्व सदस्यों को इसका लाभ मिल सके जो कि इन सुविधाओं से वंचित हो गये हैं।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में सम्पूर्ण आबादी के हिसाब से 51.11 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और बढ़ती महंगाई और आधे पेट भूखे सोने वाले लोगों की संख्या को देख कर और अपने प्रदेश में मन्त्रि-परिषद् के खर्चे को देखते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि आज की जो स्थिति है उसमें हम किसी प्रकार से बढ़ते हुए खर्चे और ओवर-ड्राफ्ट का नतीजा और जो बजट है उसके घाटे की पूर्ति के लिये तो हम सोच रहे हैं। किसानों पर यह सरकार कर का भार 400 करोड़ रु0 का डालने जा रही है और हमारी हालत यह है कि भूखे पेट सोने वालों को कपड़ा देने की क्षमता तो है नहीं, लेकिन इस सदन में बैठ कर, जहां करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करने और उनके हक की लड़ाई के लिये यहां आये हैं, उनके हक में न सोचकर विधायकों की उपलब्धियों और उनकी सुख सुविधाओं को देना, उन करोड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

मान्यवर, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में इस विधेयक को मंत्रीजी यह सोच कर लाते कि 60 वर्ष से कम आयु वाले को या टैक्स पेयर जो कि इनकम टैक्स देता है, उसको इस सुविधा से वंचित रखा जायेगा तो इस पर हम जरूर सोचते। लेकिन इस बात को न रख कर, विधान सभा में बैठकर समता के आधार पर कानून बनाने का काम हम न करें बल्कि दोहरे मापदण्ड के आधार पर इसे चर्चा का विषय बनायें, इससे हम लोगों की गरिमा पर भारी ठेस पहुंचती है। नैतिकता का तकाजा है कि हम सबको इसपर काम करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा जो लोग भूखे सो जाते हैं, जिनके तन पर कपड़ा नहीं होता उसको हम बेरोजगारी का भत्ता न देकर, भूतपूर्व विधायकों की सुख सुविधा पर विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे और उसको देने के लिये हमारे पास खजाने मेंपैसा भी है तो हमारी जनता के बीच क्या तस्वीर बनेगी ? वह कहेगी कि जिनको हमने अपने दुख-दर्द दूर करने के लिये वहां भेजा था काम करने के लिये, तो क्या उनके साथ धोखा ही हुआ ?

मान्यवर, अन्य प्रदेशों में जैसे कानून बन गये हैं कि जब विधान सभा भंग हो तो उसे एक टर्म मान लिया जाय तो इन सब बिन्दुओं पर विस्तार से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति को आप सौंप दें जिस पर वह विचार करके अपना प्रतिवेदन एक-दो महीनों मेंआपको प्रस्तुत कर दे ।मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये पुन: बल देता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मैंने खंडों में संशोधन दिया है तो आप मुझे अभी बोलने देंगे या बाद में ?

श्री अधिष्ठाता--

आपका संशोधन तो आया नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जिस समय सचिव के रूप मेंश्री शुक्ला जी यहां पर विराजमान थे तो उस समय मैंने और द्विवेदी जी ने उनको संशोधन लिख कर दिया था ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं उसे दिखवा रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

इसकी कापी मेरे पास है, यदि आप कहें तो इसे भेज दूं ?

श्री अधिष्ठाता--

भेज दीजिये ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैंने तो इस आशय से ज्यादा विस्तार से अपनी बात नहीं रखी थी । इसमें बहुत छोटा सा प्राविधान किया गया है,इसके पीछे कई हमारे माननीय सदस्यों को न जाने कहां-कहां के सपने नजर आने लगे । हमारे दो सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों ने मा0 हरीश जी ने और मा0 तिवारी जी ने बड़े दार्शनिक विचार इस बिल पर रखे । श्री हरीश जी ने तो सिद्धांत रूप से 1974 और 1977 के भू0 पू0 सदस्यों को इस परिधि में लाये जाने की बात कही । लेकिन माननीय तिवारी जी ने तो यह कहा कि उचित होता कि विधेयक इस आशय का आता कि भू0 पू0 विधायकों की पेंशन को समाप्त किया जाय ।

60 साल के ऊपर जो विधायक हैं वही इसके लिये पात्र रहें उससे कम के विधायक पात्र न रहें, इससे खजाने पर भार पड़ेगा, तो मैं कहना चाहता हूं खजाने पर भार तो तब पड़ेगा, जब यह संशोधन लायें कि जो रह गये हैं, उनको भी ले लिया जाये । जब लोग दर्शन और आदर्श की बात करते हैं, तो कुछ बहक जाते हैं । जहां तक विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को पेंशन देने की बात आती है, तो इसके पीछे सिद्धान्त यह था, उद्देश्य यह था कि विधायी कार्यों को अंजाम देने वाले जो सदस्य आते हैं, यहां से जाने के बाद कहीं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी विकट न हो जाये कि वह दर-दर मारे मारे घूमते रहें । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, यह प्राविधान किया गया था, राजनैतिक पेंशन देने का प्राविधान किया गया था । मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जब पेंशन दी गयी तो इसके पीछे भी यही उद्देश्य था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनके साथ सम्पन्नता रही, उन्होंने पेंशन लेना मना कर दिया । आज हम उसी भावना से प्रेरित होकर, हम यह समझ कर कि जिस विधायक को पेंशन की आवश्यकता न हो, उसके साथ सम्पन्नता हो, जिसे पेंशन की आवश्यकता न हो, वह इसको नहीं लेंगे और अपना सामाजिक और चारित्रिक परिचय देंगे । लेकिन यह सुविधा शासन से दी गयी है, जो इस परिधि में आते हैं, चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उनको दी गयी है और जो इसको नहीं लेना चाहता है, वह न लें ।

एक बात और कही जाती है कि स्वर्गीय नरेन्द्र देव जी से और महात्मा गांधी जी से

सीख हमें लेनी चाहिये, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस युग में नहीं पैदा हुए जिससे हम भी शिक्षा ले पाते तो यह दोष हमारी पीढ़ी का तो है नहीं, हम आये हैं तो आप हमें सिखायें आप केवल यह कहते हैं कि 10 साल पहले आये हैं या 20 साल पहले आये हैं तो, क्या सारी जिम्मेदारी आप की ही रह गयी है आने वाली यह पीढ़ी है जिसको यह भार संभालना है और अपने दायित्व को निभाना है, तो मान्यवर, एक आधार कायम किया है, लोक सभा में 50 दिन की छूट दी गयी है, अगर अपने निर्धारित समय से 60 दिन पहले लोक सभा भंग हो जाये तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष मान लिया जाता है। महाराष्ट्र में यह अवधि 6 महीने की है, तो वहां पर यह आधार माना गया है। पुरानी विधान सभा 3 महीने पहले समाप्त हो गयी थी, उस अवधि में छूट देकर पेंशन का लाभ उनको दे दिया जाये, वह स्वीकार करें या न करें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह छोटा सा विधेयक है, इसको पारित करें।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने यह बताया कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी बाकी था 80 में उसको पूरा करेंगे। तो इस समय जब आप 6 महीने मांग रहे हैं तो कल 8 महीने हो सकते है, कोई खूंटा तो आपने गाड़ा नहीं है। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में बताया कि 6 महीने पहले भी असेम्बली भंग हो जाती है तो उसको भी पूरा मान लिया जाता है। मैंने सुना नहीं, जहां तक मैं देखता हूं वर्मा जी ने कह दिया है। आप 80 वाले को देते हैं, पूरा काल मानते है तो 74 और 77 को भी मान लेना चाहिए वरना कभी न मानें। जब आप 80 को 6 माह कहते हैं, 6 महीने की छूट वहां पर है तो असेम्बली दोनों बार भंग हुई है। इसलिए करना है तो सबको कीजिए नहीं तो किसी को न करिये, नहीं तो खूंटा गाड़ दीजिए कि 5 साल पूरा होगा तभी मिलेगा। दूसरी बात यह कहनी है कि यह कोई तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जी, हमारा सिद्धान्त यह कहता है कि आम जनता की आमदनी जब नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम अपनी आमदनी क्यों बढ़ाएं लेकिन जब सुविधा आप दे देंगे, कानून बना देंगे तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आप चाहे तो नहीं ले सकते हैं। जब आप कानून बना देंगे तो हम उसका पालन करेंगे लेकिन यह कहना कि जिसको लेना हो ले, न लेना हो तो न लें। यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसका जवाब देता हूं मैं, नेता विरोधी दल ने जो बात कही है उसका उत्तर देने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रवर समिति में भेजने के लिए संशोधन आया है उसमें एक दो सदस्य और बोलना चाहें तो बोल लें फिर हरीश जी बोलेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेरे बोलने के बाद एक परम्परा रही है, कि माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आठवीं विधान सभा में उपलब्धियों. . . .

श्री अधिष्ठाता--

जिस पर यह बहस चल रही है मैं समझता हूं कि नियमानुसार चलाने में सहयोग करेंगे।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मुझे कोई भाषण नहीं करना है मुझे सिर्फ एक बात माननीय मंत्री जी से कहनी है। जिन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल रहे हैं उनको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं और मान लेंगे लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जहां इन्होंने महाराष्ट्र की मिसाल दी है उसमें भी मेरा कोई मतभेद नहीं है, जो बात बतायी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सही बतायी होगी। दूसरे सूबों को भी देख लें वहां पर क्या है। यह आवश्यक नहीं है कि जो लोकसभा ने तय किया है उससे अलग हम यहां तय नहीं कर सकते हैं या महाराष्ट्र से अलग हम यहां तय नहीं कर सकते हैं। जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है राजनीतिक लोगों को किसलिए यह पेंशन दी है और क्या सैद्धान्तिक उसकी पृष्ठभूमि है। प्रवर समिति को यह बिल सन्दर्भित करने के लिए, जिन माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है, जब आप सैद्धान्तिक आधार मान रहे हैं तो सबको मिलने की बात से क्यों इन्कार करते हैं। अपने टर्म से पहले ही विधान सभा भंग हो गयी तब विधायक का पूरा टर्म मानने में क्या परेशानी है? यह सैद्धान्तिक बात है कि जब एक माननीय सदस्य विधान सभा का सदस्य चुनकर आता है, उसका कोई कसूर तो है नहीं उसको जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, राजनैतिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, चूंकि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते हुए विघटन हो जाता है। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति वंचित हुए है, मात्र कुछ लोगों की इच्छाओं पर विघटन का आधार निर्भर हुआ है, ऐसा नहीं है, राजनीतिक कम्पलशन होता है या कोई सामने संवैधानिक संकट होता है मात्र कुछ लोगों की इच्छाओं से ऐसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, विचार करते हुये, चाहे हम हों चाहे आप हों, हमारे आदमी हों या आपका आदमी हो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी इच्छा उठे कि विधान सभा भंग करनी है और वह भंग हो गई। तो इस पर विचार करते हुए जैसा कि मंत्री जी इसको स्वीकार भी कर रहे हैं इसको सबके लिये एक साथ लागू किया जाय और यह सारा प्रश्न प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय। वह विचार करके अपना प्रतिवेदन दे देगी। कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नवम्बर में हम लोग फिर बैठेंगे और यदि आपकी इच्छा हुई तो और भी जल्दी बैठ सकते हैं। प्रवर समिति का प्रतिवेदन भी तब तक आ जायेगा। इसलिये इन सब बातों को सन्दर्भित करते हुए इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

* श्री भगवती सिंह विशारद--

अधिष्ठाता महोदय, सारे संसार में विधान मण्डल के सदस्य ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने सम्बन्ध में उपलब्धियों पर विचार करते हैं और अपने ही लिये उन उपलब्धियों को लागू करते हैं। हम जब कभी इस सदन में ऐसे विषय पर विचार करते हैं जिस पर हमको किसी परम्परा का अनुसरण करना होता है तो मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस यहां पर उद्धरित करते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की जो परम्पराएं हैं उनकी भी चर्चा यहां करते हैं। इस सन्दर्भ में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तो परम्परा यह है उपलब्धियों के सम्बन्ध में कि जब कोई विधेयक आता है तो नेता सदन उसको प्रस्तुत करते हैं, नेता विरोधी दल उसका समर्थन करते हैं और इतने ही से वह स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिये कि उसमें बहुत ज्यादा चर्चायें नहीं हुआ करती हैं। आपस में विचार-विमर्श करके मात्र औपचारिकता के लिये वह विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाता है और उसको स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन हमारे यहां परम्परा यह है कि नैतिक मूल्यों को सामने रखकर, जन मानस को सामने रखकर, जनता के बीच हमारी क्या छवि है, हम उसका विरोध करते हैं और फिर उसके बाद उसका उपभोग भी करते हैं। तो हमारी कथनी और करनी में अन्तर रहता है। क्या इसको जनता नहीं देखती है, भली प्रकार देखती है और वह जानती है। मन ही मन में गुदगुदी हो रही है लेकिन बाहरी मन से ऐसी बात कह रहे हैं। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी उपलब्धियों में इतनी कटौती कर दी गई है। अगर हमारे माननीय सदस्य जो यहां

*वक्ता ने भाषण का पुन वीक्षण नहीं किया।

पर सन् 52 से रहे हों, सन् 57 में रहे हों या सन् 67 में रहे हों उनको स्मरण होगा कि जब हम विधान सभा में यहां आते थे तो उस समय हमको दो दिन का दैनिक भत्ता मिलता था, वह अब काट दिया गया है और एक दिन का ही मिलता है उसमें कटौती कर दी गई है। इसलिये कि ताकि हम जनमानस को प्रभावित कर सकें।

विधान सभा की जो विभिन्न समितियां हैं उनकी जब बैठकें होती थीं उनमें एक दिन का दैनिक भत्ता पहले का और एक दिन का बाद का मिलता था। वह भी बन्द कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमारी यात्रा जो होती थी उसमें जो व्यय होता था वह भी मिलता था। उसे भी समाप्त कर दिया गया है और उसका दो ही बार हम आने और जाने का खर्च ले सकेंगे। तो हमने अपनी छवि बनाने के लिए, लोक मानस को ठीक रखने के लिये उसमें स्वयं ही सुधार कर लिया है। माननीय तिवारी जी ने एक विचार रखा। मान्यवर, वह जब कभी कोई विचार रखते हैं तो उसे मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं। उनके बड़े स्पष्ट विचार होते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो विचार यहां पर व्यक्त किये हैं वह एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। पहले उन्होंने सन् 70 से सन् 80 के समय की बात उठायी और साथ ही साथ यह भी कहा कि 60 वर्ष की आयु के हों और इन्कम टैक्स न देते हों, सिर्फ उन्हीं को पेंशन मिले। तो उनकी यह बातें परस्पर विरोधी हैं। तिवारी जी ने आज तक कभी भी परस्पर विरोधी बातें नहीं कहीं हैं। इसलिये मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने यह बात केवल तर्क के आधार पर कही होगी। इसलिये मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

(श्री बिजय सिंह राणा के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी, कृपया शांति रखें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने यह उदारता बर्ती कि जो सन् 1980 के माननीय सदस्य तीन महीने पहले सदन की सेवा से निवृत्त हो गये उनके लिए पेंशन का प्राविधान करा रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि औरों को भी मिलना चाहिये जब 1977–से 80 तक आपको अवसर मिला था उस समय आप 1967–68 वालों के संबंध में विचार कर सकते थे लेकिन उस समय आपने यह उदारता नहीं वर्ती और जब हम एक चीज कर रहे हैं और 1980 वालों के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं तो उसे आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

माननीय हरीश जी के प्रस्ताव का मैं इसलिए विरोध करता हूं कि अगर उन्होंने अपने संशोधन में इसकी परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा होता और हम उस पर विचार करते कि किन चीजों की और सुविधा दी जाये और किन चीजों में कटौती की जाय तो हम उसका समर्थन करते। लेकिन मात्र एक ही विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी है इसलिये मैं उनके प्रवर समिति क सुपुर्द करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह चाहता हूं 1980 के जिन माननीय सदस्यों को अब तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है उनको यह सुविधा प्रदान करने के इस प्रस्ताव का पूर्णरूप से समर्थन होना चाहिये और मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मेरा मुख्य रूप से कहना यह है कि मैं सिद्धांतत: पेंशन का विरोधी हूं। लेकिन अगर यह प्रस्ताव ला रहे हैं यह तो केवल सन् 1980 से 1984 तक जो सदस्य रहे उसी पर क्यों जोर दे रहे हैं। सवाल इस बात का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सन् 67 से लेकर 1984 तक केवल एक ऐसा टर्म रहा जिसने 5 साल का पूरा टर्म किया, बाकी तो सब में टर्म अधूरा ही रहा। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे संविधान में भी समता का सिद्धांत दिया हुआ है। तो यह केवल 8 वीं विधान सभा के सदस्यों को क्यों इतना लाड़ला समझ रहे हैं। आपको ज्ञान होगा 1967 में जो माननीय सदस्य चुन कर आये थे उनमें से 1974 में फिर चुन कर आये और उन्होंने दो टर्म यहां काम किया लेकिन उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं विधान सभा जल्दी भंग हो गयी उसमें उनका क्या कसूर है ? लेकिन जो एम0 एल0 सी0 बने हुए हैं जो पिछले दरवाजे से आते हैं जिनको एम0 एल0 ए0 चुनते हैं उनकी 6 साल को गारन्टी हो जाती है कि तुम 6 साल तक रहोगे और पेंशन के पक्के हकदार होगे। लेकिन हम लोग जो विधान सभा में प्रत्यक्षरूप से आते हैं और खर्च करते हैं जनता द्वारा चुन कर आते हैं उनके लिये कोई गारन्टी नहीं कि विधान सभा रहेगी या नहीं रहेगी और उनका टर्म अधूरा रह जाता है। जैसा माननीय कौशिक जी कह रहे थे कि यह प्रधान मंत्री की मर्जी है कि वह जब चाहे हटा दें। तो जो माननीय सदस्य दो-दो बार विधान सभा में चुनकर आये हैं उनको आज पेंशन नहीं मिल रही है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप 8 वीं विधान सभा के सदस्यों को पेंशन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस पर मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री इस पर गंभीरता से विचार कर लें और सभी भूतपूर्व विधायकों को जिनका टर्म पूरा नहीं हुआ है, जिनकी अपनी कोई गलती नहीं है उनको भी इस विधेयक में सम्मिलित कर ले क्योंकि उनको भी पेंशन मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब इसमें काफी हो गया है 4.5 पर इसे खत्म होना है। काफी समय हो गया है इसलिए हरीश जी को बुला रहा हूं।

श्री राम सरन--

नहीं मान्यवर, एक मिनट हमें भी कहना है।

मान्यवर, जो विधेयक आया है, मै भी चाहता हूं और श्री सत्यपाल सिंह ने जो बातें कहीं है कि 1967 के लोगों का क्या कसूर है उनको भी पेंशन मिलनी चाहिये या केवल जिस दिन वह मरेंगे, कलेक्टर सूचना भेज देंगे और उनकी यहां श्रद्धाजलि हो जायेगी, इस लिये मैं चाहता हूं कि उनको भी जोड़ दिया जाये। केवल 20-30 ही बचे होंगे बाकी की तो श्रद्धांजलि हो गयी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि 1967, 1974, 1977 और 1980 के सभी भूतपूर्व विधायकों को ले लें। कार्य मंत्रणा समिति में आप नहीं थे, हमारी बात हुई थी। 1967 के लोगों के लिये तो मंत्रीजी एग्री कर गये थे किन्तु फिर उनके लिये एग्री नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक राज है, 1980 में फिर कांग्रेस-आई की सरकार थी, दो महीनों में उधर वालों पर ज्यादा असर पड़ रहा है और 1977 के लोगों को इधर वालों पर ज्यादा असर पड़ रहा है, इसलिये मैं तो कहता हूं कि 1974 और 1977 दोनों को मान लें। 1967 के तो कुछ ही लोग होंगे। सदस्य तो सदस्य होते है चाहे वह पूरे टर्म रहे हों या न रहे हों। इसलिये सदस्यों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों आप बरते रहे हैं। मैं तो दोनों सदनों में रहा हूं। मैं चाहूंगा कि 1977 के लोगों को भी लें लें, 1967 वालों को भी जोड़ लें और 1974 वालों को भी जोड़ लें।

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, अभी श्री भगवती सिंह विशारद जी ने एक बात कही कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में नेता सदन उपलब्धियों का बिल पेश करते हैं और नेता विरोधी दल उसका समर्थन करते हैं, तो यह अच्छी बात है, यहां भी होना चाहिये था और यहां यही आज होता लेकिन जब मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बिल को पेश किया था तो नेता विरोधी दल की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओर से समर्थन होता लेकिन तब होता जब बिल इंसाफ पर आधारित होता, जब वह बिल दलगत राजनीति से हटकर होता। किन्तु यह तो सिर्फ इसलिये हुआ है कि, उनके कुछ लोग उनको तंग कर रहे है कि हमको टिकट नहीं दिया, खड़े नहीं हुए, कुछ ज्यादा उनके लोग हार गये, इसलिये उनको मदद पहुंचाने के लिये यह काम किया जा रहा है। यदि जरा भी इसमें नैतिकता हो और सिद्धांत को मानते हों तो होना चाहिये कि जब कोई माननीय सदस्य पब्लिक के बीच में अपने को इक्सपोज करके खड़ा होता है तो वहां अपनी नीतियों और सिद्धान्तों पर वोट जीत कर आते हैं, होना चाहिये कि जिस दिन वह सदस्य हुआ उस दिन यह तय कर लेना चाहिये कि वह पेंशन का हकदार हो गया। यदि यह होता और यही भावना होती तो गलती से जो उन्होंने अपनी तकरीर शुरु किया था और 1980 का हवाला दिया था, खासतौर से सिर्फ उसी आठवीं विधान सभा के लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिये है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो श्री हरिश्चन्द्र जी का प्रस्ताव है, उसको मानते हुए इंसाफ का नैतिकता का सबक सीख लें और प्रवर समिति में भेजकर कमियों को दूर करा दें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, हमने पहले ही कहा था कि प्रदेश की, देश की जो आर्थिक दशा है उसको ध्यान में रखते हुए ही किसी को भी किसी प्रकार की सुविधा दी जायेगी। मान्यवर, यह जो कहा गया कि उनकी गरीबी और जाने के बाद कहीं खाने को मोहताज न होना पड़े, यह देखकर पेंशन दी जा रही है, मैं इस से सहमत नहीं हूं। मान्यवर, वृद्धा अवस्था विपन्ना अवस्था के लिये समाज कल्याण विभाग बना दिया गया है और विधायक के लिये यह पेंशन वृद्धावस्था और विपन्नावस्था के लिये नहीं है।

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा है कि यह सुखोपभोग का साधन नहीं है, मात्र इसलिये दी जाती है कि सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिये वह सक्षम रहें, और सत्ता जनता के बीच की एक मजबूत कड़ी बनी रहे इस कार्य में वर्तमान और भूतपूर्व विधायक समान रूप से सक्षम रहें, जिससे लोकतंत्र बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, इसलिये आवश्यक है कि यह सुविधायें सबको मिलें, जो एक बार भी इस माननीय सदन का सदस्य रहा हो। मान्यवर, यदि आप मंत्री-जी से हिसाब लगवा कर देखे, मैं तो इतनी देर में सही पहुंच नहीं पाया हूं, बहुत से लोग जिनको पेंशन मिलती थी वह अब जीवित नहीं है, बहुत से लोग है जो उसके बाद भी कई बार चुनकर आये है और शायद आगे भी कई बार आते रहेंगे, इस प्रकार केवल थोड़े लोग शेष बचे हैं। अतः उनको पेंशन देने से आप पर कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। जैसा अभी कहा गया है वह अपनी जगह पर ठीक है, अगर वर्तमान माननीय सदस्यों की किसी प्रकार की कटौती करने से भी यदि सभी भूतपूर्व विधायकों को सभी समान रुप से पेंशन, भत्ता सुविधा देना सम्भव हो तो मैं समझता हूं, मैं कहने के लिये तैयार हूं-- जैसा माननीय सदस्य ने कहा है-बहुत सी कटौतियां की गईं, हमने स्वीकार किया आप और कर लीजिये, लेकिन भेद न रखिए, सबको एक समान ट्रीट कीजिये इसलिये जो भी एक बार माननीय सदन के सदस्य रह चुके है उनको समान रूप से सुविधा देने के लिये आप इसको प्रवर समिति में भेज दीजिये। इसको एक टर्म कर दीजिये, सब पेंशन, भत्ता और समान सुविधायें पाने के हकदार हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह पेंशन वृद्धावस्था और न विपन्नावस्था का सहारा है बल्कि सार्वजनिक जीवन में सेवा करने की, कार्य करने की कार्यक्षमता बढ़ाने की एक सुविधा है, जिससे लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा। मान्यवर, डिस्पैरिटी न की जाए, इसमें सब को समाबिष्ट किया जाए, जो एक बार भी इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं। मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज कर वह इसकी खामियां दूर करा लें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, ऐसे कम ही भाग्यशाली सदस्य है, जिनको अपनी विद्वता की छाप दोनों सदनों पर डालने का मौका

मिला हो। किन्तु हमारे माननीय रामसरन जी ऐसे ही सदस्य रहे हैं, जिनकी विद्वता की छाप वहां (विधान परिषद) भी रही है और यहां भी हम देख रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोगों की सदन में ज्ञान अर्जन करने का जो सुअवसर मिलता है, विद्वतापूर्ण बातें सुनने का और गम्भीर भाषण सुनने का जो अवसर मिलता है, गरिमामयी संसदीय परम्पराओं को पालन करने का उनके द्वारा जो कार्य देखने को मिलता है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं और उनको इसके लिये धन्यवाद देते हैं। लेकिन वह आशंकाओं से ग्रसित सदैव रहते हैं, लेकिन कभी कभी वह आशंकाओं से ऊपर उठ जाने का प्रयास कर लिया करें। उन्होंने एक ही बात कही कि सन् 1980 में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिये उनके लाभ के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। तो वह पुराने इतिहास को न भूल जाया करें, वह राजनीति में बहुत पहले से हैं, भले ही विधायक बाद में बने हों, 1974 में भी कांग्रेस की सरकार थी और मेजारिटी में रहते हुए भी हमने इस बिल की परिधि में उनको शामिल नहीं किया है। आज हमने इसके द्वारा अपने यहां जहां 3 महीने से कम कार्यकाल रहा है, उसको हमने 5 साल माना है। कल भी आपकी मौजूदगी में बहुत से बिन्दुओं पर विचार हुआ था और आगे भी जब कभी कोई मौका आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मूल अधिनियम में 5 वर्ष की अवधि को अवधि माना गया था और हमने एक माह तक की कमी को 3 माह की कमी इसके द्वारा किया है, अर्थात् इसके द्वारा एक माह से तीन माह करने का प्राविधान किया गया है। उसके पहले भी यदि किसी को अपना कार्यकाल पूरा करने में तीन माह रह गया है तो वह भी इससे वंचित नहीं रहेंगे, उनको सबको मिलेगा। यह व्यवहारिक बात है कि केवल 1980 में ऐसा हुआ है। 1980 की विधान सभा में 3 महीने के कार्यकाल की कमी रह गयी थी। तो मेरा आपसे आग्रह है हरीश जी से कि इसको बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास न करें। बड़ी सदाशयता और ईमानदारी के साथ यह बिल लाया गया है। हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने एक बात कही तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप सम्पन्न हैं, सम्पन्न होने के नाते आप अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के कर्त्तव्य हैं उसको निभा सकते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि पेंशन ले ही लें। बहुत से हमारे साथी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि उनको इसकी जरूरत न हो। हमारे साथी, नेता, मधुलिमये जी, सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। तो यह अपने अपने आदर्श की बात है। तो उन आदर्शों पर कायम रहेंगे। ईश्वर करें किसी को आवश्यकता न पड़े। कोई मजबूरी या विवशता नहीं है कि पेंशन ले हीं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा समय आये कि उस सम्पन्नता के स्तर तक पहुंचे कि पेंशन के बगैर राजनीतिक और सामाजिक दायित्व निभा सकें और इसकी आवश्यकता न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस पर बल देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय राम सरन दास और अन्य माननीय सदस्यों ने एक बात कही। 1967 और 1974 में जो लोग आये तो दो-दो बार चुन कर आने के बावजूद भी 5 वर्ष नहीं हो पाये और वह पेंशन से वंचित हैं। आप और लोगों को पेंशन दे रहे हैं। जब उनको पेंशन नहीं मिलती है तो वह अपमान महसूस करते हैं। वह महसूस करते हैं कि दो-दो बार विधान सभा का सदस्य चुनने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल रही है तो यह डिस्पैरिटी का सवाल। या तो आप सबको दीजिये या फिर 5 वर्ष मानिये। इस पर आपको विचार करना चाहिये।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मान्यवर, आपने कहा कि जवाब के समय बोलने देंगे। मान्यवर, 8 वीं विधान सभा की उपलब्धियों के संबंध में जो कमेटी थी जो सारे सदन ने बनाई थी उसने संस्तुति की थी कि 200 रुपये मिनिमम पेंशन जो भी एक टर्म में आ जायगा सब को दे दें। तो उसकी संस्तुतियों का क्यों अनादर कर रहे हैं।

मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें कि क्या मजबूरी है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, निरादर करने की बात नहीं है। उसका परीक्षण हमने किया और जो कुछ हम कर सकते है किया है। बाकी आगे सब बातों पर विचार हो जायगा।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैं बात कर रहा था तो मान्यवर, मैंने कहा संसदीय कार्य मंत्री, मुझे बाद में मेरे साथियों ने अहसास कराया, संसदीय कार्य मंत्री तो इस हाउस में आये ही नहीं। यह तो राज्य मंत्री संसदीय कार्य हैं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 24 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 24 में,--

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को पुनःसंख्यांकित करके स्पष्टीकरण-एक कर दिया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण- एक के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--दो -जहां किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में गठित विधान सभा के सदस्य के रुप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो जो पांच वर्ष से अधिकतम तीन मास से कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिये सदस्य के रुप में कार्य किया है।"

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (एक) में, शब्द "स्पष्टीकरण" के स्थान पर शब्द "स्पष्टीकरण-एक" रख दिया जायगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 की पंक्ति 2 के बाद का सम्पूर्ण अंश हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में शब्द "एक मास" के स्थान पर शब्द 'तीन मास' रख दिये जायं।

श्रीमन्, अभी जब माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति इस सदन में रखी कि 1977 से 1980 के बीच जो चुने हुए माननीय विधायक रहे है उनको पेंशन देने में या जो 1974 से 1977 के बीच में जो चुने हुए माननीय विधायक रहे उनको पेंशन देने में बड़ी परेशानी है। लेकिन माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा कि इस संशोधन से 3 महीने तक अगर किसी माननीय सदस्य का कार्यकाल कम रह जाता है, तो उसे पेंशन मिल जायगी। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें केवल वर्ष 1980 का जो टर्म हुआ उसमें उन्हीं विधायकों को यह पेंशन सुविधा दी जा रही है। इसके पहले अगर कोई भी विधायक किन्हीं कारणों से पूरे पांच साल नहीं कर पाये हैं और तीन महीने उनके कम रह गये हैं, तो उनको पेंशन इस संशोधन से नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल वर्ष 1980 वालों के लिये ही यह संशोधन लाया गया है अगर सचमुच तीन महीने कम टर्म रहने पर पेंशन देने की मंशा

है तो जो मैंने संशोधन रखा है, उसे मान लिया जाय। महाराष्ट्र का उदाहरण माननीय राज्य मंत्री ने दिया कि वहां 6 महीने कम रहने पर टर्म मान लिया जाता है। लेकिन वहां किसी एक विशेष वर्ष के कार्यकाल का नहीं रखा गया बल्कि सम्पूर्ण के लिये यह सुविधा है कि अगर 6 महीने कम है तो टर्म मान लिया जायगा इसी प्रकार अगर यहां पर तीन महीने कम पर सुविधा देने की इच्छा है तो स्पष्टीकरण में ही संशोधन कर दिया जाय और केवल वर्ष 1980 के लिये जो संशोधन लाया गया है, यह पूर्ण रुप से डिस्पैरिटी है। इसलिये मैं पुनः इस पर बल देता हूं कि अगर सचमुच मंशा केवल तीन महीने कम रहने पर पेंशन देना है, तो स्पष्टीकरण में ही संशोधन कर देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

क्या माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

जी नहीं, मान्यवर।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

हमको भी सुन लीजिये, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

अभी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 की पंक्ति 2 के बाद सम्पूर्ण अंश हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में शब्द "एक मास" के स्थान पर शब्द "तीन मास" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री राजन्द्र गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। कि खण्ड-2 में स्पष्टीकरण दो के आगे का अंश हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

सदस्य निर्वाचित होने के बाद यदि वह शपथ ग्रहण लर लेता है तो फिर चाहे अल्प अवधि के बाद ही विधान सभा भंग कर दी जाय और पांच वर्ष की कालावधि न पूरी हुई हो, तो भी सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष माना जाएगा। परन्तु यदि त्याग पत्र, निष्कासन अथवा न्यायालय के आदेश से स्थान रिक्त करना पड़ा है तो उसकी (सदस्य की) कालावधि स्थान रिक्त करने की तिथि तक की गणना से ही मानी जायेगी।"

मान्यवर, अभी हाउस आफ कामन्स की चर्चा विशारद जी ने की और उन्होंने कहा, कि ऐसी मांगों पर नेता सदन से जो प्रस्ताव आते हैं, उस पर नेता विरोधी दल समर्थन करते हैं, लेकिन विशारद जी ने ध्यान नहीं दिया कि हाउस आफ कामन्स में प्रतिपक्ष की भावनाओं का कितना आदर किया जाता है अगर कर लेते तो अच्छा होता। माननीय नेता सदन हमारे माननीय नेता विरोधी दल से बात कर लेते तो एक सहमति आ जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो संशोधन मैंने दिया है, जिन माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त कीं, उन भावनाओं को देखते हुए दिया है। यह विधेयक किसी सिद्धान्त किसी नीति पर आधारित नहीं है। मान्यवर, एक सदस्य निर्वाचित हो कर आ गया। वह इस आदरणीय सदन का सदस्य बन गया। किन्हीं कारणों से सदन भंग कर दिया जाता है तो उसमें उस सदस्य का क्या दोष है। यह बात और है कि वह निष्कासित कर दिया जाय या वह त्याग पत्र दे दे या कोई और बात हो जाये। लेकिन अगर विधान सभा भंग होती तो यह बात नहीं होनी चहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, एवं भत्ते अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, अष्ठम विधान सभा का है। माननीय तिवारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी शायद दिवाकर विक्रम सिंह भी उसमें सदस्य थे, उधर बैठे सदस्य भी थे मान्यवर, इसके पृष्ठ–4 पर देखें, जो बात मैं कह रहा हूं उस बात को उस कमेटी ने सिद्धान्त रुप से स्वीकार किया। इस सिफारिश में लिखा हुआ है कि "समिति ने ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को भी जो विधान सभा के विघटन के कारण अपनी पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर सके हैं, अथवा जिनकी पांच वर्ष की अवधि दो विधान सभाओं की कालावधि को मिलाकर भी पूरी नहीं होती है, पेंशन देने के बारे में विचार किया। विचारोपरान्त समिति ने यह संस्तुति की है कि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को जिनका कार्यकाल एक या एक से अधिक विधान सभा के विघटन के कारण पांच साल का नहीं होता उन्हें भी कम से कम दो सौ रुपया पेंशन दी जाए"। मैंने समिति की बात कही। उन्होंने भी विचारोपरान्त स्वीकार किया था कि सदस्य निर्वाचित हो जाता है और निर्वाचित होने के बाद विधान सभा भंग होने के कारण पांच साल पूरे नहीं हो पाते हैं तो पेंशन की परिधि में उसे माना जाये। पेंशन के कारण एक कार्यकर्त्ता को सुविधा होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बात पर बल देता हूं कि जो खंड 2 आया है इसको लिख दिया जाये, तो सही होगा। अगर किसी सदस्य का तीन महीने, पांच महीने का समय कम है, तो उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिये, लेकिन आप केवल 80 वालों को यह लाभ दे रहे हैं। इस लिये यह शंका स्वाभाविक है। आपके मन में 74 के लिये तो 74 का कार्यकाल ले लेते, 77 का होता तो 77 का कार्यकाल ले लेते। जैसा दिवाकर विक्रम सिंह ने शंका व्यक्त की 80 के लोगों को विशेष रुप से यह सुविधा देने के लिये आपने किया है। आपने इसमें स्पष्ट किया है जिस किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में गठित विधान सभा के सदस्य के रुप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो, जो पांच वर्ष से अधिकतम 3 मास से कम हो, उन्हें इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा मैंने महाराष्ट्र को देखा और अन्य जगहों को देखा। कहीं 6 महीने था कहीं 3 महीने था हमने तीन महीने मान लिया। ऐसी भी माननीय सदस्य हो सकते हैं जो 77 और 74 में या बाई इलेक्शन के माध्यम से चुने गये हों और उनके तीन महीने कम हो, हम इससे लाभान्वित नहीं होंगे। जो सन 80 में चुन कर आये हैं केवल वही इससे लाभ पायेंगे। 77, 74 या जो बाई इलेक्शन में चुने गये है और जिनका 10 दिन कम रह गया है, वह इससे लाभान्वित नहीं होंगे। यह संशोधन जान बूझ कर केवल 80 की विधान सभा के माननीय सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया है। यह भेदभाव पूर्ण है। किसी न्यायिक पद्धति के आधार पर नहीं है। मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं और यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं मैं विशारद जी की बात से सहमत हूं, लेकिन सत्ता पक्ष ने प्रतिपक्ष से विचार विमर्श नहीं किया। मैं पुनः अपने संशोधन पर बल देता हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश––

मैं समझता हूं इस सवाल पर बहस नहीं होनी चाहिये। जो संशोधन दिवाकर विक्रम सिंह और गुप्ता जी ने रखा है, दोनों को मिलाकर मैं अपनी बात रखूंगा। इस सवाल पर बहस नहीं होनी चाहिये। क्योंकि इसका असर प्रदेश के लोगों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं तो मांग करता हूं कि इस बहस को कैमरा डिसकशन कर दें। विधायकों का मामला है, हम लोग मतभेद रखे, 5 साल, 3 साल हो दो साल हो। इसका असर अच्छा नहीं होगा। जो सरकारी कर्मचारी है, जो विधायक नहीं है, व्यापार करते है, उनके मन यह भावना आयेगी कि विधायक लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी पेंशन बढ़ाने के लिये जिस तरह से विचार विमर्श करते है, वह अपने ही हित की बात करते हैं। इस मामले पर पक्ष और विपक्ष की एकराय हो गई होती तब यहां पर आता, चाहे चैम्बर में बैठकर विचार विमर्श हो जाता, तो वह ठीक था। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना। इस समय राजनीति करने वालों की स्थिति खराब है। आर्थिक सामाजिक परिस्थिति एक बार विधायक हो जाने के बाद दुबारा चुनकर न आ पाये तो बड़ी खराब हो जाती है। आज राजनीति करना बड़ा कठिन काम है, न ही सामाजिक प्रतिष्ठा है। आप इसको कैमरा डिसकशन करा दें। तीन महीने कम रह गया तर्क के आधार पर आप देखें। इसमें गलती नहीं है कि पांच साल माना जाय। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 67 से लेकर विधान सभा की उम्र 5 साल पूरी नहीं हो पायी। इस सम्बन्ध में आपस में बैठ कर बात हो जाय हम लोग नहीं कहेंगे कि 80 से 85 वालों को न दी जाय लेकिन जो 80 से पहले रहे है उनको भी यह सुविधा दी जाय। जो विधायक इस माननीय सदन का सदस्य रहा उसको भी इसका लाभ दिया जाय, उनकी स्थिति आज ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बड़े घर के हो, कोई व्यापार होता है लेकिन बहुत से लोग खास कर पूर्वांचल और बुन्देलखंड के हैं जिनको 5 साल, 10 साल, 20 साल राजनीति करने के बाद जनता चुन कर भेजती है, उनकी स्थिति सचमुच बहुत खराब है। अपेक्षाकृत और लोगों के। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमने जो संशोधन रखा है, केवल सत्ता पक्ष के दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उन्हें अस्वीकृत न किया जाय, बल्कि सचमुच में जो विधायकों की स्थिति है, उसको देख लें और एक नीति बना लें। मेरा आपसे यह निवेदन है इस बहस के जरिये से।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहा था। उन्होंने मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर 74 और उसके पूर्व के लोगों को शामिल कर लिया जाय तो बहुत ज्यादा व्यय भार बढ़ जायगा। शायद उनकी मंशा यह प्रकट करने की थी कि विपक्ष में बैठने वाले सुविधाओं के अधिक भूखे हैं। ऐसा वे प्रकट करना चाहते हैं। मैं आपसे स्पष्ट रुप से कह देना चाहता हूं कि इस पक्ष के लोग राजनीति में सत्ता सुख के लिये नहीं आते हैं। नहीं तो सत्ता का सुख देख कर आपके साथ जुड़ जाते। हम सिद्धान्त के लिये आते हैं। हमारे जीवन के जो मूल्य है, उनको प्रतिष्ठापित करने के लिये हम राजनीति में आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो माननीय दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हम अगर किसी दीन की आंख का आंसू और दरिद्र के पैरों की फटी हुई बेवाई अपने हाड़ मांस से भी पोंछ और भर सकें तो हम समझेंगे कि सैकड़ों विधान सभाऐं हमारे चरणों पर लोटती हैं। यह आशंका व्यक्त करना कि हम सत्ता की सुविधा चाहते हैं, गलत है। अगर यह बात होती तो 1977 में हम जब आये थे तो कुछ लोगों ने फुसफुसाहट की थी। उस समय कांग्रेस के लोग विपक्ष में थे और उन्होंने कहा था। फ्रीडम फाइटर्स की बात की जाती थी, लेकिन हमने सुविधा लेने की बात नहीं की। हम लोगों ने उस समय दो दिन के स्थान पर एक ही दिन का भत्ता लेना शुरू किया था। पेंशन का प्राविधान भी आपके ही द्वारा किया गया था, हमने नहीं। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका एक आधार है। मूल प्राविधान की धारा 24 की ओर देखें। उसमें पांच वर्ष का प्राविधान है। लेकिन पांच वर्ष का प्राविधान इसलिये था कि भारत के संविधान में लोकसभा और विधान सभा का कार्य 5 साल का था। एक टर्म पांच साल का होता था। उस समय विधान सभा का समय कम होने की बात दिमाग में हीं नहीं आई होगी। पांच साल का टर्म 1935, 1953, 1957 और 1962 तक बराबर होता रहा। उसके बाद स्थिति में जो परिवर्तन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया। केन्द्र में ऐसे व्यक्ति हो गये जिन्होंने 1967 से अब तक अपने ही दल का चुनाव नहीं कराया।

श्री भगवती सिंह विशारद--

सन 67 में माननीय नेता सदन ने ही सिफारिश की थी कि सदन भंग कर दिया जाय।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल कम होना तभी से शुरू हुआ जब से केन्द्र में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी विराजमान हुई।

श्री चेतराम गंगवार--

उस समय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

वह यहां उत्तर प्रदेश में थे। तब तो आप भी यहां पर थे। 5 वर्ष का संविधान में प्राविधान था।

श्री अधिष्ठाता--

द्विवेदी जी, संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, इसलिए धारा 24 5 वर्ष के लिये बनी। अब 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो सकी, आपको परेशानी उत्पन्न हुई, एक माह कम रह गया। किसके लिये कम रह गया, परिस्थितियां विशेष ऐसी हो गयीं कि विधान सभा को भंग कर दिया गया।

मान्यवर, जो जनता चुनकर भेजती है, वह 5 वर्ष के फुल टर्म के लिये चुनकर भेजती है, अर उसमें 5 वर्ष तक नहीं चल सकी, तो उसमें उस सदस्य का कोई दोष नहीं। मान्यवर, सामान्य नियम क्या है, न्याय का सामान्य नियम क्या है--जस्टिस शूड नाट बी डन, बट इट शूड बी एपीयर। न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिये, प्रकट भी होना चाहिये कि न्याय किया जा रहा है। आप ऐसा कानून बनाये जिससे लोगों को आपकी तरफ ऊंगली उठाने का मौका न मिले। आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है 1980 के विधायकों के लिये किया है। 1980 में क्या था--कांग्रेस बहुमत में आयी थी, आप अपने पूर्व विधायकों को सुविधा देने के लिये यह प्रस्ताव लाये हैं। 1967 के लोग क्यों वंचित हो जाएं? क्योंकि वे जनता पार्टी से चुनकर आये थे। मान्यवर, यहां जो विधान बनता है, पूरे प्रदेश पर प्रभावी होता है।

मान्यवर, इसमें पूरे प्रदेश में आपकी छवि बिड़ेगी। 1977 के लोगों को आपने शामिल नहीं किया, 1967 में कांग्रेस अल्पमत में थी, संयुक्त दल की सरकार थी, उस समय के लोगों के बारे में आपने नहीं सोचा। मैं चाहता हूं कि कानून ऐसा बनाये जो सबके लिये समान हो। इसमें विरोधाभास प्रकट होता है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप सबको शामिल करें--उसमें पक्ष विपक्ष किसी में भेद नहीं है। उसे आप स्वीकार करें।

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बोलने का समय दिया। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बड़ा सोच समझकर उन्होंने इस सदन में सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन के सम्बन्ध में इस विधेयक को रखा। मान्यवर, आप पिछले घटनाक्रम में जायं किसी में एक साल कम रहा है किसी में कुछ समय कम रहा। 1967 का जिक्र किया, 1974 से 1977 और फिर 1977 से 1980 का जिक्र किया। पिछले टर्म में दो माह कम रह गया। एक दफा पहले जो हुआ था 1957 में कर दिया गया था, एक माह रह गया था। मान्यवर, पिछले टर्म में केवल 2 महीने की बात रह जाती है, यह बिल्कुल सामयिक है। इस विधेयक को आना चाहिये। एक बात माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने कही उन्होंने स्व0 माननीया इन्दिरा जी का नाम लिया। इस प्रदेश और देश का निर्माण करने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर किसी को श्रेय प्राप्त होता है तो वह इन्दिरा जी को जाता है। मान्यवर, जहां तक इस विधान सभा के टर्म कम करने का श्रेय जाता है, बिना कहे सुने, अन्ततोगत्वा एस0बी0डी0 के नेता, बी0 के0 डी0 के नेता [* * *] और लोकदल के नेता [***] को जाता है। मान्यवर, 1967 में जब हम अपार बहुमत से चुनकर आये थे तो कांग्रेस के 24 आदमी ज्यादा थे एस0बी0डी0 से। माननीय श्री हरीश चन्द्र सिंह जी को हमने नेता चुन लिया था; लेकिन [* * *] को गलतफहमी रहती कि मेरे अलावा और कोई आदमी ईमानदार नहीं है। उन्होंने गवर्नर को रिकमन्डेशन किया कि इन्हें नेता न बनाया जाय। संयोग से उनका पुत्र भी आज आपके दल में है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, जो व्यक्ति इस विधान सभा का सदस्य नहीं है, उसका नाम न लिया जाय यदि कहीं पर ऐसी कोई बात कही गई होगी तो मैं कार्यवाही देखकर उसे निकाल दूंगा।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, 1977 में जब चौधरी साहब दिल्ली में आसीन हुए तो 9 विधान सभाओं को समाप्त कर दिया। यह सारा श्रेय चौधरी साहब को जाता है। आज तो विधेयक यहां पर लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय, मुख्य मंत्री जी को और इस सरकार को, जिसके नेता माननीय श्री नारायन दत्त तिवारी जी हैं, जिन्होंने एक कुशल नेतृत्व प्रदान किया है, माननीय श्री राजीव जी ने इस प्रदेश के लिए की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा चल रही है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जिस प्रदेश की 64 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है, वहां जन प्रतिनिधि बैठकर अपनी सुख-सुविधाओं के लिये यहां पर विधान पास करा रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आज जो यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है कि 3 महीने कम रह गये 5 वर्ष में, उनको पेंशन कैसे दिया जाय। इसमें से 50--100 आदमी ऐसे हैं, जो अध्यापक हैं, स्कूलों में से भी वेतन ले रहे हैं और यहां से भी सरकार उनको पेंशन देने की सुविधा दे रही है। पेंशन के लिए एक समान सिद्धान्त होना चाहिए। होना यह चाहिए कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन निरस्त कर आप उस सारे पैसे को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में खर्च करें तो अच्छा होगा।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय पर 2--4 बातें कहना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि सामने बैठे सम्मानित सदस्य किसी दल का प्रतिनिधित्व न करके व्यक्तिगत रूप में यहां बैठे हुए हैं। मान्यवर, एक कहावत मैंने सुनी थी, चूं चूं का मुरब्बा। नेता विरोधीदल ने कहा कि 64 से लेकर 77 या 80 तक के सदस्यों को मिलना चाहिये और सम्मानित माता प्रसाद कह रहे हैं, कि पेंशन बिल्कुल दी ही न जाय। माननीय हरीश जी, द्विवेदी जी, गुप्ता जी, शतरुद्ध प्रकाश जी ने लगभग सभी सम्मानित सदस्यों ने, 1967 से लेकर अब तक सबको एक ही परिधि में लाने की बात कही है। इनकी एकता का यह स्वरुप है और भिन्न भिन्न वाणियों में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों को यह बताते हैं। हमने यह आवश्यक समझा कि 3 महीने के कारण जो लोग वंचित रह जाते हैं पहले उनके संबंध में इसे लागू कर दिया जाय बाकी जितनी बातें हैं उन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता आगे है। शंका इस बात की है कि 1980 की बात इसमें जोड़ दी गई है तो बहुत सी काल्पनिक बातें होती हैं उन पर कभी विचार नहीं किया जा सकता, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। 1952 से लेकर 1985 तक कई सम्मानित

नोट :---(***) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक ऐसे है जो केवल 3 महीने के कारण वंचित रह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि बिना परीक्षण कराये किसी बात को कहने का औचित्य नहीं होता। मैं पुनः विनम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि किसी बात के पीछे षडयंत्र की बदबू नहीं आनी चाहिये। आप लोग काफी उसके शिकार रह चुके हैं। यह दल उसका शिकार नहीं है। आपको वस्तुस्थिति को देखते हुए, दलगत राजनीति से उठकर एक बात का परिचय देना चाहिये कि जिस सही और सामाजिक भावना से हम इस संशोधन को लाये है उसको आप स्वीकार करें।

(माननीय कौशिक जी के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कौशिक जी, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कृपया आप बैठ जायं। उत्तर होने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता है।

श्री कौशिक रमाशंकर--

कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ बातें अनौपचारिक रुप से कही गई थी कि इन सारे मामलों के लिये माननीय मंत्री जी एक कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी ने जो कार्यमंत्रणा समिति में कहा था कि सन् 77 वाले मामले या उससे पूर्व के मामले, विघटित विधान सभा के सदस्यों के जो मामले हैं उनके सम्बन्ध में कोई कमेटी बनायेंगे जो अपना प्रतिवेदन देगी?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर केवल इस विषय के ऊपर कार्य मंत्रणा समिति में बात नहीं हुई थी अन्य भी कई मामले थे जिन पर कार्य मंत्रणा समिति में बात हुई थी उन पर विचार किया जायेगा और विचार करने में यह सरकार कभी भागने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है हमारा दिल, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और दिमाग सदैव खुला हुआ है। जो भी विचारणीय बिन्दु होंगे सदैव उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "स्पष्टीकरण-दो" के आगे का अंश हटाकर इसके स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय:--

"सदस्य निर्वाचित होने के बाद यदि वह शपथ ग्रहण कर लेता है तो फिर चाहे अल्प अवधि के बाद ही विधान सभा भंग कर दी जाय और 5 वर्ष की कालावधि न पूरी हुई हो तो भी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का माना जायेगा परन्तु यदि त्याग पत्र, निष्कासन, अथवा न्यायालय के आदेश से स्थान रिक्त करना पड़ा तो उसकी (सदस्य की) कालावधि स्थान रिक्त करने की तिथि तक की गणना से ही मानी जायेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्न लिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 9 मार्च, 1985 को प्रवृत्त हुआ संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ समझा जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(मद संख्या 36 पुकारे जाने पर)

विधान सभा क्षेत्र भिनगा, बहराइच के निर्दलीय सदस्य द्वारा पूरे सत्र सत्ता पक्ष में बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मयंकर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य सदन में कहां बैठेंगे, इससे सम्बन्धित है। दल-बदल विरोधी विधेयक आ चुका है। माननीय सदस्यों की पार्टी निश्चित है, किन्तु जो निर्दलीय हैं, उनके लिये व्यवस्था है कि अगर 6 महीने में कोई दल निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर दल नहीं ज्वाइन किया है तो स्पष्ट हो जाना चाहिये कि निर्दलीय हैं या किसी दल में हैं। माननीय सदस्य भिनगा, बहराइच जो हैं, पूरे सत्र सत्ता पक्ष में ही बैठे रहे, उनके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अध्यक्ष इस पर विचार कर रहे हैं, नियम देखे जा रहे हैं, इसका निश्चय हो जायगा, आप बैठें।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि--

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि, दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को पारित प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में संगत अधिनियम के अनुसार विधान सभा के जिन चार माननीय सदस्यों के निर्वाचित किया जाना है, उन्हें निर्वाचन के बजाय माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत इस सदन द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायें।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबन्ध संबंधी विषयों पर विचार करने के लिये 'संयुक्त समिति' के गठन का संकल्प

श्री अधिष्ठाता--पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन का सहमति से संकल्प पढ़ा हुआ माना गया)।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

[यह सदन दिनांक 29 अगस्त, 1985

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

को विधान परिषद् द्वारा पारित निम्न संकल्प सहमत है--

"संकल्प"

"'यह सदन विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के आवास प्रबन्ध सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की आवास सम्बन्धी संयुक्त समिति के गठन के सम्बन्ध में यह संकल्प करता है कि:--

1--राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाये जो "आवास सम्बन्धी संयुक्त समिति" कहलाए और जिसमें 15 सदस्य हों जिसमें 9 सदस्य विधान सभा के और 6 सदस्य, विधान परिषद् के होंगे । समिति अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्देशित होगी किन्तु समिति में विधान परिषद् के सदस्य वह होंगे जिनको सभापति, विधान परिषद् नाम निर्देशित करें । समिति के सभापति चक्रानुक्रम में एक वर्ष उपाध्यक्ष, विधान सभा तथा दूसरे वर्ष उप सभापति, विधान परिषद् रहेंगे । किन्तु पद रिक्त रहने की दशा में समिति के सभापति यथास्थिति, अध्यक्ष, विधान सभा या सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ।

2--उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :--

(1) विधान मण्डल के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास प्रबन्ध सम्बन्धी सब विषयों पर कार्यवाही करना, तथा

(2) विधायकों के निवास स्थानों पर अथवा अन्य स्थानों पर जहां विधान मण्डल की समितियों के उपवेशन किये जायें, आवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें, जो सदस्यों को प्राप्त हों, उनकी देखभाल करना ।

3--इस समिति का कार्य परामर्श देना होगा । समिति की सिफ़ारिशें अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत की जायेंगी । अध्यक्ष उन्हें शासन के सम्बन्धित विभाग को अपने विचार प्रकट करने के लिये भेजेंगे । शासन के सम्बन्धित विभाग के विचार प्राप्त हो जाने पर अध्यक्ष, सिफ़ारिशों पर सभापति, विधान परिषद् से परामर्श करके ऐसे परिवर्तनों के साथ, जिन्हें वे उचित समझें, अन्तिम आदेश देंगे :

परन्तु अध्यक्ष, यदि चाहें तो सिफ़ारिशों को उन अभ्युक्तियों के साथ जिन्हें वे आवश्यक समझें पुनर्विचार के लिये समिति को वापस भेज सकेंगे ।

परन्तु यह भी कि यदि किसी सिफ़ारिश में अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्री से भी परामर्श करने के बाद उस पर अन्तिम आदेश देंगे ।

4--समिति की कार्यालय आदि सम्बन्धी समस्त व्यवस्था विधान सभा सचिवालय करेगा ।

5--अन्य विषयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय 16 में दिये गये समितियों की प्रक्रिया के सामान्य नियम इस समिति पर उन अनुकूलनों एवं परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें ।

6--इस संकल्प के अधीन उक्त संयुक्त समिति के गठन के दिनांक से विधान सभा एवं विधान परिषद् की तद्विषयक पृथक-पृथक समितियां समाप्त हो जायेंगी ।

यह सदन विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि विधान सभा कृपया इस संकल्प पर अपनी सहमति प्रदान करें ।]

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने उपस्थित किया उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

शासन द्वारा गेहूं का प्रति क्विंटल घोषित मूल्य किसानों को न मिलने के संबंध में चर्चा

(समय 4 बजकर 55 मिनट)

श्री अधिष्ठाता--

हरीश जी, माननीय सदस्यों की रुचि को देखते हुए जितने कम समय में आप अपनी बात को रख सकेंगे तो अच्छा है जिससे कि और भी माननीय सदस्य अपनी बात को कह सकें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

5 मिनट में रख दूं ?

श्री अधिष्ठाता--

जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गेहूं की खरीद के जो भी दाम घोषित किये हैं, वह मूल्य किसानों को नहीं मिल पाते हैं । यही यहां चर्चा का विषय है और इस पर माननीय मंत्री जी भी सहमत हैं क्योंकि कई जगह उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है कि तुम लोग कितने दामों पर गेहूं खरीद रहे हो । इस नाते मैंने मंत्रीजी की सराहना की कि सिचाई को उन्होंने समझा, स्वीकारा और व्यक्त किया । इसके लिये उन्होंने बड़ी कोशिश की क्रय केन्द्रों पर गेहूं 197रु0 क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाय लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनप रहा है, मंत्री जी उसको खत्म करने में सफल नहीं हो पायें हैं, इसलिये मैं आज सदन में इस विषय को उठा रहा हूं ।

खाद, बीज और पानी सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं, 197 रु0 क्विंटल का मूल्य भी कम है कम से कम इसे 200 रु0 क्विंटल का होना चाहिये, मैंने लागत मूल्य निकाल कर यह 200 रु0 क्विंटल का दाम निकाला है । लेकिन सरकार ने जो 197 रु0 का मूल्य घोषित किया था वह भी पूरा किसानों को नहीं मिल पाता है । उन्हें 140 से 145 रु0 पर ही अपने गेहूं देना पड़ता है । आज किसानों का बहुत ज्यादा धन बकाया है जिसका पेमेन्ट नहीं हुआ है । किसान चेक को लिये-लिये घूम रहा है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है । मंत्री जी, आप इतना जरूर करें कि उनका पेमेन्ट दिलवा दें तो उनका कल्याण हो जायेगा । मंत्री जी ने स्वयं प्रशासन से कहा कि यह बिचौलिये गांव के व्यापार नही माने जायेंगे । यह सर्कुलर दिया गया तो बड़ा अनर्थ हो गया । 140-144 रु0 के बीच में कर्मचारियों और व्यापारियों ने उसके गेहूं को बैठ कर खा लिया है, इससे किसानों को हानि हुई है । लेकिन मैं कहता हूं कि यह हानि किसानों को ही नहीं हुई है बल्कि पूरे प्रदेश को हुई है । अगर यह नीति चलेगी तो हिन्दुस्तान अनर्थ की ओर बढ़ता ही जायेगा । किसान आज 20 प्रतिशत है, बाकी शहरी लोग 60 प्रतिशत हैं । 20 प्रतिशत गांव का उत्पादक किसान है जो कि सरप्लस अनाज पैदा करता है और शेष 60 प्रतिशत शहरी जनता को अपनी पीठ पर ढो कर वह चलता है । अगर 20 प्रतिशत किसान को घाटा होगा तो शेष 60 प्रतिशत लोगों को भी तबाही होगी । अगर उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा तो उसके बच्चे स्कूल जा सकेंगे, वह डाक्टर को दवा के दाम दे सकेगा, डाक्टर की फीस दे सकेगा । यदि उसे ही उत्पादन लागत का पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे शेष 60 प्रतिशत जनता आगे बढ़ेगी ?

कच्चे माल का दाता किसान ही है, हमारे गांव ही हैं । खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, चमड़ा नहीं होगा तो सामान नहीं बनेगा, गेहूं नहीं होगा तो बिस्कुट कहां से बनेंगे । तो यह कच्चे माल का दाता 20 परसेन्ट लोग ही हैं शेष 60 परसेन्ट उस पर निर्भर करके चलने वाले लोग हैं । यदि किसान नहीं उठ पायेगा तो यह प्रदेश और देश कैसे उठ पायेगा ? इसी के नाते आज यह विषय चर्चा के लिये दिया गया है कि किसानों को सही दाम मिलें 200 रु0 क्विंटल गेहूं के भाव से । 200 रुपये कुन्तल, तो मान्यवर, दो तीन सुझाव देकर अपनी बात

समाप्त करता हूं। जितने क्रय केन्द्र हैं वह कम हैं, किसी भी किसान को एक किलो मीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े, इतने क्रय केन्द्र आप खोलें। नसीजल कर्मचारियों की भर्ती करें, जो खरीद का काम करें और जो किसान हों उनसे ही गेहूं लिया जाय और जोत बही किसानों को दी जाये जिससे कि प्रमाण रहे, तभी किसान इस तबाही से बच सकता है। आशा है कि माननीय मंत्री जी इन चीजों पर ध्यान देंगे और आने वाला वर्ष किसान के लिये लाभ का वर्ष हो, इसका प्रबन्ध आप करें।

मान्यवर, धान की खरीद का समय आ गया आपने जिस मूल्य को घोषित किया है, वह किसानों को मिले, इसके लिये आप क्रय केन्द्र खोलें और जो बिचौलिये हैं, उनको समाप्त करें, जो बिचौलियों का सरकुलर है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें और धान सीधे किसान से लिया जाये और उनको जोत वही दी जाये, उनको प्रमाण मिल जायेगा, किसानों के अलावा दूसरा न दे पावे और जो खरीद में भ्रष्टाचार होता है, वह न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा है।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, गेहूं की खरीद के बारे में हरीश जी ने सुझाव रखे हैं, बड़े सद्भाव से रखे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यह खाद्यान्न का विषय है इसमें प्रबन्ध का दावा नहीं किया जा सकता है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सवाल है तो नये परिवेश में, नये व्यवधानों में और नई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। अखबारों में चर्चायें छपती हैं, उनमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। जो हरीश जी ने कहा कि इस सरकुलर को टोकरी में छोड़ देना चाहिये, तो मैं कहता हूं कि उसे रखना चाहिये, वह दिग्दर्शन करेगा किसी कागज को जलाना ठीक नहीं है उसको रखना चाहिये। फाइल को जलाने की बात नहीं है, इतिहास में उसका सन्दर्भ सुरक्षित रहता है। बिचौलियों के भ्रष्टाचार की बात सही है, जो बड़े दुकानदार हैं, पूंजीपति हैं, वह छोटे दुकानदारों की मारफत खरीद करते हैं, तो व्यवधान आता है, जिसको चेक किया गया और इस के लिये कोई दूसरा नियम बनाना पड़ेगा, बिचौलियों की समस्या पर जरूर विचार करना पड़ेगा, जो सरकार खरीद करती है, किसानों से सीधे खरीद करती है, यह सही है और एक इरादा है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य दें, हम सब खरीदते नहीं हैं। आगरा और झांसी मंडल की बात है, झांसी मंडल में बाजार में गेहूं का दाम 157 रु0 कुन्तल से भी ज्यादा है, तो शोषण कैसे हो रहा है। मैं कहता हूं कि रुद्रपुर से लेकर जो सामान चला जाता है पहाड़ों पर तो किसानों की लूट कैसे हो रही है, उन्नाव से सारा गेहूं कानपुर चला जाता है तो लूट कैसे होती है। पूर्वी जिले गोरखपुर मंडल में जो चेकिंग का काम है उसको मैं नहीं कर सका क्योंकि समय नहीं मिला। लेकिन यहां पर मैंने चेक किया तो यह पाता हूं 15 एजेंसियां हैं खरीद की, यह सब हमारे नियंत्रण में नहीं है। एफ0 सी0 आई0, पी0 सी0 एफ0 हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है जैसे जब चीनी की कठिनाई थी तो मैंने 20 करोड़ मांगा तो रिजर्व बैंक से 20 करोड़ मिला और फिर 2 करोड़ मांगा तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 करोड़ और दिलाया तो उनको कैश क्रेडिट की सुविधा हम देते हैं उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। यहां शासन के हिसाब से यह तो हम कर सकते हैं कि कोआपरेटिव के सचिव को जेल में बन्द कर सकते हैं लेकिन कोआपरेटिव के सचिव को हम मुअत्तल नहीं कर सकते हैं। समय नहीं है इसलिये मान्यवर, संक्षेप में इशारा कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्त रहें।

श्री वासुदेव सिंह—

वैसे माननीय सदस्य जो बहुमूल्य सुझाव देंगे उसके सुझाव के परिप्रेक्ष्य में अपने चिन्तन को किस तरह से सुदृढ़ किया जाय

उस विषयक चिन्तन को हम हमेशा तरोताजा रखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री दिवाकर जी, कृपया संक्षेप में कह लें जो कहना है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, संक्षेप में कहूंगा । माननीय अधिष्ठाता जी, जो विषय माननीय हरीश जी ने रखा है उस विषय में मैं माननीय मंत्रीजी से मई के प्रथम सप्ताह में मिला था । मैंने उनसे मिलकर सारी स्थिति भी बतायी थी । गेहूं की खरीद में जिस तरह से एजेंसियों द्वारा धांधली बाजी की गयी ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, आपने जो बात कही, रूदौली में तत्काल मैंने कार्यवाही की, मैंने तत्काल उसकी चेकिंग की ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके प्वाइन्ट को नोट कर आप फिर भाषण में बोल लें ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, अखबार वाले गलत खबर दे दें और मैं बीच में न टोकूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

वैसे अखबारों में मैं नहीं जाना चाहता था लेकिन अखबार को माननीय मंत्री जी ने बताया । मान्यवर, अपने क्षेत्र के कस्बा रूदौली जनपद बस्ती में जो धांधलेबाजी खरीद एजेंसियों द्वारा एग्रो,एफ0 सी आई0 आर0 एफ0 सी0, पी0 सी0 एफ0 सभी एजेंसियों में खरीद गेहूं चल रही थी । बस्ती में सभी एजेंसियों द्वारा खुले आम किसानों से 10 रुपया बोरा अधिक लिया गया है । तब उनको बोरा दिया गया है । स्थिति यह रही है कि जो किसान पैसा नहीं देता था वह 15-15 दिन तक पड़ा रहता था । गेहूं की खरीद के सम्बन्ध में मैंने दो पत्र लिखे, एक 9 मई को दिया था और दूसरा मैनेजिंग डाइरेक्टर को पत्र जो एग्रो की एजेन्सी खरीद कर रही थी लिखा था उसके बारे में एग्रो की जांच पड़ताल हुई वहां पर जो कर्मचारी था उसके पास एथारिटी लेटर ही नहीं था कि वह चेक पर हस्ताक्षर कर सके फिर भी वह चेक काट रहा था, और चौकीदार वहां का कार्य कर रहा था । जांच पड़ताल हुई उस व्यक्ति के विरुद्ध पिछली शिकायतें हुई थी । पूरा हवाला आया और 3 महीने के बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही हुई । मैंने 9 मई को माननीय मंत्री जी को लिख कर दिया था और 15 जुलाई को उनके अधिकारी जांच करने गये हैं फिर हमसे कहने लगे कि किसान बताइये, जो सबूत दे कि पैसा लिया गया है । 9 मई को मैंने लिख कर दिया और 15 जुलाई को जांच करने गये तो इतने दिन बाद मैं किस किसान को लाऊं कि उससे पैसा लिया गया है ।

मान्यवर, स्थिति यह है कि एफ0 सी0 आई0, आर0 एफ0सी0 के लोग जो गांव के बिचौलिये थे छोटे छोटे बनिये थे उनको पैसा बांट दिया गया था । उन पैसों से यह बिचौलिये बनिये एफ0 सी0 आई0, आर0 एफ0 सी0 का गेहूं खरीदते थे और रात में 2-3 बजे तक बैलगाड़ियों पर गेहूं को लाद कर वहां ले जाते थे । और दिन में उनके पास समय नहीं रहता था । यह समस्या इस वर्ष किसानों के सामने रही है । मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि धान की खरीद बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है आपने जो कहा है कि आप उसके डिफनेशन पर विचार करेंगे । मेरा निवेदन यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके विचार करके उसके डिफेनशन को तय कर लें ताकि धान की खरीद में एजेंसियों द्वारा गड़बड़ी न हो और किसानों को कोई परेशानी न हो ।

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार होने के दो मूल कारण हैं । पहला कारण है कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

खरीद एजेंसी करने जाती है उनके पास खरीद के साधन नहीं होते हैं कि किसानों से सीधे गेहूं खरीद लें क्योंकि उनके पास कभी बोरे नहीं रहते हैं और कभी पैसा नहीं रहता है जिससे बिचौलिये इस अवसर का लाभ उठाकर किसानों को लूटते हैं। यदि एजेंसी के पास बोरे रहते हैं और काफी मात्रा में गेहूं आ जाता है तो कम बोरे होने के नाते कम गेहूं की खरीद की जाती है जिससे अधिक से अधिक लोग गेहूं बेचने के कारण भ्रष्टाचार फैलाते हैं क्योंकि क्रय शक्ति से आवक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिये किसान मजबूर होकर अपना गेहूं बेचने के लिये पैसा देते हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो खरीद एजेंसी है उसको खोलने के पहले लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिये कि प्रति दिन 2 या 3 हजार क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और उसके हिसाब से क्रय केन्द्र पर बोरा और धन का प्रबन्ध किया जाये जिससे प्राथमिकता पर जो किसान आयें उनका गेहूं ले लिया जाये और भुगतान कर दिया जाये।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में आज भी गेहूं का दाम बाकी है। एफ0 सी0 आई0 ने गेहूं का दाम आपके विभाग को दे दिया परन्तु आपका विभाग पी0 सी0 एफ0 उस रुपये को किसानों को आज तक नहीं दे रहा है और समय से गेहूं का मूल्य किसानों को न मिलने से वह बिचौलियों को गेहूं दे देता है या वह आपकी एजेन्सी को काफी मात्रा में पैसा दे देता है। किसानों को चेक देते समय भी पहले रुपया ले लिया जाता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि मंत्री जी इसमें ध्यान दें जैसे कि हमारे क्षेत्र के किसानों का मई में गेहूं लिया गया किन्तु उसके दाम अभी तक नहीं मिले हैं और किसान एफ0 सी0 आई0 में चेक लिये घूम रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन किसानों को सरकार पैसा दिला दे। आपका जो विभाग खरीदारी करता है उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि कहीं-कहीं खरीद हुई नहीं है फिर भी लोगों के नाम चेक काट कर भुगतान ले लिया गया है और गेहूं का पता नहीं कि किसका खरीदा गया है। इसमें मैं चाहूंगा कि आप उच्च स्तरीय जांच करायें।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि अगले वर्ष जब धान, गेहूं की खरीद करें तो हर सेन्टर का लक्ष्य निर्धारित कर दें कि प्रतिदिन इतना प्राथमिकता के आधार पर किसानों का अनाज खरीदेंगे और उसके भुगतान की व्यवस्था भी साथ ही साथ करें। यही मेरे सुझाव हैं।

*श्री औसान सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, इस वर्ष गेहूं खरीद में जिस तरह से किसान की लूट हुई है उससे उसकी क्रय शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी और दिन प्रतिदिन उसकी क्रय शक्ति घटती जा रही है। बिचौलियों ने जिस प्रकार किसान की लूट की है वह अद्वितीय है। बिचौलियों और सरकारी कर्मचारी की सांठ-गांठ से क्रय केन्द्र पर काश्तकार गेहूं लेकर जाता है तो उसे बोरों की कमी के नाम पर उसे परेशान किया गया है। यदि बोरा उपलब्ध हुए तो पेमेन्ट के नाम पर उसे परेशान किया गया है। पेमेन्ट मिला तो गुण अवगुण के आधर पर उसका गेहूं 2-3 दिन क्रय केन्द्रों पर पड़ा रहा। लेकिन जब बिचौलियों ने उसको खरीदा है तो उसकी तुलाई और पेमेन्ट सब हो गये। मान्यवर, यही नहीं बोरे बिचौलियों को क्रय केन्द्रों से दिये गये हैं और उनमें गेहूं को रखा गया और पेमेन्ट तुरन्त हुआ। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सहकारी समिति, सराय बिधूना जिला इटावा पर आज भी हजारों रुपया बाकी है और किसान चेक लिये घूम रहा है। मैंने इस बात की शिकायत कलेक्टर से की, वहां के ए0आर0 से की लेकिन आजतक उसका पेमेन्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नहीं हुआ। वास्तव में जो किसान को 145/140 रुपया मिल रहा है बिचौलियों के माध्यम से, वह भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यह तो अलाभकर मूल्य है...

श्री अधिष्ठाता--

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री औसान सिंह--

अभी समाप्त नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त हो गया।

श्री औसान सिंह--

दो मिनट का समय और चाहूंगा। इस तरह से आज किसान तबाह हो रहा है.. (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायें।

(श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री औसान सिंह--

लकड़ी का मूल्य, बबूल की लकड़ी का मूल्य जो कि जंगल में पैदा होती है उसका तो 120 रुपया क्विंटल और गेहूं का मूल्य...

श्री अधिष्ठाता--

औसान सिंह जी, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री औसान सिंह--

बाजरे का मूल्य 70 रुपया क्विंटल, गन्ने का मूल्य.....

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई तरीका नहीं है। आधे घंटे की चर्चा है...कृपया बैठ जायें।

श्री औसान सिंह--[×××]

श्री अधिष्ठाता--

यह सब कुछ नहीं लिखा जायगा। जो आप कह रहे हैं, नहीं लिखा जायेगा। आप सीमित समय में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कृपया बैठें। (श्री औसान सिंह के बोलते रहने पर) कुछ नहीं लिखा जायेगा। आधे घंटे की जो चर्चा होती है तो उसमें ज्यादे से ज्यादा चर्चा जो शुरू करता है उसको 5 मिनट दिये जाते हैं और फिर मंत्री जी बोलते हैं। ... (व्यवधान)।

(श्री औसान सिंह के बोलते रहने पर)। आप नियमानुसार नहीं बोल रहे हैं।

श्री औसान सिंह--

आप बोलने के लिये समय नहीं देते हैं।

मैं जब भी बोलने के लिये खड़ा होता हूं। .....(व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसके लिये जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिये और माननीय सदस्यों को एक-एक दो-दो मिनट में अपनी बात कह लेनी चाहिये।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। गेहूं की खरीद में जो परेशानी होती है वह किसानों को भली-भांति मालूम है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा कि उन्हें क्या परेशानियां होती है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को गेहूं की आगे की खरीद के लिये उसमें सुधार लाने के लिये दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो गेहूं की खरीद की योजना यहां पर आरम्भ की गई थी तो उसके अन्तर्गत यह किया गया था कि जो सरप्लस गेहूं होगा वह समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत ले लिया जायेगा। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि हमको हर साल गेहूं खरीदना है। इसलिये जब तक सरकार पहले से ही उसकी व्यवस्था नहीं करेगी तब* तक सरकार इसमें सफल नहीं हो पायेगी।

नोट :-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि गेहूं के खरीद-केन्द्रों की सूची आपको मालूम है कि हर साल कहां से कितना गेहूं आप खरीद रहे हैं। पहली बात यह है कि जो केन्द्र हैं वे गांवों से काफ़ी दूर हैं इसलिये आप इसको सुनिश्चित कर लें कि किस तरह से एक क्षेत्र के लोग इन केन्द्रों से जुड़े रहें। इस तरह से खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। केन्द्रों के साथ गांवों को जोड़ दें जहां से आपको गेहूं लेना है। गांव की जो उपज है उसके क्षेत्रफल के अनुसार क्रय केन्द्र पर गेहूं की खरीद होनी चाहिये। जिस प्रकार से गन्ने के लिये आपने कलेन्डर बनाया है उसके अनुसार गन्ने की खरीद होती है उसी तरह से गेहू की खरीद के बारे में भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये और उसके लिये कलेन्डर बनाया जाना चाहिये। वह इस तरह से हो कि पहले 15 दिन में जो छोटे काश्तकार हैं वे अपना गेहूं बेचने के लिये लायें, उनको प्राथमिकता दी जाय। तभी यह सम्भव हो सकता है कि आप उनको इस परेशानी से मुक्त करा सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि आपने छोटे दुकानदारों को छूट दे रखी है। वहां पर जो बिचौलिये आते हैं वे छोटे दुकानदारों के नाम की आड़ में ही शोषण करते हैं। ग्रामीण केन्द्रों पर बड़े दुकानदार बड़े व्यापारी बिचौलियों का काम नहीं करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि वहां के क्षेत्रीय एजेन्ट जिनको आप ग्रामीण दुकानदार कहते हैं उनको बिल्कुल छूट न दें कि वह गेहूं खरीद कर दे सकें। जैसे पंजाब और हरियाणा में होता है जो कच्चे आढ़ती होते हैं वह खरीद कर देते हैं वे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लाइसेन्स रहता है अगर वह गड़बड़ी करते हैं तो उनका लाइसेन्स आप रद्द कर सकते हैं। लेकिन छोटे दुकानदारों के नाम पर उनकी आड़ में बिचौलिये शोषण करते हैं।

एक अंतिम सुझाव देकर बात समाप्त करूंगा। जो गेहूं खरीदने के लिये केन्द्र स्थापित करें उनको उन स्थानों पर स्थापित करें जहां पर छोटे छोटे कस्बे हैं या वहां पर मंडी स्थल हो जहां पर एक से अधिक एजेंसी गेहूं क्रय करने के लिये हों। आप पंजाब और हरियाणा में देख लीजिये वहां पर मंडी में ही गेहूं आता है और सैकड़ों की तादाद में काश्तकार वहां पर आता है और ढेरी लगाता है उसमें किसी एजेंट की या इंसपेक्टर की हिम्मत नहीं होती है कि वह 10, 15 रुपया तो अलग रहा दो रुपये भी सस्ता नहीं ले सकता है क्योंकि सारे के सारे कृषक इकट्ठे हो जाते हैं और एजेंट की या इंसपेक्टर की मुसीबत कर देते हैं। अधिकांश केन्द्र वहीं पर होते हैं जहां पर मंडियां हैं जिससे अधिक से अधिक कीमत पर किसान के सामान की खरीद होती है।

श्रीमती कमला साहनी---

(* * *)

श्री अधिष्ठाता---

मैंने आपको अनुमति नहीं दी। (व्यवधान) आप बगैर अनुमति के बोल रही हैं।

श्रीमती कमला साहनी---

(* * *)

श्री अधिष्ठाता---

आप बगैर अनुमति के बोल रही हैं इसलिये जो बगैर अनुमति के बोली हैं वह भी नहीं लिखा जायेगा।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, गेहूं खरीद केन्द्रों पर जिस प्रकार से अनियमितता बरती गयी है उसकी तरफ़ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और संक्षेप में 5, 6 सुझाव देना चाहता हूं। गेहूं की कीमत पर सपोर्ट प्राईस जो आप दे रहे हैं वह इसलिये दे रहे हैं कि किसान का गेहूं उसकी

नोट:--- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उत्पादन लागत से कम कीमत पर बाजार में बिक रहा है वह कम कीमत में न बिके। जो आपने 157 रुपया मूल्य डिक्लेयर किया तो बिचौलिये बीच में आ गये और उसने अपने एजेंट बीच में लगा दिये और उसमें खरीद केन्द्र के इंचार्ज उनसे मिल गये और उन्होंने किसानों के सामने समस्या पैदा कर दी उनका गेहूं दो-दो और चार-चार दिन तक पड़ा रहने दिया। किसान को गेहूं ढकने के लिये कुछ मिला नहीं जिसकी वजह से उसका गेहूं सड़ गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी जरा बैठ जायें। मैं सदन की सहमति ले लूं क्योंकि आधे घंटे की चर्चा 5.25 पर खत्म हो रही है। अगर सदन सहमत हो तो इस चर्चा का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर) सभी सहमत हैं तो ठीक है 15 मिनट और बढ़ा देते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

तो मैं निवेदन कर रहा था कि खरीद केन्द्रों पर इंचार्ज गड़बड़ करते हैं। किसान को घंटों तक यहां तक कि कई दिनों तक सामान लेकर बैठना पड़ता है। वहां पर उसके सामान रखने की कोई सुविधा नहीं होती है, आपके खरीद केन्द्रों तक ले जाने में बड़ी परेशानी होती है जिससे किसान घबड़ाता है वहां पर जाने के लिये। दूसरा जब वह अपने बोरे ले जाता है तो उसे बोरों को वहां रख आना पड़ता है और परली लगा-लगा कर गेहूं निकाल लिया जाता है जिससे उसके सामने यह परेशानी आती है कि उसका सामान कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी परेशानी होती है वह यह कि उसका पेमेंट उसी दिन नहीं होता है वह चेक पैसों में उनको बेचना होता है और उसके खरीदार भी क्रय-केन्द्र के इंचार्ज के पास ही बैठे रहते हैं। इसलिये यह उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा जो छांटने वाली बात है, नम्बर एक व दो में जो गेहूं छोटा जाता है, उसमें भी वह लोग बड़ी गड़बड़ी करते हैं, नम्बर एक गेहूं को नम्बर दो में लेते हैं। साथ ही नाप-तौल में भी भारी पैमाने पर गड़बड़ी होती है। मैंने मई में कई जगह पर कम तौल के मामलों को पकड़वाया था। इसके लिये आप विशेष दस्ता बनायें जो गलतनाप-तौल की रोकथाम करे।

एक बात और है जो गेहूं के क्रय मूल्य के बारे में है। चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी द्वारा जो गेहूं का लागत मूल्य निकाला गया है उसके अनुसार अब प्रति क्वींटल गेहूं उत्पादन पर 223 रुपया खर्च होने लगा है, जबकि आप किसान को उसके गेहूं का मूल्य 157 रुपया देते हैं। परन्तु आप उसी गेहूं को 194 रुपये में बेच रहे हैं। इस प्रकार से आप एक क्विंटल पर 37 रुपया मुनाफा लेकर बेच रहे हैं, जबकि व्यापारी चार आना-आठ आना मुनाफा पर ही उसे बेंच देगा और आपका 37 रुपया है एक क्वींटल पर अर्थात् 37 पैसा एक किलो पर मुनाफा है। आपका मुनाफा 37 रुपया है और आप किसान को 67 रुपया का घाटा दे रहे हैं। इस सपोर्ट-प्राईज के मामले पर आप तेजी से कार्य करें, ताकि किसान के घाटे की व्यवस्था दूर हो जाये।

*श्रीमती कमला साहनी---

किसानों के खून और पसीने की कमाई का उसे सही मूल्य मिल सके, इसके लिये सरकार द्वारा क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है हमारे जिला बस्ती में बढ़नी ब्लाक में जो क्रय-केन्द्र थे, वहां पर गरीबों का गल्ला इस साल नहीं खरीदा गया है। इस साल की क्या बात कहूं, 10/5 साल से कभी नहीं खरीदा गया है। वहां पर बड़े लोगों का गल्ला खरीदा जाता है और जब गरीब लोग आते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि बोरा नहीं है और वह गरीब किसान मजबूर होकर बिचौलियों को ही बेचकर जाने के लिये विवश रहते हैं। मैंने इस बारे में कई बार डी0 एम0 का ध्यान आकर्षित किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आश्वासनों के बावजूद गरीब लोगों के गेहूं के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। इस साल किसी तरह जो 10/5 लोगों ने बेचा है, उनकी चेकों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि बढ़नी ऐसे क्षेत्र जहां पर तमाम शिकायतें हैं, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय कि इस तरह की अनियमिततायें न हों और जो लोग चेक लेकर घूम रहे हैं, उनका भुगतान शीघ्र कराया जाय।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, अभी जैसा कमला साहनी जी ने कहा है, यह बात बिलकुल सही है कि बस्ती जिले में इस खरीदारी में जितना घोटाला किया गया है, उतना शायद ही कहीं हुआ हो। आज भी सैकड़ों-सैकड़ों किसान चेक लेकर घूम रहे हैं कोआपरेटिव बैंक में रुपया खर्च करते हैं और बैंक वाले उनसे कमीशन लेते हैं। इस पर भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपना गेहूं दिया और कोआपरेटिव के बकाये में गिरफ्तार होकर जेल गये। आप इसकी जांच करवा लीजिये। जैसा कमला साहनी ने कहा है वह स्थिति बिलकुल सही है, साहनी जी का, मेरा और पान्डेय जी का क्षेत्र एक में मिलता है। जो दुकान आपने खुलवाया है, वहां पर बड़े बड़े लोगों का गेहूं खरीद लिया गया और गरीब व छोटे-छोटे किसान जो गेहूं लेकर आए, मारे-मारे फिरे और अन्त में विवश होकर वहां अपना गेहूं पटक कर चले गये। उसको पैसा नहीं दिया गया और वह दलाल उनसे चुपके से कहते हैं कि हमारे यहां गेहूं लेकर आ जाओ। यह दलाल उनसे गेहूं कम मूल्य पर खरीद लेते हैं और वही गेहूं रात में फिर यही दलाल बेच देते हैं केन्द्र पर आप इसकी जांच करवा लीजिये, यह स्थिति स्पष्ट हो जायगी। तो जितना घोटाला और भ्रष्टाचार इस बार वहां पर खरीरदारी मे हुआ है, उतना शायद ही कभी हुआ हो। काश्तकारों का जो बकाया पैसा है उसको दिलवायें। काश्तकार चेक लिये घूम रहे हैं। आप बस्ती के कलेक्टर को लिखें और जानकारी करें और जानकारी करने के बाद सारा काश्तकारों को बकाया दिलवायें।

श्री नारायण हरि शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय खाद्यमंत्री जी का ध्यान गेहूं खरीद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पंजाब हमसे ज्यादा लेवी में देता है और हमसे ज्यादा अखिल भारतीय खाद्य भंडार में सप्लाई करता है। उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर आता है। आप अगर उत्तर प्रदेश में वही पैटर्न अख्तियार करें जो पंजाब में है तो शायद काश्तकारों को दिक्कत न हो। आज आपको बोरों की दिक्कत है, भंडारण की दिक्कत है, पैसा समय से नहीं मिलता है और बीच में बिचौलिये काम करते हैं। आढ़ती और बिचौलिये किसी न किसी रूप में गेहूं खरीद का कार्य करते हैं।

मेरा निवेदन है कि अगर जैसे पंजाब में कमीशन बेसिस पर खरीद की जाती है उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की जाय तो दिक्कत नहीं होगी। आप इस तरह का एक अध्ययन दल वहां भेजें जो अध्ययन करके बताये और जिस तरह से वहां पर होता है उसी तरह यहां व्यवस्था करें तो समस्या हल हो सकती है। एक बात और कहना चाहता हूं कि एफ0 सी0 आई0 मेन बाडी है, मुख्य एजेंसी है। उन्हीं के क्वालिटी इंसपेक्टर माल पास करते हैं। उन्हीं से धन आता है। पी0 सी0 एफ0 की खरीद का काम करता है लेकिन पी0 सी0 एफ0 के पास भंडारण व्यवस्था नहीं है। अगर इसी पद्धति से काम हो तो पी0 सी0 एफ0 के भंडारण के लिये गोडाउन्स बनाये जायं उनको रुपया दिया जाय तब काश्तकारों को सुविधा हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिन बातों को मैंने रखा है उनको गंभीरता से लेकर उन पर अमल किया जाय ।

(श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर वैसे ही 15 मिनट बढ़ाये जा चुके हैं । अब आप बैठें । मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि छोटे काश्तकारों का गेहूं खरीदा जा सके और बड़े काश्तकार और बिचौलिये जो आकर गेहूं खरीद लिया करते हैं वह न खरीद सकें । दूसरा मेरा निवेदन कि 18 जो एजेंसियां चल रही हैं इनको खत्म करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी इतनी बात आ गयी अब आप बैठिये । जितना आप बोल चुके है उसकी मैं अनुमति देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

किसानों को प्रोत्साहन मूल्य दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप कृपया बैठेंगे ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय मंत्री जी आप धान के खरीदने की व्यवस्था भी कर दें ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैंने जो कुछ कहा और मंत्री जी ने उत्तर के रूप में जो कहा, उसमें बहुत सी बातें समाधान कारक थीं और कुछ बातें शेष रह गयीं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । कुछ कठिनाईयां क्रय केन्द्रों में ऐसी हैं जो खाद्य मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर है इसलिये आप अपनी खुद की एजेंसियां ज्यादा बढ़ायें और जो दूसरे अधिकार हैं उनको किसी न किसी तरीके से दूसरे अधिकारों को आप ले सकते हैं । कोआपरेटिव की बाकी एजेंसियां जो खरीदती हैं उन पर भी खाद्य मंत्री जी का नियंत्रण रहे । जिससे उनको ठीक से वह चला पायें, दूसरी जितनी बातें कही गयीं, वह मंत्री जी समझते हैं, सहमत भी हैं, वह कैसे ठीक कर सकेंगे, इस सम्बन्ध में यदि सदन का कुछ समाधान करा सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस चर्चा का कुछ लाभ हुआ है ।

श्री वासुदेव सिंह--

श्रीमन्, जो सुझाव पक्ष और विपक्ष से आये हैं, वह बहुत स्वागत योग्य है। जो बातें कही गयी हैं, उन पर विचार करना है, क्योंकि जब व्यापक आधार पर खरीद की जाती है, तो कुछ मैं मानता हूं, अनियमिततायें होती हैं, लेकिन जब आप इतना ज्यादा कहेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि बहुत जोरों से काम हो रहा है, तभी हर जगह से आप सब यह कह रहे हैं । जो माननीय सदस्य सरयू पार के हैं, उन्होंने यह कहा कि नैपाल में क्या दाम ज्यादा है, अब ज्यादा गेहूं और चना जाता है, वह हमको नहीं मिलता है, अब इतनी बड़ी सीमा पर हर जगह तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती है । लेकिन अगर गेहूं चला गया, तो आप जानते हैं, माता प्रसाद जी नहीं हैं, इनको कितना चावल नेपाल से मिल जाता है । तो जैसे यह जो बातें कही गयी हैं, कुछ इलाके में जैसे बस्ती मैंने कहा, अब बस्ती में रुधौली में बिचौलियों से गेहूं खरीद करने की शिकायत मिली । आवश्यक वस्तु निगम ने अवगत कराया कि जनपद सीतापुर के क्रय केन्द्र झरेखापुर के संबंध में बिचौलियों से खरीद किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी । जांचोपरा त यह पाया गया कि झरेखापुर के स्थान पर हरगांव में खरीद हो रही है । इस अनियमितता के लिये केन्द्र प्रभारी व लेखा लिपिक की सेवायें समाप्त कर दी गयीं और ठेकेदार का ठेका भी निरस्त कर दिया गया । इसके अतिरिक्त जो हमने और भी कार्यवाही किया, अगर हम

सब एक-एक कहेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जायगा ।

हर क्षेत्र में हर जगह पर मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया, मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक कहूंगा कि दो मंडलों, गोरखपुर और वाराणसी को छोड़कर, उनके क्षेत्र में भी मैंने आकस्मिक निरीक्षण किसी से कम किया होगा। निश्चित तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो बातें आपने कही हैं कि किसानों को सीधा दाम मिले, अब इस पर विचार कर रहा हूं कि जो कंज्यूमर, उपभोक्ताओं का संगठन, उत्पादकों का संगठन है, लूट कब होती है, किसानों के 7–8 लाख गांव दूर-दूर फैले पड़े हैं, उनका कोई संगठन नहीं है । मजदूरों का संगठन है, वह अपना हक ले लेते हैं । यह बिचौलिये गांवों में किसान जो हैं, उनकी लूट करते हैं । वोटर यह जानता है, इसीलिये कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, तो उसका अर्थ कुछ और होता है । हर चीज हमसे न कहलाइये । 15 एजेंसियों ने यह सब काम किया । जो पैसे का मामला आपने कहा, चेक जो दिया गया, तो इसमें एग्रो वाला और पी0 सी0 एफ0 का कहीं-कहीं भुगतान नहीं हुआ और कुछ सवाई पर लेते हैं, यह प्रथा है । लेकिन जहां इनकी शाखायें थीं, वहां खाद्यनिगम की भी शाखा थी, लेकिन किसान अगर चाहता, तो वहां भी बेच सकता था । बदायूं में मैंने देखा और पूछा कि आप पी0 सी0एफ0 में ही क्यों बेंच रहे हो ? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो इनका लेन-देन है, वहां देने पर हमको तत्काल पैसा मिल जायगा,लेकिन हमारा इनका संबंध है । अब जैसे ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने मई माह के भुगतान में दो-तीन दिन के विलम्ब से उसको भुगतान किया । जनपद फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोण्डा, नैनीताल (हल्द्वानी), लखीमपुर खीरी, बुलन्दशहर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, आगरा, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, गोरखपुर एवं बस्ती व देवरिया में मई के अन्तिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह में भुगतान की असुविधा होने से अवगत कराया है । मैं जानता हूं ऐसा हुआ था । वह भी आपसे निवेदन कर दिया, लेकिन इसके बाद मैंने कार्यवाही की । असुविधा होने के कारण मैंने कहा कि स्वीकार ऋण सीमा की गारन्टी समय से न उपलब्ध होने की बात थी, उसको स्वीकार किया ओवर ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई । अब कोई भुगतान शेष नहीं है । जिसका भुगतान नहीं हुआ है, उनका माननीय सदस्य बता दें कि इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, उनका भुगतान करा दिया जायगा । आप देखेंगे तो पता चल जायगा कि कितने लोगों का भुगतान हुआ है । आप लोग लिखित सूचना दे दें कि किसका भुगतान नहीं हुआ, तो मैं त्वरित कार्यवाही करूंगा । कहना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन समय कम है । यह बहुत बड़ा प्रदेश है । राज्य के बराबर है । उस व्यापकता में विधान सभा पैसा दे, संसाधन हमको दे, तो बहुत कार्य हो सकता है । हर जगह भंडारण की कमी है । यह बात सही है कि जिस तरह से उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है उस हिसाब से भंडारण की क्षमता नहीं बढ़ी है । यह शोचनीय विषय है । जो कहा जाता है कि हेर-फेर किया जाता है तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो गड़बड़ियां हैं उनका पता लगाकर वह बतायें । तीन क्षेत्र में एक विधायक हैं । वह लिखकर दें जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं मैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा । मैं तीन महीने तक इन्तजार करूंगा ।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

ऐसे लोगों को जेल में बन्द कर दूंगा कानून के तहत ।

(सदस्यों ने पुनः मेज थपथपाई)

मैं आपको चुनौती देता हूं । हरीश जी ने अच्छा विषय उठाया । जो आप बतायेंगे उसके सम्बन्ध में अधिकतम कठोरतम कार्यवाही करूंगा जिससे आपको कहने का मौका नहीं मिले ।

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को न लेने तथा आगे की मदों को लिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपने आइटम नम्बर–24 लिया या नहीं ?

*श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय अधिष्ठाता जी, आप की जो कार्यसूची छपी है इसके नत्थी "च" मे नंबर 1 को देखें इसमें लिखा है कि सदन के 5 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पूर्व निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी लिए जायें। यह कार्य मंत्रणा समिति ने आग्रह किया कि यह कार्य लिए जाएं। मान्यवर, जो छापा है यह आइटम ले लिया गया है। इसी संदर्भ में (क) पर छपा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित किया जाय।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों की पेंशन के सम्बन्ध में हैं और (ख) उ0 प्र0 पत्रकार कल्याण और पेंशन के संबंध में है। हम लोगों ने अपनी पेंशन का तो पास करा लिया। पत्रकारों की बात नहीं आयी। यह मैनडेटरी है, क्योंकि आज की कार्यसूची में यह लिया गया है। सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि वह इसकी प्रतियां सदन के पटल पर रखती। अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह जो सारी कार्यसूची छपी है, यह अध्यक्ष की आज्ञा से छपी है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष की आज्ञा और निर्देशों का समय-समय पर पालन करें। आप देख लें मद 28 के बाद 38 पर चले गये। केवल इसलिये सरकार विधेयक की प्रतियां सदन के पटल पर नहीं रख सकी। सरकार अपनी नालायकी और निकम्मेपन के कारण उसकी प्रतियां सदन के पटल पर नहीं रख सकी। अभी समय है, सरकार तैयारी कर रही हो, तो सरकार को आप निर्देशित करें कि आज जबतक सदन चले, इसी बीच में उससे संबंधित कागजात और विधेयक की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जांय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

हम लोग इस पर बल देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

वह छप कर नहीं आयी इसलिये ऐसा हुआ। जैसे ही आयेगी उसको ले लेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

कोरम का ध्यान रहे।

श्री अधिष्ठाता--

कोई अन्य व्यवस्था का प्रश्न हो, तो रख सकते हैं।

कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय में ही चर्चा कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बदन सिंह--

जो मद ली गई गेहूं खरीद पर आधे घंटे की चर्चा थी एक घंटे आपने दे दिया। एक-एक घंटे की तीन चर्चा लगी हैं, दो चर्चा पौन घंटे की है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपकी बात समझ गया। हम यह सदन माननीय सदस्यों के सहयोग से चला रहे हैं नियम के अनुसार। यदि माननीय सदस्यों की रुचि होती है, तो देना पड़ता है आप अपने को थोड़ा सीमित रखें कि हर विषय पर न बोलें। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सभी माननीय सदस्यों की बात कर रहा हूं। जिनके नाम लिखकर आये हैं, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा किसी और को नहीं बुलाऊंगा ताकि सीमित समय में चर्चा पूरी हो जाय। मैं आपकी बात समझ गया।

श्री बदन सिंह--

तीन चर्चायें एक-एक घंटे की लगी है, इस प्रकार तीन घंटे हो गया, दो चर्चा पौन घंटे की लगी है, साढ़े चार घंटे हो गया, एक चर्चा एक घंटे की है, पांच घंटे हो गया और भी अन्य वक्तव्य लगे है, 12 बजे रात तक सदन चलायेंगे। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि निर्धारित समय में चर्चा हो, उससे अधिक समय न दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग जायेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन कार्य-सूची पूरी हो जाय :

किंग जार्ज मेडिकल कालेज की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा द्वारा आत्महत्या की चर्चा को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच आयोग बैठाने पर स्थगित किये जाने के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रकरण के सम्बन्ध म स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच बैठाने की सूचना माननीय अध्यक्ष को प्राप्त हुई है। जांच बैठ गई है, यदि सदन सहमत हो, तो इस चर्चा की मद को निरस्त कर दिया जाय।

डा0 दिनेश जौहरी--

नहीं मान्यवर, निरस्त न किया जाय।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बेनी प्रसाद जी, मैं समझता हूं कि, मैं कह लूं उसके बाद आप बोलें। मैंने यह कहा कि माननीय अध्यक्ष ने यह जानकारी मुझे दी जो मैंने आपको पहुंचा दी कि स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से जांच आयोग बैठाये जाने की सूचना प्राप्त हो गयी है और इस विषय पर 17 जुलाई को नियम 56 के अन्तर्गत काफी चर्चा हुई और उसके बाद 25 जुलाई को माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने प्रश्न पूछा और उसके माध्यम से काफी चर्चा हुई और काफी विस्तार से बात हुई। उसके बाद जांच आयोग भी बैठाया गया। अब जो डा0 चन्द्रप्रभा की अत्महत्या हुई और उससे पूर्व भी जो आत्महत्याएं हुई, उन पर काफी चर्चा हो चुकी है। 17 जुलाई को काफी चर्चा हुई, फिर प्रश्न के समय काफी चर्चा हुई और अब जांच आयोग बैठाये जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा प्राप्त हो गयी है। फिर आज की सूची काफी बड़ी है तो उस सूची को देखते हुये यह चर्चा निरस्त कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा --

मान्यवर, किंग जांच मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षा, उपचार और शोध के लिये एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से यहां के वरिष्ठ लोगों की मनमानी विशेष रूप से लेक्चरर्स की मनमानी की वजह से यहां पर गिरावट आई है। श्रीमन, खासतौर पर जो लेक्चरर्स हैं उनके उत्पीड़न की वजह से पिछले 10 वर्षों में कम से कम 8 आत्महत्याएं हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अभी चर्चा नहीं हो रही है। मैंने अभी सदन की अनुमति मांगी है, जो सूचना माननीय अध्यक्ष ने दी है, जो मैंने अभी पढ़ी है, उसके सिलसिले में आज की सूची को ध्यान में रखते हुए अच्छा हो कि आज यह चर्चा निरस्त कर दी जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

श्रीमन्, 6 जुलाई को डा0 चन्द्रप्रभा की आत्महत्या हुई। उसके पहले डा0 बी0 बी0 गर्ग ने पुलिस में बयान दिया कि दो दिन पहले डा0 सेठी के कमरे में डा0 चन्द्रप्रभा रो रही थीं और डा0 सेठी तैश में थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप चर्चा शुरू कर रहे हैं। मैं आपको माननीय अध्यक्ष की सूचना दे चुका हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह जानकारी दी है कि इस सिलसिले में जांच आयोग बैठा दिया गया है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि यदि यह सदन सहमत हो तो मद संख्या 38 पर होने वाली चर्चा को निरस्त कर दी जाय। इस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम्य विकास एंव पचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न माननीय राजेन्द्र गुप्त ने उठाया था, उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसी सदन को आश्वस्त किया था कि पिछले 10 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, उन प्रकरणों की न्यायिक जांच कराई जायेगी। उसके बाद मान्यवर, पुन: 25 जुलाई को भी इसी तरह का आश्वासन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया था। उसी आश्वासन के तहत 28 अगस्त को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया गया है शासन की ओर से, जिसके इलाहाबाद हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायधीश श्री हरिशचन्द्र त्रिपाठी अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जिस घटनाक्रम का जिक्र करना चाहते है मान्यवर, जांच आयोग गठित होने के बाद अगर इस पर चर्चा होती है तो उससे जो जांच आयोग निष्पक्ष जांच करेगा, वह प्रभावित हो सकता है। मैं आग्रह करूंगा कि जांच आयोग प्रभावित न हो, इसलिये इस पर चर्चा न करें, तो ज्यादा उचित होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, न्यायिक जांच आयोग की घोषणा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। मान्यवर, जब इस पर प्रश्न उठा था, तो चर्चा का दिन निर्धारित हुआ, आज एजेंडे में उसकी मद निश्चित हुई, कार्य मंत्रणा समिति से पास होकर यह आया। जब चर्चा शुरू हुई तब बतलाया गया कि इस पर चर्चा नहीं होगी। जांच आयोग के गठन की जो बात कही गयी है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन, मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि जो साक्ष्य हैं उनको मिटाया जा रहा है। डा0 सेठी ने 5-6 छात्रों को निलम्बित कर दिया है। डा0 अशोक यादव, जो वहां यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनको मजबूर किया गया कि वे अपना साक्ष्य पक्ष में दें। मान्यवर, वहां उत्पीड़न बढ़ गया है। पी0 ए0 सी0 लगाकर के व्यवस्था चलायी जा यही है। वहां शिक्षण व्यवस्था समाप्त हो गयी है। स्वास्थ्य मंत्री जी इन सब चीज़ों की जानकारी दें।

*श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, प्रस्तुत विषय पर आज की तारीख के लिये चर्चा मंजूर हुई थी, आज कुछ और बताया जा रहा है।

मान्यवर, एक लड़की ने आत्महत्या की वहां के विद्यार्थियों ने माननीय अध्यक्ष से मिलने का काम किया, चीफ़ मिनिस्टर से मिलने का काम किया, विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने का काम किया। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि मेडिकल कालेज पी0 ए0सी0 की छावनी में बदल गया है। डा0 सेठी के विरुद्ध आवाज उठाने का जो काम कर रहा है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। यही नहीं जानबूझकर, स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप है, बदमाश डाक्टर हैं, उनको यह अवसर देना चाहते हैं विलम्ब करके ताकि वह साक्ष्य मिटा सकें। जब जांच आयोग का गठन हो गया तो कागजात जब्त होने चाहिये। मान्यवर, जो नये प्रकरण उभरकर आये हैं, उन पर चर्चा होनी आवश्यक है। ताकि आज की बातें और आत्महत्या की बात सब पर चर्चा हो सके।

श्री अधिष्ठाता--

यह सदन की सहमति पर है। इस पर आधे घंटे की चर्चा की बात थी। लेकिन चूंकि जांच आयोग का गठन हो गया है, इसलिये माननीय अध्यक्ष ने यह जानकारी दी।

डा0 दिनेश जौहरी--

न्यायिक जांच हो रही है अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, अब वहां पर परिस्थितियां बदल गई हैं। डा0 अशोक कुमार यादव, जिन्होंने इस काण्ड के लिये आवाज उठाई थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल कालेज के स्टूडेन्ट फ़ेडरेशन और इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों ने इस बात की चेतावनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी है कि यदि इस काण्ड पर परदा डालने का काम किया गया तो पूरे प्रदेश में छात्र आन्दोलन फ़ैल जायेगा। इसलिये मान्यवर, इस बात पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री की जांच आयोग के गठन की घोषणा करने के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि जांच आयोग के गठन के बाद इसपर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

*श्री अधिष्ठाता--

यह नहीं कहा कि उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यदि सदन सहमत हो तो।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जांच आयोग के गठन के बाद आज विश्वविद्यालय में परिस्थितियां बदल गई हैं। जिन लड़कों ने और छात्र नेताओं ने इस काण्ड के संबंध में आवाज उठाई थी, उनका उत्पीड़न हो रहा है। डा0 अशोक कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। आज समूचा कालेज पी0 ए0 सी0 की बटालियन के आतंक में दबा दिया गया है। यह सब इसलिये किया गया है कि जो लोग इस काण्ड के गवाह थे और अपनी आवाज बुलन्द कर रहे थे, उनको पूरी तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है जबकि न्यायिक जांच में उत्पीड़न नहीं होना चाहिये। इस उत्पीड़न की प्रक्रिया से आज छात्रों में असंतोष और भय का वातावरण फ़ैल गया है। इसलिये इस पर चर्चा होनी चाहिये और ऐसे आतंक को वहां से हटाया जाना चाहिये जिससे न्यायिक जांच आसानी से चल सके और भी जो लोग दोषी पाये जांय उनको दण्ड दिया जा सके।

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर आशोक कुमार यादव पर तो यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है और न ही यह व्यवस्था का प्रश्न ही बनता है।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जांच आयोग गठन होने के बाद ही यह मामला कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष आया था। यह सही है कि यह सदन सर्वोपरि है। सदन जो निर्णय ले लेता है, सदन उसको बदल भी सकता है। कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष यह मामला आया और उसने चर्चा के लिये एक समय निर्धारित कर दिया और सदन से उसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया है। या तो कार्यमंत्रणा समिति को पहले ही यह समय निर्धारित नहीं करना चाहिये था कि इस पर जांच आयोग बैठ चुका है। चूंकि अब इसके लिये समय निर्धारित कर दिया गया है तो उस पर अब यह प्रश्न नहीं उठता कि सदन चाहे तो करे और सदन न चाहे तो न करे।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य मंत्रणा समिति ने मद संख्या 38 पर इसमें चर्चा करने के लिये समय निर्धारित कर दिया और सदन ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया तो फिर इसमें सदन की अनुज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मान्यवर, कहा गया कि जांच आयोग का गठन कर दिया गया है, परन्तु मेरी जानकारी में आया है कि अभी नोटीफ़िकेशन ही नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में अब एक ऐसा आयाम शुरू हुआ कि जिन छात्रों नें इस काण्ड के लिये आवाज उठाई, उनको विक्टिमाइज करके निलम्बित कर दिया गया है। पूरे मेडिकल कालेज में एक आतंक का वातावरण पैदा हो गया है ताकि जांच आयोग को कोई बयान न दे पाय। आयोग निष्पक्ष जांच कर सके और विश्वविद्यालय में एक शांति वातावरण बना रहे, इसके लिए वहां के प्रिंसिपल श्री सेठी को हटाया जाय और निलम्बित किया जाय और उनके जो समर्थक हैं, जो इस काण्ड पर परदा डालना चाहते हैं, उनको भी हटाया जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा अहित हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा। इतना दुर्भाग्यशाली काण्ड मेडिकल कालेज में हुआ, उस पर परदा न पड़े। पूरे मेडिकल कालेज के परिसर में बहुत ज्यादा असन्तोष की लहर फैली हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष की भी एक गरिमा है। जब अध्यक्ष ने आपको बताया है और सूचना दी है तो न्यायिक जांच का मतलब है कि वह पूरी परिस्थितियों को देखेंगे। मैं अपनी राय अभी भी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब आप अपनी व्यवस्था की पूरी बात रख लें तब मैं अपनी व्यवस्था दूं। एक घंटे की यह चर्चा थी और इस में 15-20 मिनट तो निकल गयी। जो सूचना थी मैंने उसको पढ़कर सुना दिया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी बता दिया और यह आश्वासन समिति में भी चला गया और नियम 56 के तहत जो सूचना डाक्टर चन्द्रप्रभा की आत्महत्या से जो मुताल्लिक थी वह कवर हो गयी। जो अन्य बातें उसके बाद की हैं वह तो यहां उठाई नहीं जा सकती हैं। चर्चा तो डाक्टर चन्द्रप्रभा की आत्महत्या के सम्बन्ध में थी जो माननीय बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा लाई गई थी।

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, आज सदन उठ रहा है। अब 3 महीने के बाद सदन बैठेगा तब तक उन छात्रों का क्या होगा इस लिये आप इस पर 15 मिनट की चर्चा करवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

यदि सब माननीय सदस्य इस पर सहमत हों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह राय अगर सदन की है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा हो तो मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा हो जाय।

श्री हुकुम सिंह--

जो और प्रस्ताव है, पहले उनको ले लें, इसको बाद में ले लेंगे। जो आइटम पास आन हो गया था, वह तो एक मिनट का काम है, पहले उसको ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

यह विधेयक है, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने अपनी अनुमति दी है इसलिये पहले उसको ही ले लें।

[समय 6 बजकर 07 मिनट]

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन को प्रस्तुत करें। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:--

1--श्रीमती अशरफ इमाम
2--श्री किशन सिंह तड़ागी
3--डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल
4--श्री केशरी प्रसाद
5--श्री जयदीप सिंह बरार

†दिनांक 11 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

6--श्री देवेन्द्र पाण्डेय

7--कैप्टन बलदेव सिंह

8--श्री मोहम्मद असलम खां

9--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय

10--श्री राम औतार दीक्षित

11--श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र

12--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी

13--श्री माता प्रसाद पाण्डेय

14--श्रीमती सरोज वर्मा

15--श्री रघुवर दयाल वर्मा

16--श्री राजेन्द्र गुप्त

17--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह तथा

18--श्री शेर बहादुर सिंह ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन इस प्रस्ताव से कि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

किंग जार्ज मेडिकल कालेज की छात्रा डाक्टर चन्द्र प्रभा द्वारा आत्महत्या की चर्चा को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जांच आयोग बैठाने पर स्थगित किये जाने के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता--

मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यह मद संख्या 38 के सम्बन्ध में जो आधे घंटे की चर्चा का प्रस्ताव आया है, इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

सारी बातें और जिस परिप्रेक्ष्य में पृष्ठ-भूमि में बात की गयी है, माननीय अध्यक्ष जी का भी सुझाव है और परम्परा है कि उनका सुझाव स्वीकार होता है, मैं भी आग्रह करता हूं सुझाव स्वीकार कर लिया जाय और चर्चा को न कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अध्यक्ष जी के सुझाव को प्रस्तुत कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

इसको कार्य मंत्रणा समिति ने तय कर दिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इतना ही कहलवा दें कि पी0 ए0 सी0 को हटा देंगे और प्रिन्सिपल सेठी को भी हटा देंगे, तो चर्चा की कोई जरुरत ही नहीं है । यह पूरे प्रदेश के लिये देश के लिये महत्वपूर्ण विषय है ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है हम नहीं चाहते हैं सदन में चर्चा हो ताकि आयोग की जांच हो सके । इससे मैं सहमत हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसमें जो जांच शुरू होने वाली है । इसके बाद वगैर किसी कारण के जो जांच उठाने वाले लोग हैं जैसे अशोक यादव हैं, जिनको निलम्बित कर दिया गया है, जब तक जांच चल रही है तब तक अशोक यादव के समान किसी को निलम्बित न किया जाय और उनका निलम्बन वापस लिया जाय । इसके चर्चा की जरुरत ही नहीं रह जायगी ।

श्री मित्रसेन---

न्यायिक जांच के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन यह जांच निष्पक्ष हो जायगी, यदि प्रिन्सिपल, जिनकी वजह से उत्पीड़ित हो रहा है, उनको हटा दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता---

यह चर्चा डाक्टर चन्द्र प्रभा की आत्म-हत्या के बारे में है, जो अलग से कोई बात आयी है, वह चर्चा का विषय ही नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह--

यह जो न्यायिक जांच की बात रखी, कई बार माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, उसके बाद ही कहा गया कि जांच आयोग बैठाया जाय। जो आपने कहा है कि जांच प्रभावित न हो, इससे मैं सहमत हूं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं होगा जिससे जांच आयोग प्रभावित हो, जांच के दौरान जो सुझाव आयेंगे उस पर अमल किया जायेगा।

(व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी--

सरकार इस पर पर्दा डाल रही है।

श्री अधिष्ठाता--

डा0 जौहरी आप बैठें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

जुडीशियल कमेटी जांच के लिये गठित कर दी है इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है लेकिन जिन परिस्थितियों में डाक्टर चन्द्र प्रभा ने आत्महत्या की है तो साक्ष्य को आतंकित और भयभीत किया जा रहा है इसलिये सन्देह है कि जांच निष्पक्ष हो भी पावेगी या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कह दिया है कि जांच प्रभावित नहीं होने पावेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, आपही सुनिश्चित करें कि साक्ष्य को दबाने, आतंकित करने का काम न किया जाय, तभी तो गाड़ी आगे जा सकती है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह जो डाक्टर चन्द्र प्रभा का मामला है इसमें पैरवी कर रहे थे डाक्टर अशोक यादव जिसे निलम्बित कर दिया गया है। यहां कोई भी डाक्टर निष्पक्ष रूप से बयान नहीं दे सकता है क्योंकि सभी डरते हैं कि जैसे डाक्टर अशोक यादव के साथ हुआ है वैसे ही हमारे साथ हो सकता है। वह एम0 बी0 बी0 एस0 कर चुका है और गलत सस्पेन्ड हुआ है, प्रिंसिपल ने सस्पेन्ड किया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

डाक्टर अशोक यादव का निलम्बन वापस लें लें तो हम चर्चा नहीं करेंगे।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मुझे आप आधा मिनट सुन लें। स्थिति यह है कि डाक्टर चन्द्र प्रभा आत्महत्या काण्ड को जांच आयोग के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन इस प्रकरण को उठाने वाला नेता डाक्टर अशोक यादव था जो मुख्य मंत्री के यहां लोगों को प्रदर्शन करने के लिये ले गया। जब जांच के आदेश हो गये हैं तो उसको सुनिश्चित तरीके से विफल करने के लिये उसे सस्पेन्ड कर दिया गया। डाक्टर अशोक यादव का सस्पेन्शन वापस हो दूसरे प्रिन्सिपल जो वहां बैठा हुआ है, जांच निष्पक्ष हो सके इसके लिये वातावरण बनाना पड़ेगा, इसलिये प्रिन्सिपल को वहां से हटाया जाय अन्यथा जांच प्रभावित होगी और ऐसी जांच से कोई नतीजा नहीं निलकने वाला है।

श्री हुकुम सिंह--

शायद मैं अपनी बात को आप तक अच्छी तरह से नहीं बतला पाया कि जांच आयोग की जांच निष्पक्ष हो इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। माननीय शाही जी एक उभरते हुए सदस्य हैं और वकील भी हैं। आप वकील होने के नाते खुद ही देखें कि हम जांच आयोग बनाने के बाद इस बीच में कोई और कार्यवाही करने लगे यह हमको शोभा नहीं देता है। जांच आयोग के परिणाम का परीक्षण करके देखा जायेगा, पहले उसकी रिपोर्ट आ जाने दें उसके बाद दूसरी बात देखी जायेगी

(मद संख्या 39 पुकारे जानेपर)

(व्यवधान)

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चल गये)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 दिनेश चौहरी--

आप इस पर चर्चा करायें, नहीं तो हम सदन छोड़कर जाते हैं।

(डा0 दिनेश जौहरी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

अशोक यादव से सम्बन्धित पत्रावली को मंगाकर देख लें, यदि ज्यादती हुई है तो उसको बहाल करें यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम वाक आट करेंगे। मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री सूर्य प्रताप शाही भी सदन त्याग कर चलेगये)

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं भी इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(श्री देव कुमार यादव भी सदन त्याग कर चले गये तथा श्री अशोक बाजपेयी और श्री फजलुल बारी के अतिरिक्त सभी विरोध पक्ष के सदस्य भी सदन से उठकर चले गये)

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

हरदोई तथा बाराबंकी में गन्ना मिलों पर किसानों का बकाया तथा बाराबंकी चीनी मिलपर श्रमिकों के बकाये के सम्बन्ध में चर्चा

श्री अशोक बाजपेई--

मान्यवर, हरदोई के गन्ना किसानों का 3 करोड़ से ज्यादा रुपया गन्ना फैक्टरी पर बकाया है, वहां के गन्ना किसानों की स्थिति दयनीय है। मान्यवर, जो मौजूदा सरकार है, वह किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, उसमें किसानों के दर्द को समझने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर किसानों क लिये दर्द होता, तो आज गरीब लोगों का करोड़ों रुपया बकाया न होता। वहां की चीनी मिल का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, अब सारा बकाया सरकार पर है। अगर किसान के ऊपर कोई बकाया होता है तो उनको जानवरों की तरह तहसील में पकड़ कर बन्द कर दिया जाता, है और तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है लेकिन गरीब किसान का करोड़ो रुपया मिल पर बकाया है। इस प्रश्न को हम लगातार सदन में उठाते चले आ रहे हैं। किसानों ने सड़क पर निकल कर मांग की है कि उनके गन्ने के पैसे का भुगतान किया जाये। हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों की दुर्दशा है। किसानों को उनके कृषि उत्पादन का सही मूल्य नहीं दिलाया जाता है, जो उनको न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिये उसको नजरन्दाज किया गया और वह भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी रोज़ीरोटी कैसे चलेगी, उनका घर कैसे चलेगा। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस विषय की महत्ता को देखते हुये, आप एक महीने के अन्दर हरदोई के किसानों का जो रुपया बकाया है उसका भुगतान करा दिया जाये, लेकिन मा0 मंत्री जी ने कोई उदारता का परिचय नहीं दिया है और न उनके बकाया रुपये के भुगतान का कोई प्रयास ही हुआ है प्रदेश के तमाम निगम करोड़ों रुपये के घाटे पर हैं और उनको यह सरकार स्वीकार करती है, परन्तु 3 करोड़ रुपये के भुगतान को यह सरकार नहीं कर पा रही है।

मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार पर दबाव डाल कर 3 करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान करायें। 1984-85 में 28 लाख रुपये का बकाया है। हरदोई के गन्ना किसानों का तिलहर सहकारी मिल पर बकाया है। गन्ना मिल के श्रमिकों को 15 लाख रुपया वेतन के रूप में बकाया है। वहां का किसान पीड़ित है और उनको जीवन यापन में कठिनाई हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप इसके भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि सत्रावसान के बाद गन्ना किसानों को जो उनका बकाया है, वह भुगतान कर दिया जाये।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, बाराबंकी चीनी मिल पर 52 लाख रुपया किसानों का बकाया है, यह 1984-85 का है और इससे पहले का भी बकाया है। यह जो रुपया बकाया है वह कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण बकाया है। टैगिंग का उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे थे। पहले यह तय हुआ कि 85 परसेंट पैसा दिया जायेगा फिर हुआ कि 75 परसेंट दिया जायेगा, फ़िर 60 परसेंट हुआ तो जो मिनिमम है, अगर वहीं दिया जाता तो 4.5 लाख रुपया बाकी होता, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। उस कमी का फ़ायदा उठाकर के कोआपरेटिव बैंक जहां से उस मिल का लेनदेन होता था, उसका पुराना कर्ज़ा था उसके पुराने कर्ज़े से किसान का पैसा 52 लाख रुपया काट लिया। जो कानून बना हुआ है टैगिंग के बाद कोई बैंक या चाहे मिल मालिक अपने खर्चे में नहीं जा सकता है। यहां अधिकारियों की कमी से 52 लाख रुपया ले लिया बैंक ने अपने कर्ज़े में। नतीजा यह हुआ कि आज तक 52 लाख रुपया बाकी है। माननीय मंत्री जी गौर नहीं कर रहे है क्योंकि उनका विभाग है अगर आप जरा भी किसानों के हमदर्द होते तो इस बात को जरूर सुनते क्योंकि आपके अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी से वहां किसान भूखों मरने की स्थिति में है।

सरकारी चीनी मिल में 52 लाख में से किसी का 10 हजार रुपया बकाया है किसी का 5 हजार, किसी का 2 हजार, किसी का 1 हजार बकाया है। बहुत से ऐसे किसान है जिनके देय बाकी है, लगान बाकी है, सिचाई का बाकी है और जिसके कारण उनको जेलों में बन्द होना पड़ रहा है। आज 100 किसान ऐसे बन्द है जिनका चीनी मिल में पैसा बाकी है। यह कहां का न्याय है। उन अधिकारियों की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके खिलाफ़ आज तक आपके विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह शुगर केन सप्लाई ने लिखा हुआ है कि गन्ना किसान का जो पैसा फ़िक्सड् किया जाता है वह पैसा खर्चा नहीं किया जाता।

हम सवाल कर रहें है बहस कर रहे है लेकिन आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहें है। अगर सरकार का डर होता तो अधिकारी इस तरह का काम करने की हिम्मत न करते। इसलिए माननीय मंत्री जी आप सख्त कार्यवाही करें जिनकी लिखा पढ़ी की कमी होने की वजह से पैसा बाकी रहा। और दूसरी सरकारी नीति है कि सरकार से ऋण लेकर यह व्यवस्था भी होती रही। मैं सरकार में रहा हूं यह मुहकमा भी मेरे पास रहा है। मेरे समय में 65 लाख बाकी था लेकिन एक वर्ष के अन्दर सभी किसानों का यह पैसा दे दिया गया। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि गन्ना किसानों की जैसी दयनीय दशा किसी दूसरे वर्ग की नहीं है। और वह हमारा सिर ऊंचा करने वाला औद्योगिक वर्ग है। श्रीमन्, आप सन् 52 के आंकड़े ले लीजिये। चूंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिये मैं ज्यादा उल्लेख उसका नहीं करूंगा। हमारा प्रदेश जितना चीनी प्रधान है, यहां पर जितनी चीनी पैदा होती है उतनी चीनी पूरे देश में पैदा होती थी। यानी आधी से ज्यादा-चीनी हमारे प्रदेश में पैदा होती थी। महाराष्ट्र हमसे पीछे था लेकिन चीनी के क्षेत्र में वह आगे हो गया। इस पर आपको विचार करना चाहिये। इसका कारण यह है कि किसानों को समय पर उचित गन्ने का मूल्य नहीं मिलता है। अगर आप किसानों को समय पर उनके गन्ने का मूल्य दे दें तो किसान यहां पर इतना गन्ना पैदा कर सकता है कि वह दुनियां में हमारा सिर ऊंचा कर सकता है।

दूसरी एक और मिसाल देना चाहता हूं। हमारे जिले में एक चीनी मिल है बुढ़वल चीनी मिल। उस पर किसानों का 32 लाख रुपया बकाया है। उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने टेक-ओवर कर लिया है। शुगर कारपोरेशन उसको दे रहा है। लेकिन उस मिल के कर्मचारियों का पैरा जो बोनस का है, प्रोविडेन्ट फ़न्ड का है, सेलरी का, ग्रेच्युटी का बकाया है वह नहीं दिया गया है। 32 लाख श्रमिकों का बकाया है। कहीं और किसी मिल में इतना पैसा बाकी नहीं होगा। उसके कुछ लोग रिटायर हो गये, कुछ मजदूर मर गये लेकिन ग्रेच्युटी, बोनस का पैसा आज तक उनको नहीं मिला थोड़े दिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने सेलेरी का 14 लाख रुपया उनका दिया था। लेकिन आज वह 32 लाख हो गया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी, एक घंटे की इस पर चर्चा है . . .

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरा यही कहना है कि जो 32 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है वह सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसको दिला दिया जाय और गन्ने का मूल्य किसानों को दिला दिया जाय।

श्री फरीद महफूज़ किदवई--

मान्यवर, मैं बुढ़वल चीनी मिल के बारे में कहना चाहूंगा। वह मेरे क्षेत्र में पड़ती है। वह 1969-79 के दौरान में रिसीवरशिप के अन्डर में आ गई थी और इन 10 सालों में जो श्रमिक रिटायर हो येंगे। उनका आज-तक पैसा नहीं मिला है। जैसा कि माननीय वर्मा जी ने बताया श्रमिकों का 32 लाख रुपया बकाया है उनके प्रोविडेन्ट फन्ड का, सी0टी0 फन्ड का, ओवर टाइम का, रिटर्निंग एलाउन्स का है। मान्यवर, लोक सभा के इलेक्शन में जब मुख्य मंत्री जी राम नगर क्षेत्र में गये थे तो वहां के लोगों ने सबसे पहला सवाल यही किया था और उसके समबन्ध में उन्होंने वादा किया था कि हम 6 महीने के अन्दर पैसा श्रमिकों को दिला देंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि अभी 15 दिन हुये जरवल चीनी मिल है जिसका सी0डी0एस0 पैसे का भुगतान कर दिया गया है लेकिन इस बुढ़वल चीनी मिल के श्रमिकों के बकाये का भुगतान नहीं किया गया। रिसीवरशिप ने जो गवर्नमेंट के ड्यूज थे, बिजली का, किसानों का टैक्स का बैंक का आदि का जो बकाया था वह गवर्नमेंट ने दे दिया लेकिन श्रमिकों का पैसा नहीं दिया सवाल यह है कि यह हमारी सोसाइटी का सबसे कमजोरी वर्ग है। मैं वहां का विधायक हूं। वहां के लोग मेरे पास आते रहते हैं। बहुत से लोग मर चुके हैं, उनकी विधवायें मेरे पास आती हैं और कहती है कि 10 साल का पैसा हमारा बाकी है, दिलादिया जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे बतायें कि 10 साल का पैसा रिसीवरशिप के दौरान का जब गवर्नमेंट के अन्डर में था, यह पैसा क्यों रोका गया है, उनकी क्या खता है। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी बतायें कि यह पैसा देंगे या देने का इरादा नहीं है। वहां से प्रधान मंत्री के पास भी खत गये है, उनकी प्रतियां मेरे पास है। मुख्य मंत्री जी ने लोक सभा और विधान सभा के इलेक्शन्स में उन लोगों को आश्वासन भी दिया था दोनों व्यक्तियों ने उन लोगों से कहा था कि हम 6 महीने के अन्दर यह पैसा दिला देंगे, लेकिन आजतक वह पैसा नहीं दिलाया गया। यह बड़े अफसोस की बात है कि श्रमिकों का पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि वहां पर एक उत्तेजना पैदा हो गई है। बहुत जल्दी वहां पर स्ट्राइक हो जायेगी और मेरा ख्याल है कि श्रमिक लोग आर्गनाइज हो रहे हैं और यह भय पैदा हो गया है कि जो क्रेशिंग सीजन आ रहा है उसको वे चलने नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि जो वह सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। आपकी सरकार कान में तेल डाले हुये बैठी है, 10 साल से श्रमिक का, पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतायें कि उनका यह पैसा कब तक दे दिया जायेगा।

*श्री राम औतार दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुर्भाग्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

से मैं हरदोई जनपद से आता हूं। वहां कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हरदोई जनपद के किसानों के लिए केवल एक इंडस्ट्री जो कि शुगर इंडस्ट्री है उसी को वह मान कर जी रहा है। पिछले 3 वर्षों से वहां के किसानों का करोड़ों रुपया उस मिल पर बकाया है जिसका सरकार ने भी अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन जब किसानों का पैसा सरकार पर बकाया रहता है तो पूरी जोर जबरदस्ती से सरकार सौ दो सौ रुपये के लिए भी वसूली कर लेती है लेकिन जब 3 करोड़ रुपया किसान का बकाया है तो उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इससे हरदोई का किसान बड़ा दुःखी है, बड़ा परेशान है। इस रुपये के न मिलने की वजह से उसकी सारी कार्यप्रणाली में बाधा आ गयी है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनका पैसा दिलाने की व्यवस्था की जाय ताकि किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और जो उसके ऊपर सरकारी वसूली है उसको वह दे सके और उसके साथ-साथ वह उसे पैसा का अपने जीवन-यापन में सदुपयोग कर सके।

पिछले वर्ष हरदोई से गन्ना तिलहर शुगर मिल में गया था वहां से भी उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ है। इससे हम लोगों के सामने आये दिन समस्या पैदा होती है। मैं इसलिए अनुरोध करूंगा कि जो किसानों का पैसा चीनी मिलों पर बकाया है उसे दिलाने की व्यवस्था करें। इससे हम लोगों की दयनीय स्थिति हो जाती है और हमारे सामने सिवाय इसके कि हम लोग आपके माध्यम से सदन में मामला उठा कर मंत्री जी से अनुरोध करें और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। वहां के किसानों का शोषण हो रहा है और उसका पैसा न मिलने की वजह से वह परेशान हो रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि लगभग 3 करोड़ रुपया किसानों का हरदोई शुगर मिल के ऊपर बकाया पड़ा है। हरदोई के किसान के लिए गन्ने के अलावा कोई दूसरी कैश क्राप नहीं है। केवल एक गन्ना ही है जिसको बेच कर वह तमाम अपने जीवन की जो रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हैं उनको खरीदता है। आप मान्यवर, स्वयं अनुभव करेंगे कि इतनी बड़ी रकम जब वहां के किसानों का मिल पर बकाया होगी तो वह अपना काम कैसे चला पायेंगे। लेकिन सरकार किंचितमात्र भी चिंतित नहीं है, किंचित मात्र भी सजग नहीं है और न ही वह पैसा किसानों को दिलाने की कोई व्यवस्था की जा रही है। जब वहां के किसान सिवा इसके कि अब सरकार से हम जनप्रतिनिधि के माध्यम से अनुरोध कराये और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इसके साथ ही साथ हरदोई में दूसरी कैश क्राप मूंगफली की थी लेकिन दुर्भाग्य से मूंगफली की पैदावार हरदोई से समूल नष्ट हो गयी है। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश से मूंगफली की पैदावार नष्ट हो गयी है। और अब केवल गन्ने की ही कैश क्राप रह गयी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस गन्ने की बकाया धनराशि को शीघ्र दिलाने की व्यवस्था कराई जाये जिससे हरदोई जनपद में किसान राहत की सांस लेकर अपनी जिंदगी बिता सके।

*श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरे मुजफ्फरनगर जनपद में मंसूरपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों द्वारा अनशन किया जा रहा है चूंकि वर्ष 1984-85के गन्ने का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। 28 अगस्त से धरना और क्रमिक अनशन चल रहा है लेकिन जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। हमारे जनपद से दो मंत्री हैं। एक संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह के क्षेत्र की चीनी मिल का भुगतान कर दिया गया है, मेरे क्षेत्र की चीनी मिल का भी भुगतान हो गया है लेकिन सहकारिता मंत्री के क्षेत्र की चीनी मिल मंसूरपुर का भुगतान नहीं हो पाया है जिसमें जिला प्रशासन व सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। चीनी मिलों ने चीनी मूल्य से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने बैंक के ओवरड्राफ्ट क्लियर कर दिया है चूंकि ज्यादा ब्याज उनको न देना पड़े। ऐसी हालत में जबकि वहां एक तारीख से अनशन और भूख हड़ताल पर किसान बैठे हैं फिर भी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गन्ने की फसल तबाह हो गयी है। फर्जी दवाइयां छिड़का कर दूसरा बोझा किसानों पर लाद दिया गया है। अब वह किसान बाजार से दवाईयां ले नहीं सकता है चूंकि उसके पास पैसा नहीं है और आगे भी वह फसल पैसे के अभाव में नहीं बो पायेगा। इसलिये हमारी सरकार से मांग है कि एक तो तुरन्त किसानों के अनशन को समाप्त करने के लिये तत्काल भुगतान कराने की व्यवस्था करे और किसानों का जो 54 लाख रुपया बकाया है उसको भुगतान कराये।

मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हमारी फैक्टरी मंसूरपुर जो समय से पेमेन्ट किसानों को नहीं करती है इसलिये हमारे गन्ने का क्षेत्र उसे न दिया जाये बल्कि हमारे बराबर की जो मिल दौराला और मवाना है जो प्रति वर्ष तराई क्षेत्र से गन्ना मंगाती है चूंकि हम उनके नजदीक है, इसलिये हमारा गन्ना क्षेत्र उन मिलों से जोड़ दिया जाय। इसी के साथ मेरा यह भी अनुरोध है कि हमारे बकाय का भुगतान तुरन्त कराया जाये। अंत में मेरा यह भी अनुरोध है कि जिला लोकदल के कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री श्याम सिंह के द्वारा शुरू की गयी हड़ताल को समाप्त कराया जाय।

*श्री हरदेव----

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां किसान सहकारी चीनी मिल रसड़ा पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है और वहां के किसानों का 25 लाख रुपया बकाया है। मैं जब अपने वहां जाता हूं तो किसानों द्वारा मेरा घेराव किया जाता है तो मैं कहता हूं कि भुगतान का प्रबंध किया जा रहा है। मान्यवर, पैसा बकाया होने से हमारी मिल बंद होने की स्थिति में है। इस साल बकाया न मिलने से गन्ना हमारे यहां कम है, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो चीनी मिल है उसके विकास और पुनर्गठन के लिये प्रदेश सरकार भारत सरकार से और स्वयं धन उपलब्ध कराये ताकि 25 लाख रुपया जो बकाया है उसका तत्काल भुगतान किया जा सके। इसलिये आपसे प्रार्थना करूंगा कि सरकार तत्काल व्यवस्था कराकर उनको बकाया दिलाने की व्यवस्था करें।

*श्री रामसागर--

मान्यवर, आज बाराबंकी जनपद के गन्ना किसानों के बकाये के बारे में जो चर्चा चल रही है, यह सूचना आज से 10 दिन पूर्व आपके माध्यम से सदन को दी गई थी। यह उस समय सूचना दी गई थी, जब कि किसान इस बकाये के कारण अपने लड़कियों की शादी नहीं कर पाया, उनके गन्ने की फसलों की सिंचाई नहीं हो सकी और वह अपने खेतों में खाद नहीं डाल पाया और सरकारी देयों को लेकर गन्ना किसानों को जबरन पकड़कर जेलों में बन्द किया गया। इस समस्या से परेशान होकर गन्ना किसानों के प्रतिनिधि बकाये को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। यही नहीं उन्हें आत्मदाह तक करने की घोषणा करनी पड़ी। इस गम्भीर सूचना को जिस दिन दिया गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि जो बाराबंकी के किसानों का बकाया है, हम उस अविलम्ब अदा करा देंगे। अच्छा यह होता कि आज जब इसकी चर्चा होनी थी उसका भुगतान करा देते।

लेकिन चाहे जितना गन्ना किसानों के बारे में उनके समस्याओं के बारे में, बकाये और उत्पीड़न के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया जाए, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। आज सदन खत्म हो रहा है, 10 दिन पूर्व आया था कि हम बकाया दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है इन पर चाहे कोई कितना दबाव डाले उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से उम्मीद है, अतः वह चर्चा के अन्त में पुनः आश्वासन दें कि वह बाराबंकी के किसानों को तुरन्त भुगतान कराने जा रहे हैं या नही जा रहे हैं।

*श्री राम सरन--

मान्यवर, इसमें कई जिलों का जिक्र हुआ मैं सहारनपुर का हूं, मेरे जिले में दो मिलें है, जिन पर बहुत ज्यादा बकाया है। एक तो इकबालपुर शुगर मिल है जिस पर किसानों का एक करोड़ 2 लाख और दूसरी देवबन्द शुगर फैक्ट्री पर किसानों का 6 7 लाख रुपया बकाया है। केवल मेरे जिले की दो मिलों पर करीब पौने दो करोड़ का बकाया है और पूरे प्रदेश भर का तो बहुत ज्यादा है जैसा रिछारिया साहब ने उसे 18 करोड़ बताया है। जो बातें इस संबध में हमारे साथियों ने बताई है, वही करीब सब जगह है। यह दोनों मिलें निजी क्षेत्र की है आप इनका कुछ प्रबन्ध करिये और उनका रुपया दिलाया जाए। देवबन्द फैक्ट्री का जो जनरल मैनेजर है, खालिस्तान मूवमेंट जो दुनिया के किसी तख्ते पर चल रहा है, उसको भी लाखों रुपया इस आदमी ने चन्दा दिया है। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं। जो खालिस्तान आन्दोलन ऐसे राष्ट्रद्रोही और घृणित काम के लिए पैसा दे रहा है वह गन्ना किसानों का वाजिब पैसा नहीं दे रहा है। शिवनाथ सिंह जी हमारे पड़ोस में रहने वाले है, यह गन्ने की पालिटिक्स करते हैं और मैं भी करता हूं हम एक दूसरे को जानते हैं। मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप गन्ने का रुपया नही दिलवायेंगे तो किसान की दुर्दशा होगी और आपके चेहरे पर कालिख लगेगी। आप किसान को बचा सकते है तो पैसा देकर बचायें।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी--

मान्यवर, सभी जानते हैं कि यह देश और प्रदेश खेती पर निर्भर करता है। किसान मई और जून के महीने में मेहनत और परेशानी से मय बीबी बच्चों के खेती का काम करता है और गन्ने की गुड़ाई और निराई करता है और मिल मालिक, बड़े लोग, अधिकारीगण एयरकंडीशनिंग में बैठते हैं फिर भी वह भुगतान के लिए मारा मारा फिरता है उसको उसका पैसा नहीं मिलता। गन्ने की खेती किसान की कैश क्राप है। किसान के बच्चों की पढ़ाई, दवाई और बेटी की शादी तक के लिये भी जब पैसा नहीं मिलता यह बड़े दुख की बात है। अगर किसी मजदूर को एक दिन की मजदूरी न मिले या किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी तनख्वाह न मिले तो देखिये, उसकी क्या हालत होती है। मेरे क्षेत्र सरधना में सखौती सहकारी मिल है। उस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपया किसानों का बकाया है। बार बार कहने के बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा है और किसान परेशान है। उसके मिल के आसपास के जितने किसान हैं वह पिछड़े वर्ग के है जिनको अपना गुजर करना मुश्किल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनका भुगतान तत्काल कराया जाय।

श्री अफसर यू अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने का हुक्म दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बाराबंकी और हरदोई की गन्ना मिलों पर जो श्रमिकों का और किसानों का बकाया है उसका भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं बस्ती जनपद से चुनकर आता हूं वह एक पिछड़ा जनपद है और वहां पर कोई उद्योग धंधा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे यहां के लोग खप सकें। मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि बस्ती में वाल्टर गंज, खलीलाबाद चीनी मिलें जो हैं उनके मालिक इन चीनी मिलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वहां के मजदूर बेरोजगार हो जायंगे और उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो जायगा और उनके बच्चे भूखों मरने लगेंगे। वहां के श्रमिक और कर्मचारियों ने बस्ती जनपद के मुख्यालय पर प्रदर्शन

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था और वहां के जन प्रतिनिधियों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह मिलें बंद नहीं करायी जायेंगी ।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर यह मिलें बंद करायी गयीं तो वहां के मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी और उनके बच्चे बेघरबार हो जायंगे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जायगी । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मिलों को बन्द न किया जाय और यदि किसी कारणवश मिल मालिक मिलें चलाने के लिये सक्षम नहीं है तो सरकार इन मिलों का अधिग्रहण करके मिलों को चलाने में योगदान दे । इन मिलों को किसी तरह से बंद न कराया जाय । वरना जन आन्दोलन शुरू हो जायगा तथा स्थिति बड़ी खराब हो सकती है । इसके साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेंहदावल में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना की जाय।

धन्यवाद ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आभारी हूं । उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान सबसे ज्यादा बदतर हालत में है । किसान की जो हालत है वह आपके सामने है । एक वर्ष बीतने के बाद भी 18 करोड़ 26 लाख रुपया बाकी है फैक्टरियों के ऊपर ।

(इस समय 6 बजकर 53 मिनट पर पुन: श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।) (मेजों की थपथपाहट)

गन्ने की फसल उगाने में लागत के हिसाब से सबसे ज्यादा लागत गन्ने पर पड़ती है ।

श्री राम सरन--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को कायदे से बैठना चाहिए। माननीया विद्युत राज्य मंत्री श्रीमती सुखदा मिश्रा, ये दोनों तोता-मैना की तरह पता नहीं क्या बात किया करते हैं । हमें भी देख लिया करो जरा ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

गौर फरमायें, इस उम्र में क्या हाल है, जवानी में क्या हाल रहा होगा आपका ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी---

(व्यवधान) माननीय राम सरन जी ने जो बात कही है, उसका कुछ और मतलब नहीं है, उनकी सिवाय यह हसद है कि वह वहांसे कुछ बोल देते हैं । अगर आपका मन चाहता है, तो आप इधर तशरीफ ले आइये ।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जवानी आई है ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

साधारणत: आपकी नजर तो इधर रहती है आज बेवफाई करके आपकी नजर उधर क्यों जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित--

मान्यवर, नेता विरोधी दल बैठे हुए हैं, कम से कम इस चर्चा को तो समाप्त ही कर दीजिए ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

उत्तर प्रदेश में किसान की स्थिति सबसे बदतर है, उसमें गन्ना किसानों की अत्यन्त ही शोचनीय है। प्रदेश में उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है । यह इसलिए हो गयी है कि सरकार गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में कोई प्रयास नहीं करती । गन्ना किसान को गन्ना की फसल उगाने में सर्वाधिक व्यय करना पड़ता है । एक वर्ष पहले सबसे ज्यादा बीज पर खर्च करना पड़ता है । एक एकड़ में 20 कुंतल बीज लगता है जिसकी कीमत 400 रुपये से अधिक हो जाती है । सबसे ज्यादा खाद लगती है, पानी की दर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके लिए मंहगी है। किसान एक वर्ष पहले खेत में गन्ना बोता है दूसरे वर्ष गिराता है और तीसरा वर्ष बीत रहा है उसके गन्ने के दाम का भुगतान आज तक नहीं हुआ। यह कितना खेद का विषय है, इस विषय में विशेष चिन्ता सरकार को करनी चाहिये, उसके गन्ने का दाम गिराये हुए वर्ष के भीतर ही हो जाय, इसके लिए कानून भी है कि 15 दिनो के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान फैक्ट्री कर दे किन्तु सरकार की ढिलाई के कारण यह भुगतान हो नहीं पाता। सरकार को सिर्फ मिल मालिकों से चन्दे का भुगतान दिखाई देता है। इसलिए उस पर वह कड़ाई नहीं करता।

इसलिए मेरा निवेदन है कि देवरिया जिले में सबसे ज्यादा बकाया साढ़े तीन करोड़ रुपया है। पडरौना शुगर फैक्टरी, पटकुईयां गौरी बाजार, सरदार नगर, भटनी शुगर फैक्टरी जो चीनी निगम की है, उस पर भी 10 लाख से अधिक का बकाया है। कसिया कैन यूनियन और हाटा कैन यूनियन से सम्बद्ध किसानों का सरदार नगर शुगर फैक्ट्री पर पचासों लाख से अधिक का बकाया है। देवरिया के कलेक्टर द्वारा बार बार लिखे जाने के बावजूद भी वह किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रहा है। वह सरदार माननीय सिंचाई मंत्री की छत्रछाया में है। इनका संरक्षण पाकर वह गन्ना किसानों का शोषण कर रहा है। उसका एक सब सेंटर हैतिमपुर में है, जहां से वह रेलवे द्वारा गन्ने की ढुलाई करता है। वहां के मजदूरों को गन्ना लादने की मजदूरी आज तक भुगतान नहीं किया है, जब कि सरकार मजदूरों के लिए रोजगार के दिवस सृजित करती है और वह उनके साथ शोषण करता है सीजन में मजदूरों का दैनिक शोषण करता है। जैसा माननीय राम सरन दास जी ने बताया, ठीक वैसा ही खालिस्तानी आचरण सरैया शुगर मिल के मालिक का है।

मान्यवर, गन्ना नीति के संबंध में उत्तर प्रदेश में भारी अनियमितता है। पश्चिम में गन्ना किसानों को उसी गन्ने का दाम 22 रु0 प्रति कुंतल दिया जाता है और पूरब में किसानों को 1 रु0 कम यानी 21 रु0 कुंतल दिया जाता है। इस प्रकार से पूरब के किसानों का एक रुपया कुंतल सरकार की अदूरदर्शी नीतियों की वजह से बट्टे खाते में चला जाता है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि इस असमानता को खत्म करें। प्रदेश में एक गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए शासन को निर्देशित करें। मान्यवर, एक दूसरी अनियमितता की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गन्ने की ढुलाई की दरों में भी भारी अनियमितता है। चीनी निगम की मिलें, सहकारी मिलें, कस्टोडियन की मिलें, प्रति कुंतल 50 पैसे की दर से ढुलाई करती हैं, जब कि प्राइवेट चीनी मिलें डेढ़ रु0 प्रति कुंतल के हिसाब से मनमाने ढंग से तीन वर्षों से ढुलाई की दर गन्ना किसानों के मूल्य से काट ले रहे हैं। इस संबंध में शासन से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की है। गन्ना किसानों का यह ढुलाई की दर का मामला तीन वर्षों से शासन के पास विचाराधीन है और करोड़ों रुपया मिल मालिकों ने गन्ना किसानों का अपने पेट में हजम कर गये है। जिससे किसानों में भारी असंतोष है।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि निजी मिलों से संबंधित किसानों द्वारा ढुलाई के नाम पर गन्ना किसानों का अवैध तरीके से हड़पे गये रुपये का अविलम्ब गन्ना किसानों को वापस दिला कर उन्हें राहत देने का कष्ट करें। ढुलाई के संबंध में एक और अनियमितता भटनी शुगर फैक्ट्री की है, जो चीनी निगम द्वारा संचालित है। उसने ढुलाई के ठेकदारों का लाखों रुपया पिछले तीन वर्षों से भुगतान नहीं किया है। इस क्षेत्र के एक ईश्वर चन्द्र राव, पथरदेवा ब्लाक के निवासी है, जिन्होंने कई वर्षों में गन्ने की ढुलाई की, लेकिन उनका हजारों रुपया आज तक भुगतान नहीं किया गया, इसे भी भुगतान कराने की व्यवस्था करें। एक निवेदन और है कि देवरिया कस्टोडियन फैक्ट्री में 10 लाख रुपये का भुगतान किया गया वह कर्मचारियों के वेतन और मिल की मरम्मत में लगा दिया गया। जो गन्ना काश्तकारों को देना चाहिए था। आप इस बात की चिन्ता क्यों नहीं करते हैं कि जो बकाया मूल्य है उसका सूद

सहित भुगतान कराएं। साढ़े 18 करोड़ रुपया बाकी है। इसका सूद कितना होता है इसको जोड़ लीजिए। इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। जब इस पर चर्चा होने जाती है आप सदन छोड़कर भाग जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें। माननीय नारायन दत्त तिवारी जी जब प्रदेश में आए, तो उन्होंने कहा कि तीन महीने में भुगतान हो जाएगा। लेकिन अब एक वर्ष व्यतीत हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं गन्ना मूल्यों का भुगतान करने में विलम्ब न करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, गन्ना मूल्य के बकाए पर बातचीत चल रही है। मैं संक्षेप में अपने बस्ती जिले के बारे में कहना चाहूंगा। वहां वाल्टर गंज चीनी मिल और जयपुरिया प्रतिष्ठान, नारंग प्रतिष्ठान खैलीलाबाद चीनी मिलों में किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया है। श्रीमन्, एक स्पष्ट अधिनियम है 10 प्रतिशत किसी चीनी मिल पर गन्ना मूल्य का बकाया है, तो सरकार अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन अधिग्रहण नहीं कर रही है और यह दोनों मिल के मालिक चीनी मिल को बन्द करने की साजिश कर रहे हैं। अगर यह बन्द कर दी गई तो गन्ना किसान दर-दर की ठोकर खाता फिरेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य बकाया है, उसका भगतान कराया जाए। अगर यह मिल उखाड़ने पर उतर रहे है, तो सरकार उन मिलों को लेकर चलाए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं यह मिल कदापि घाटे में नहीं है। यह साजिश से घाटे में दिखाया जा रहा है। एक चीज और कहना चाहता हूं वाल्टरगंज चीनी मिल सुरक्षित क्षेत्र है उसका गन्ना दूसरी मिल को चला जाता है और यहां कहा जाता है कि गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह चीनी मिल ठप न होने पाए ऐसा मैं अनुरोध करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं लक्ष्मी शुगर हरदोई मिल की तरफ ले जाता हूं। 1978 में 12 लाख का फैक्ट्रीज फिक्स डिपाजिट लिया था। सात वर्ष हो रहे हैं। भुगतान नहीं हुआ यह लोग 156 हैं जो यहां काम करते हैं उसमें बहुत से विकलांग लोग हैं बहुत सी विधवायें, अनेक रिटार्यड लोग है। 12 लाख रुपये का फैक्ट्री भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्य मंत्री को लिखा शुगर कारपोरेशन फैक्ट्री को लिखा, गन्ना मन्त्री को लिखा। मैं तीन दफा पत्र लिख चुका हूं कि 12 लाख का भुगतान कराया जाय। यह ऐसे लोग हैं जो पैसे-पैसे के लिये मुहताज है। 12 लाख रुपया एक वर्ष के लिये 78 में डिपाजिट कराया गया। यह लोग किसान नहीं है यह लोग वहां काम करते थे। कुछ वहां के नागरिक हैं कुछ हमारे जिले के लोग है। 156 लोग है। यह मारे-मारे फिर रहे हैं। कल भी आये थे। मैं अनुरोध करता हूं कि 12 लाख रुपये का तुरन्त भुगतान कराया जाय।

*श्री शिवेन्द्र सिंह--

उपाध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सिसवा बाजार की चीनी मिल का जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, 82-83 के पेराई सत्र का किसानों का 11 लाख रुपया बाकी है। पिछले 11 अक्टूबर, 1984 को मंत्रि परिषद ने यह निर्णय लिया था कि गन्ना किसानों का तुरन्त बकाया भुगतान कराया जाय लेकिन एक साल पूरे होने वाले है, भुगतान नहीं किया गया। वह चीनी मिल पिछले दो साल से बन्द है। उस मिल ने दो सत्र से पेराई नहीं किया है। परिणामस्वरूप 10 चीनी मिलों को वहां का गन्ना डाईवर्ट किया गया। आनन्द नगर, सरदार नगर, घुघली, नन्दगंज, पिराइच, खालीलाबाद, इन सब का मिलाकर 25 लाख रुपया किसानों का बकाया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गन्ने का जो बकाया है उसका तुरन्त भुगतान कराया जाय। खलीलाबाद चीनी मिल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में अफसर यू अहमद ने कहा । वह चीनी मिल इस साल नहीं चलेगी । वह बन्द हो चुकी है । उस चीनी मिल पर किसानों का 4 लाख रुपया बाकी है । प्रति वर्ष 14 लाख कुन्तल गन्ने का अनुमान रहता है, यह तमाम चीनी मिलों को दिया जाता है इस तरह से बिचौलियों का भाव काफी तेज हो गया है । मैं चाहूंगा कि सिसवा चीनी मिल को चलवाया जाय । मैं चाहूंगा कि जो 11 लाख रुपया इस मिल पर किसानों का बाकी है, उसका भुगतान कराया जाय । मैं आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

हम एक पीड़ा से पीड़ित हैं । हर बार गन्ने के बकाये पर कहना पड़ता है । हमारे यहां जो गन्ना किसानों का मूल्य बकाया है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । दो मिलों के बारे में चर्चा थी और चर्चा पूरे प्रदेश की मिलों के बारे में हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष--

पाण्डेय जी का व्यवस्था का प्रश्न ठीक है । 2 मिल के बारे में चर्चा थी लेकिन किसानों का मामला था उसकी भावना के देखते हुये, किसी सदस्य के अपनी मिल के बारे में कह दिया, तो मैं समझता हूं कोई अनुचित नहीं है । उसके लियें नियम बना लें, व्यवस्था का प्रश्न बना लें तो अनुचित है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । दो मिल पर चर्चा थी मंत्री जी दो मिल के लिये तैयार हो कर आये थे । चर्चा पूरे प्रदेश की हो गई, तो पूरे प्रदेश का उत्तर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिलों का उत्तर देंगे, सब का कैसे देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आपने पूरे प्रदेश की चर्चा कराई है तो सबका उत्तर दिलाइये ।

श्री उपाध्यक्ष---

सबका उत्तर कैसे देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आपकी आज्ञा से पूरे प्रदेश के बारें में चर्चा हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जितनी सूचना होगी देंगे, पूरे प्रदेश की सूचना नहीं होगी तो नहीं देंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी---

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के सम्बन्ध में सदन के दोनों तरफ़ के सदस्यों को चिन्ता है हरदोई और बाराबंकी चीनी मिल पर करोड़ों रुपया जो बकाया है, इसके सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से चिन्ता व्यक्त की और कहा कि इस का अविलम्ब भुगतान किया जाय । मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने, जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन तमाम कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि हरदोई के किसानों का 3 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करया जाय । मान्यवर, वास्तव में हरदोई एक आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुआ जिला है । वहां पर औद्योगीकरण के नाम पर मात्र एक चीनी मिल है । वहां की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि इतनी जर्जर हो गयी है, किसानों का गन्ना तो मिल में जाता है, लेकिन उनके मूल्य का भुगतान नहीं होता है । परिणाम यह हुआ कि किसानों में संदेह और आशंका व्याप्त है कि उनके गन्ने का मूल्य मिलेगा कि नहीं । स्थिति यह है कि दिन ब दिन गन्ने का उत्पादन कम होता जा रहा है और किसानों के सामने गम्भीर आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इस सदन की भावना को समझते हुए माननीय मंत्री जी उदारता-पूर्वक निर्णय लेंगे कि उस गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, आज सत्र का अंतिम दिन है । सभी लोग जाने की जल्दी में हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें जो आगे के आइटम है, रह गये हैं, उन पर कम से कम 5-10 मिनट ल लिया जाय तो सबके साथ न्याय हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आइटम खतम हो जाय तो फिर इस पर चर्चा कर लेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी---

मान्यवर, आज कुल 32.56 करोड़ रुपया प्रदेश के किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है, इसमें 3 करोड़ से अधिक रुपया सिर्फ़ हरदोई का बकाया है मैं चाहता हूं कि इसका अविलम्ब भुगतान करने हेतु सरकार को निर्देशित करें और मान्यवर, आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि आप स्वयं किसान परिवार से जुड़े हैं और किसानों के दर्द को नजदीक से समझते है कि जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता है, तब तक उनकी राजस्व सिंचाई और अन्य देयों की वसूली स्थगित कर दी जाय । किसानों की इन सरकारी देयों की वसूली के नाम पर रोज कुर्की हो रही है । आप स्पष्ट व्यवस्था दें कि हरदोई जनपद कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान जब तक नहीं हो जाता है, तब तक उनके सारे देयों की वसूली स्थगित कर दी जायगी । इस बात में इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों में कोई विवाद नहीं है कि किसानों की स्थिति दयनीय है, विशेष रूप से हरदोई के, इसलिये वहां के किसानों का भुगतान जल्द करने की कृपा करें ।

*वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

श्रीमन्, अभी माननीय अशोक बाजपेयी जी और श्री वर्मा जी ने बाराबंकी और हरदोई के किसानों की चिंता और उनकी भावना से सदन को अवगत कराया । साथ ही और अन्य माननीय सदस्यों ने प्रदेश के अन्य जिलों में जो गन्ने का मूल्य बकाया है, उससे उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र की किसानों की चिंता सदन में इस प्रकार रखी कि उन्होंने यह कहा कि केवल वह ही उनकी परेशानी से चिंतित हैं । उन्होंने बहुत भावनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुये सिद्ध करना चाहा कि सम्भवत: शासन को उनकी चिन्ता नहीं है, जितनी उनको है । श्रीमन्, यदि उत्तर प्रदेश शासन को किसानों की चिंता न होती तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सुनिश्चित गन्ना मूल्य है उसकी प्राइस के ऊपर सम्पूर्ण भारत में मात्र एक प्रदेश ऐसा है जो अतिरिक्त मूल्य दिलवाता है, जिसे सलाहकार मूल्य कहते है । यदि उनसे सहानुभूति न होती जैसा कि इस सदन को सूचित किया गया । और 15 जुलाई को जो 18 करोड़ कुछ लाख बकाया था, वह 31 जुलाई को 16 करोड़ 92 लाख रुपया रह गया । इसके पश्चात् श्रीमन्, आज पोजिशन है कि 33 मिलें ऐसी है जिनके ऊपर कोई भी शेष नहीं रह गया है । मान्यवर, इतना बड़ा व्यापार है, जिसमें 99 गन्ना मिलें व्यापार कर रही है, किसानों से गन्ना ले रही है,शक्कर बना रही है और उस शक्कर को प्रदेश और देश में लेवी और की सेल में सेल कर रही है । आज उसमें किसान का यह बकाया है, आज वह बकाया है । इतने बड़े ट्रेड में बकाया तो रहेगा ही । आप लोग आश्वस्त होना चाहते हैं कि सुनिश्चित रूप से यह बताया जाय कि कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा मान्यवर, इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में मैं यह कह चुका हूं कि अगला जो सीजन शुरू होगा, उसके पूर्व सम्पूर्ण भुगतान कर दिये जाने का प्रयास किया जायेगा । उसमें माननीय सदस्यों ने यह चिंता प्रकट की कि वह भुगतान आप कैसे करेंगे । कहा गया कि लेवी के जो मूल्य बढ़े हैं, उसकी टेगिंग के आदेश दिये गये हैं । वह प्रत्येक मिल में हरदोई और बाराबंकी और माननीय सदस्यों ने जिन-जिन मिलों का नाम लिया, उन मिलों में टेगिंग के आदेश दिये जा चुके हैं ।

तो श्रीमन्, उस टेगिंग से और उसके बाद कुछ शेष रह जायेगा तो सरकार ऋण से या अन्य साधनों से उसके भुगतान का प्रयास करेगी । पिछले वर्ष का ले लिया जाय 71 करोड़ कुछ लाख बकाया था, उसमें 4 करोड़ मात्र शेष रह गया है, उसकी तरफ़ प्रयासरत हैं । माननीय सदन से य जानना चाहता हूं कि आखिर यह प्रत्येक वर्ष ऐसा क्यों रह जाता है । मान्यवर, आप बाराबंकी को देख लें- बाराबंकी में 1979-80 में जो कास्ट आफ़ प्रोडक्शन 455 रु0 था और जो ऐवरेज सेल का मूल्य है, मैं प्रति कुंटल बता रहा हूं, 303 रुपये । इसी तरह से 1980-81

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में कास्ट आफ़ प्रोडक्शन 571 रुपये जो हमको ऐवरेज मूल्य मिला वह 415 रु0, 1981-82 में कास्ट आफ़ प्रोडक्शन 533 रुपये, ऐवरेज मूल्य मिला 369 रुपये, 1982-83 में कास्ट आफ़ प्रोडक्शन 482 रुपये, ऐवरेज मूल्य मिला 344 रुपये, इसके बाद कास्ट आफ़ प्रोडक्शन 597 रुपये,ऐवरेज मूल्य मिला 373 रुपये। आप श्रीमन् देखिये कि 65 प्रतिशत लेवी से कंट्रोल है शुगर।

मान्यवर, एक तरफ किसानों को भाव ज्यादा दिला रहे हैं दूसरी तरफ़ बाजार में सस्ता बेच रहे हैं। एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि शक्कर के दाम नहीं बढ़ने चाहिये और दूसरी तरफ़ कहते हैं कि किसानों को इससे भी अधिक मूल्य दिलाया जाय। अगर मान्यवर, कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाय तो फिर मिल कहां से जिम्मेदारी स्थापित कर सकते हैं। माननीय वर्मा जी चाहते हैं कि बाराबंकी का उसी दिन पे हो जाय। देखना यह चाहिये कि हम उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो नियति है उसका तात्पर्य क्या है? जो व्यवस्थायें की गई है, वे ठीक है कि नहीं है। हरदोई की जहां तक बात है, वेजेज कोई बाकी नहीं है। हां, पेंशन तथा ग्रेच्युटी का कुछ बकाया है, हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयासों से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। मुझे विश्वास है कि इसके लिए माननीय श्री वर्मा जी और श्री बाजपेयी जी शासन को बधाई देंगे।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 को वापस प्राप्त हो गया है।

आज की कार्यसूची की शेष मदों पर चर्चा समाप्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी मद संख्या 39 पर चर्चा समाप्त हुई है। बहुत से मद आज के एजेण्डे में लगे हुए हैं। माननीय सदस्यों की जो भावना है,और काफ़ी लोगों को बाहर जाना है, बहुत लोगों ने आरक्षण भी करवा रखा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल और सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा, इससे पहले कि मैं औपचारिक प्रस्ताव लाऊं, शेष मदों पर चर्चा समाप्त की जाय। आज जिस मद पर चर्चा समाप्त हो गई है, उससे आगे के मदों को न लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

यदि सदन इस प्रस्ताव से सहमत हो तो इसे स्वीकार कर लिया जाय।

(सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की)

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित के जाने का प्रस्ताव।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री नरायन दत्त)--

श्रीमन्, इस प्रस्ताव की औपचारिकता को देखते हुए यह आवश्यक तो नहीं है कि मैं

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपसे अनुज्ञा मांगूं और कोई शब्द इस सम्बन्ध में कहा जाय। लेकिन मैं अपना यह परम कर्त्तव्य समझता हूं कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को मैं हार्दिक धन्यवाद दूं कि इस बजट अधिवेशन में सभी ने प्राण-प्रण से अपना समय देकर अपने दायित्वों को निभाने की चेष्टा की और दिनों दिन 12-12 घंटे, 10-10 घण्टे और 8-8 घण्टे जैसा जिस दिन आवश्यक हुआ, बजट के कार्यों को पूरा करने के लिये तथा अपने क्षेत्रों के दायित्वों को निभाने के लिये तथा जनता जनार्दन की समस्याओं को उजागर करने के लिये प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपना योगदान दिया साथ ही साथ नेता विरोधी दल और विरोधी दल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसदीय परम्पराओं के अनुरूप इस बात का प्रयास किया और दायित्वों का भी निर्वहन किया और इस सदन की कार्यवाही को भी नियमावली के तहत चलाने की चेष्टा की। मैं नेता जनता पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता साम्यवादी दल, नेता श्री रमा शंकर कौशिक, श्री राम नरेश यादव तथा श्री वर्मा व अन्य सभी सदस्यों को उनके दायित्वों के निर्वहन के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी पूरा योगदान सदन की कार्यवाही के चलने में दिया। श्रीमन्, सम्मानित अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य अनेक दिन अच्छा नहीं रहा। श्रीमान अध्यक्ष जी को भी हमारा परम हार्दिक धन्यवाद पहुंचाने का कष्ट करें और जो सबसे सुन्दर बात रही कि आज अन्तिम दिन हमें आप जैसे उपाध्यक्ष मिल गये तो यह अधिवेशन की सफ़लता प्राप्त करने वाला अन्तिम दृष्टान्त हो गया।

मैं विधान सभा सचिवालय को और विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को और सदन से बाहर भी जिन्होंने भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने में जो मदद की मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं और मैं अपने दल के भी सभी सम्मानित सदस्यों को, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्व को निभाया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। अभी जैसा कि प्रस्ताव आया कि अनिश्चित काल के लिए हम उठते हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि अब हम नहीं बैठेंगे। सदन के कार्य में बजट का जो सत्र होता है सबसे अधिक समय इसमें जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रीय समस्यायें इसमें आती हैं। अब हमें अपने-अपने क्षेत्रों में देखना है, विकास के कार्यों को हमें देखना और सम्पन्न करना है और जो क्षेत्र के प्रति हमारा दायित्व है उसको हम वहन कर सकें, यह हमें देखना है। श्रीमन्, अन्त में मैं कहूंगा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इसे स्वीकार किया जाय।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने अनिश्चित कालीन समय के लिये सदन उठने की अनुज्ञा आपसे मांगी है। इस पर मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं अपने सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट सेशन में अपने सुझाव और विचार इस प्रदेश के विकास के लिए रखे और माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका अपनी बात कहने का दिया, उनकेभी हम सब विपक्ष के नेतागण और सदस्य आभारी हैं और अधिष्ठाता मण्डल ने भी जो अपनी ईमानदारी से काम किया है उसके लिये अधिष्ठाता मण्डल को भी मैं धन्यवाद देता हूं और सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों, सबने परिश्रम से सदन को चलाने में सहयोग दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक परम्परा थी कि इतने लम्बे समय तक जब सदन चलता है, काफ़ी पैसा इस पर खर्च होता है तो जो माननीय सदस्यों के विचार और सुझाव आते हैं उनकी समीक्षा की जाती थी। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता था कि उनको पढ़ें और उसके अनुसार ही नीति का निर्धारण भी किया जाय, यह परम्परा रही है। इस लिए मैं चाहता हूं माननीय नेता सदन से कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस परम्परा को, बहुत सी परम्पराओं को आप जानते हैं और परम्पराओं से चलने की आपकी इच्छा भी है, तो इस परम्परा को जरूर लागू करें कि जो विचार आये हैं वह चाहे इधर के माननीय सदस्यों द्वारा आये हों या उधर के माननीय सदस्यों द्वारा आये हों, उन पर जरूर विचार किया जाय और उन्हें लागू किया जाय। माननीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री जी अनिश्चित काल तक उठने का प्रस्ताव लाये हैं, यदि उन्होंने यह कहा होता कि इस तारीख को या इस दिन फ़िर बैठेंगे तो हमको बहुत खुशी होती और यह होना चाहिये और आज जो सवाल हम 90 दिन का बार-बार कहते हैं, हम लोगों ने 13-13 विधेयक पास कराये और हम लोगों ने शनिवार और शुक्रवार तथा कोई छुट्टी नहीं देखी, पूरा बजट 24 तारीख को पास कराया। लेकिन हम लोगों के जब सवाल आये तो हमको कठिनाई हुई। कोरम के अभाव में उठना पड़ा। विपक्ष के माननीय सदस्यों के तमाम वक्तव्य भी थे, चर्चायें भी थीं, उनको भी छोड़ना पड़ रहा है। हम आपसे अब यह आशा करेंगे कि नवम्बर के महीने में आप सदन को कम से कम एक महीने के लिये बुला लें। उसमें फ़िर प्रदेश की तमाम समस्याओं पर हमारे विचार आयेंगे। इससे जो भी सरकार की कमजोरियां हैं, सामने लायेंगे, जिससे कि सरकार को मदद मिलेगी। इसी बीच में हम लोगों के आचरण से किसी को दुख हुआ हो तो मैं यह कहना चाहता हूं और क्षमा चाहता हूं कि विरोधी दलों के नेताओं या सदस्यों की ओर से किसी व्यक्ति को, सदस्य को या नेता, सदन को या मन्त्रिमण्डल के सदस्य को अपमानित करने का इरादा नहीं है बल्कि अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये जनहित में और प्रदेश के हित में वह आचरण किया गया होगा। इसलिये अगर दुख पहुंचा हो तो सभी नेताओं की ओर से और सदस्यों की ओर से क्षमा मांगता हूं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, नवीं विधान सभा का आज पहला अधिवेशन समाप्त हो रहा है। भारी मन से हम उठ रहे हैं क्योंकि 12 जुलाई से 5 सितम्बर तक एक परिवार के रूप में हम यहां कार्य कर रहे थे और आज जैसे बारात की बिदाई की बात होती है कि भारी मन से जाती है, उसी तरह हम भी भारी मन से बिदा ले रहे हैं।

(हंसी)

लेकिन इस आशा के साथ कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जैसा माननी . नेता, विरोधी दल ने कहा, हम लोग जल्द ही फ़िर इकट्ठे होंगे और वह समय लोक सभा में परम्परा है कि तारीख तो निश्चित करके नहीं बताई जाती लेकिन महीना तय रहता है और उन महीनों में लोक सभा होती है। सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी को यहां का और लोक सभा का भी दोनों जगह की परम्पराओं का ज्ञान है। मैं चाहूंगा कि आने वाले महीनों में उन परम्पराओं के निर्वहन में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ़ से निश्चितरूप से यह होगा कि आने वाले दिनों में नवम्बर में सदन अवश्य मिले। इसके साथ-साथ विधान सभा की और भी उपलब्धियां रही हैं। नवीं विधान सभा में चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सम्भवत: जितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, पहले किसी विधान सभा में इतनी अधिक संख्या में भाग नहीं लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि जागरुक विधान सभा रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन जागरुकता से किया और मेज थपथपाने के अलावा सरकार की आलोचना भी की।

मैं उम्मीद करता हूं और अध्यक्ष महोदय को, जिनकी एक उपलब्धि यह रही है कि तमाम लम्बी बीमारी के बाद भी एक बार भी इस सदन में मार्शल नहीं बुलाया गया, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्भवत: इस विधान सभा के अलावा हर जगह इतने बड़े सदन में मार्शल जरूर बुलाया गया, लेकिन यहां पर मार्शल नहीं बुलाया गया। इसलिये अध्यक्ष जी खासतौर से बधाई के पात्र हैं।

(हंसी)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आज सदन उठने के समय आप निर्विरोधरूपसे उपाध्यक्ष के पद पर आसीन ,हुए । इसके साथ-साथ विधान सभा के सचिव तथा सभी कर्मचारी-गण मार्शल और जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, हम सभी लोगों को अपनी ओर से, सभी सदस्यों की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं और मुख्य मंत्री से आग्रह करेंगे कि सम्भवत: कोई प्राविधान भी है लेकिन फ़िर भी उनको पारितोषिक के रूप में कुछ दिया जाय क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है ।

साथ ही में मुख्य मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि आज बहुत से आईटम्स रह गये हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं । पूरे पक्ष और विपक्ष के द्वारा उठाये गये इन आईटम्स को बजाय लैप्स होने के, इन्हें अगली विधान सभा में ले लिया जाये क्योंकि माननीय राज्य मंत्री जी ने जो कर दिया था कि कोरम के अभाव में बहुत से आईटम्स और रह गये थे और आज भी रहे जा रहे हैं मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में ये सारे आईटम्स मान लिये जायं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जब यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो रहा है, यह तो बड़ी प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि आज का ही यह दिन इस सदन में अपनी गौरवमयी परंपरा को कायम करते हुए सफलता से सम्पादित हुआ है और आपको उपाध्यक्ष के रूप में हमने पाया है ।आज जब हम बिदा हो रहे हैं, कुछ समय के लिये जुदा हो रहे हैं तो यह बजट सत्र हम लोगों को स्मरण रहेगा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों नेऔर विपक्ष के सदस्यों ने प्रदेश के विकास के लिये उसकी उन्नति के लिये अपनी व्यापक दृष्टि से अपनी-अपनी रचनात्मक भूमिका अदा की है और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही उससे मैं अपने को जोड़ते हुए और अपनेदलको जोड़ते हुए माननीय नेता सदन से आशा करूंगा कि यहां सदन में जो सुझाव दिये गये हैं, जो बातें सदन में आयी हैं, उनकी समीक्षा होकर उन पर कार्यवाही और उन बातों पर विचार जरूर होना चाहिये और साथ ही उन पर कार्यवाही भी हो । यह जो परम्परा पहले थी वह रुकनी नहीं चाहिये बढ़नी चाहिये । आज अनिश्चित काल के लिये सदन स्थगित हो रहा है, मैं माननीय नेता सदन से आग्रह करूंगा कि वर्ष में 90 दिन सदन चलने वाली बात पिछले अनेकों वर्षों से भंग हो गयी है । गत कई वर्षों से सदन वर्ष में 40 से 50 दिन तक चलता रहा है । यह सदन 90 दिन तक चलने की प्रक्रिया आपके द्वारा प्रारम्भ हो और यह पुन: कायम हो इस विश्वास के साथ हम यहां से जायेंगे । अभी यहां सदन को नवम्बर या दिसम्बर में चलने की बात कही गयी लेकिन इससे पहिले भी माननीय नेता सदन सत्र को आहूत करने के लिये कह सकते हैं । ताकि हम जल्दी-जल्दी मिल सके । इस बजट सत्र के बाद तो हम लोग जा रहे हैं माननीय आपको नेता सदन के रूप में छोड़कर लेकिन यह आशा लेकर कि अगली बार जब हम सदन के सत्र में आयेंगे तो आपके ही माननीय नेता सदन के नाते आपके मोहनी रूप को हम फ़िर अपने बीच में पायेंगे जिसमें हम लोगों का दिल जीत लिया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मित्रसेन--

यह सदन का बजट सत्र समाप्त हो रहा है यह बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ है और संसदीय परम्पराओं के अन्दर सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बातों को, समस्याओं को रखा और नीतिगत प्रश्न आये । माननीय मुख्य मंत्री ने विशेष रूप से रुचि लेकर विभिन्न विषयों से सम्बन्धित, मंत्रियों से संबंधित प्रश्नोत्तरों के दौरान कभी-कभी सवालों का निराकरण भी किया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने विशेष रुचि लेकिन विशेष रूप से अपना योगदान उन्होंने दिया । जो संसदीय कार्य इस सत्र के चलते हुए आये उनको भी सुलझाया ।

माननीय अध्यक्ष और विधान सभा के अधिकारी और कर्मचारी के सहयोग से सौहार्दपूर्ण योगदान से संसदीय परम्पराओं को निभाते हुए यह सत्र चला । मुझे याद है कि

पिछले दो-तीन सालों से इस तरीके से कोई सत्र नहीं चला। कई चीजें विरोधी दल के नेताओं ने कहीं है, मुख्य मंत्री जी से मेरा भी आग्रह है कि जो आईटम्स यहां आने से रह गये हैं, जो सत्र में आने चाहिये थे और नहीं आ पाये हैं, उन सबको अगले सत्र में जोड़ दें क्योंकि हमारे प्रदेश की और जनता की समस्यायें बढ़ती जाती हैं और उसी प्रकार से शासन अपेक्षा भी की जाती है। हमारे प्रदेश की जो समस्यायें हैं, उनके निराकरण में हमको सहायता मिलेगी। मेरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी हमें आश्वासन देंगे कि हम शीघ्र ही मिलें और कोई निश्चित समय पर सदन को बुलायेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय नेता सदन नेता विरोधी दल, मा0 अध्यक्ष जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जिनके ऊपर सदन के संचालन का भार रहा है, वह धन्यवाद के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ में एक बार फिर सभी को धन्यवाद देता हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, 12 जुलाई से हम लोग यहां पर बैठे हैं, लगभग दो महीना साथ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग भारी मन से जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं, सभी लोग दुखी होंगें और मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य तो बराबर जोड़े से बैठते थे, उनको तो विशेष तकलीफ होगी।

(हंसी)

मान्यवर, 1952 से हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त रहा है, कि सदन की कार्यवाही को बाहर से ही सही देखने का मौका मिला है। मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्ता रूढ़ दल के मा0 सदस्यों ने भी इस बार काफी रुचि ली है। इस प्रकार की रुचि पहले नहीं मिलती है स्तर की बात अलग है वह तो धीरे 2 स्तर ऊंचा होगा। जहां तक रुचि का प्रश्न है विरोधी दल के नेताओं ने और सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में पूरी रुचि ली है, जो कि अतुलनीय है। मा0नेता सदन ने बराबर सदन में हिस्सा लिया और शायद इतना हिस्सा पहले किसी भी नेता सदन ने नहीं लिया और जो विरोधीदल के नेतागण हैं उन्होंने अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में कोई कसर नहीं रखी। जितना सदन में हिस्सा मा0सदस्यों ने लिया है उसका भी असर पड़ा है, एक प्रकार से जागृति आई है। मान्यवर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ सदन का संचालन किया, उन्होंने उत्तेजना के क्षणों को बड़े धैर्य से लिया उसके लिये हम जैसों को अफसोस भी होता था, लेकिन ऐसा होता है और उत्तेजना के क्षण आते हैं, यह कोई नयी बात नहीं है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं सभी लोग मानते है, माननीय सदस्यगण मानते है और माननीय नेता सदन भी मानते है यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि उन बातों पर अमल नहीं हो पाता है। जब तक हाउस चलता है, पूरी मशीनरी हमारे सूबे, हमारे प्रदेश की चुस्त रहती है और जब सदन नहीं चलता है तो सुस्ती आ जाती है। क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से, नियम 56 से, नियम 51 से और जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते है, असेम्बली के चलते, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उससे प्रशासनतंत्र में एक चुस्ती आती है। इसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। हमारा अनुरोध है कि इस पर अमल होना चाहिये। लोग 90 दिन की बात करते है।

हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि लोक सभा साढे चार बजे तक चली है और 7 माह तक चलती है। तो 7 माह का प्रश्न नहीं है इस बात को हम सब महसूस करते है,सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी सदन की कार्यवाही चलते रहने से नियम 51, 56 आदि से जो प्रश्न उठाते है उससे हमारे प्रशासनतंत्र में चुस्ती आती थी हमें इसका एहसास ही नहीं होना चाहिये वरन अमल भी होना चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्षजी को आपकी मार्फत अपना धन्यवाद दिलवाना चाहता हूं और खास तौर से इस बात के लिये कि उन्होंने जिस तरह से उत्तेजना के क्षणों को झेला

है वह अद्वितीय है, इसमें संदेह नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं नेता सदन, नेता विरोधीदल और सभी दलों के नेतागण और पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यगण, मैं थोड़ा मोटी भाषा बोलने वाला आदमी हूं। हो सकता है कि अपनी मोटी भाषा से कभी किसी मंत्रीके सम्बन्ध में या और किसी सदस्य के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल गया हो जिसका उन्हें एहसास हो गया हो। खास तौर से मैं मजाकिया किस्म का आदमी हूं और जो हमारे पेट में रहता है, वही हमारे मुंह में रहता है। उसको मेरी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं मजाकिया तौर से ही कहता हूं कोई दुर्भावना से कोई बात नहीं कहता हूं। इसलिये सदस्यों से जो महिला सदस्य भी हैं अगर उन्हें भी कोई मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई जरा सा भी लेश मात्र भी उनके दिल को चोट लगने वाली बात हो तो उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं हमें उसकी गिला नहीं है। हाउस अनिश्चित काल के लिये उठ रहा है। लेकिन जो आज चुनाव हुआ मैं यहां बहुत दिन से हूं, नेता सदन हमारे बहुत पुराने है, हम लोग इकट्ठा रहे है।

मान्यवर, आप जानते है कि हमेशा उपाध्यक्ष के चुनाव से कुछ दल के लोग मुंह बनाकर जाया करते थे कुछ कहते थे सत्तापक्ष ने जिता दिया कुछ कहते थे कि हमको रुला दिया लेकिन आज का माहौल बहुत सुन्दर महौल है। सन 57 में जिस तरह से परम्परा डाली राम नारायण त्रिपाठी के समय से शुरू हुआ था आज उसका अन्त हुआ है क्योंकि आज सत्ता पक्ष इस एकता के साथ इस चुनाव को कराकर जा रहा है इसकी मिसाल कभी हुई नहीं। दूसरी मिसाल और कहूं मैंने एक दिन कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष जी से कहा था और वे इस बात से चिन्तित थे कि हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है तो मैंने कहा कि इसमें हल्ला-गुल्ला तो आपने देखा ही कहां है, यहां मार्शल ने निकाला पुलिस ने निकाला। उन्होंने कहा, राम सरन जी हम यहां मार्शल को बुलाने से अपना इस्तीफा देना पसन्द करते है लेकिन मार्शल को नहीं बुलायेंगे। इसकी कोई कल्पना नहीं है। इतना सज्जन आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, नेता सदन है, हमेशा पता नहीं भगवान ने इनको कौन सा गुर दिया है कि ये कभी गुस्सा होते ही नहीं। कुछ भी कह दो, हंसते ही रहते हैं। पता नहीं किस भगवान ने कौन सा शरीर दिया है कि कभी गुस्सा नहीं होते। मैं उनकी इस बात की तारीफ़ करता हूं। मैंने उनको कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं है। वह एक अभूतपूर्व आदमी है कभी गुस्सा होते ही नहीं है। उनके इसी गुण के कारण यहां के वातावरण को ठीक करने में सदन को सहयोग मिला है। साथ ही साथ मैं अपने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि वे घर में जाकर हवन करें और हम सब को दावत दें। वें मेरी मेरी बात का बुरा न मानें लेकिन यह मेरी अन्तरात्मा की आवाज है। अब एक बेनी बाई जी हैं.....(व्यवधान) (हंसी)। मुझे क्षमा करें, क्षमा चाहता हूं अगर मुझे से कभी कोई ऐसे अल्फाज निकल गये हों.....(व्यवधान) आखिर में मैं आप सब का आभारी हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं जिस माहौल में हम उठ रहे है मैं नेता सदन से आग्रह करूंगा कि जैसा पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों की भावनायें है सदन को वे जल्दी फिर बुलायेंगे।

एक सदस्य--

दिल की बात जबान पर आ ही गई।

श्री उपाध्यक्ष--

आज लगभग दो महीने का समय बीत जाने के बाद हम लोग अब अपने क्षेत्रों में जायेंगे और आप सब लोगों ने मिल कर सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने जनता की सेवा की, उनकी समस्यायें उनकी परेशानियां यहां सदन के माध्यम से हल करने की कोशिश

की। साथ ही इस सदन को जिस गरिमा और जिस मर्यादा से चलाया, दोनों पक्षों के सहयोग से, सभी माननीय सदस्य, सभी सरकार के मंत्रीगण, सभी नेतागण और माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री और अधिष्ठाता मंडल, सचिव और सचिवालय के तमाम कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड जो लोग लगे हुये है वे सब धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे आप लोगों को यह बताते हुये प्रसन्नता है कि इस समय पहली मर्तबा सदन ने इतने निश्चित समय में अपना बजट चाहे रात में कितनी ही देर तक भी बैठना पड़ा हो, कितनी भी देर तक काम करना पड़ा हो, रोजाना का ऐजेन्डा निपटाने का प्रयत्न सबके सहयोग से रहा और इन आखिर के दो दिनों को छोड़ कर हमेशा निपटता रहा और इस बीच में 19 विधेयक पारित करके इस माननीय सदन में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है बजट के साथ साथ 19 विधेयक पास करना यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। इसमें सबका सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से जो हमारी भारी काम था वह निपट पाया। इस काम के लिये जो सौहार्द्र, प्रेम और आपस में जो भाईचारा और जो भावना सदन की रही है दोनों ओर के सदस्यों की, उसमें अगर दोनों ओर से सरगर्मी न हो तो सदन सूना हो जायेगा। लेकिन सरकारी पक्ष के लोगों ने भी उस गुस्से को,उस झिड़की को जो विरोधी पक्षवालों का कर्त्तव्य भी था, बड़े धैर्य से सहन किया और सब चीजों का संतोषजनक उत्तर दिया और आज जिस माहौल को हम देख रहे है और इतने लम्बे समय के बाद उठ रहे हैं हंसी खुशी से जा रहे है। ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार के सदस्य है कहीं दूर के नहीं है, हमारा क्षेत्र और जिला अलग नहीं है ऐसा लगता है कि एक परिवार के सदस्य दूसरी जगह जहां पर हमें काम सौपा गया है वहां जा रहे है और जल्दी ही आयेंगे। तो ऐसा माहौल इस सदन का है।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल, नेता जनता पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता कांग्रेस–जे, नेता जनता पार्टी तथा और सभी दलों के नेताओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं कल तक वहां पर अपने साथियों के साथ बैठता था तो मैं इस बात को नहीं भूलता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष है उनके लिये बिना कुछ कहे मैं रह नहीं सकता हूं। उनकी जो उदारता, उनको जो सहृदयता और उनकी जो निष्पक्षता रही और जिस प्रकार उन्होंने सदन का कार्यक्रम चलाया उसको कभी भूला नहीं सकते हैं। उनको कभी गुस्सा नहीं आता है, कभी वह महसूस नहीं करते हैं और उन्होंने हमको अधिक से अधिक बोलने का मौका दिया। नियम 56 को तो उन्होंने इतना सरल कर दिया कि मैं उनसे कहा करता था कि आपने तो इसको इतना सरल कर दिया है जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। नियम 56 के माध्यम से मैं कहता था कि आपने बहस करा दी है और जितनी समस्यायें थी वह प्रकाश में आ जाती थी। तो वह इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

अधिष्ठाता मंडल भी धन्यवाद का पात्र है। 1 बजे रात तक बैठ कर उन्होंने सदन को चलाया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस मेहनत और जिस योग्यता के साथ जिस तरीके से सवालों को झेला है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। माननीय राम सरन जी ने तो उनसे हवन करने के लिये कहा है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने इस तरह से काम को निपटाया है कि माननीय राम सरन जी इस माहौल में हवन करें या वह हवन करें यह उनके रिस्ते का मामला है यह दोनों आपस में तय कर लें, इसके लिये राम सरन जी भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

श्री यदुनाथ सिंह––

वह हवन करें और ये संकल्प लें।

श्री उपाध्यक्ष––

तो आप सब को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो अपने सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी है उनको भी– धन्यवाद देता हूं।

तो प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 58 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

5 सितम्बर, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

माह अप्रैल–मई–जून, 1985 में गोरखपुर मण्डल में लेवी चीनी का आवंटन, पी0सी0एफ0 द्वारा उठान एवं बिक्री

(मात्रा मी0 टनों में)

जनपद का नाम	अप्रैल, 1985			मई, 1985			जून, 1985		
	आवंटन	पी0सी0एफ0 द्वारा उठान	पी0सी0एफ0 द्वारा जिलों म बिक्री	आवंटन	पी0सी0एफ0 द्वारा उठान	पी0सी0एफ0 द्वारा जिले में बिक्री	आवंटन	पी0सी0एफ0 द्वारा उठान	पी0सी0एफ0 द्वारा जिले में बिक्री
गोरखपुर ..	1249	1566–7	1317–6	1314	977–8	969–6	1543	1514.8	1470.3
देवरिया ..	1128	1283–8	1175–7	1188	1344–3	1165–3	1372	1629.8	1081–1
बस्ती ..	1040	1408–3	963–5	1095	1540–4	1084–8	1265	1880.7	1123–1
आजमगढ़ ..	1147	1505	1135	1207	1471	1174–5	1404	1030.0	1015–1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के जिन व्यक्तियों ने वर्तमान कुलपति के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, उनका विवरण निम्नवत् है :—

क्रम-सं0	रिट सं0	केस का विवरण	विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय (रुपयों में)
1	2757/84	डा0 छविनाथ चौबे, भूतपूर्व सिनियर ब्रीडर बनाम कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा अन्य ।	1425.00

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन लोगों ने कुलाधिपति के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है तथा वर्तमान कुलपति को भी दूसरे नम्बर पर पार्टी बनाया है अथवा प्रबंन्ध परिषद् के निर्णय गे विरुद्ध विश्वविद्यालय को कुलपति के माध्यम से पार्टी बनाया है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं0	रिट पिटीशन सं0	केस का विवरण	विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय (रुपयों में)
1	..	डा0 ताड़क नाथ सिह, एग्रो-फिजियोलाजीस्ट बनाम (1) कुलाधिपति, (2) कुलपति, (3) प्रबन्ध परिषद् एवं अन्य ।	1427.80
2	1776/1985	डा0 अनुज प्रताप सिह, जूनियर स्वायल सांइटिस्ट बनाम (1) कुलाधिपति, (2) कुलपति, (3) प्रबन्ध परिषद् एवं अन्य ।	1366.60
3	..	श्रीमती कमलेश यादव (भूतपूर्व ट्रेण्ड टीचर) कैम्पस स्कूल बनाम (1) कुलाधिपति, (2) कुलपति, (3) प्रबन्ध परिषद् एवं अन्य ।	1365.00
4	4273/1984	डा राम गोपाल सिह, एस0एम0एस0 बनाम नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति ।	1150.00

इस प्रकार सभी याचिकाओं पर विश्वविद्यालय का कुल व्यय रु0 6734.40 हुआ है ।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

आदेश

दिनांक, लखनऊ, 29 जून, 1985

निम्नलिखित स्थानान्तरण आदेश जनहित में प्रसारित किये जाते हैं :--

क्रम-सं0	उप कारापाल का नाम	स्थान जहां से स्थानान्तरित किया जाता है।	स्थान जहां को स्थानान्तरित किया जाता है।	उप कारापाल का नाम जिसके स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।
1	2	3	4	5
1	श्री एस0सी0 सिंह राठौर	के0का0, आगरा	के0का0, नैनी	श्री बी0बी0 माथुर
2	श्री आर0पी0 देशराज	जि0का0 एटा	जि0का0 मेरठ	श्री एस0एल0 वर्मा
3	श्री एस0एल0 वर्मा	जि0का0, मेरठ	जि0का0, एटा	श्री आर0 पी0 देशराज
4	श्री बी0बी0 माथुर	के0का0, नैनी	सम्पू0 शिविर सितारगंज	रिक्त स्थान पर
5	श्री एस0पी0सिंह यादव	के0का0, नैनी	जि0का0, गोरखपुर	रिक्त स्थान पर
6	श्री घनश्याम सिंह	के0का0, बरेली	सम्पू0 शिविर सितारगंज	श्री श्याम बाबू तिवारी
7	श्री बी0एस0 श्रीवास्तव	के0का0, फतेहगढ़	जि0का0, बांदा	रिक्त स्थान पर
8	श्री के0सी0 त्रिपाठी	के0का0, फतेहगढ़	जि0का0, झांसी	श्री एस0एन0 उपाध्याय
9	श्री ए0पी0 तिवारी	आ0का0, लखनऊ	के0का0, फतेहगढ़	श्री बी0 एस0 श्रीवास्तव
10	श्री आर0पी0 राजा	आ0का0, लखनऊ	जि0का0, बदायूं	रिक्त स्थान पर
11	श्री के0सी0 मांगलिक	आ0का0, लखनऊ	के0का0, बरेली	श्री घनश्याम सिंह
12	श्री आर0डी0 सगर	सम्पू0 शिविर, सितारगंज	आ0का0, लखनऊ	श्री ए0पी0 तिवारी
13	श्री बी0एस0 चौधरी	सम्पू0 शिविर, सितारगंज	के0का0, फतेहगढ़	श्री के0सी0 त्रिपाठी
14	श्री आर0आर0 त्रिपाठी	सम्पू0 शिविर घुर्मा	आ0का0, लखनऊ	श्री के0सी0 मांगलिक

क्रम-सं0	उप कारापाल का नाम	स्थान जहां से स्थानान्तरित किया जाता है।	स्थान जहां को स्थानान्तरित किया जाता है।	उप कारापाल का नाम जिसके स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।
1	2	3	4	5
15	श्री के एन0 पाण्डेय	सम्पू0 शिविर घुर्मा	जि0का0, आजमगढ़	रिक्त स्थान पर
16	श्री एम0पी0 द्विवेदी	जि0का0, आगरा	जि0का0, उन्नाव	रिक्त स्थान पर
17	श्री बी0बी0 पाण्डेय	जि0का0, फतेहपुर	जि0का0 रायबरेली	श्री ए0 बी0 मुकर्जी
18	श्री सर्वदानन्द सिंह	जि0का0, फैजाबाद	जि0का0, गोण्डा	श्री खलील अहमद
19	श्री विक्रम सिंह	जि0का0, गाजीपुर	के0का0, वाराणसी	रिक्त स्थान पर
20	श्री खलील अहमद	जि0का0, गोण्डा	जि0का0, कानपुर	श्री आर0सी0 पाण्डे
21	श्री बी0पी0 सिंह	जि0का0, हरदोई	के0का0, बरेली	श्री जे0सी0 सक्सेना
22	श्री सालिग राम जायसवाल	जि0का0, कानपुर	जि0का0, फतेहपुर	श्री बी0 बी0 पाण्डेय
23	श्री आर0सी0 पाण्डे	जि0का0, कानपुर	जि0का0, नैनीताल	श्री एस0सी0 पाण्डे
24	श्री ए0 बी0 मुकर्जी	जि0का0, रायबरेली	जि0का0, कानपुर	श्री सालिगराम जायसवाल
25	श्री एच0के0 श्रीवास्तव	जि0का0, सुल्तानपुर	सम्पू0 शिविर	श्री बी0 एस0 चौधरी
26	श्री मकसूद अली	जि0का0 बरेली	के0का0, नैनी	श्री जे0 सी0 सक्सेना
27	श्री जे0सी0 सक्सेना	के0का0 नैनी	जि0का0, फैजाबाद	श्री सर्वदानन्द सिंह
28	श्री के0पी0 पाण्डे	जि0का0 जौनपुर	जि0का0 गाजीपुर	श्री विक्रम सिंह
29	श्री राम गुलाम सिंह	जि0का0, मैनपुरी	जि0का0 बरेली	श्री मकसूदअली
30	श्री जगदीश चन्द्र सक्सेना	के0का0 बरेली	जि0का0, हरदोई	श्री बी0 पी0 सिंह
31	श्री ए0सी0 सक्सेना	के0का0, फतेहगढ़	जि0का0, बस्ती	रिक्त स्थान पर
32	श्री एस0सी0 पाण्डे	जि0का0, नैनीताल	के0का0 बरेली	रिक्त स्थान पर
33	श्री दया सिंह	के0का0, वाराणसी	जि0का0, जौनपुर	श्री के0पी0 पाण्डे
34	श्री एन0के0 कपूर	जि0का0, बरेली	सम्पू0 शिविर, सितारगंज	श्री आर0 डी0 सागर
35	श्री एस0 एन0 उपाध्याय	जि0का0, झांसी	के0का0, आगरा	श्री एस0सी0 सिंह राठौर
36	श्री एम0डी0 अवस्थी	जि0का0, हरदोई	आ0का0, लखनऊ	श्री आर0 पी0 राजा

नोट : अधीक्षक सभी स्थानान्तरित उप कारापालों को तुरन्त स्थानीय प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त करें और उन्हें यह निर्देश दें कि अपने नये तैनाती के स्थान पर अविलम्ब कार्य-भार ग्रहण करें।

उत्तर प्रदेश गजट

2--स्थानान्तरण के दौरान अवकाश देय न होगा ।

3--समय-2 पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रसारित शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है । उपरोक्त सभी स्थानान्तरित उप कार पालों को यह भी अवगत करा दिया जाय कि सेवा सम्बन्धी मामलों में बाहरी दबाव डलवाने का प्रयास सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के नियम 27 में दी गई व्यवस्था के विरुद्ध है ।

4--कार्य-भार से मुक्त तथा कार्य-भार ग्रहण करने की सूचना रेडियोग्राम द्वारा मुख्यालय एवं उनके नये तैनाती के स्थानों को भी भेजी जाय जिससे नये तैनाती के स्थान पर अधीक्षक इस स्थिति की जांच कर सकें कि उप कारापालों ने नियमानुसार अनुमन्य कार्य ग्रहण काल के ठीक बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन की ।

(ह0) एस0 प्रकाश,
29-6-85
उप कारागार महानिरीक्षक, (मु0),
उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय, कारागार महानिरीक्षक, उ0प्र0

पृ0सं0 20509-542 अध-1(1) लखनऊ, दिनांक 29 जून, 1985 ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1--अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा व नैनी/फतेहगढ़/बरेली/वाराणसी

2--अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर, धुर्मा, मिर्जापुर ।

3--अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, नैनीताल ।

4--अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

5--अधीक्षक, जिला कारागार, एटा/मेरठ/आगरा/फतेहपुर/फैजाबाद/गाजीपुर/गोण्डा/हरदोई/कानपुर/राय बरेली/सुल्तानपुर/बरेली/नैनीताल/उन्नाव/आजमगढ़/बदायूं/झांसी/बांदा/जौनपुर/मैनपुरी । बस्ती/गोरखपुर ।

6--क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक, गोरखपुर/मेरठ/कानपुर ।

7--महामंत्री, यू0पी0 जेल्स एसोसियेशन, जिला कारागार, मेरठ ।

(ह0) एस0 प्रकाश,
29-6-85
उप कारागार महानिरीक्षक (मु0),
उत्तर प्रदेश ।

आदेश

दिनांक, लखनऊ, 9 जुलाई, 1985

उप जेलरों के स्थानान्तरण आदेश दिनांकित 29-6-85, जो इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 20509-542/अध-1(1), दिनांक 29-6-85 के द्वारा प्रसारित किया गया है, के आंशिक संशोधन में निम्नलिखित स्थानान्तरण आदेश जनहित में प्रसारित किये जाते हैं :—

क्रम-सं0	उप जेलर का नाम	स्थान जहां से स्थानान्तरित किया जाता है	स्थान जहां को स्थानान्तरित किया जाता है	उप जेलर का नाम जिसके स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है
1	2	3	4	5
1	श्री एस0 डी0 अवस्थी	जि0 का0, हरदोई	इनका स्थानान्तरण आ0 का0, लखनऊ किया जा चुका है जिसे 31-10-85 तक रोका जाता है। दि0 1-11-85 को कार्यभार से मुक्त होकर आ0 का0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करेंगे।	श्री ओ0 पी0 राजा
2	श्री घनश्याम सिंह	के0का0, बरेली	सम्पू0 शिविर, सितारगंज को किए गए स्थानान्तरण को निरस्त करके के0 का0, बरेली में रोका जाता है।	..
3	श्री के0 सी0मांगलिक	आ0 का0, लखनऊ	के0 का0, बरेली को किए गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें के0 का0, फतेहगढ़ स्थानान्तरित किया जाता है।	श्री वी0 एन0 श्रीवास्तव
4	श्री ए0 पी0 तिवारी	आ0 का0, लखनऊ	के0 का0, फतेहगढ़ को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें आ0 का0, लखनऊ में रोका जाता है।	..
5	श्री आर0 डी0 सगर	सम्पू0 शिविर, सितारगंज	आ0 का0, लखनऊ को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें जि0 का0, मैनपुरी स्थानान्तरित किया जाता है।	श्री राम गुलाम सिंह
6	श्री सर्वदानन्द सिंह	जि0 का0, फैजाबाद	जि0 का0, गोण्डा को किया गया स्थानान्तरण निरस्त करके इन्हें 31-2-85 तक जिला का0, फैजाबाद में रोका जाता है।	

क्रम-सं0	उप जेलर का नाम	स्थान जहां से स्थानान्तरित किया जाता है	स्थान जहां को स्थानान्तरित किया जाता है	उप जेलर का नाम जिसके स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है
1	2	3	4	5
			इनके तैनाती के सम्बन्ध में अग्रिम आदेश भेजे जायेंगे ।	
7	श्री जे0 सी0 सक्सेना	के0 का0, नैनी	जि0 का0, फैजाबाद को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें जि0 का0, गोण्डा स्थानान्तरित किया जाता है ।	श्री खलील अहमद
8	श्री एन0 के0 कपूर	जि0का0, बरेली	सम्पू0 शिविर, सितारगंज को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें जि0का0, बरेली में रोका जाता है	
9	श्री वी0 सी0 अग्रवाल	सब जेल, हल्द्वानी	आ0 का0, लखनऊ	श्री के0 सी0 मांगलिक
10	श्री विक्रम सिंह	जि0 का0, गाजीपुर	के0का0, वाराणसी को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें जि0 का0 गाजीपुर में रोका जाता है ।	
11	श्री के0 पी0 पाण्डे	जि0 का0, जौनपुर	जि0 का0 गाजीपुर को किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करक इन्हें के0 का0 वाराणसी स्थानान्तरित किया जाता है ।	रिक्त स्थान
12	श्री आर0आर0 त्रिपाठी	सम्पू0 शिविर घुर्मा	इनका आ0का0 लखनऊ का किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करके इन्हें जि0 का0 सुल्तानपुर स्थानान्तरित किया जाता है।	श्री एच0 के0 श्रीवास्तव

नोट :—उप जेलर के स्थानान्तरण आदेश जिसे इस कार्यालय के पृ0 सं0 20509–542 । अध- 1 (1) दिनांक 29–6–85 द्वारा प्रसारित किया गया है, में उल्लिखित टिप्पणी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार इस स्थानान्तरण में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय । कार्य-भार से मुक्त तथा कार्य-भार ग्रहण की सूचना रेडियोग्राम द्वारा अविलम्ब भेजी जाय ।

(ह0) एस0 प्रकाश,
9–7–85
उप कारागार महानिरीक्षक (मु0),
उत्तर प्रदेश ।

कार्यालय, कारागार महानिरीक्षक, उ0 प्र0

पृ0 सं0 21330-49 । अध-1(1) लखनऊ, दिनांक 9 जुलाई, 1985

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1--अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली / नैनी / वाराणसी / फतेहगढ़ ।

2--अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

3--अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, घुर्मा, मिर्जापुर ।

4--अधीक्षक, जिला कारागार, हरदोई / मैनपुरी / गोण्डा / फैजाबाद । बरेली / गाजीपुर / जौनपुर / सुल्तानपुर ।

5--अधीक्षक, सब जेल, हल्द्वानी ।

6--क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक, गोरखपुर / मेरठ / कानपुर ।

7--महामंत्री, यू0 पी0 जेल्स, एसोसियेशन द्वारा जिला कारागार, मेरठ ।

(ह0) एस0 प्रकाश,
9-7-85
उप कारागार महानिरीक्षक (मु0),
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 95 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, दिनांक 3-7-76 से 15-7-81 तक सहायक जेलर के पद पर तैनात रहे तथा 16-7-81 से प्रोन्नत होकर वहीं पर उप कारापाल के पद पर कार्यरत हैं। स्थान रिक्त होने के कारण वहीं पर उनको समायोजित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 1981 में जिला कारागार, हरदोई में उनको 5 वर्ष पूरा होने पर प्रोन्नति के समय इनके स्थानान्तरण का प्रस्ताव था, परन्तु श्री अवस्थी की प्रार्थना पर पुत्री के विवाह के कारण प्रोन्नति के पश्चात् उन्हें वहीं तैनात कर दिया गया।

अक्टूबर, 81 में जेल कर्मियों की हड़ताल में सक्रिय भाग लेने के कारण श्री अवस्थी को पदावनत कर दिया गया तथा निलम्बित कर दिया गया। जेल हड़ताल समाप्त होने पर भी उन्होंने डियूटी ज्वाइन नहीं किया और निलम्बित रहे। जुलाई, 82 में हड़ताल की समाप्ति के बाद प्रशासनिक हित में सामान्य स्थिति लाने के आशय से हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही भी समाप्त कर दी गयी और हड़ताल के पूर्व जो जिस स्थिति में था उसी में लाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप श्री अवस्थी को जिला कारागार, हरदोई में ही उप कारापाल के पद पर रखा गया और उन्होंने जिला कारागार, हरदोई पर ही कार्यभार 30-7-82 के आदेश के आधार पर ग्रहण किया। वर्ष 1984 में वार्षिक स्थानान्तरण के समय उ0प्र0 जेल एसोसियेशन के चार पदाधिकारियों सर्वश्री चुन्नी लाल (जेलर) अध्यक्ष, सुरेन्द्र गेरा (उप जेलर), महामंत्री, एस0 डी0 अवस्थी (उप जेलर) संगठन मंत्री तथा राम विशाल (लेखाकार) कोषाध्यक्ष को अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के आदेश दिये गये जिसके फलस्वरूप श्री अवस्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया।

इस वर्ष सामान्य स्थानान्तरण के समय आदेश दिनांकित 29 जून, 1985 द्वारा श्री एस0 डी0 अवस्थी, उप कारापाल को जिला कारागार, हरदोई से आदर्श कारागार, लखनऊ के लिये स्थानान्तरित किया गया था। श्री अवस्थी ने अपनी पुत्री की शादी के कारण अपना स्थानान्तरण रोकने का अनुरोध किया था उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुय चार माह के लिये (अक्टूबर, 1985 तक) उनका स्थानान्तरण रोकने के आदेश दिये गये हैं जिसके अनुपालन में कारागार महानिरीक्षक के स्थानान्तरण आदेश दिनांकित 9 जुलाई, 1985 में यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि "श्री अवस्थी को जिला कारागार, हरदोई में 31 अक्तूबर, 1985 तक रोका जाता है तथा दिनांक 1 नवम्बर, 1985 को जिला कारागार, हरदोई से कार्यमुक्त होकर आदर्श कारागार, लखनऊ में कार्य भार ग्रहण करें"।

नत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 177 पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 सितम्बर, 1985 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए :—

1—सदन के 5 सितम्बर, 1985 के उपवेशन में पूर्व निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी लिए जायें, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 का पुरःस्थापन, विचार एवं उसका पारण—आधा घण्टा,

(ख) उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 का, उसकी प्रतियां मा0 सदस्यों को वितरित किए जाने के पश्चात्, यथासमय पुरःस्थापन,

2—निम्नलिखित नियमावलियों के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र गुप्त से प्राप्त संशोधनों को आगामी सत्र में विचारार्थ लिए जाने हेतु लम्बित समझा जाय :—

(क) उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984,

(ख) उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह "घ" के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1984।

पी0एस0यू0पी0—पी0 60 विधान सभा—20-1-80—(3316)—1986-813 (मे0)।